दशम माला, खंड 13, अंक 10

मंगलवार, 21 जुलाई, 1992
30 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

...वार, 21 जुलाई, 1992/30 आषाढ़, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (1)	14 के बाद	"अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1992-93" - प्रस्तुत पढ़िये ।
विषय सूची (1)	15	"अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1988-89 के पश्चात "प्रस्तुत" पढ़िये ।
35	नीचे से 10	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
137	12	"(ख)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये ।
149	7	"स्वाय" स्थान पर "स्वास्थ्य" पढ़िये ।
180	5	"बाल-क[illegible]ण योजनाएं" के स्थान पर "शिशु स्वास्थ्य [illegible]ोजनाएं" पढ़िये ।
180	8-9	इस प्रकार [illegible]ढ़िये - "क्या सरकार ने शिशु स्वास्थ्य क[illegible]र्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अभिन्न अंक के रूप में अपनाने का निर्णय किया है :"
224	11	"संशोधन संख्या" के स्थान पर "संशोधन संख्या 3" पढ़िये ।

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 10, मंगलवार, 21 जुलाई, 1992/30 आषाढ़ 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
*तारांकित प्रश्न संख्या: 186, 187 और 189 से 191	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्या: 183 से 185, 188 और 192 से 203	21—31
अतारांकित प्रश्न संख्या 1897 से 1941, 1943 से 2041, 2043 से 2066 और 2068 से 2103	32—183
देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा के बारे में	185—198
राज्य सभा से संदेश	198
सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन, विधेयक	199
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1988-89	199
नियम 377 के अधीन मामले	199—202
(एक) केरल में केपरोलेक्टमप्रोड्यूसिंग कंपनी, फैक्ट के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० के० वी० थामस	199
(दो) देश में फाइलेरिया रोग के बढते प्रकोप को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री गोपी नाथ गजपति	200
(तीन) अहमदाबाद तथा राजकोट के दूरदर्शन केन्द्रों को सूक्ष्मतरंग द्वारा अन्य केन्द्रों से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	200
(चार) असम में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस "अदोमितिला" का दोहन किए जाने की आवश्यकता	
श्री द्वारका नाथ दास	201

विषय	पृष्ठ
(पांच) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि खाद्य निगम कर्मचारी संघ की मांगों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को पूरी तरह से लागू किया जाए	
श्री पी०सी० थामस	201
(छः) उड़ीसा के बोलंगीर क्षेत्र में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार देने हेतु कार्य-योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता	
श्री शरत् चन्द्र पटनायक	201
सभा पटल पर रखे गये पत्र	202—210
भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक	210—225
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री श्रवण कुमार पटेल	210
श्रीमती सुमित्रा महाजन	211
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	213
श्री गिरधारी लाल भार्गव	216
श्री शरद दिघे	217
श्री दिलीप सिंह भूरिया	220
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	221
डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम	221
डा० चिन्ता मोहन	222
खंडवार विचार	225
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
डा० चिन्ता मोहन	225
भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक	226—242
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाईटलर	226
प्रो० रासा सिंह रावत	228
श्री मनोरंजन भक्त	232
श्री राम कापसे	234
श्री गोपी नाथ गजपति	236

विषय	पृष्ठ
खंडवार विचार	241
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाईटलर	242
राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक	242—251
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाईटलर	242
श्री राम नाईक	244
श्री ए० चार्ल्स	248
श्री गिरधारी लाल भार्गव	249
श्री एन० डेनिस	250
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	251

लोक सभा

मंगलवार, 21 जुलाई, 1992/30 आषाढ़, 1914(शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 183 श्री नितीश कुमार, श्रीमती सरोज दुबे—अनुपस्थित श्री राम विलास पासवान, प्रश्न संख्या 184—अनुपस्थित डा० डी० वेंकटेश्वर राव प्रश्न संख्या 185—अनुपस्थित श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, प्रश्न संख्या 186—

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

*186. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक का वर्ष 1992-93 के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 853.61 करोड़ रुपए के परिव्यय से शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व (सी एस एस एम) कार्यक्रम का अनुमोदन किया है। विश्व बैंक ने, उसके साथ 20 फरवरी, 1992 को हुए करार के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए 160.90 मिलियन (557.70 करोड़ रुपए) विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से वित्तीय सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। वर्ष 1992-93 के दौरान 80.34 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त होने का अनुमान है।

2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, मुख पुनर्जलपूरण चिकित्सा कार्यक्रम तथा गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता नियंत्रण के लिए रोगनिरोधन योजनाओं और बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम योजनाओं को समन्वित और सुदृढ़ करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके अतिरिक्त शिशु जीवन रक्षा उपायों के एक अंग के रूप में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए देश भर में चरणवार ढंग से तीव्र श्वसनी संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाएगा।

3. विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां शिशु एवं मातृ मृत्यु दर अधिक है, इस कार्यक्रम के सुरक्षित मातृत्व घटक को लागू किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रसव-पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या में पारम्परिक

दाइयों को तेजी से प्रशिक्षित करने और उनका सहयोग लेने तथा सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्रथम स्तरीय रेफरल यूनिटों को उपस्कर और प्रशिक्षण प्रदान करके सुदृढ़ करना शामिल है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि हम इसको चार चरण में लागू करेंगे और इन बीमारियों से जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है तो वहां पर हम इसको तेजी से लागू करेंगे। बिहार में बहुत सा ऐसा भाग है जहां पर बीमारियां बहुत अधिक हैं और छोटे-छोटे बच्चे मर रहे हैं और वहां पर स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ दूर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बिहार के दक्षिणी भाग छोटा नागपुर में जहां पर विकास सामान्य नहीं हो पाया है उसके कारण वहां पर एक अलग राज्य की मांग हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के विकास के लिए वहां सरकार कुछ विशेषतौर पर इन सब बीमारियों से बचाने के लिए कुछ विशेषतौर पर प्रबन्ध करना चाहती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि हम चाइल्ड सरवाइवल और सेफ मदरहुड का जो प्रोग्राम इस साल चालू कर रहे हैं तो उसमें बिहार राज्य में भी फेज्ड मैनर में ले लेंगे और इस साल बिहार में चार डिस्ट्रीक्ट चाइल्ड सरवाइवल प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए हैं। राज्य सरकार से सलाह मशविरे के बाद सेफ मदरहुड प्रोग्राम के लिए दो डिस्ट्रीक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं। इसी तरह आने वाले पांच साल के लिए हमारा यह प्रोग्राम है कि चाइल्ड सरवाइवल के लिए जितने भी भारत में डिस्ट्रीक्ट्स हैं उन सबको लिया जाए और सेफ मदरहुड प्रोग्राम हम 219 डिस्ट्रीक्ट्स ले लेंगे। मैंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक से हमें काफी मात्रा में लोन मिल रहा है और अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं इनको एक अलग लिस्ट भेज दूंगा कि बिहार में किस वर्ष में कौन से डिस्ट्रीक्ट लिए जायेंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार की तरफ से यह जवाब मिला है कि इस सब प्रोग्राम को चालू करने के लिए रेफ्रेल हास्पिटल को सौंपा जाए। बिहार के जहानाबाद में करमी कुर्वा एवं अखल प्रखण्ड में ऐसा हास्पिटल अभी तक नहीं बना है। तो क्या सरकार इन सब प्रखण्डों में रेफ्रेल अस्पताल बनाने के लिए तैयार है....

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न इसमें से नहीं निकलता है। यह तो वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस का प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक हैल्थ के लिए कितना असिस्टेंस देती है, बिहार का नहीं है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: इसमें रैफ्रेल अस्पताल के माध्यम से कहा गया है कि हम इस काम को करेंगे और उत्तर में आया है तो मैं चाहूंगा कि कुर्थी, करपी अरवल, जहानाबाद में है जहां रैफ्रेल अस्पताल नहीं है, वहां क्या सरकार बनाने जा रही है या कोई प्रोग्राम है?

श्री एम०एल० फोतेदार: माननीय सदस्य महोदय ने अपने प्रश्न को पूरी तरह प्रकट नहीं किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि रैफ्रेल अस्पताल का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या चाईल्ड सरवाईवल प्रोग्राम किया जायेगा? उसमें सब-सेंटर या प्राईमरी सेंटर हैं, उनको किस हिसाब से इक्विपमेंट्स दिये जायें, यह राज्य सरकार का काम है और उसके लिए जो भी धनराशि उन्हें जरूरत है, वह भारत सरकार उनको मुहैया करेगी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: मैं इस प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बावजूद भी देश में मृत्यु दर में कोई खास कमी नहीं आयी है और गत पांच वर्षों में जो मृत्यु दर में कमी आयी है, उसका ब्यौरा बताते हुए यह बताने की कृपा करें कि गांव में जो

कार्यरत मिड-वाईव्स, हैल्थ विज़िटर्स या दाईयां आदि हैं—प्रायः अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि देखने में भी मिल रहा है—ये असुरक्षित हैं, इनके लिए गांव में कार्य करने के लिए, रहने के लिए स्थान और मकान नहीं हैं और मातृ शिशु केन्द्र खुल गये हैं लेकिन बिल्डिंग्ज़ नहीं बनी हैं.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या विश्व बैंक का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 1992-93 के दौरान वित्तीय सहायता देने का विचार है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

[हिन्दी]

अब आपको यह प्रश्न इससे निकालना चाहिये...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: मैं उस पर आ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दिक्कतें हैं, क्या वर्ल्ड हैल्थ टीम से जो पैसा मिल रहा है, उस पैसे का इधर ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे और इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: वाह, बहुत खूब।

श्री एम० एल० फोतेदार: इन्फेंट मार्टेलिटी के बारे में जो माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि कुछ प्रगति नहीं है, मैं समझता हूं कि इसमें काफी एचीवमेंट्स नहीं हैं। सन 1990 में शिशु मृत्यु दर सन 1989 के मुकाबले 11 प्वांइट कम हुआ है। जो शिशुओं की मृत्यु होती है, इसको भी हम नीचे लाना चाहते हैं। सन् 2000 तक शिशु मृत्यु दर को 60 से नीचे लाया जाये, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि इसके लिए बिल्डिंग्ज़ बनायी जायें या कुछ किया जाये तो मैं आपसे सफाई से कहना चाहूंगा कि इसकी ट्रेनिंग दी जाये ताकि ये अच्छी तरह से अपने काप को कर सकें और बच्चों को वैक्सीन देने में सेफ हों। इसके अलावा माताओं और बहिनों, जिनका प्रसूति का समय हो, उनको मदद देने के लिए जो भी कार्य हो, वह किया जाये लेकिन जहां तक इनके लिए बिल्डिंग्स बनाने की बात है, ऐसा हमने कोई प्रबंध इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नहीं किया है।

श्री मानकू राम सोडी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी जो सर्वे का प्रावधान वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ है, उसके अन्तर्गत ट्राईब्ल ऐस्टिा में हर साल मलेरिया, डाइहेरिया, उल्टी, ट्टी से हज़ारों बच्चे मर जाते हैं। उस ट्राइबल एरिया के अन्तर्गत कितने बच्चे मरते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर के रेशों में तुलना नहीं होती, सर्वे नहीं होता। इसलिए इन दोनों का सर्वे कराना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि उसमें कितना अन्तर है। उसको देखते हुए परिवार कल्याण मंत्रालय को अपना टार्गेट फिक्स करना चाहिए कि इस इलाके में इतना टार्गेट रखा जायेगा। मेरा पूछना यह है कि हर साल इतने बच्चे मरते हैं तो ऐसी बीहड़ जगहों पर क्या विश्व बैंक के सहयोग से सर्वे के लिए निश्चित प्रोग्राम बनाया जायेगा?

श्री एम०एल० फोतेदार: माननीय सदस्य महोदय से मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात से अवगत है कि ट्राइबल एरियाज़ में काफी बच्चों की मृत्यु होती है, शिशुकाल में होती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मुकामी सरकारें हैं वे वक्त पर सही इंतजाम नहीं करती हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां से सारे सिस्टम को अच्छी तरह से मानीटर किया जाये। हाल ही में मध्य प्रदेश में जहां के आप रहने वाले हैं हमने राज्य सरकार को समय-समय पर कहा था कि मीजल्स की बीमारी का फैलने का इस साल काफी अंदेशा है उसके बावजूद भी कई सरकारों ने कोई काम नहीं किया। बाद में जब हमने यहां से टीम पहुंचाई तो स्टेट के

मुख्य मंत्री ने खुद इस बात को तसलीम किया कि यह उनका फेल्योर है। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन हमने मानीटरिंग सिस्टम को ऐसा प्रभावकारी बनाया है ताकि राज्य सरकार वह काम पूरा करे जो उनको करने के लिए दिया गया है।

श्री राम कापसे: माननीय अध्यक्षजी, अभी माननीय मंत्री महोदय ने ट्राइबल्स एरियाज और वहां होने वाली मीजल्स की बीमारी के बारे में यहां कहा। मैं दो उदाहरण महाराष्ट्र के इनके सामने पेश करना चाहता हूं। एक जिला है धुलिया और दूसरा जिला है ठाणे। महाराष्ट्र में मीजल्स की बीमारी के कारण ठाणे जिले में मोखाड़ा में एक देहात में 100 से ऊपर शिशु बीमार हुए और 15 दिन में उनकी मृत्यु हुई, यह महाराष्ट्र शासन द्वारा प्राप्त आंकड़े हैं। इसी तरह धुलिया जिले में 5 बरस तक की आयु के 105 बच्चे केवल दो महीने में मीजल्स की बीमारी से मरे हैं। इसका असली कारण है मालन्यूट्रीशन और इस विषय में जो व्यवस्था करनी चाहिए वह केवल हैल्थ डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। मालन्यूट्रीशन, बीमारी होने पर वहां पर नहीं मिलने का कारण शिशुओं की मृत्यु ट्राइबल जिले में धुलिया और ठाणे में गये पांच बरस में दो बार हुई है। आप मानीटरिंग करते समय ऐसे जो ट्राइबिल एरियाज हैं, जहां दलित, आदिवासी हैं वहां पर ज्यादा ध्यान देकर इस विषय पर कुछ करने का क्या विचार कर रहे हैं और इस विषय में क्या इन जिलों का समावेश आपने किया है?

श्री एम० एल० फोतेदार: मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ट्राइबल, पिछड़े वर्ग या हरिजन जाति के लोगों खासकर जो देहात में रहते हैं, जहां पक्की सड़कें आमतौर पर नहीं हैं, विशेष ध्यान देती है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि इन जिलों में मीजल्स की बीमारी फैली हुई है और इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी फैली हुई है। लेकिन मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, चाहे वह कांग्रेस, बी०जे०पी० या जनता दर की सरकार हो। स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरे सामने सब एक जैसे हैं और बीमारी हरेक को पकड़ सकती है। हमारे कहने के बावजूद भी दिसम्बर 1991 में हमने तमाम राज्य सरकारों को अवगत किया था कि यह बीमारी फैलने की आशंका है, उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन ज्यों ही मीजल्स की बीमारी फैली हमने टीम भेजी, राज्य सरकारों ने भी काम किया और हमारे इंटर्वेशन से वहां काम हुआ। इसी तरह हमारे इंटरवेंशन से मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत काम हुआ। जहां तक दूसरा प्रश्न आपने मालन्यूट्रिशन का पूछा, वह इस वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में हमने रखा है और विटामिन ए की कमी जो आम तौर पर शिशुओं में पाई जाती है, उसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है और हम आपसे चाहेंगे कि उसका सदुपयोग राज्य सरकारें करें और जो बेज़बान शिशु हैं, उन तक वह पहुंचाएं।

श्री राम कापसे: मैंने जो सवाल आखिर में पूछा था कि ट्राइबल एरियाज़ में विशेषकर लागू करें और वहां प्रायॉरिटी दें और ठाणे ज़िले और धुलिया ज़िले का इसमें समावेश किया जाए, यह मेरी रिक्वेस्ट थी, उस बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री एम० एल० फोतेदार: मैंने आपसे कहा कि यह सारे देश का सवाल है। उसमें ट्राइबल ज़िलों को विशेषता दी जाती है और विशेषता हम राज्य सरकारों को देने के लिए कह रहे हैं लेकिन राज्य सरकारें कहती हैं कि डॉक्टर या अन्य लोग यह काम करने के लिए वहां नहीं जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पानिग्राही: महोदय मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने के बावजूद कुछ रोगों जैसे 'सिकल सेल' से बहुत अधिक संख्या में बच्चों की जाने जाती हैं विशेष रूप से उड़ीसा के पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि

पाल लोहात, देवगढ़ आदि। यह एक अनुवांशकीय रोग या इसी से मिलताजुलता रोग है। बच्चों में इसका निदान केवल रक्त परिवर्तन ही है लेकिन अभी तक इस रोग के कारणों का पता नहीं चला है। फिलहाल इसकी उपचार संबंधी बात को छोड़ दीजिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है और यदि हाँ तो क्या विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में अनुसंधान और उपचार संबंधी कार्य के लिए इसे शामिल किया गया है या किया जायेगा।

श्री एम० एल० फोतेदार: महोदय, मुझे उड़ीसा राज्य के बारे में अधिक चिन्ता है क्योंकि इस राज्य में आदिवासी और अन्य लोग रहते हैं। हमने उड़ीसा के लगभग सभी जिले शामिल किये हैं। जहां तक इस रोग विशेष की बात है जिसका जिक्र माननीय सदस्य के किया है, मेरे पास तथ्य है। यदि वे चाहें तो मैं उन्हें वे दे सकता हूं।

[हिन्दी]

डा० जी० एल० कनौजिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, पर पहले तो मैं इनकी प्रशंसा करूंगा कि ये हेल्थ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितना वर्ल्ड बैंक का पैसा हमारे पास आया है, उसका यूटिलाइज़ेशन किस प्रकार हुआ है? मृत्यु-दर में कितनी कमी हुई है और जन्म-दर में कितनी कमी हुई है, और जितना पैसा खर्च किया गया है, उसके हिसाब से कितनी कम होनी चाहिए? इसी प्रकार से मज़िल्स के विषय में मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सेन्टर और स्टेट का रिलेशन कहकर बात को टालने से काम नहीं चलेगा। यह स्पष्ट बताने का कष्ट करें कि इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है?

श्री एम० एल० फोतेदार: माननीय सदस्य से मैं इतना कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक से हमें आने वाले पांच सालों के लिए ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न 1992-93 में विश्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता से संबद्ध है न कि विगत में दी गयी सहायता से।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० फोतेदार: आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए कुल 853.61 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है, इस दौरान वर्ल्ड बैंक से लगभग 506 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी जो दूसरी डोनर ऐजेंसीज़ हैं उनसे इस अवधि में लगभग 222 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। इस साल के लिए हमारा कुल ऐस्टिमेट अस्सी करोड़ तीस लाख रुपए है।^मैंने आपसे कहा कि यह किन-किन डिस्ट्रिक्ट्स में लिया जाना है और शिशु-कल्याण के लिए सारे ज़िले लिए जाएंगे और मैटर्नल सर्वाइवल के लिए 219 ज़िले लिए जाएंगे। मैंने आपसे इस बात का ज़िक्र किया और इनफैन्ट मॉर्टेलिटी के बारे में मैंने आपसे कहा कि .....

[अनुवाद]

यह कम होकर प्रति हजार 80 आ गया है। अब हम इसे इस सदी के अन्त तक और कम करके साठ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का नवीकरण

*187. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे जोनों में किन-किन प्रमुख स्टेशनों का नवीकरण/विस्तार किया गया है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई और कितनी खर्च की गई;

(ग) किन-किन रेलवे स्टेशनों के नवीकरण/विस्तार का कार्य चल रहा है; और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इनमें से किन-किन स्टेशनों पर कम्प्यूटर सेवाएं प्रदान करने का विचार है और ये सेवाएं कब तक दिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिन प्रमुख रेलवे स्टेशनों का नवीकरण और विस्तार किया गया है तथा उन पर जो राशि खर्च की गई है, वह नीचे लिखे अनुसार है:—

रेलवे ज़ोन	स्टेशन	आबंटित/खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)
मध्य	शोलापुर	35.49
दक्षिण मध्य	औरंगाबाद	14.49
	कोल्हापुर	2.97
पश्चिम	दादर	9.01

(ग) और(घ) महाराष्ट्र में जिन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर नवीकरण/विस्तार का कार्य प्रगति पर है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

रेलवे ज़ोन	स्टेशन	अनुमानित लागत	1992-93 के दौरान आबंटित राशि (आंकड़े लाख रुपये में)	लक्ष्य
मध्य	बम्बई वी.टी	80.39	21.20	31.3.93
	पुणे	53.01	00.12	30.9.92
	अकोला	68.85	33.73	31.3.93
	नागपुर	228.87	38.85	31.3.93
दक्षिण मध्य	नांदेड़	47.78	8.73	31.3.93
दक्षिण पूर्व	गोंदिया	36.93	18.93	31.12.93
	तुमसर रोड	16.00	12.60	31.3.93
पश्चिम	बम्बई सेंट्रल	48.15	48.15	31.3.93
	अंधेरी	9.96	7.40	31.3.93
	बोरीवली	9.72	1.00	31.3.94
	विरार	18.22	10.00	31.3.94

(ङ) बम्बई वी.टी, पुणे, बम्बई सेंट्रल और बोरीवली स्टेशनों पर कंम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की पहले ही व्यवस्था है। इस सिलसिले में नागपुर स्टेशन पर कार्य आरंभ कर दिया गया है और इसे 31.3.1994 तक पूरा कर दिया जाएगा, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जो छोटे स्टेशंस हैं उनके लिए क्या सुविधा की जा रही है? उन स्टेशनों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर कोई भी प्राथमिक सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, जैसे लेडीज़ टॉयलट और जेन्ट्स टॉयलट की हालत इतनी खराब है कि बाबा आदम के ज़माने में जो पोज़ीशन थी, वही आज भी है।

कुछ बड़े स्टेशनों के नाम मंत्री जी ने दिये हैं लेकिन छोटे स्टेशनों के वास्ते क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और कब तक ये सुविधाएं दे दी जायेंगी।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, हमारी अवधारणा है कि लगभग सभी वर्गों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध की जायें और अब जैसे कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कुछ स्टेशन जिनके संबंध में ये सब चीजें की जा रही हैं का उल्लेख किया गया है। छोटे स्टेशनों के लिए भी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वह कितने अच्छे ढंग से इन आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार: अध्यक्ष जी, अभी जो काम चल रहा है, महाराष्ट्र के स्टेशनों पर, वह बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा। इसके अलावा कुछ रेलवे लाईनों की नई मांग है, उन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा, कृपया मंत्री जी स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय यह प्रश्न रेल लाइनों के बारे में नहीं है। लेकिन जहां तक स्टेशनों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और आधारभूत यात्री सुविधायें उपलब्ध करने की बात है हमने यह कार्य किया है। इस वित्त वर्ष में हमने 73.867 करोड़ रुपये यात्री सुविधाओं के लिए आबंटित किये थे।

अध्यक्ष महोदय: श्री राम नाईक। यह महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों से सम्बन्धित प्रश्न है, आप पढ़ लीजिये पहले।

श्री दत्ता मेघे: अध्यक्ष महोदय, आज मुझे मेन गेट से आने में 10 मिनट लग गये, मुझे आने नहीं दिया गया। मुझे आपका संरक्षण चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

श्री दत्ता मेघे: मुझे आपका संरक्षण चाहिये, मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हूं, मुझे मेन गेट से आने नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: हां संरक्षण देंगे।

श्री राम नाईक: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने पश्चिम रेलवे के कुछ सटेशनों के नाम दिये हैं, जैसे अंधेरी, बोरीवली और विरार, जो मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं और जिनके विकास की योजना प्रश्न के उत्तर में बतायी गयी है। मेरा सवाल यह है कि इस विकास योजना में, मुम्बई के कम्यूटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, जिसके कारण कभी कभी एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए, जिस फुट-ओवर ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, उसके द्वारा एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंचने में लगभग 10-12 मिनट लग जाते हैं। इसके अलावा, ये ब्रिज कई स्टेशनों पर बहुत पुराने हो चुके हैं, 10-12 साल पहले के बने हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप विभिन्न स्टेशनों पर रैनोवेशन, री-मॉडलिंग या एक्सपैंशन, जिस शब्द का भी उपयोग करें, करने जा रहे हैं तो इन स्टेशनों पर विशेषतया जहां फुट-ओवर ब्रिज बड़े करने की आवश्यकता है या जहां बड़े

नहीं हो सकते, वहां नये फुट-ओवर ब्रिज लगाने का काम क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर अपने हाथ में लेगी। साथ ही, इस काम को जो अब तक नहीं लिया गया तो उसके क्या कारण हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है मुम्बई उपनगर में यह बहुत बड़ी समस्या है और दैनिक यात्रियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है तथा हम भी इन सेवाओं को बढ़ाने के पूर्ण प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक पैदल उपरिपुलों की बात है मैं उनके सुझाव से सहमत हूं और जो कुछ भी अच्छे से अच्छा इसमें किया जा सकता है वह हम करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटील: अध्यक्ष महोदय, साउथ सेन्ट्रल रेलवे के सांगली स्टेशन पर ये सभी सुविधाएं अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं हैं इसके अलावा क्या निजामुद्दीन ट्रेन को वहां रोकने का प्रावधान सरकार कर सकती है। तीसरे, मीरज बेतूल रेलवे लाईन को ब्राड गेज में बदलने का काम किया जा रहा है, उसे कहां तक कम्पलीट करने की उम्मीद है, कब तक वह काम पूरा हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, जहां तक स्टाप की बात है उस पर गौर किया जा रहा है।

श्री शरद दिघे: अध्यक्ष महोदय, पैरा (ग) और (घ) के उत्तर में माननीय मंत्री ने ग्यारह स्टेशनों का जिक्र किया है जिनका नवीकरण किया जाना है और उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की तारीख एवं आबंटित धनराशि भी बताई है। मैंने देखा है कि कम से कम पांच स्टेशनों की लक्ष्य प्राप्ति की तारीख काफी तेजी से नजदीक आ रही है। उदाहरण के लिए पुणे के लिए यह तारीख 30 सितम्बर, 1992 है—मुश्किल से दो माह—और जब हम अनुमानित लागत और आबंटित धन पर गौर करते हैं तो हमें अनुमानित लागत और आबंटित धन में काफी अन्तर मिलता है। पुणे के लिए अनुमानित लागत 53.01 लाख रुपये है जबकि आपने 0.12 लाख रुपये आबंटित किये। इसी तरह मुम्बई वी०टी० के लिए अनुमानित लागत 80.39 लाख रुपये है और आपने जो राशि आबंटित की है वह 21.20 लाख रुपये है। इसी तरह नागपुर के लिए अनुमानित लागत 228.87 लाख है और आपने केवल 38.85 लाख रुपये आबंटित किये हैं। अनुमानित लागत और आबंटित धन राशि के बीच इतने अधिक अन्तर को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि इसकी लक्ष्य प्राप्ति की तारीख बहुत नजदीक है। अधिकांश मामलों में यह 1993 या 1994 है—आप इस नवीकरण को इतने कम आबंटन से लक्ष्य प्राप्ति की तारीख तक कैसे पूरा कर पायेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन: मुम्बई वी०टी०, पुणे और नागपुर के स्टेशनों जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, को आधुनिकीकरण के लिए 1992-93 के बजट में शामिल नहीं किया गया है। इन स्थानों पर पहले से ही कार्य चल रहा है और प्रगति पर है। कार्य पूरा करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह आबंटित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री अरविंद त्रिवेदी: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समूचे स्टेशनों में बहुत ही सुविधा की है। फुटओवर ब्रिज और टॉयलेट भी अच्छे बने हैं लेकिन उनके मेनटेनैंस की कोई व्यवस्था नहीं है। फुटओवर ब्रिज के ऊपर एक शौपिंग सैन्टर जैसा चल गया है, पब्लिक वहां पर चल नहीं सकती है। क्या उसकी बराबर मेनटेनैंस के लिए कोई उपाय या व्यवस्था की जाएगी? किसी भी स्टेशन पर जाकर देखिए, सब जगह मिनी बाजार लगा हुआ है, पब्लिक चल नहीं सकती है, टायलैट्स में लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या इसकी मेनटेनैंस की कोई व्यवस्था की जाएगी?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, यह सच है कि कुछ भागों में बिजली और अन्य चीजों की कमी है। फिर भी हम महाप्रबन्धकों और अन्य संबंधित लोगों पर इस बात के लिए जोर देते रहे हैं, निर्देश देते रहे हैं कि वे इन समस्याओं पर ध्यान दें। रख-रखाव एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है हम हमेशा परिसम्पतियों के रख-रखाव को उच्च प्राथमिकता देते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे: नागपुर महाराष्ट्र का दूसरा अच्छा शहर है और जो रेलवे स्टेशन है, उसका 1991-92 में जो बजट प्रोवीजन था, उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। नागपुर का दूसरा कौटन मार्केट की तरफ से जो रिनोवेशन का काम था वह भी नहीं हुआ है। नागपुर रेलवे स्टेशन के काम के लिए बजट में कम प्रावधान रखा है और काम पूरा नहीं हो रहा है। क्या आप इस साल में वह काम पूरा करने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: इस नवीकरण को 31-3-1993 को पूरा करने का लक्ष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि रेल विभाग निर्धारित समय पर इस कार्य को पूरा करेगा।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

*189. **श्री भगवान शंकर रावत:**

डा० सुधीर राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में महत्वपूर्ण एक्सप्रेस, मेल और सुपरफास्ट रेलगाड़ियां तथा विशेषतः इलाहाबाद-मुम्बई मार्ग पर चलने वाली मुम्बई मेल रेलगाड़ी प्रायः विलम्ब से चलती है;

(ख) क्या रेलगाड़ियों को छोड़ने के मामले में यात्रीगाड़ियों की तुलना में मालगाड़ियों को तरज़ीह दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे क्या कदम उठाने का विचार है जिससे रेलगाड़ियां निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आयें-जायें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं, बहरहाल, हावड़ा-बम्बई मेल का समयपालन संतोषजनक नहीं रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस आशय के अनुदेश पहले से ही हैं कि कड़ी नजर और चौबीसों घंटे निगरानी रख कर समयपालन को बनाये रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर देने का प्रयास किया है वह स्वयं में बड़ा असन्तोषजनक है। उन्होंने यह तो स्वीकार किया ही है कि हावड़ा-बम्बई मेल का समयपालन संतोषजनक नहीं है लेकिन बाकी गाड़ियों का संतोषजनक है। मूल प्रश्न यह था कि जो महत्वपूर्ण एक्सप्रैस मेल और सुपरफास्ट गाड़िया हैं, वे सामान्यतः लेट चल रही हैं। मैं स्पैसीफिकली कहना चाहूंगा कि राजधानी एक्सप्रैस, ए०पी० एक्सप्रैस, झेलम एक्सप्रैस, पंजाब मेल, छत्तीसगढ़, अवध एक्सप्रैस जो अब बम्बई-बांद्रा एक्सप्रैस कहलाती है, ये सभी गाड़ियां विलंब से चल रही हैं जिसके कारण यात्रियों को भारी असुविधा होती है। कभी-कभी बड़ा अनर्थ हो जाता है, अमानवीयकृत हो जाता है। किसी को मौत या गमी में पहुंचना है, किसी को अपने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य से पहुंचना होता है, गाड़ियां अकसर लेट हो जाती हैं। अकसर गाड़ियां 4-4, 6-6 और 8-8 घंटे लेट हो जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजधानी एक्सप्रैस, ए०पी० एक्सप्रैस, झेलम एक्सप्रैस, पंजाब मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस और गोरखपुर अवध-बांद्रा एक्सप्रैस गाडियां पिछले छः महीने में एक घंटे से ज्यादा विलम्ब से कितने दिन चली हैं यह बताया जाए?

मंत्री महोदय, वैसे तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने जो अवध से बम्बई के लिए एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाई है जिसे अवध-बान्द्रा एक्सप्रैस कहते हैं, लेकिन अवध एक्सप्रैस सहित सब गाड़ियों के प्रायः विलम्ब से चलने के कारण यह सुविधा लोगों को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। जब लोग अपने गंतव्य पर विलम्ब से पहुंचेंगे, तो उनके कार्य का बहुत नुकसान होता है। अतः मैं फिर वही अपना प्रश्न दोहराता हूं कि पिछले छः महीने में ये गाड़ियां कितने दिन एक घंटे से ज्यादा विलम्ब से चली हैं?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय हमें समयपालन पर बहुत चिन्ता है। समयपालन यात्रियों का बचाव और सुरक्षा पर उचित ध्यान होना चाहिए और हम इस पर निगरानी रख रहे हैं और एक समय तो समयपालन की दर 71 से 72 प्रतिशत थी। अब यह 85 प्रतिशत हो गई है और कुछ गाड़ियों में तो यह 91 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। महोदय, फिर भी हम इस समय पालन से संतुष्ट नहीं हैं और समयपालन को कायम रखने के उत्तरदायी कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है और हम इस पर नजर रख रहे हैं। महोदय इसके अतिरिक्त कुछ बातें रेलवे के बस में नहीं होती जिसके कारण समयपालन नहीं हो पाता जैसे कि लम्बी दूरी की गाड़ियों में कम दूरी की गाड़ियों के यात्री घुस जाते हैं और चेन खींचते हैं। चेन खींचना समय पालन न होने का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा कुछ आन्दोलन, बन्द, घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन सभी कारणों की ओर ध्यान दिया जाता है। इसी कारण समयपालन नहीं हो पाता। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि राजधानी या ए०पी० एक्सप्रैस या अन्य गाड़ियां छः महीने के दौरान कितनी बार एक घंटा विलम्ब से चली, मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं इसे बाद में दूंगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जैसा अभी अपने उत्तर में बताया कि एक्सीडेंट के कारण भी गाड़ियां लेट होती हैं, तो मैं फिर पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने दिन पिछले छः महीने में एक्सीडेंट के कारण गाड़ियां एक घंटे से अधिक लेट चली हैं, यह बताएं?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। मंत्री जी ने बताया कि इनके पास वह रिकार्ड यहां नहीं होता है। मंत्री जी आपको वह लिखकर भेजेंगे। इसके अतिरिक्त और पूछना है तो पूछिए।

श्री भगवान शंकर रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गाडियां ठीक टाइम से, पंक्चुअली चलें, इसके लिए क्या उपाय किए हैं और जिन अधिकारियों के कारण गाड़ियां विलम्ब से चली हैं और जो इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही करने के संबंध में पहले ही कहा गया है कि आप उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, जैसा कि मैंने इस पुनीत सभा को सूचित किया कि समयपालन कायम रखना है और रेल प्रशासन का यह दायित्व है और संचालन संबंधी कामों में लगे सभी को सतर्क किया गया है ताकि समयपालन कायम रखा जाए।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग: महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर को देखते हुए मैं उनका ध्यान उनके द्वारा दिये गये उत्तर "नहीं, महोदय" की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि बहुत भ्रामक है।

महोदय, अनेक गाड़ियां मेल और एक्सप्रैस, गुवाहटी रेलवे स्टेशन से शुरू होकर दिल्ली, बम्बई कलकत्ता जाने वाली गाड़ियां रोजाना कम से कम पांच घंटे विलम्ब से चलती हैं और यह उत्तर देना "नहीं महोदय" बहुत भ्रामक है और मेरे विचार से यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। "नहीं" कहना ठीक नहीं है। वे गुवाहटी अक्सर छः या सात घंटे विलम्ब से आ रही हैं। माननीय मंत्री इस से कैसे निपटेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन: मैं समयपालन के मामले में समझौता नहीं करूंगा। पूर्वी क्षेत्र के बारे में माननीय सदस्य का कथन सही है। लेकिन मैं इसका ध्यान रखूंगा।

श्री भुवनचन्द्र खंडूरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि गाडियां विलम्ब से नहीं चल रही हैं। मैं इस उत्तर को देखते हुए, मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 'समयपालन' की परिभाषा क्या है। अगर गाड़ी 5 मिनट या 10 अथवा 15 मिनट विलम्ब से चल रही है तो क्या इसे समय पालन माना जाता है या नहीं? अगर सुपरफास्ट गाड़ियां 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा विलम्ब से चल रही हैं और दंगे जैसी गैर प्राकृतिक घटनाएं नहीं हुई हैं तो ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि वह यह प्रभार वापस कर देंगे?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप प्रभार वापस कर सकते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन: यह संभव नहीं है।

श्री चिरंजीलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि समयपालन कायम रखा जाना है और उन्होंने इस संबंध में उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। माननीय मंत्री सभा

को बताएं कि कितने अधिकारियों या कर्मचारियों को सजा दी गई या उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि की गई तो क्या सजा दी गई है? क्या उनको निलंबित किया गया है? क्या उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है या कोई जुर्माना लगाया गया है?

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय गाड़ियों के सही समय से चलने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है। उन पर कार्यवाही करने का यह अर्थ नहीं है कि हमने उन पर कोई सजा थोंपी है, इत्यादि। फिर भी मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि इस संबंध में कितने उत्तरदायी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय: माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना से नई दिल्ली तक आने वाली श्रमजीवी ट्रेन प्रायः 3-4 घंटे डेली लेट रहती है। अगर आप इसका समय बदल कर इसे दोपहर को तीन बजे पटना से चलायेंगे तो वह वाराणसी शाम को 6 बजे पहुंच जायेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी क्योंकि काशी विश्वनाथ जो कि बनारस से चलती है, उसमें डिफरेंस 1-2 घंटे का ही रहता है। यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए क्या आप इस पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, एक विशेष मार्ग पर चल रही विभिन्न गाड़ियों को ध्यान में रखकर समय सारणी तैयार की जाती है। इसलिए यह संभव नही है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ट्रेनें लेट चल रही हैं, 1-2 घंटे लेट चलना इनका रिवाज सा हो गया है। क्या इसके पीछे मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिजर्व्ड डिब्बे हैं, ए०सी० स्लीपर और ए०सी० फस्ट क्लास, उसमें जो अधिकृत सवारियां ही रहती हैं, उसमें उनकी बहुत चोरियां हो रही हैं। उन चोरियों के कारण भी कई बार रिपोर्ट लिखाने के लिये स्टेशन में गाड़ियां रुक जाती हैं। ऐसे में चोर चोरी करके समान ले जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? क्या ट्रेन लेट होने का एक यह भी कारण है?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: कभी-कभी कुछ ऐसे कारणों से भी विलम्ब से चलती हैं कि कुछ सुविधाएं सवारी डिब्बों में उपलब्ध नहीं होती। तब यात्री स्वयं चेन खींचते हैं और खामी को दूर करने तक गाड़ी को रोके रखते हैं।

जहां तक चोरियों का संबंध है, कुछ मामले हमारे जानकारी में आए हैं। हमने ऐसी घटनाओं की पुनरावर्ती रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्टेशनों के ऊपर लिखा तो रहता है, पंक्चुएलिटी, सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी लेकिन इसके सर्वथा विपरीत अधिकांश गाड़ियों में आचरण होता है। मैं अजमेर से दिल्ली आता हूं। मेल ज्यों ही दिल्ली कैण्ट से आगे आती है तो आधा-आधा घण्टे तक रुकी रहती है। कहा जाता है कि पश्चिम रेलवे की गाड़ियों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है। उत्तर रेलवे की गाड़ियों को पहले लिया जाता है। परिणामस्वरूप गाड़ी एक घण्टा लेट हो जाती है और यहां संसद में आने में भी विलम्ब होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जो त्वरित गति

वाली गाड़ियां हैं, उनको इस प्रकार से अन्य जोंस में जाने से रोका जाता है, क्या सरकार इस बारे में सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देगी?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: यह पूर्णतः संचालन संबंधी मामला है कि एक विशेष गाड़ी किस कारण से विलम्ब से चल रही है।

रेल लाइन का अगरतला तक विस्तार

*190. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में अगरतला तक रेल लाइन को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य आरंभ होने की आशा है और इसके पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) रेल लाइन को कुमारघाट से अगरतला तक विस्तार करने के लिए, सर्वेक्षण-कार्य शुरू कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

श्रीमती बिभू कुमारी देवी: महोदय, स्पष्ट कारणों से यह उत्तर अत्यंत असंतोषजनक है। हमने 1967 से ही रेलवे लाइन के लिए अनुरोध किया है और धर्मनगर को कुमारघाट से जोड़ने में 22 वर्ष लगे। लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से धन कमाने हेतु जमीन खरीद रहे थे। आप जानते हैं त्रिपुरा सीमावर्ती राज्य है और शरणार्थियों की घुसपैठ बड़ी समस्या है। जब लाभ कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार जमीन खरीदी जाए तो राज्य के अन्य विकास कार्यों में विलम्ब होता है।

मैं आशा करती थी कि माननीय सदस्य मुझे बताएंगे कि कुल कितनी लम्बी लाइन बिछाई जानी है। पहाड़ियां पूर्व से पश्चिम की ओर की है; उत्तर से दक्षिण नहीं। स्वायत्तशासी जिला परिषद, आदिवासी भूमि, वन भूमि, रबड़, काफी और अन्नानास के रोपण के तहत पड़ने वाली कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण होना है। राज्य सरकार और शेष आम जनता से कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण होना है।

इस संबंध में मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय बताएं कि कुमारघाट से अगरतला को जोड़ने में क्या अखौरा को भी जोड़ा जायेगा क्योंकि यह स्थान तो बांग्लादेश में है और इससे बांग्लादेशी लोगों को एक और प्रवेश द्वार मिल जाएगा। क्या सरकार ने सम्पर्क के इस प्रभाव पर विचार किया है?

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, जब इस क्षेत्र के माननीय सदस्य यहां पर थे तब निःसंदेह उन्होंने प्रयास किया था। इसी वजह से धर्मनगर से कुमारघाट तक 33 किलोमीटर रेलवे लाइन पूर्ण कर ली गई है।

अब अगरतला तक लाइन को बढ़ाने की सतत मांग पर कुमारघाट और अगरतला के बीच लाइन बिछाई जानी है। इस वित्त वर्ष में हमने इसे अन्तिम स्थल सर्वेक्षण के लिए शामिल किया है। यह पहाड़ी क्षेत्र है

और अन्तिम स्थल सर्वेक्षण करने में कुछ समय लगेगा। कुमारघाट से अगरतला की दूरी लगभग 131 किलोमीटर है।

श्रीमती बिभू कुमारी देवी: क्या मंत्री महोदय अगरतला के लिए लाइन बिछाने हेतु नई जापानी प्रौद्योगिकी अपनाने पर विचार करेंगे। 131 किलोमीटर की लम्बाई अधिक नहीं है। मौजूदा प्रौद्योगिकी के साथ अधिक समय लगेगा और अधिक लोग बेघर होंगे। आपको हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा। नई जापानी प्रौद्योगिकी के तहत पुलों पर रेलवे लाइन बिछाने में कम से कम भूमि की जरूरत पड़ती है। क्या वह अगरतला को कुमारघाट से जोड़ने के लिए नई प्रौद्योगिकी पर विचार करेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, नई प्रौद्योगिकी अपनाना बाद की बात है। अभी तो मुख्य बात यह है कि अन्तिम स्थल सर्वेक्षण पूरा किया जाये। इसके एक बार पूरा होने और इससे होने वाली आमदनी के पता लगने के बाद इसे स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेजा जाएगा। जहां तक भूमि अधिग्रहण का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि अन्तिम स्थल सर्वेक्षण के पूरा होने से पहले भूमि अधिग्रहण, कुल भूमि आदि के प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: महोदय, यह संतोषजनक है कि रेल विभाग नें अगरतला तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण और अन्य कार्य शुरू किए हैं। लेकिन केवल यही रेलवे लाइन देश के शेष भागों को विशेषकर गुवाहाटी से जोड़ती है। यह गुवाहाटी और त्रिपुरा के बीच में समाप्त होती है। पहाड़ी भाग लुमडिंग से बदरपुर तक है। इसकी दूरी 115 किलोमीटर है जिसकी बहुत खस्ता हालत है। इसलिए इस खराब पटरी के कारण गाड़ियां नहीं चल सकतीं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि अगरतला तक लाइन बिछा भी दी जाए तो भी इसके पहाड़ी भाग को सुधारे बगैर क्या गाड़ियां नियमित रूप से चलाई जा सकती हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पहाड़ी भाग में सुधार हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है। यह भाग बहुत ही खस्ता हालत में है। इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है?

श्री मल्लिकार्जुन: रेलवे का यह कार्यात्मक कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि लाइनों का रखरखाव उचित हो और इसमें कोई ढील न हो। जहां तक लुमडिंग से डिब्रूगढ़ तक रेलवे लाइन का संबंध है, हम वास्तव में इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि बाद में संतोषजनक सेवा मिलेगी। **(व्यवधान)**

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: मैं लुमडिंग से डिब्रूगढ़ लाइन के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं लुमडिंग-बदरपुर लाइन का उल्लेख कर रहा हूं जो एक पहाड़ी भाग है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री मल्लिकार्जुन: मैंने भी पहले यही कहा है। रेलवे का कार्यात्मक कर्त्तव्य है कि वह लुमडिंग से बदरपुर तक भी पटरियों और उचित सेवाओं को बनाए रखे और ऐसा किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि रेलवे लाइन को अगरतला तक बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली के नज़दीक नौएडा है और एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं—यह प्रश्न अगरतला का है, नौएडा का नहीं है। ऐसा नहीं है। इधर से उधर जम्प मत कीजिए।

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, यह पूरे देश का सवाल है और अनेक स्थानों पर रेलवे लाइन के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है....

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल अगरतला रेल लाइन का है।

श्री सत्यदेव सिंह: पूरे देश से संबंधित है। आप प्रश्न तो पूछने दीजिए ...**(व्यवधान)**...

डा० रमेश चन्द तोमर: अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं होता है।

डा० रमेश चन्द्र तोमर: मैं आपकी बात मानता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, जमीनों का अधिग्रहण अगरतला हो या उत्तर प्रदेश हो, रेल के विकास के लिए किया जाता है। उन ज़मीनों के अधिग्रहण में कई बार विलम्ब होता है, लिटिगेशन्स होते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जिन लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है, उन को मुआवजा देने के साथ-साथ, क्या आप इस बात का प्रस्ताव करेंगे, उनके परिवार में योग्य और सक्षम व्यक्ति को सेवा में लिया जा सके, ताकि जमीन को लेने में जो लिटिगेशन्स बढ़ जाती हैं, उनको किसी सीमा तक कम किया जा सके?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन: महोदय, जिन वास्तविक लोगों की भूमि को पूर्ण रूप से अधिग्रहीत कर लिया गया है, उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा, एक परिवार से एक व्यक्ति को आवेदन करने पर रोजगार दिया जा सकता है और जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुआवजे का जहां तक संबंध है, यह राज्य सरकार के उन अधिग्रहण-अधिकारियों पर निर्भर करता है जो कि भूमि आदि का अधिग्रहण करते हैं।

जीवित कछुओं और पक्षियों की खेप

*191. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक:**
श्री गुरुदास कामत:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही मुम्बई में जीवित कछुओं और पक्षियों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई में जानवरों का ऐसा व्यापार गत कई वर्षों से किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है

विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय के बम्बई स्थित वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में वन्य जीव कर्मचारियों द्वारा एकत्र की गई आसूचना के आधार पर राज्य वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 9.6.1992 को बम्बई के डोंगरी क्षेत्र में छापा मारा गया था। छापे मे तीन हजार ''**मुनियाएं**'' आठ पहाड़ी ''**म्यानस**'' और दो सौ पचास ''**स्टार-कछुए**'' पकड़ गए थे। इन्हें बाद में जंगल में छोड़ दिया गया।

बम्बई स्थित इस मंत्रालय के क्षेत्रीय वन्यजीव परिरक्षण कार्यालय तथा राज्य वन्यजीव प्राधिकारी भी वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। उनकी सतर्कता के फलस्वरूप इस प्रकार के अवैध व्यापार के मामलों को समय-समय पर बम्बई में पकड़ा गया है।

वन्य पशुओं तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा तथा संग्रहालयों और चिड़ियाघरों में प्रदर्शन जनता के शैक्षिक तथा प्रबंध के प्रयोजनों को छोड़कर सभी वन्यजीवों के शिकार पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत प्रतिबन्ध है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए दण्ड और सजा को और अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(2) वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों को वन्यजीव उत्पादों के व्यापार के विनियम और नियंत्रण में शामिल किया जाता है।

(3) *राज्यों में चोरी-छिपे शिकार रोधी आधार भूत ढांचे को मजबूत बनाया गया है। राज्यों को* "वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार का और अवैध व्यापार के नियंत्रण" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत चोरी-छिपे शिकार रोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 1992-93 से निधियों के साथ इस स्कीम को कार्यान्वयन के लिए राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(4) भारत सरकार ने वन्यजीव उत्पादों की निगरानी तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए चार क्षेत्रीय और तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। वे वन्यजीवों तथा उनसे बने उत्पादों के लाइसेन्सशुदा व्यापारियों के स्टाक की भी अचानक जांच करते हैं।

(5) सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा बल और सेना का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(6) चोरी-छिपे शिकारकर्ताओं और अवैध व्यापारियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार देने की एक प्रणाली शुरू की गई है।

(7) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में 1991 में संशोधन करने से पूर्व केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को सक्षम न्यायालय में अपराधों के खिलाफ शिकायत दायर करने का अधिकार दिया गया था। अब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी शिकायत दायर करने का अधिकार दे दिया गया है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक: अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी उजागर हुआ है, वह तो 'न' के बराबर है। मुम्बई तो केवल एक पारगमन केन्द्र है। आपूर्ति मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों से होती है, जैसा कि हमने अभी हाल ही में रणथम्बोर राष्ट्रीय पार्क के मामले में देखा जहां पर काफी समय से बाघों का, उनकी खालों और हड्डियों के लिए शिकार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ये चीजे जब्त की गई है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार विशेष तौर पर राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के लिए जहां जानवर मानव

सामीप्य के आदी हो गये हैं और सामान्यतः वे मनुष्यों की वहां घुसपैठ से कतराते नहीं हैं और बिना किसी शंका के आसानी से अवैध शिकार का निशाना बन जाते हैं, शिकार रोधी-दल गठित करने पर गंभीरता से विचार करेगी।

श्री कमल नाथ: यह ठीक है कि मुम्बई इसके लिए मुख्य परागमन केन्द्र है। अभी हाल ही में रणथम्बोर से चोरी-छिपे शिकार करने का एक मामला पकड़ा गया है। 'वनों' के महानिरीक्षक की देख-रेख में एक कार्य-दल का गठन किया गया है। चाहें वह राष्ट्रीय उद्यान हो अथवा अभ्यारण्य हो या फिर कोई और स्थान, वन्य जीवन की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही बनती है। कुछ सहायक-योजनायें केन्द्र द्वारा राज्यों को अन्तरित की जा रही हैं। वन्य-जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ अन्य योजनाओं की भी केन्द्र द्वारा सहायता की जा रही है। एकत्रित सूचना के अनुसार चोरी-छिपे शिकार करने की घटनाओं में तेजी आई है। हम तथ्यों पर नजर रखे हुए हैं। सैन्य-बलों और अर्धसैनिक बलों अथवा इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था के कई लाभ और हानियां हैं क्योंकि जिस प्रकार के हथियार उन्हें प्रयुक्त करने होंगे अथवा कर्नाटक के वीरप्पन गैंग जैसे समूहों के साथ जैसी मुठभेड़ों का सामना करना पड़ेगा उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रश्न आयेगा। इस पर भली प्रकार से विचार किया जा रहा है और सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक: क्या मैं, माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार नीति के रूप में और अधिक लोगों को इस बारे में जागरुक बनाने के लिए पकड़े गय वन्य जीव उत्पादों को सार्वजनिक रूप से नष्ट करने पर विचार करेगी, क्योंकि संग्रहालय में इन चीजों का रख-रखाव सरकार के इरादे की महत्ता को कम करेगा और इन घृणित गतिविधियों में सरकार को एक अनचाहा पक्षकार बना देगा।

श्री कमल नाथ: कुछ पकड़ी गई चीजें जैसे खालें, हाथी दांत, सींग आदि सरकार के पास हैं और दोनों ही बाते हैं क्योंकि कुछ राज्य सरकारों के पास करोड़ों रुपये के हाथी दाँत हैं। वे इसकी बिक्री करने की स्वीकृति चाहती हैं। लेकिन हमने इसकी अनुमति नहीं दी है, क्योंकि इसका अर्थ शायद यह होगा कि हम वही चीजें बाजार में फिर उपलब्ध करा रहे हैं जो हमने बाजार से जब्त की हैं। मेरे विचार में उन मदों से सार्वजनिक रूप से छुटकारा पाने का प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न है और मैं इस बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूं कि वह सरकार के निश्चय के अनुरूप ही होगा। लेकिन हम तेजी से यह विचार कर रहे हैं कि हमें इन चीजों का क्या करना चाहिये. क्या हम इन्हें संग्रहालयों में रख सकते हैं अथवा उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा विद्यालयों या अन्य इसी प्रकार के संगठन को दे दें। इसकी हम जांच कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री विजय कृष्ण हान्डिक: क्या जन-जागरण के आंदोलन के रूप में आप इन्हें नष्ट कर देंगे?

श्री कमल नाथ: ऐसा पहले किया गया था। जैसाकि मैंने कहा हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा चीजों को सार्वजानिक रूप से नष्ट करने के लिए विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जलचर, नभचर और वन्यचर, तीनों प्रकार के पशु-पक्षियों पर इन पिछले 10 सालों में संकट बढ़ा है, अनेक पशु-पाक्षियों की प्रजातियां समाप्त हो गई हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम देखेंगे कि शिकार करने वालों के पास कौन से शस्त्र हैं। माननीय मंत्री जी, गेंग के गेंग चलते हैं और उसके बावजूद आप उन गेंग वालों को

पकड़ नहीं सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि फॉरेस्ट के व्यक्तियों को शस्त्र प्रोवाइड करें। भाग ख में मेरा यह निवेदन है कि आपने अपने जवाब में कहा है कि बम्बई और देश के अनेक भागों में आपने लाइसेंस प्रोवाइड किए हैं, उनको आप समय-समय पर चैक करते हैं, तो कृपा करके ऐसे दुलर्भ पक्षी जो हिन्दुस्तान से समाप्त होते जा रहे हैं उनके लाइसेंस को आप तुरंत रद्द कर दें वरना कई पक्षी जो अब अलग हो गए हैं वे हिन्दुस्तान को देखने को नहीं मिलेंगे। विदेशों में वे अब महंगी कीमत पर जा रहे हैं, आपके लाइसेंस होल्डर वाले व्यक्ति उन पशु पक्षियों को विदेशों में भारी कीमत पर बेच रहे हैं। क्या आप ऐसे लाइसेंस रद्द करेंगे या नहीं?

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि इसमें रुकावट लानी चाहिए, पर ये जो लायसेंस दिए जा रहे हैं, ये हर चीज के लिए नहीं हैं, हर पशु-पक्षी के लिए नहीं हैं। ये लायसेंस उन्हीं पशु- पक्षियों के लिए हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट के शेड्यूल वन और टू में नहीं दिए हैं। इनकी भी समय समय पर जांच होती है, ताकि जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, जानकारी प्राप्त की जा सके कि क्या व्यापार हो रहा है।

जहां तक फारेस्ट गार्ड का प्रश्न है, उनको आर्म्स प्रोवाइड करने की जहां तक बात है, इस के लिए एक योजना विचाराधीन है। कुछ आर्म्स प्रोवाइड भी किए गए हैं, लेकिन एक अलग से फोर्स बनाई जाए नेशनल पार्क्स के लिए यह योजना विचाराधीन है। वैसे राज्य सरकार की पुलिस है, वन अधिकारी और फारेस्ट गार्ड्स उनकी मदद ले सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, जानवरों की तस्करी करने कुछ वाले व्यापारी जो विदेशों में जानवरों की खालों और जानवरों की तस्करी करते हैं, वे आदिवासियों और वनवासियों की प्रोत्साहित करके उनसे जंगली जानवरों को, जो राष्ट्रीय पहचान के जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, उनका शिकार करवाते हैं। आदिवासी और वनवासी यह नही जानते हैं कि इनका शिकार करना अपराध है, जबकि उसके पीछे तस्करों की एक बहुत बड़ी चाल होती है, कांसपीरेसी होती है। जांच के दौरान ऐसे लोगों को पकड़ने का काम किया जाता है जो निरपराध लोग होते हैं, जबकि मूल अपराधी तस्कर होते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के वनवासियों और आदिवासियों को जो तस्करों के प्रोत्साहन से शिकार करते हैं, उनको पकड़ा जाता है, क्या जो वास्तविक अपराधी और षडयंत्रकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, अपराधियों को बढ़ावा देने वाले को भी सजा मिलनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि वनवासियों और आदिवासियों का एक प्रकार से यह शोषण ही है, बड़े-बड़े तस्कर और व्यापारी जो इन कामों से जुड़े हुए हैं, वे इनको इंस्पायर करते हैं और ये लोग शिकार करते हैं। लेकिन जब मुकदमा चलता है तो केवल आदिवासियों और वनवासियों पर ही मुकदमा नहीं चलता, बल्कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनकी भी पूरी जांच होती है। इस काम में कभी कभी कठिनाई आती है, जब कोई विटनेस नहीं मिलता, पर यह बात पक्की है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन पर भी मुकदमा चलाया जाता है, उनकी भी पूरी जांच की जाती है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला: महोदय वक्तव्य में कहा गया है कि वन्यजीव उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियंत्रित करने तथा उस पर निगाह रखने हेतु चार क्षेत्रीय कार्यालय और तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वन्य जीव उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियंत्रित करने तथा उस पर नियंत्रण रखने हेतु और अधिक कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है?

श्री कमल नाथ: महोदय, क्षेत्रीय कार्यालय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय तो हैं ही लेकिन हम विशेष हाथियों, बाघों और गैंडों के तथा कुछ अन्य प्रमुख जानवरों के चोरी-छिपे शिकार की घटनाओं में तेजी आने के बारे में चिंतित है। हम इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार नहीं हुआ है और हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को जानकारी है कि आदिवासी रिवाजों के अनुसार जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, त्यौहारों के अवसर पर उनको शिकार करने का सांस्कृतिक अधिकार है और वे जानवरों का शिकार करते हैं। उस समय भी वन विभाग के लोग उनके ऊपर मुकदमा दायर कर देते हैं। क्या सरकार ऐसी चीजों में, आदिवासियों की जो संस्कृति का अधिकार है उसकी सुरक्षा करेगी? उस समय परम्परागत तरीके से वे शिकार करते हैं, उस समय मुकदमा न हो, क्या सरकार इस पर कोई व्यवस्था करना चाहती है?

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, मैं इस पर जरूर विचार करुंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

*183. **श्री नीतीश कुमार:**
श्रीमती सरोज दुबे:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित करने हेतु कया समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना को जारी रखने तथा इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि बाकी के सभी प्राइमरी स्कूलों को शामिल किया जा सके तथा साथ ही जहां कहीं नामांकन को देखते हुए आवश्यक हो वहां स्कूलों में 3 कमरे तथा 3 शिक्षक उपलब्ध कराये जा सकें। इस योजना का विस्तार कर निधियों की उपलब्धता के आधार पर आठवीं योजना के दौरान इसमें उच्च प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव है:—

(i) प्रदान की गई सामग्री का उपयोग करने में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

(ii) शिक्षण-अध्ययन सामग्री को बदलने के लिए राज्य सरकारों से आकस्मिक व्यय प्रदान करने का आग्रह किया जाएगा।

(iii) पाठ्यचर्या तथा स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित सामग्री की खरीद के लिए लचीला रुख अपनाया जाएगा।

(iv) लड़कियों के दाखिले को बढ़ावा देने तथा उन्हें पढ़ाई में बनाए रखने के लिए कम-से-कम 50% महिला शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह

*184. श्री राम विलास पासवान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी रेलवे में मनाने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) रेलों पर बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर के जन्म शताब्दी समारोहों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर के विचारों/दृष्टिकोण का विवेचन करने के लिए, जाने-माने व्यक्तियों को आमंत्रित करके, श्रेत्रीय रेलों और मंडलों के मुख्यालयों तथा उत्पादन इकाइयों में रेल कर्मचारियों के बीच सेमिनार आयोजित करना।

(ii) स्टेशनों/वर्क्शॉलयों और रेलवे कालोनियों में बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर के विचारों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना।

(iii) कंप्यूटरीकृत टिकटों के पीछे "भारत रत्न बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी वर्ष 1990-91" मुद्रित कराना।

(iv) राष्ट्रीय साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत, रेलों पर ग्रुप "डी" के कर्मचारियों के लिए विशेष साक्षरता अभियान चलाना।

(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए, कर्मचारी हित निधि से स्वीकृत की जाने वाली छात्र-वृत्तियों का प्रतिशत बढ़ाकर, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के मामले में 12-$\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में 5 प्रतिशत से 7-$\frac{1}{2}$ प्रतिशत करना।

(vi) बहुमुखी अभियान चलाना, जिसमें रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा मेडिकल/सिविल इंजीनियरी और विद्युत इंजीनियरी कर्मचारियों द्वारा रेलवे कालोनियों का रख-रखाव और अनुरक्षण शामिल है।

(vii) ग्रुप "सी" और ग्रुप "डी" की कोटियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए बकाया रह गए कोटे को भरना।

[अनुवाद]

जनसंख्या वृद्धि

*185. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या निर्देश ब्यूरो (पोपूलेशन रेफेरैन्स ब्यूरो) द्वारा भारत में जनसंख्या-वृद्धि की प्रवृत्ति के अध्ययन के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार): (क) से (ग) "पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो इन्क. की वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटाशीट* नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 1992, 2010 और 2025 में क्रमशः 88 करोड़ 26 लाख, 117 करोड़ 21 लाख और 138 करोड़ 31 लाख दिखाई गई है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ 1992 में भारत में प्रति तीस हजार आबादी पर 30 की जन्म दर तथा 2 प्रतिशत की सहज वृद्धि दर होने का अनुमान लगाया गया है।

भारत सरकार देश में जनसंख्या की मौजदा उच्च वृद्धि दर से बहुत चिन्तित है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को नई गतिशीलता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है जिसका सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि जनसंख्या समस्या को सर्वोपरि राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। जनसंख्या से संबंधित सभी विषयों पर विचार करने और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

पुलिस कर्मियों द्वारा निःशुल्क यात्रा

*188. **श्री मुमताज अंसारी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के समय रेलगाड़ियों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे में वर्षवार और डिवीजनवार ऐसे कितने व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया; और

(ग) सरकार उन्हें बिना ड्यूटी के बिना टिकट यात्रा करने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़): (क) अलग-अलग राज्यों से संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को, जिन्हें रेलों पर सुरक्षा के सिलसिले में अक्सर यात्रा करनी पड़ती है, ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए ड्यूटी पास दिये जाते हैं जिन पर यात्रा की आधिकारिक सीमाएं निर्धारित होती हैं। राजकीय रेलवे पुलिस कर्मियों के अलावा, रेलों द्वारा पुलिस विभाग के कर्मचारियों को पास जारी नहीं किये जाते हैं।

(ख) और (ग) जिन पुलिस कर्मचारियों को समुचित पास अथवा टिकट के बिना यात्रा करते पकड़ा जाता है, उनके विरुद्ध रेल अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। जिन पुलिस कर्मियों पर रेलों द्वारा जुर्माना किया जाता है, उनके आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

स्क्रैप का निपटान

*192. **श्री चन्द्रजीत यादव:**
श्री जे॰ चोक्का राव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के किस प्रकार के सामान/सम्पत्ति को स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है;

(ख) इसके निपटान के लिए रेलवे क्या प्रक्रिया अपनाता है;

(ग) पिछली तीन बिक्रियों के दौरान "स्क्रैप" की बिक्री से (बिक्रीवार) कितनी आय हुई और विद्यमान बाजार मूल्य से बिक्री मूल्य का प्रतिशत कितना कम/अधिक था;

(घ) क्या अधिकारियों तथा "स्क्रैप" खरीदने वालों के बीच किसी संभावित मिलीभगत को रोकने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ़): (क) काम न आने लायक निर्मुक्त पटरियां, और रेलपथ के अन्य सामान, नाकारा रेल इंजन, सवारी-डिब्बे, काम न आने लायक अन्य रद्दी लोहा, जो अधिकतर पुनर्वेलन योग्य और पिघलाया जा सकने वाला हो, अलौह-स्क्रैप, नाकारा मशीन और संयंत्र,

बेकार तेल, रद्दी कागज, छीलन सहित रद्दी लकड़ी, बुरादा लकड़ी के काम न आने लायक स्लीपर, बेकार खाली ड्रम और बैरल, आदि बहुत-सी ऐसी रेलवे सामग्री है जिसे स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है।

(ख) रेलों पर रद्दी सामग्रियों को समुचित ढेरों में रखा जाता है। इन ढेरों को आम तौर पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है और इस प्रकार की नीलामी के लिए समाचार पत्रों में काफी प्रचार किया जाता है। कुछ रद्दी सामग्रियों को विज्ञापित निविदाओं के माध्यम से भी बेचा जाता है। अन्य सरकारी विभागों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, कभी-कभी सीधी बिक्री की व्यवस्था की जाती है।

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा हर महीने अलग-अलग स्थानों से कई नीलामियां की जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की गई पिछली तीन बिक्रियों से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:—

(मूल्य लाख रुपयों में)

रेलवे	पहली बिक्री	दूसरी बिक्री	तीसरी बिक्री
मध्य	20	19	485
पूर्व	66	37	74
उत्तर	19	169	80
पूर्वोत्तर	29	23	28
पूर्वोत्तर सीमा	34	24	37
दक्षिण	58	67	28
दक्षिण-मध्य	132	130	144
दक्षिण-पूर्व	231	58	188
पश्चिम	170	33	39

नीलामी के आधार पर बिक्री हमेशा सार्वजनिक नीलामी के दौरान सबसे अधिक बोली देने वाले के पक्ष में की जाती है और बाजार मूल्य से कम समझी जाने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) खरीदारों और अधिकारियों के बीच किसी प्रकार की सांठ-गांठ न हो, इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(i) स्क्रैप की बिक्री सार्वजनिक नीलामियों अथवा खुली निविदा के माध्यम से की जाती है।

(ii) स्क्रैप की सुपुर्दगी के समय, तीन विभागों, अर्थात् स्टाक-धारी, लेखा और सुरक्षा विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा बेचे गए ढेर की सही सुपुर्दगी प्रमाणित की जानी होती है।

(iii) बेचे गए ढेर की सुपुर्दगी की प्रक्रिया के दौरान, अलग-अलग पर्यवेक्षकों एवं रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा समय-समय पर/अचानक जांच की जाती है।

(iv) मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी निकटवर्ती स्थलों पर नीलामियों से प्राप्त दरों तथा स्क्रैप की बाजार दरों के रुख आदि पर नज़र रखते हैं।

विद्युत रेल इंजन

*193. **डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारतीय रेल विभाग के उपयोग के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित तीन-फेज वाले विद्युत रेल इंजनों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे इंजनों के निर्माण के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की क्षमता का मूल्यांकन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) जी नहीं। बहरहाल, मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 3-फेज वाले बिजली इंजनों की सप्लाई के लिए विश्व निविदा में भाग लिया था. उन्होंने भारत में निर्मित की जा रही कुछ मदों/पुर्ज़ों सहित, अपनी जापानी सहयोगी फर्म, मैसर्स हिताची से रेल इंजनों की सप्लाई का प्रस्ताव किया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निविदा की शर्तों के अनुसार भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रस्ताव का मूल्य सबसे कम नहीं आंका गया था और इसलिए वे निविदा में सफल नहीं हो सके।

हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

*194. **डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों ने केन्द्रीय योजनाओं के अधीन स्वीकृत पैटर्न पर केन्द्रीय सहायता से अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की है। स्वीकृत पैटर्न पर, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों को अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम वाले हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों को खोलने/सुदृढ़ करने/अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई:—

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हिन्दी माध्यम वाले हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण महावियालयों/ संसथानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	12
2.	असम	1
3.	गुजरात	1
4.	कर्नाटक	18
5.	केरल	6
6.	महाराष्ट्र	4
7.	मणिपुर	2
8.	उड़ीसा	3
9.	मिजोरम	2
10.	नागालैण्ड	1
11.	तमिलनाडु	1
	कुल:	51

औषध-निर्माण उद्योग में ऋण लाइसेंस प्रणाली

*195. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषध निर्माण उद्योग में चलती आ रही ऋण लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया है और लघु औषध निर्माताओं द्वारा "स्वप्रमाणन" की प्रणाली शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन परिवर्तनों के विरुद्ध औषध-निर्माण में रत लघु निर्माताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (एम० एल० फोतेदार): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1957 में औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में शामिल की गई ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली के उपबंध का व्यापक रूप से दुरुपयोग किए जाने की सूचना दी गई। संसद में उठाए गए मामलों को देखते हुए जिनमें ऋण लाइसेंस-धारियों द्वारा बेची गई औषधों की गुणवत्ता के बारे में चिंता जाहिर की गई और घटिया औषधों की व्यापकता के बारे में गहराई से इस समस्या का अध्ययन करने के लिए, सरकार ने 1982 में एक कार्यदल नियुक्त किया। इस कार्यदल द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों में इसने लगभग 6 वर्ष की समयावधि में ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की।

दिसम्बर, 1986 में केन्द्रीय सरकार ने "भारत में औषधों और फार्मेस्यूटिकल उद्योग की संगतता, गुणवत्ता नियंत्रण और विकास के लिए उपायों" की घोषणा की जिसके अंतर्गत 7वीं योजनावधि के अंत तक ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली को क्रमिक रूप में बंद करने का निर्णय किया गया है।

उपर्युक्त निर्णय के परिणामस्वरूप ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों का संशोधन करने हेतु एक प्रारूप अधिसूचना 21.12.1987 को जारी की गई जिसके द्वारा जन साधारण की टिप्पणियां मांगी गई। औषध विनिर्माता और विनिर्माण संघों से काफी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई जिनमें प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति जाहिर की गई।

प्राप्त हुई आपत्तियों/टिप्पणियों की जांच करने के लिए 28.8.1988 को औषध नियंत्रण(भारत) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति में अन्यों के साथ विनिर्माता संघों के प्रतिनिधि थे। समिति ने यह सिफारिश की कि 31 दिसम्बर, 1993 के बाद ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी जाए।

चूंकि सरकार ने औषध उद्योग को पहले ही दिसम्बर, 1986 में घोषित की गई औषध नीति में ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त करने के लिए अपने निर्णय की जानकारी दे दी थी, इसलिए यह निर्णय किया गया था कि पहली जनवरी, 1992 से ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली को बंद कर दिया जाए।

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने और लोगों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना 6.11.1991 को जारी की गई। तथापि, अंतिम रूप में अधिसूचना को जारी करने से पहले कुछ उच्च न्यायालयों ने सरकार पर मौजूदा ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली में दखलअंदाजी करने हेतु रोक लगा दी। हालांकि कुछ उच्च न्यायालयों में प्रति-शपथ पत्र दायर कए गए हैं, तथापि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 139.क के उपबंधों के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है ताकि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े सभी मामलों को एक सामान्य सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया जाए। इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

सरकार द्वारा कोई स्व-प्रमाणन स्कीम लागू नहीं की गई है।

(ग) और (घ): ऋण लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने हेतु अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार द्वारा अखिल भारतीय लघु औषध विनिर्माता संघ, अन्य विनिर्माता संघों और अलग-अलग विनिर्माताओं से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की जांच की गई थी।

[हिन्दी]

रेल-स्टेशनों पर पेयजल की सुविधा

*196. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोनवार कितने रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) सभी रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ़): (क) और (ख) पूर्व रेलवे के 46 हाल्ट स्टेशनों को छोड़कर, सभी स्टेशनों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। इन स्टेशनों पर 31.3.1993 तक इस सुविधा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की सप्लाई

*197. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों की सप्लाई करने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाता है;

(ख) क्या सरकार ने उसके कार्यकरण के बारे में कोई समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरुद्दीन अहमद): (क) से (ग) खाद्यान्नों की आवंटित की गई मात्रा का उठान राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों अथवा उनके नामितों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से पूर्व-भुगतान के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली संतोषजनक पायी गई है। उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का आगे वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की होती है।

हैदराबाद के निजाम की कला-कृतियां

*198. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम की अनेक कला-कृतियों को बेचा जा रहा है और उनकी देश के बाहर तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या निजाम का बहुमूल्य दुर्लभ एवं प्राचीन बड़ा फूलदान मुम्बई में तस्करों से बरामद किया गया था;

(ग) क्या हैदराबाद के "फलकनुमा" महल और अन्य महलों से दुर्लभ प्राचीन कलाकृतियां गायब हो गई हैं; और

(घ) हैदराबाद के निजाम की कला-कृतियों और दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम की सोने की केवल दो मुहरें, जिन्हें नज़राना सिक्के कहते हैं, जिन्हें 1613 ईसवी में जहांगीर और 1639 ईसवी में शाहजहां द्वारा जारी किया गया था, की देश के बाहर तस्करी की गई है।

(ख) केवल दो बड़े फूलदानों को बरामद कर लिया गया है जिनके फलकनुमा महल से हटाए जाने की बाबत बताया गया था।

(ग) हैदराबाद के फलकनुमा महल से उन्नीस कलाकृतियों के गायब हो जाने के बारे में बताया गया है।

(घ) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ने आभूषणों की 173 मदों को देश के अन्दर सुरक्षित रखने के लिए चुना है जिनमें 26 बहुमूल्य कलाकृतियां और 23 पुरावस्तुएं हैं। इसके अलावा, एक सौ सडसठ (167) कलाकृतियों को पंजीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय पुनर्वास प्राधिकरण

*199. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव एक अलग राष्ट्रीय पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करने का है ताकि परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के तुरन्त पुनर्वास हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना से प्रभावित लोगों का संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास नीतियों या केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्वास किया जाता है। गहन पुनर्वास मास्टर प्लान मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय प्रबंध योजना का ही एक घटक है।

सुन्दरवन में पाये जाने वाले पौधों और पशुओं की रक्षा

*200. **डा० असीम बाला:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सुन्दर वन में पाये जाने वाले पौधों और पशुओं की रक्षा हेतु तैयार की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन योजनाओं/कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान कुल 2476.0 लाख की धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ग) पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना, समन्वित परती भूमि विकास परियोजना तथा हवाई बीजारोपण कार्यक्रम को आठवीं योजना के अन्त तक पूरा किए जाने की संभावना है। अन्य स्कीमें/कार्यक्रम जारी रहने वाली हैं और ये आठवीं योजना अवधि के बाद भी जारी रहेंगी।

विवरण

आठवीं योजना अवधि के दौरान वनों में पाए जाने वाले पौधों और पशुओं की सुरक्षा के लिए सुन्दरवन में निम्नलिखित स्कीमें चल रही हैं:-

1. कच्छ वनस्पतियों का संरक्षण (100% केन्द्रीय सहायता स्कीम)
2. जीवमंडल रिजर्वों की स्थापना (100% केन्द्रीय सहायता स्कीम)
3. पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना (राज्य योजना स्कीम)
4. बाघ परियोजना स्कीम (प्राथमिक वाली मदों के लिए 100% केन्द्रीय सहायता और अवर्ती मदों के लिए 50% केन्द्रीय सहायता)
5. समन्वित परती भूमि विकास परियोजना (100% केन्द्रीय सहायता स्कीम)
6. हवाई बीजारोपण कार्यक्रम (100% केन्द्रीय सहायता)
7. सुन्दरवन विकास परियोजना (राज्य योजना स्कीम वार्षिक स्कीम)
8. बाघ परियोजना क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास (100% केन्द्रीय सहायता स्कीम)

कर्नाटक में रोलर आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई

*201. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल द्वारा गेहूं की ढुलाई पर रोक लगाने से कर्नाटक की रोलर आटा मिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक में रोलर आटा मिलों को गेहूं उपलब्ध कराने हेतु भारतीय खाद्य निगम वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मिलों को गेहूं की पर्याप्त मात्रा कब के सप्लाई किए जाने की संभावना है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से ग) सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के खातों पर संचलन को अग्रता देने के लिए रेल वैगनें उपलब्ध करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा 20.3.1992 को अन्य वस्तुओं के साथ-साथ प्राइवेट खाते पर खाद्यान्नों के संचलन पर लगाए गए प्रतिबंध से कर्नाटक में रोलर फ्लोर मिलें अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हो सकती हैं। उपर्युक्त प्रतिबंध 1-6-1992 को हटा लिया गया था।

चीनी का उत्पादन

*202. **श्री अंकुशराव टोपे:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इस वर्ष के उत्पादन में से लेवी, खुले बाजार तथा निर्यात हेतु चीनी की कितनी-कितनी मात्रा रखी गई है?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) 1991-92 के चालू मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का कुल उत्पादन लगभग 132.00 लाख टन होने का अनुमान है।

(ख) उपर्युक्त उत्पादन में से लेवी तथा खुले बाजार के लिए चीनी की मात्रा का विवरण लगभग निम्न प्रकार है:-

लेवी — 50.16 लाख टन (अनंतिम)

खुली बिक्री — 81.84 लाख टन (अनंतिम)

चालू मौसम के लिए 1991-92 के उत्पादन में से निर्यात के लिए 0.21 लाख टन लेवी चीनी तथा 6.07 लाख टन खुली बिक्री चीनी (पिछले मौसम की बकाया मात्रा सहित) निर्यात के लिए पहले ही आवंटित की जा चुकी है। निर्यात के लिए और अधिक मात्रा के आवंटन का मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम

*203. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम से देश में मधुमेह के रोगियों की प्रतिशतता कम हो गई है·

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक राज्य को गत एक वर्ष के दौरान तिकनी वित्तीय सहायता दी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) और (ख) इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम के अधीन 1991-92 के दौरान राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हड़ताल

1897. **श्री सैदीपान भगवान थोरात:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अशान्ति और हड़ताल के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अशान्ति के क्या कारण हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय में स्थिति को सामान्य बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शेलजा): (क) से (ग) सरकार को जामिया मिलिया इस्लामिया में हाल ही में हुई घटनाओं की जानकारी है। विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, एक साक्षात्कार में प्रो॰ मुशीरूल हसन, सम-कुलपति द्वारा सलमान रुश्दी की "सैटेनिक वर्सेस" के संबंध में की गई टिप्पणियों पर, जो 12—18 अप्रैल, 1992 को "संडे" में प्रकाशित हुई थी, प्रो॰ हसन को सम-कुलपति के पद से हटाने के लिए विश्वविद्यालय में एक आन्दोलन हुआ। आंदोलन ने विश्वविद्यालय के कार्य को अस्त व्यस्त कर दिया और इसके फलस्वरूप वार्षिक परीक्षाएं स्थगित हुईं।

जामिया में स्थिति का विषय परक मूल्यांकन करने और इस मामले में सरकार को सलाह देने की दृष्टि से, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के परामर्श से 8 जून, 1992 को इस विभाग द्वारा एक दल गठित किया गया था जिसमें पांच विख्यात व्यक्ति शामिल थे। दल ने 20 जून, 1992 को नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक आयोजित की।

इसी बीच विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 1 जून, 1992 से सामान्य रूप से कार्य करना शुरू किया। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 6 जुलाई, 1992 को शुरू हुईं और चालू शैक्षिक सत्र के लिए दाखिले किए जा रहे हैं।

पर्यावरण और वन संबंधी योजनायें

1898. **श्री काशीराम राणा:**
श्री श्रीकान्त जेना:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों में वनों के संरक्षण तथा पर्यावरण में सुधार करने के लिए उन राज्यों सरकारों से प्रस्ताव/योजनाएं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंधी में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) वनों के संरक्षण और पर्यावरण के सुधार के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों ने 1991-92 तक "जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना के विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। इस स्कीम को कार्यान्वयन के लिए 1.4.1992 से राज्य योजना क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया है।

तथापि, केन्द्र सरकार ने इस वर्ष से "आधुनिक दावानल नियंत्रण विधियां" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। केन्द्र सरकार उन कतिपय चुनी हुई राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है जहां वनों के अवक्रमण में अग्नि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दिल्ली में बर्फ का उत्पादन

1899. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के बर्फ कारखानों में स्वास्थ्य के लिए हानिकर दूषित जल से बर्फ बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ): (क) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त बर्फ कारखानों द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दूषित जल से बर्फ नहीं बनाई जा रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अनुवाद]

चीनी पर कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव

1900. **प्रो॰ के॰वी॰ थामस:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी पर कमीशन बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी, हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

होटलों में साफ-सफाई न होने से स्वास्थ्य को खतरा

1901. **श्री जीवन शर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मई, 1992 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित "ऑफ मशरुमिंग ईटरीज़ प्रोनिंग हजॉर्ड्स" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश भोजनालय दिल्ली के म्यूनिसिपल अधिनियम द्वारा यथानिर्धारित स्वास्थ्य और स्वच्छता स्तर का अनुपालन नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे होटलों/ढाबों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी उपाए किए गए हैं अथवा किए जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचना दी है कि इससे लाइसेंस प्राप्त सभी खाने-पीने की दुकानें निर्धारित स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानकों के अनुसार काम करती हैं तथा खाने-पीने की गैर-लाइसेंसी दुकानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

मानव अंगों का व्यापार

1902. **श्री यशवंतराव पाटिल:**
श्री पाण्डुरंग पुण्डलिक फुंडकर:
श्री मोहन रावले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1992 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "ऑरगन मार्केट थ्राइब्ज इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मानव अंगों के चोरी-छिपे निर्यात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) मनाव अंगों के व्यापार का विनियमन करने के उद्देश्य से सरकार एक ऐसा व्यापक कानून बनाने पर विचार कर रही है जो समस्त देश में लागू होगा। प्रस्तावित कानून में, अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो कि वह मानव अंगों को हटाने और उनका प्रतिरोपण करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा रखने वाले अस्पतालों को अधिसूचित करे, मूल्यवान प्रतिफलों के बदले मानव अंगों को बेचने पर प्रतिबंध लगाए और जीवित व्यक्तियों के केवल निकट संबंधियों को मानव अंगों के स्वैच्छिक दान को बढ़ावा दे।

बिहार और उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र

1903. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:**
श्री श्रीकान्त जेना:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और उड़ीसा में कुल कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं और उन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, जिला-वार कितनी धनराशि व्यय की जाती है; और

(ख) प्रत्येक जिले में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितने व्यक्तियों द्वारा नसबंदी/नलबंदी (वैसेक्टोमी/ट्यूबक्टोमी) के आप्रेशन करवाये गये?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

लाल किले को स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में बदलना

1904. **श्री गोविन्दराव निकाम:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों ने लाल किले को स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में बदलने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभागों) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) अखिल भारतीय स्वतंत्रता-सेनानी संगठन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि लाल किले को 'राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय' घोषित किया जाए और 'भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' के प्रतीक के रूप में उपयुक्त स्मारक बनाया जाए।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

कायमकुलम स्टेशन

1905. **श्री थाइल जॉन अंजलोज:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कायमकुलम स्टेशन पूर्णतः विकसित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस स्टेशन के विकास की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस स्टेशन के विकास के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कायमकुलम स्टेशन का विकास संबंधी कार्य अल्लेप्पी-कायमकुलम नई लाइन परियोजना और कायमकुलम-कोल्लम दोहरी लाइन बिछाने की योजना का एक भाग है और इन कार्यों के लिए कोई अलग से वार्षिक आबंटन नहीं किए गए हैं। स्टेशन के विकास पर कुल 96 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसमें से अब तक 85 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

डाक्टरों द्वारा रोगियों के निवास स्थान पर जाकर उनकी जांच करना

1906. **श्री विलास मुत्तेवार:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा दिल्ली नगर निगम के डाक्टर आपातकाल में रोगियों के निवास स्थान पर जाकर उनकी जांच करते हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टर आपातकाल में रोगियों के निवास स्थान पर जाकर उनकी जांच नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रोगियों को उनके घर पर आपात चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में नियुक्त डाक्टर आपातकाल के दौरान रोगियों के बुलाने पर रोगियों के निवास स्थान पर जाकर उनकी जांच करते हैं। दिल्ली नगर निगम के डाक्टर रोगियों के निवास स्थान पर जाकर जांच नहीं करते।

(ख) जी हां।

(ग) इसके कारण इस प्रकार हैं:—

(i) नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टरों से कार्यालय समय के दौरान अपने औषधालय छोड़ने की अपेक्षा नहीं की जाती।

(ii) रोगियों के निवास स्थान पर जाने के लिए उनको कोई सवारी भत्ता नहीं दिया जाता।

(iii) नई दिल्ली नगर पालिका के लाभार्थी आम जनता और नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारी ही हैं।

(घ) सभी बड़े सरकारी और दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में चौबीस घंटे आपताकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका लाभ आम जनता अपने घर के निकट स्थित अस्पताल से प्राप्त कर रही है। दुर्घटना के शिकार लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलैंस और पुलिस गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है।

दावा न्यायाधिकरण

1907. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा दावा न्यायाधिकरण कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1992 को इन न्यायाधिकरणों के पास कितने मामले लम्बित थे;

(ग) 1991-92 के दौरान कितने मामले दायर किए गए और कितने मामले निपटाए गए;

(घ) भोपाल में इन न्यायाधिकरणों में दायर किए गए तथा इनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या क्या है;

(ङ) वहां 3 माह, 6 माह तथा एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या कितनी है; और

(च) लंबित दावों के निपटान में कितना समय लगेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, बम्बई, जयपुर, भोपाल, नागपुर, अहमदाबाद, मद्रास, बैंगलूर, सिकन्दराबाद, एर्णाकुलम, कलकत्ता,, भुवनेश्वर, गुवाहटी और पटना।

(ख) 63878।

(ग) दायर किये गये मामलों की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या
31477	19328

(घ) 1991-92 के दौरान रेल दावा अधिकरण, भोपाल में दायर किये गये गये मामलों की संख्या	1991-92 के दौरान रेल दावा अधिकरण, भोपाल में निपटाये गये मामलों की संख्या
739	1025

(ङ) भोपाल खंडपीठ में लम्बित पड़े मामलों की संख्या:

3 महीनों से अधिक	78
6 महीनों से अधिक	477
1 वर्ष से अधिक	745

(च) इन मामलों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जाती है। बहरहाल, अधिकरण ने इन मामलों के निपटान के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया अपना रखी है और लम्बित मामलों की शीघ्र निपटान के लिए वह अन्य स्थानों पर सर्किट खंडपीठ भी आयोजित कर रहा है।

[अनुवाद]

अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र

1908. **श्री सनत कुमार मंडलः** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए खतरनाक ऐसे कचरा-खत्तों की राज्य वार संख्या क्या है, जिनमें अभी भी कूड़ा-कचरा फैंका जा रहा है; और

(ख) इन पर नियंत्रण हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जारी रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालयों के कालेजों में प्रवेश

1909. **श्री मदन लाल खुरानाः**
श्री के० तुलसिऐया वान्डायारः
श्री ताराचन्द खंडेलवालः
श्री के०पी० रेड्डय्या यादवः
श्री मृत्युंजय नायकः
श्री रमेश चैन्नित्तालाः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हजारों विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालयों के कालेजों में किसी भी स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाया है;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है कि हजारों विद्यार्थियों को किसी भी कालेज में प्रवेश नहीं मिल पाता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विद्यार्थियों की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली में और कालेज खोलने अथवा वर्तमान कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दिल्ली में कालेजों, जैसे जेसस मेरी ने प्रथम प्रवेश सूची में न्यूनतम प्रतिशत अंक (कट-अप परसेंटेज) नहीं दर्शायी है तथा केवल फार्म के नम्बर दर्शाए गए हैं और लोगों में सही स्थिति स्पष्ट किये बिना इस प्रकार से प्रवेश दिए गए हैं; और

(छ) ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार करने एवं दिल्ली में कालेजों में प्रवेश हेतु आसान प्रक्रिया अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार वे सभी [illegible] शिक्षा बोर्ड की सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा xii) या इसके

समकक्ष कोई परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है वे विश्वविद्यालय के अवर-स्नातक पाठयक्रमों में नियमित छात्र के रुप में प्रवेश के पात्र हैं बशर्ते की उनकी न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष हो। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि इस वर्ष दिल्ली स्कूलों से 40% और इससे अधिक अंको से कक्षा xii उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 51,298 है, जबकि विश्वविद्यालय में भरती की क्षमता 63,323 है जिसमें 30473 सीटें कालेजों में 3,250 सीटें गैर कालेज महिला शिक्षा बोर्ड में तथा 29,600 सीटें पत्राचार व सतत् शिक्षा पाठयक्रम में हैं।

चूंकि कई छात्र प्रवेश के लिए, एक साथ एक पाठयक्रम से अधिक में तथा एक से अधिक कालेज में आवेदन करते हैं तथा प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है अतः अवर-स्नातक पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए कितने छात्रों ने आवेदन किया है तथा कितने छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सका, उनकी संख्या के बारे में सही-सही नहीं बताया जा सकता। पिछले वर्षों की भांति विश्वविद्यालय अधिकतर पात्र छात्रों को, दिल्ली कालेजों, गैर कालेज महिला शिक्षा बोर्ड व पत्राचार व सतत् शिक्षा पाठयक्रमों में प्रवेश देने की स्थिति में होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचनानुसार उन्होंने आठवीं योजना के दौरान योजना आयोग को दस नए कालेज खोलने का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने यह पाया कि वर्तमान परिस्थितियों में, प्रशासन के प्रस्तावों पर सहमति देना अत्यंत कठिन तथा उन्हें परामर्श दिया कि वे नए निजी कालेज खोलने के लिए विश्वविद्यालय से बातचीत करें। दिल्ली प्रशासन ने इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(च) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि जेसस व मेरी तथा अन्य कालेजों ने इस वर्ष प्रवेश के लिए प्रथम प्रवेश सूची में न्यूनतम प्रतिशत अंक (कट-आफ परसेंटेज) दर्शाये हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मानखुर्द-बेलापुर रेलवे परियोजना

1910. **श्री माणिक राव होडल्या गावीतः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मानखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या नगर (मुम्बई) और औद्योगिक विकास निगम द्वारा बेलापुर पानवेल के बीच शुरु किया गया कार्य संतोषजनक रुप से चल रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस लाइन को उपनगरीय यात्री सेवा योग्य बनाने का कोई अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) मानखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन परियोजना का मानखुर्द-वशी खंड पूरा कर लिया गया है और मई 1992 में यातायात के लिए खोल दिया गया है, शेष भाग पर कार्य प्रगति पर है;

(ख) सिडको द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उनके द्वारा माल साइडिंग का निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है, समग्र वास्तविक प्रगति 79% है।

(ग) जी हां।

(घ) संसाधनों की मौजूदा तंगी को देखते हुए दैनिक यात्रियों के लिए रेल सेवाएं शुरु करने हेतु माल साइडिंग को अपग्रेड करने का रेलवे के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुम्बई में रेलवे की भूमि

1911. **श्री प्रकाश वी० पाटिल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया है कि मुम्बई में रेलवे की भूमि को रेल लाइनों के किनारे रहने वाले गन्दी बस्ती निवासियों की सरकारी आवास समितियों को अंतरित कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) रेलों ने संरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत न आने वाली और इस समय रेलों की आवश्यकता से फालतू पड़ी भूमि राज्य सरकार को बाजार दर पर या आदान-प्रदान के आधार पर, अथवा इस भूमि को बाजार मूल्य के 6% वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर देने की पेशकश की है। इस मामले में आगे निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकार को करना है।

[हिन्दी]

साहित्य अकादमी में राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति

1912. **श्री तारा चन्द्र खण्डेलवाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "साहित्य अकादमी" में राज भाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने गत दो वर्षों के दौरान कितनी बैठकें आयोजित की; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल इंजनों की मांग

1913. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कुल कितने विद्युतचालित, डीजल एवं भापचालित इंजनों की आवश्यकता थी;

(ख) रेलवे स्टॉक में कितने इंजन हैं;

(ग) इस समय कितने इंजन उपयोग में हैं;

(घ) प्रतिदिन इन रेल इंजनों के औसत संचालन घन्टों के अनुपात में इनकी क्षमता का कितना उपयोग होता है और यह इनकी अधिकतम उपयोग क्षमता का कितने प्रतिशत है; और

(ङ) सरकार ने रेल इंजनों की कमी को पूरा करने के लिए क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) कुल आवश्यकता लगभग 8510 रेल इंजनों की है।

(ख) और (ग) 1-4-92 को रेल इंजनों की संख्या लगभग 8337 थी जिसमें भाप, डीजल और बिजली रेल इंजन शामिल हैं।

(घ) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) अल्पकालिक उपाय के रूप में कुछ रेल इंजनों को गैर रेलवे स्रोतों से खरीदा जा रहा है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में रेल इंजनों के लिए रेलवे उत्पादन यूनिटों की निर्माण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

पर्यावरण कर

1914. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में दण्डात्मक पर्यावरण कर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत उपकर उन विशिष्ट उद्योगों और स्थानीय निकायों से वसूल किया जा रहा है जो जल का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों का विस्तार करना है। उन ईकाइयों को छूट दी जाती है जिन्होंने अपेक्षित शोधन सुविधाएं स्थापित कर ली हैं और जल का उपयोग विनिर्दिष्ट मात्रा में करते हैं। दण्डात्मक पर्यावरण कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गिर सिंह

1915. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गिर सिंहों की प्रजाति को बचाने, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए अब तक चलाई गई योजनाओं का क्या ब्यौरा है; और

(ख) 1 जनवरी, 1992 और 1 जनवरी, 1990 को गिर सिंहों की संख्या कितनी थी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) गिर वनों के शेरों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1972 में गिर वन के 1412.13 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। प्रजाति को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपर्युक्त 1412.13 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में से 258.71 वर्ग कि०मी० क्षेत्र का दर्जा बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया।

2. गुजरात सरकार गिर के शेरों और उनके आवास स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान तथा गिर वन्यजीव अभयारण्य को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1990-91, 1991-92 के लिए दी गई राशि इस प्रकार है:—

	गिर राष्ट्रीय उद्यान	गिर वन्यजीव अभयारण्य
सातवीं योजना—	15.37 लाख	16.61 लाख
1990-91	5.05 लाख	2.93 लाख
1991-92	0.10 लाख	7.13 लाख

3. शीघ्र संचारण और तत्काल कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए वायरलेस नेटवर्क तथा चलती-फिरती गश्ती वैन मुहैया कराई गई है।

4. हर आग लगने के मौसम में अग्नि संरक्षण उपाय किए गए हैं।

5. राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को कड़ाई से नियंत्रित किया गया है।

6. "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में पारिविकास" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मानव—वन्यजीव द्वंद्व को कम करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1991-92 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 5.75 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

(ख) गिर के शेरों की गणना निर्धारित आवधिक अंतरालों में की जाती है। तथा 1 जनवरी, 1972 को उनकी संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1969 में गिर वनों के शेरों की संख्या 1990 में 284 की तुलना में 177 थी।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल

1916. **श्री बी० एन० रेड्डी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरो-कार्बन युक्त गैस को समाप्त करने संबंधी मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) ओज़ोन के क्षीण होने की गंभीर समस्या के बारे में विश्व की चिंता को देखते हुए तथा जून, 1990 में लन्दन में हुई हस्ताक्षरकर्ता देशों की बैठक में विकासशील देशों के हित में प्रोटोकोल में किये गये संशोधनों को शामिल करने के बाद, भारत सरकार भी ओज़ोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर जून, 1992 में हुए मांट्रियल प्रोटोकोल में सम्मिलित हो गई।

स्कूल और कालेज स्तर पर खेलकूद को अनिवार्य विषय बनाना

1917. **श्री मोहन रावले:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूल और कालेज स्तर पर खेलकूद को अनिवार्य विषय बनाकर वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश के जाने-माने खिलाड़ियों और खेलकूद प्रशासकों ने मई 1992 में आयोजित एक विचार गोष्ठी में स्कूल और कालेज स्तर पर खेलकूद को एक अनिवार्य विषय बनाने का जोरदार समर्थन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) खेल विषय को अनिवार्य बनाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है; चूंकि सभी स्कूलों में अपेक्षित बुनियादी खेल सुविधाएं निर्मित करने के बाद ही ऐसी कार्रवाई हो सकेगी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कालेजों में खेलों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) और (घ) स्कूलों में खेलों और शारीरिक शिक्षा के विषयों को अनिवार्य बनाने के लिए जोरदार समर्थन किया गया था। खेलों से सम्बन्धित अन्य मुद्दों के साथ इस विषय पर सामान्य चर्चा की गई थी।

(ङ) एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय शैक्षिक फ्रेम वर्क में स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए समय आबंटन की सिफारिश की है, जिसे सी०बी०एस०सी० से सम्बद्ध स्कूलों में लागू किया गया है। राज्य बोर्डों से सम्बद्ध स्कूल भी इसे परिवर्ती डिग्री में लागू कर रहे हैं। शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई का कार्यक्रम तैयार कर रहा है।

डाक्टरों का प्रतिभा-पलायन

1918. **डा० के० डी० जेस्वाणी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने डाक्टर विदेश चले गए;

(ख) इस प्रतिभा-पलायन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस तरह प्रतिभा पलायन को रोकने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) राष्ट्र मंडल चिकित्सा अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, कोलंबो अध्येतावृत्ति कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत डाक्टरों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है। अपनी अध्येतावृत्तियों को पूरा करने के उपरांत वे डाक्टर भारत लौट आते हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात 1989, 1990 और 1991 के दौरान इन अध्येतावृत्तियों के तहत जिन डाक्टरों को विदेश भेजा गया था उनकी संख्या इस प्रकार है:—

राष्ट्र मंडल चिकित्सा अध्येतावृत्ति	58
कोलंबो अध्येतावृत्ति योजना	158
विश्व स्वास्थ्य संगठन अध्येतावृत्ति	: 370

(द्विवार्षिक 1988-89 और 1990-91)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "अनापत्ति प्रणाण-पत्र" के उपरांत चिकित्सा स्नातक, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में रेजीडेंसी प्रशिक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्चतर प्रशिक्षण के लिए डाक्टरों को जारी किए गए अनापत्ति प्रणाण-पत्रों की संख्या 561 है।

(ख),(ग) और (घ) डाक्टरों के विदेश जाने के कारण हैं—उच्चतर अध्ययन के लिए जाना, विदेशों में कार्यकरण की बेहतर स्थितियां और विदेशों में अधिक परिलब्धियां मिलना। सरकार ने 1965 में चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्मिकों के भारत से बाहर जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इन उपायों में भारत में ईसीएमएफजी परीक्षा लेना बन्द करना, प्राइवेट डाक्टरों को पासपोर्ट जारी करने पर प्रतिबंध लगाना आदि शामिल थे। ऐसे विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले डाक्टरों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिनमें प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

बदले हुए सामाजिक आर्थिक परिवेश में सरकार मौजूदा नीति की समीक्षा कर रही है ताकि डाक्टरों के विदेश जाने पर लगे मौजूदा प्रतिबन्धों में से कुछ में ढील दी जा सके।

न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव रेल लाइन को दोहरा करना

1919. **श्री उन्नुस जर्मन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू बोंगाईगांव तक रेल लाइन को दोहरा करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में परिवार नियोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

1920. **श्री ललित उरांव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में परिवार नियोजन, नेत्र चिकित्सा इत्यादि के लिए सरकार द्वारा बिहार के किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया गया;

(ख) ऐसे प्रत्येक संगठन को कितनी-कितनी धन-राशि दी गई;

(ग) क्या सरकार ने इस व्यय की उपयोगिता का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) परिवार कल्याण के लिए अनुदानों के बारे में एक विवरण संलग्न किया गया है। नेत्र परिचर्या हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) स्वयंसेवी संगठनों को आवधिक प्रगति रिपोर्टें तथा लेखों का वार्षिक अंकेक्षित विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। कुछ मामलों में परियोजनाओं का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन मूल्यांकन दलों के माध्यम

भी किया जाता है। ये सुरक्षा-उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं कि स्वयंसेवी संगठनों रा धन का उपयोग लाभप्रद और उपयुक्त रूप से किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान, और चालू वर्ष के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लिखित स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्येक के आगे दिये गये अनुसार सहायता अनुदान मंजूर किया गया थाः—

क्र०सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम	मंजूर की गई रकम
1989-90	-शून्य-	
1990-910		
1.	अखिल भारतीय महिला कल्याण संघ, नई दिल्ली*	36,850
2.	जनविकास केन्द्र, राँची, बिहार	36,850
3.	अखिल भारतीय परिवार कल्याण परिषद, नई दिल्ली*	36,850
		1,10,550
1991-92		
1.	युवक संघ, जिला पटना, बिहार	36,850
2.	मगध समाज विकास सोसायटी, पटना	36,850
3.	आतम रोजगारी महिला समिति, मुंगेर	36,850
4.	उत्तर प्रदेश सेवा संसार, सीतामढ़ी	36,850
5.	बोध समाज, गोपालगंज, बिहार	36,850
6.	शिवहर विकास संस्था, सीतामढ़ी	36,850
7.	चम्पारण विकास संघ, पूर्वी चम्पारण	36,850
8.	मिथिला विकास मंच समस्तीपुर	36,850
9.	मगध मैत्री, गया	36,850
10.	नेहरू सेवा सदन, मुज्जफरपुर	36,850
11.	तरिधानी सेवा यत्तन, सीतामढ़ी	42,000
12.	विकास लोक, मुज्जफरपुर	42,000
13.	मानव कल्याण समिति, मुज्जफरपुर	42,000

*बिहार में परियोजनाओं के लिए।

क्र०सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम	मंजूर की गई रकम
14.	तिरहुत विकास मंच, मुज्जफरपुर	42,000
15.	विकास समिति, जामुई, बिहार	42,000
		5,78,500
1992-93 (अब तक)		
1.	ए०डी०आई०टी०एच०आई०, पटना	94,000

भरतीय खाद्य निगम के गोदामों में खराब हुआ खाद्यान्न

1921. **श्री श्रीकान्त जेना:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990-91 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के अस्थाई गोदामों में कितना खाद्यान्न खराब हुआ;

(ख) राज्यवार, विशेष तौर से उड़ीसा में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) 1990-91 के दौरान ढके हुए गोदामों और कैप (कवर और प्लिंथ), दोनों में भंडारण के दौरान और मार्ग में प्राकृतिक विपदाओं के कारण 21585 मीटरी टन मात्रा क्षतिग्रस्त हुई थी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों का स्टाक रखने का औसत 132.31 लाख मीटरी टन था जिसमें से 21,585 मीटरी टन मात्रा क्षतिग्रस्त हो गई थी और क्षतिग्रस्त मात्रा की प्रतिशतता 0.16 बैठती है, जोकि नगण्य है। तथापि, खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं ताकि हानियों को रोका जा सके:—

(1) भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों में खाद्यान्न रखता है जोकि मूषक और नमी प्रूफ होते हैं।

(2) खाद्यान्नों का आवधिक निरीक्षण करने और उन्हें उतिच ढंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ लगाया जाता है।

(3) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जाता है और कीट नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं।

(4) कभी-कभी ढके हुए भंडारगृहों की अत्यधिक कमी और संचलन संबंधी कठिनाइयां होने के कारण भारतीय खाद्य निगम को अस्थायी रूप से भंडारण करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई कैप (कवर और प्लिंथ) नामक प्रणाली के अधीन खुले में गेहूं और धान का भंडारण करने के लिए

मजबूर होना पड़ता है। कैप में भंडारित खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जाते हैं:—

(क) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उसे विशेष रूप से तैयार की गई न्यून घनत्व की काली पोलीथीन की वाटर प्रूफ चादरों (एल० डी० पी० ई०) से ढका जाता है ताकि खाद्यान्नों की वर्षा से सुरक्षा की जा सके।

(ख) तूफान के दौरान पोलीथीन की चादरों के उड़ने से होने वाली क्षतियों को रोकने के लिए पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की जाती हैं।

(ग) मौसम की अनिश्चितता से खाद्यान्नों की अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैप काम्प्लैक्सों में मोनोफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स मुहैया किए जाते हैं।

(घ) स्टाक को अच्छी हालत में रखने तथा नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण संघनन द्वारा क्षति को भी रोकने के लिए कैप में भंडारित स्टाक का नियमित रूप से वातन किया जाता है।

(ङ) मुम्बद के आकार के चट्ठे लगाए जाते हैं ताकि शिखर पर पानी के जमाव को रोका जा सके।

(च) पीड़क जन्तु बाधा तथा चूहों, पक्षियों आदि जैसे अन्य पीड़कों द्वारा जन्तुबाधा पर नियंत्रण पाने के लिए कैप में भंडारित स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और यथावश्यक उपचार किया जाता है।

[अनुवाद]

आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्री

1922. **डा० वसंत पवार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना आरक्षण वाले यात्रियों को लम्बी दूरियों के सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में दिन के समय प्रवेश करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। बहरहाल, आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के घुस जाने के कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) लम्बी दूरी की कुछ गाड़ियों में यात्रा पर दूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(2) राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से अचानक जांच की जाती है और आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करते पाये गये अनधिकृत यात्रियों को गाड़ी से उतार दिया जाता है और भारतीय रेल अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत उन पर जुर्माना किया जाता है।

(3) ड्यूटी के प्रति लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाये गये कंडक्टरों/चल टिकट परीक्षकों/सवारी डिब्बा परिचरों को दण्ड देना।

(4) रेल अधिनियम, 1989 में कानूनी उपबंध को और सख्त बना दिया गया है क्योंकि अब जुर्माने की राशि बढ़ा कर 500 रुपये कर दी गयी है जबकि पुराने अधिनियम में यह राशि 20 रुपये थी।

आसनसोल-बर्नपुर रेल लाइन को दोहरा करना

1923. **श्री हाराधन राय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनता ने आसनसोल और बर्नपुर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बीच रेल लाइन को दोहरा करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस लाइन को दोहरा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) विभिन्न परिचालनिक सुधारों के कारण इकहरी लाइन वाले खंड की क्षमता संतृप्त हो जाने पर ही दोहरीकरण किया जाता है। आसनसोल-बर्नपुर खंड पर अभी यातायात इस स्तर तक नहीं पहुंचा है।

वनस्पति विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

1924. **श्री लोकनाथ चौधरी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से डा० पी० के० पाण्डा के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रेवेन्शा कालेज में वनस्पती विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र का दर्जा बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग को वनस्पति-विज्ञान के पारीजा स्नातकोत्तर विभाग को एक उच्च अध्ययन केन्द्र के स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए सितम्बर, 1991 में रावेनशा कालेज, कटक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव में 1.17 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

तथापि, संसाधनों की कमी के कारण आयोग ने वि०अ०आ० योजना के अंतर्गत नई संस्वीकृतियों के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया।

सिगनल प्रणाली

1925. **श्री धर्मभिक्षमः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) विभिन्न रेल दुर्घटना जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर रेलवे द्वारा रेलपथ परिपथन (रेलपथ पर सवारी/माल डिब्बों की मौजूदगी सिद्ध करने के लिए), समपार अंतर्पाशन, समपार टेलीफोनों और अंतिम वाहन जांच उपकरण जैसे संरक्षा कार्यों को शुरू किया गया है। पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंडों और मध्य रेलवे के हार्बर लाइन पर सहायक चेतावनी प्रणाली भी शुरू की गई है ताकि ड्राइवर खतरे की स्थिति में गाड़ी को सिगनल से आगे न ले जाए। मध्य रेलवे के बम्बई वी०टी-कल्याण खंड पर सहायक चेतावनी प्रणाली व्यवस्था लगभग पूरी होने वाली है।

इन कार्यों की घन की तंगी और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती है और प्रगति होती है।

''इन्डोर'' वायु प्रदूषण

1926. **डा० आर० मल्लूः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1992 के ''इक्नामिक टाइम्स'' में ''इन्डोर पालूशन-ए न्यू किलर होम्स इन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रुटिपूर्ण डिजाइनों और मशीनों के खराब रखरखाव के कारण उत्पन्न ''इन्डोर'' वायु प्रदूषण से श्रमिकों की उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या मकानों के त्रुटिपूर्ण डिजाइनों के कारण भी निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समाचार में उन भवनों के अन्दर होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में कहा गया है जिसमें भवन में कृत्रिम वायु-संचालन (वेंटीलेशन) प्रणालियां लगी होती हैं और जिनका निर्माण रसायनयुक्त ऐसी सामग्री से होता है जो वायु में रसायन छोड़ते हैं और इस प्रकार इनसे अन्दर की वायु प्रदूषित होती है। भारत में, सामान्यतः भवन निर्माण में रसायनयुक्त सामग्री प्रयोग नहीं की जाती और भवनों में प्राकृतिक रूप से वायु संचालन होता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

1927. **श्री सूर्य नारायण यादव:**
श्री बी.एल. शर्मा प्रेम:
श्री फूल चन्द वर्मा:
श्री काशीराम राणा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों तथा समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों की अलग-अलग स्थानान्तरण नीति क्या है;

(ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने डाक्टर तथा समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारी पांच साल से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) उनका स्थानांतरण नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने वाले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ): (क) लोक सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार ही स्थानान्तरण किए जाते हैं।

(ख) 853 में 23 डाक्टर, 1359 में से 154 समूह "ग" कर्मचारी और 1378 में से 286 समूह "घ" कर्मचारी ऐसे हैं जो दिल्ली में पांच वर्ष से अधिक समय से नियुक्ति के स्थान पर ही कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) लोक सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही समय-समय पर स्थानांतरण किए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली स्थित मातृ और स्त्री रोग अस्पताल में अल्ट्रा साउन्ड मशीन लगाना

1928. **प्रो० रासा सिंह रावत:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मातृ और स्त्री रोग अस्पताल में आन्तरिक और बाह्य लाभार्थियों के लिए "अल्ट्रासाउन्ड" मशीन लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस मशीन को कब तक लगा दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल, रामकृष्ण पुरम में फिलहाल अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपलब्ध धनराशि ऐसी प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित की गई है जिनसे दिन-प्रतिदिन की रोगी परिचर्या एवं सेवाएं प्रभावित होती हैं।

नन्दन कानन चिड़ियाघर

1929. **श्री सुबास चन्द्र नायक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून माह के दौरान भुवनेश्वर स्थित नन्दन कानन चिड़ियाघर में जानवरों को तीन दिन तक भूखा रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चण्डीगढ़ में प्रौढ़ शिक्षा

1930. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चण्डीगढ़ में कुल कितने लोग अशिक्षित हैं;

(ख) वहां कार्यरत विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में इस समय कितने विद्यार्थी नामांकित हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितने प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) चंडीगढ़ के अधिकांश प्रौढ़ निरक्षर 25 गांवों तथा 30 बस्तियों में बसे हुए हैं। उनमें से अधिकतर संख्या विशेषरूप से इन बस्तियों में, प्रवासी मजदूरों की है। पिछले वर्ष के किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 15-35 आयवर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या 25,957 थी। प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न केन्द्र-आधारित कार्यक्रमों के तहत 1991-92 में कुल 5,446 शिक्षु नामांकित किए गए। वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत साक्षर बनाए गए निरक्षरों की संख्या क्रमशः 4221, 4806, 3600 थी। उक्त अवधि के दौरान विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत खर्च की गई धनराशि क्रमशः 9.50, 14.83 तथा 10.69 लाख रुपए थी।

रेलवे अस्पतालों में फिजियोथिरेपिस्ट की नियुक्ति

1931. **श्री पलास बर्मन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रेलवे जोनों के डिविजनल रेलवे अस्पतालों में फिजियोथिरेपिस्टों की नियुक्ति के संबंध में कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरी रेलवे के सभी अस्पतालों में फिजियोथिरेपिस्ट हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विकलांग रोगियों की देखभाल के लिये उत्तरी रेलवे के प्रत्येक अस्पताल में कम से कम एक फिजियोथिरेपिस्ट की तत्काल नियुक्ति करने के लिये कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) फिजियोथिरेपिस्टों के पदों का सृजन विभिन्न रेलवे अस्पतालों में उनकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) रेलवे अस्पताल, मुरादाबाद को छोड़कर उन रेलवे के सभी मंडल रेल अस्पतालों में फिजियोथिरेपिस्ट उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त अस्पताल के लिए एक फिजियोथिरेपिस्ट के चयन के लिए रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद को पहले ही मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सप्लाई किए गए आडियो कैसेट

1932. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में, विशेष रूप से कोयम्बतूर जिले में विकलांग बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सप्लाई किए गए आडियो कैसेटों से कितने संस्थाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चों और सामान्य बच्चों को एक साथ उसी संस्थान में शिक्षा प्रदान की जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने तमिलनाडु में किसी भी संस्था के विकलांग बच्चों को शिक्षा के लिए श्रव्य कैसेटों की आपूर्ति नहीं की है।

(ख) जी, हां।

फार्म स्तर पर खाद्यान्न भंडारण और अनाज बचाओ कार्यक्रम

1933. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "फार्म स्तर पर खाद्यान्न भंडारण और अनाज बचाओ कार्यक्रम" किन-किन राज्यों में लागू किया गया है;

(ख) क्या ऐसा कार्यक्रम राजस्थान में भी लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राजस्थान में यह कार्यक्रम कब तक लागू कर दिया जाएगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जिन राज्यों में फार्म स्तर पर खाद्यान्न भंडारण और अन्न सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, वे हैं—गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और केरल।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्राइवेट नर्सिंग होम को मान्यता देना

1934. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट नर्सिंग होम को मान्यता देने के लिए कोई नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के मान्यता देन के लिए समान नियम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) चूंकि जन स्वास्थ्य और अस्पताल संविधान के तहत राज्य सूची में आते हैं, इसलिए उपयुक्त कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय करके अपने-अपने राज्यों में प्राइवेट नर्सिंग होमों को मान्यता विनियमित कराने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों का है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन सहित कुछ राज्य सरकारों ने अपना ही नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम बना लिया है।

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षित पद

1935. **श्री राम बदन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वन सेवा में इस समय प्राधिकृत संवर्ग के कितने पद है और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आरक्षित पद कितने हैं;

(ख) केन्द्रीय भर्ती योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आरक्षित पद कितने प्रतिशत हैं;

(ग) क्या भारतीय वन सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आरक्षित पदों का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारतीय वन सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आरक्षित पदों का उपयोग करने के लिए सरकार के पास क्या-क्या योजनाएं हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) भारतीय वन सेवा संवर्ग की प्राधिकृत संख्या 2,699 है तथा भारतीय वन सेवा में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व पदों की संख्या 309 है।

(ख) 63 प्रतिशत।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के उपयोग का निर्धारण वानिकी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम में पदों की संख्या द्वारा ही नहीं अपितु गैर-वानिकी पदों में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों तथा अधिकारियों द्वारा देश में कहीं भी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति को स्वीकार करने की इच्छा द्वारा किया जाता है।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक स्तरों पर भारतीय वन सेवा के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से तथा जहां तक सम्भव हो सके भारतीय वन सेवा में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का उपयोग करने के लिए, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर

ऐसे स्थानों पर लेने के लिए कहा जाता है जहां उनका वानिकी अनुभव उन मंत्रालयों/विभागों के लिए महत्वपूर्ण हो।

पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक विषाक्तता के मामले

1936. **श्री चित्त बसु:**
श्री विजय कृष्ण हान्डिक:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर आर्सेनिक विषाक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के मामले जादवपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत "स्कूल आफ एनवायरमेंटल स्टडीज" की एक विशेषज्ञीय समिति द्वारा प्रकाश में लाये गये हैं;

(ख) क्या आर्सेनिक विष के खतरनाक स्तर तक बढ़ने के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है; और

(ग) यदि हां, तो कारणों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और सरकार द्वारा इस बारे में कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) 1978 में जब से भूमिगत जल में आर्सेनिक विषाक्तता की समस्या पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में आई है, तब से अनेक संगठनों ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आर्सेनिक विषाक्तता के बारे में बहुत से अध्ययन किए हैं। एक अध्ययन पर्यावरणीय अध्ययन स्कूल और जल संसाधन इंजीनियरी स्कूल, जाधवपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर 1989 में किया गया।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत एक परियोजना के रूप में "पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण" के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य आर्सेनिक प्रदूषण के स्वरूप, कोटि और कारण की जांच-पड़ताल करना और स्थानीय पाकिटों में एक्यूफरों को साफ करने के लिए उपचारात्मक उपाय विकसित करना था। इस अध्ययन की रिपोर्ट, जिसको जून, 1991 में प्रस्तुत किया गया, भू-आकृति विज्ञान, क्षेत्रीय भू-विज्ञान और उस क्षेत्र के भूमिगत जल व्यवहार की जांच करने के लिए विभिन्न स्थानों पर किए गए अनेक अवलोकनों पर आधारित था।

रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आर्सेनिक विषाक्तता वाली पट्टी ऊपरी गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पड़ती है, जिसमें नदियों द्वारा निर्मित अनेक टेढ़ी-मेढ़ी पट्टियां हैं। इसमें 3 एक्यूफरों की शिनाख्त की गई है। यह पाया गया है कि मध्यवर्ती एक्यूफर के पानी में आर्सेनिक तत्व अधिक मात्रा में है, जबकि गहरे एक्यूफरों में आर्सेनिक तत्व अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर हैं। धूल कणों और मृदा में आर्सेनिक की परत वाले खनिज कण पाए गए हैं।

इस क्षेत्र में जल गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बहुत सी सिफारिशें की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) आर्सेनिक से मुक्त गहरे एक्यूफरों का पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाए।

(ख) ट्यूबवेल को चालू करने से पहले उसके जल में विद्यमान आर्सेनिकों की भलीभांति जांच कर लेनी चाहिए।

(ग) गहरे एक्यूफर से निकाले जाने वाले पानी को इस तरह से नियंत्रित किया जाए कि मिट्टी की परत से ऊपर आर्सेनिकों का रिसाव न हो।

(घ) गहरे कुओं में आर्सेनिक तत्वों का समय-समय पर निगरानी की जाए।

[हिन्दी]

सामाजिक वानिकी और वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्ष लगाना

1937. श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांधों के निर्माण के कारण वनों के जलमग्न हो जाने के फलस्वरूप शुरू किए गए सामाजिक वानिकी तथा वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पौधे लगाए गए;

(ख) इस समय उनमें से कितने पौधे बचे हुए हैं;

(ग) अन्य पौधों के पेड़ बनने से पहले ही नष्ट हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क

1938. श्री के० वी० तंग्कावालू:
श्री मोहन रावले:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क के विकास प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने 25 मार्च, 1992 को आयोजित अपनी बैठक में सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार किया और यह इच्छा व्यक्त की कि आठवीं योजना में इस कार्यक्रम को पुस्तकालयों के खयलन और संबंधित कार्यकलापों के साथ संबंधित किया जाए। आयोग ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि एक समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यक्रम के ब्यौरों और वित्तीय कठिनाइयों की जांच की जाए। इस कार्यक्रम के लिए आयोग के 1992-93 के बजट में 25 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

महानगरों में रेलवे की फालतू भूमि का उपयोग

1939. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन:**
श्री राजेश कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विभाग द्वारा महानगरों और रेल लाइनों के साथ पड़ी फालतू भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दृष्टि से रेलवे के परिचालनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग में बाधा उत्पन्न किए बिना रेलवे भूमि के ऊपरी स्थान के वाणिज्यिक दोहन की व्यावहारिकता का पता लगाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विद्वान राहुल सांकृत्यायन की जन्म शताब्दी

1940. **श्री विश्वनाथ शास्त्री:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राहुल सांकृत्यायन की जन्म शताब्दी मनाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) शताब्दी समारोह अप्रैल, 1993 में शुरू होंगे। इस प्रयोजन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में बाल कल्याण संगठन

1941. **श्री कड़िया मुण्डा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में बाल कल्याण हेतु कार्य कर रही संस्थाओं/संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संस्थाओं के कामकाज में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई अनियमितता पायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य-मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) दिल्ली में बाल कल्याण के लिए कार्यरत मुख्य संस्थान/संगठन हैं—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, नेहरू बाल समिति तथा चल-शिशुगृह।

(ख) शिशुगृह योजना का संचालन करने वाले चल-शिशुगृह (मोबाइल-क्रेशेज़) नई दिल्ली द्वारा धन का दुरुपयोग किए जाने के सम्बन्ध में एक शिकायत केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्राप्त हुई है। जांच के पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोप सिद्ध नहीं पाए गए। फिर भी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सिफारिश की है कि संगठन को अनुदान राशि तब तक न दी जाए जब तक कि मंत्रालय द्वारा संगठन के लेखाओं की लेखा-परीक्षा नहीं कर ली जाती।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश पर, फिलहाल, संगठन का अनुदान रोक दिया गया है। मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि संगठन के वर्ष 1987-88 से वर्ष 1990-91 तक की अवधि के लेखाओं की लेखा-परीक्षा की जाए।

[हिन्दी]

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक

1943. **डा० लाल बहादुर रावल:**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है;

(ख) क्या उनका पारिश्रमिक बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य-मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (आई०सी०डी०एस०) के अन्तर्गत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो स्थानीय समुदाय से ली गई अंशकालिक ($4^{1/2}$ घन्टे) अवैतनिक कार्यकर्ता होती हैं, एक निश्चित मानदेय प्राप्त करती हैं। इस समय अपने शैक्षणिक स्तर और अनुभव पर निर्भर करते हुए वे निम्नलिखित दरों पर मानदेय प्राप्त कर रही हैं:-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	रुपए प्रति माह
मैट्रिकुलेट	275.00 रु०
मैट्रिकुलेट जिन्हें आनगंबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	300.00 रु०
मैट्रिकुलेट जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	325.00 रु०
नॉन-मैट्रिक	225.00 रु०
नॉन-मैट्रिक जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	250.00 रु०
नॉन-मैट्रिक जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	275.00 रु०
सहायिका	110.00 रु०

(ख) और (ग) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय की दरों में वृद्धि किए जाने के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में परिवार कल्याण कार्यक्रम

1944. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सहायता से कार्यान्वित किये जा रहे कार्यों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्य कार्यक्रमानुसार प्रगति कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी सहायता से गुजरात में क्रियान्वित की जा रही स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन सभी स्कीमों के अन्तर्गत कार्य योजनानुसार चल रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

I. **क्षेत्रीय परियोजना**

सातवीं भारत जनसंख्या परियोजना (आई पी पी-VII) गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से नवम्बर, 1990 से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना की समयावधि पांच वर्ष है। इस परियोजना के अन्तर्गत गुजरात के लिए 43.90 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। राज्य के सभी 19 जिले इस परियोजना के अन्तर्गत लाये गये हैं। इस परियोजना में परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने की पद्धति में सुधार करने के लिए अनेक अन्य निवेशों के साथ-साथ 600 उप-केन्द्रों का निर्माण करने और एक राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, आठ प्रभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों, 17 जिला प्रशिक्षण दलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि पर 33 प्रशिक्षण एनेक्सियों का निर्माण करने का विचार है। परियोजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे कार्यकलापों से राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और पर्याप्त प्रशिक्षित और अभिप्रेरित कार्मिक शक्ति पैदा होगी। 673 सिविल कार्यों में से 15 जिलों में 202 कार्य प्रगति पर हैं।

II. **विशिष्टता केन्द्र**

महिला और पुरुष बन्ध्यकरण के मानकों और सूक्ष्म शल्य-चिकित्सीय पुनर्नलिकरण के लिए सेवाएं प्रदान करने में डाक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए मैडिकल कालेज बड़ौदा में यू एन एफ पी ए की सहायता से एक विशिष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है। केन्द्र की निगरानी के लिए उक्त तकनीक में और अधिकारियों, जिसमें

एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ शल्य चिकित्सक शामिल है, को प्रशिक्षित किया गया है। सूक्ष्म-शल्यचिकित्सीय उपस्कर भी सप्लाई किये गये हैं।

III. गुजरात में आदिवासी जनसंख्या के लिए व्यापक और कौशल विकास परियोजना

गुजरात के डैग्स, भड़ौच और पंचमहल जिलों में अप्रैल, 1991 से यू एन एफ पी ए की सहायता से 2.29 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक पंचवर्षीय परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। 2.29 करोड़ रुपये की कुल लागत में से यू एन एफ पी ए का योगदान 1,111,963 अमरीकी डॉलर (1.72 करोड़ रुपये) है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनसंख्या के बीच परिवार कल्याण और आय संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। चूंकि इन परियोजना क्षेत्रों में उच्च जन्म दर, उच्च नवजात और शिशु मृत्यु दरें, और निम्न साक्षरता दर है। इसलिए परियोजना में जनसंख्या शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यकलापों की व्यवस्था करने, आदिवासी जनसंख्या के शैक्षिण स्तरों को ऊपर उठाने, आय संवर्धक और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिये जीवन के स्तर में सुधार करने, और सामाजिक वानिकी, धुआं रहित चूल्हों और सुलभ शौचालयों को बढ़ावा देकर पर्यावरण में सुधार करने की बात सोची गई है। इस परियोजना को ग्रामीण श्रमिक संघ, बारदौली द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

IV. गुजरात के खेड़ा जिले के 30 गांवों के दुग्ध उत्पादकों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा और सेवाएं

यू एन एफ पी ए की सहायता से खेड़ा जिले के 30 गांवों में जनवरी, 1992 से 68.25 लाख रुपये की कुल लागत से एक 42 महीने की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। 68.25 लाख रुपये की कुल लागत में से यू एन एफ पी ए का अंशदान 39.00 लाख रुपये है। इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना के शुरू में व्याप्त दम्पति सुरक्षा दर में 25% सुधार करना तथा परियोजनाधीन गांवों में नवजात शिशु मृत्यु दरों में कमी करके उन्हें अखिल भारतीय स्तर तक लाना है। इस परियोजना को चारुतर आरोग्य मंडल, जो एक गैर-सरकारी संगठन है, द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

V. उपजिला स्तर पर अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के घटक के रूप में उपजिला स्तर पर एक अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम देशभर में नार्वे की शाही सरकार से प्राप्त आंशिक वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने देश में 1075 उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों को स्वीकृति दी थी, जिनमें से 55 उपजिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र गुजरात राज्य में कार्य कर रहे हैं।

VI. शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम

इस परियोजना के अधीन, जिसे विश्व बैंक और यूनिसेफ द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, 1992 से 1996-97 तक गुजरात के सभी 19 जिलों को क्रमिक रूप में शामिल किया जाना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या स्कीमों/उपायों को एकीकृत करके सुदृढ़ बनाकर और उनका विस्तार करके नवजात, शिशु और मातृ मृत्यु दरों में कमी करना है। अब तक इस परियोजना के अधीन गुजरात के 2 जिलों अर्थात् बड़ौदा और जामनगर में राज्य और जिला कोर-टीम सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में समाज कल्याण बोर्ड

1945. **श्री अरविन्द नेताम:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के समाज कल्याण बोर्ड को भंग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुरूलिया-कोटशिला रेल लाइन

1946. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों के दौरान पुरूलिया-कोटशिला रेल लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): पुरूलिया-कोटशिला खंड के आमान परिवर्तन का कार्य हाल ही में अर्थात् मई, 1992 में शुरू करने का विनिश्चय किया गया है। प्रारम्भिक प्रबंध किए जा रहे हैं। वास्तविक कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

त्रिवेणी एक्सप्रेस

1947. **श्री राम पूजन पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसाधारण से त्रिवेणी एक्सप्रेस को वर्तमान संशोधित समय के स्थान पर पहले की समय-सारणी के अनुसार चलाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) जांच की जा रही है और परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाये जाने पर त्रिवेणी एक्सप्रेस को पुरानी समय सारिणी के अनुसार चला दिया जाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों की भर्ती

1948. **श्री ओस्कर फर्नान्डीज़:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जानजातियों के अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण नीति का दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के अंतर्गत अब तक कुल कितने प्रतिशत अध्यापक भर्ती किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार कार्यकारी परिषद् का निर्णय है कि विश्वविद्यालय/कालेजों में अध्यापकों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:—

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की अपेक्षित प्रतिशतता तक नियुक्ति होने तक पद को आगे ले जाने के प्रावधान के साथ प्रत्येक विषय में पांच पदों में से लेक्चर के एक पद का आरक्षण;

(ii) अध्यापक के पद के लिए आवेदन पत्र में एक कालम का प्रावधान कि क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है;

(iii) पद हेतु प्रस्तावित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण होने पर ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए।

(iv) अध्यापन पदों के लिए भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति समुदाय के उम्मीदवारों को प्राथमिकता;

(v) आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा चयन न किए जाने के कारणों का लिखित में रिकार्ड रखा जाए;

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय में सभी संबंधित व्यक्तियों को नीति का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय

1949. **आचार्य विश्वनाथदास शास्त्री:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा पर कुल कितना धन व्यय किया गया;

(ख) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों के लिए कुल कितना धन निर्धारित किया है और धनराशि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इस कार्य के लिए निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह धन नौकरशाहों के माध्यम से व्यय किया जा रहा है और कुल धन का केवल दस प्रतिशत भाग ही वास्तव में इन योजनाओं पर व्यय किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के केसरगंज, बहराइच, बस्ती और सुल्तानपुर जिलों में जिलावार कितना धन व्यय किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना कार्यक्रम को आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को 23.50 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर 12.65 करोड़ रु० खर्च किए गए थे।

(ख) चूंकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को शुरू करने की इच्छुक किसी भी राज्य सरकार/अथवा किसी एजेन्सी को अनुदान देना, एक दी गई समय-सीमा में एक विशेष क्षेत्र में निरक्षरता दूर करने के लिए प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों पर निर्भर करता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी भी क्षेत्र विशेष जिला/खंड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) यह सच नहीं है कि इन योजनाओं पर वास्तविक राशि का कुल 10% ही व्यय किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए संस्वीकृत की गई राशि को योजना के लिए निर्धारित की गई वित्तीय पद्धति के अनुसार विभिन्न मदों पर खर्च करना अपेक्षित होता है। वर्ष 1989-90 से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन पर बल दिया गया है ताकि यह न केवल क्षेत्र-विशिष्ट समयबद्ध, स्वैच्छिक आधारित, मूल्य प्रभावी तथा परिणामोन्मुख हो बल्कि इसे गैर-सरकारी तथा गैर-तानाशाही बनाया जा सके। स्वैच्छिक एजेन्सियों, शैक्षिक संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्रों आदि द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम प्रायः गैर-सरकारी क्षेत्र में थे।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) के दौरान बहराइच, बस्ती और सुल्तानपुर जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर खर्च की गई कुल राशि (केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र एक साथ मिलाकर) 288.76 लाख रु० थी जो निम्न प्रकार से थी:

क्र०स०	जिले का नाम	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर कुल व्यय (लाख रु० में)
1.	बहराइच	74.90
2.	बस्ती	115.49
3.	सुलतानपुर	98.37
	जोड़	288.76

[अनुवाद]

पर्यावरण और विकास

1950. **श्री रवि राय:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जून, 1992 को पर्यावरण और विकास पर कोई राष्ट्रीय संरक्षण नीति तथा नीतिगत विवरण जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सरकार द्वारा जून, 1992 में अपनाई गई राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण एवं विकास संबंधी नीति विवरण में विकास प्रक्रिया में पर्यावरणीय अवधारणाओं को शामिल करने और देश में संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश स्पष्ट किये गये हैं। इस दस्तावेज़ में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं:—

(1) पर्यावरणीय समस्याओं का एक सिंहावलोकन;

(2) विभिन्न विनियामक और संवर्धन उपायों के जरिये की गई कार्रवाई;

(3) कार्रवाई के लिए दबाव और कार्यवाई;

(4) कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएं और नीतियां;

(5) कृषि और सिंचाई, पशुपालन, वानिकी, ऊर्जा उत्पादन और उपयोग, औद्योगिक विकास, पर्यटन, परिवहन एवं मानव बस्तियां जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में विकास नीतियां;

(6) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; और

(7) नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सहायक नीतियां और प्रणालियां।

स्वयंसेवी महिला परिचारिकाओं का वेतन

1951. **श्री सुधीर सावंत**
श्री राम कापसे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अंशकालिक स्वयंसेवी महिला परिचारिकाओं को वर्ष 1981 से प्रतिमाह केवल 50/- रुपये दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राशि में वृद्धि करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) यह सही है कि उप केन्द्रों से जुड़े अंशकालिक स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को 50 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलता है।

(ख) और (ग) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके मानदेय में वृद्धि करके उसे मौजूदा

50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव किया था। लेकिन धन के अभाव के कारण यह संभव नहीं हुआ है।

चीनी पर नियंत्रण हटाना

1952. **श्री पृथ्वी राज डी॰ चव्हाण:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी पर से पूरी तरह नियंत्रण हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी उद्योग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ग) सरकार का नई चीनी मिलों को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 7.9.1990 और उसके बाद से लाइसेंसशुदा नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं पर लागू की जाने वाली एक नई प्रोत्साहन योजना को तैयार करने विषयक मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्राथमिक स्कूल खोलना

1953. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी पांच वर्षों में प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा आयोग की पड़ोस में स्कूल अवधारणा की सिफारिश को क्या चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो प्रथम चरण में राज्यवार कितने स्कूल खोले जाने का विचार है; और

(घ) पूरी योजना में राज्यवार कुल कितने स्कूल खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच के प्रावधान के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है:—

(i) लड़कियों तथा अनु॰जाति॰/अनुसूचित जनजाति के बच्चों सहित बच्चों का सर्वसुलभ दाखिला।

(ii) एक किलोमीटर की पैदल दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान और स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों उन कामकाजी बच्चों तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा, जो स्कूल नहीं जा सकते; और

(iii) प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्कूलों के बीच विद्यमान 4:1 के अनुपात में सुधार कर 2:1 करना जो अपर प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले को सुकर बनाएगा।

यह अनुमान है कि योजना अवधि के दौरान लगभग 35,000 नए प्राथमिक स्कूल और 1,32,000 अपर प्राथमिक स्कूलों की जरूरत होगी। इसके अलावा, 87.50 लाख बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 3.5 लाख अनौपचारिक केन्द्र खोले जाएंगे। तथापि, एक सर्वसुलभ पहुंच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों

की है और वे नए प्राथमिक स्कूल तथा अपर प्राथमिक स्कूल खोलने, प्राथमिक स्कूलों को अपर प्राथमिक स्कूलों में स्तरोन्नत करने और अनौपचारिक केन्द्रों के प्रावधान आदि के लिए वार्षिक अपेक्षाओं को तय करेंगे तथा जहां भी आवश्यक हो अपनी राज्य योजना में प्रावधान करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह सिफारिश की गयी है कि सामान्य स्कूल पद्धति की दिशा में उपाय किए जाने चाहिए। इस लक्ष्य को साकार करने में 'पड़ोसी स्कूल' अवधारणा एक कदम है।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग वर्कशॉप का बंद होना

1954. **श्री नवल किशोर राय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप्स की कोई विकासात्मक पुनरीक्षा की है;

(ख) क्या बिहार में समस्तीपुर स्थित रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप्स सहित रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार द्वारा बन्द की जाने वाली और विकसित की जाने वाली रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशापों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) रेलवे इंजीनियरी कारखानों की विकास संबंधी समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1992-93 के दौरान न तो किसी कारखाने को बंद करने और न ही किसी नए कारखाने को विकसित करने का प्रस्ताव है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत के समकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम

1955. **श्री छेदी पासवान:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वातंत्र्योत्तर भारत के समकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का प्रमुख ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं। भारत की स्वतंत्रता के प्रथम पांच दशकों के इतिहास की पाठ्यचर्या तैयार करने को सुकर बनाने का काम समिति को सौंपा गया है तथा इसकी अवधि 15 अगस्त, 1997 तक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मधुमेह रोगियों द्वारा कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थों का उपयोग

1956. **श्री रतिलाल वर्मा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ मधुमेह के रोगियों के लिए सुरक्षित हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन

1957. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक कारगर ढंग से लागू करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में लगे गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) यह सरकार की जानी-बूझी नीति है कि सक्षम प्राइवेट संगठनों सहित गैर-सरकारी संगठनों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल किया जाए। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के अधीन उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:—

क. प्राइवेट चिकित्सकों की भागीदारी:

(i) आधुनिक और एकीकृत चिकित्सा पद्धतियों के आवश्यक विशेषज्ञता वाले प्राइवेट चिकित्सकों को और ऐसे चिकित्सकों को जो क्रमशः भारतीय आयुर्विज्ञान संघ तथा राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ के सदस्य हैं तथा जिन्हें उक्त संघों द्वारा विधिवत् रूप से संस्तुत किया गया है, अपने उपचर्या गृहों, अस्पतालों/क्लीनिकों में बंध्यीकरण आपरेशन (नसबंदी और नलबंदी) तथा आई०यू०डी० निवेशन करने की अनुमति है। जहां तक राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा के चिकित्सकों द्वारा नलबंदी आपरेशन किए जाने का संबंध है, ये आपरेशन मात्र मिनिलैप विधि तक सीमित है।

(ii) भारतीय चिकित्सा संघ के ऐसे सदस्यों को, जो लैप्रोस्कोपिक नलबंदी आपरेशन करने में लगे हुए हैं; लैप्रोस्कोपिक विधि में उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके प्रशिक्षण के पूरा हो जाने पर उन्हें इन आपरेशनों को करने के लिए लैप्रोस्कोप खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सहायता भी दी जाती है।

(iii) भारतीय चिकित्सा संघ और इसकी विभिन्न शाखाओं को गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता भी दी जाती है ताकि वे अपने सदस्यों को सुग्राही बना सकें और परिवार कल्याण कार्यक्रम में उनकी प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।

ख. गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी:

सामाजिक विपणन कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की विपणन कंपनियों को उनकी खुदरा दुकानों के माध्यम से गर्भ निरोधकों अर्थात् कंडोम और खाई जाने वाली गोलियों की बिक्री करने में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल की गई प्राइवेट क्षेत्र की कुछ प्रमुख कंपनियां हैं:— आई०टी०सी० लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, ब्रुक बांड (इंडिया लिमिटेड), टाटा आॅयल मिल्स लिमिटेड आदि। कुछ स्वैच्छिक संगठनों को भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है।

ग. संगठित क्षेत्र की भागीदारी:

संगठित क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय राष्ट्रीय समिति गठित की है जिसमें सरकार, नियोक्ता संगठनों और मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं। इस समिति के कार्य इस प्रकार हैं:—

(i) उपयुक्त नीतियां तैयार करना, विशिष्ठ कार्यक्रम तैयार करना, कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, उपचारी उपाय सुझाना और संगठित क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यकलापों की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना।

(ii) कार्यकर्ताओं की शिक्षा और प्रेरणा के क्षेत्र में मजदूर संघ और प्रबन्ध की सहायता और सहयोग प्राप्त करना।

(iii) सरकार को संगठित क्षेत्र में स्कीमों के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ सलाह देना।

घ. स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी:

(i) स्वैच्छिक संगठनों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता सीधे अथवा राज्य सरकारों के जरिए प्रदान की जाती है।

(ii) भारतीय परिवार नियोजन संघ, गांधी ग्राम संस्थान, चाइल्ड इन् नीड इंस्टिट्यूशन, अनुसंधान, नियोजन और कार्रवाई केन्द्र तथा श्रम, शिक्षा एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र जैसे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्वीकृत करने हेतु 5 लाख रुपये की एक आवर्ती निधि रखी गई है जिन्हें देश के विभिन्न भागों के छोटे स्वैच्छिक संगठनों को एक लाख रुपये तक की लागत की परिवार नियोजन स्कीमों को मंजूरी देने का प्राधिकार दिया गया है।

[अनुवाद]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

1958. **श्री हरिन पाठक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी लेने की लम्बी प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों में विलम्ब के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) 19-20 फरवरी, 1992 को हुए वन मंत्रियों के सम्मेलन सहित विभिन्न मंचों पर इस मामले पर चर्चा करने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्तावों की जांच को और सरल एवं कारगर बनाने तथा विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

कुट्टीपुरम में उपरिपुल

1959. **श्री ई० अहमद:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे में कुट्टीपुरम में उपरिपुल के निर्माण-कार्य में कोई विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पुल को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) ऊपरी सड़क पुल पर रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। जैसे ही राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपने हिस्से का कार्य अर्थात् सड़क पहुंच मार्गों को पूरा कर दिया जायेगा वैसे ही पुल खोल दिया जायेगा।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस के लिए वातानुकूलित सवारी डिब्बे

1960. **श्री अन्ना जोशी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित सवारी डिब्बे लगाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) दूसरे दर्जे के वातानुकूल सवारी डिब्बों की सीमित उत्पादन क्षमता के कारण इन डिब्बों की कमी है। अतः रेलों पर महाराष्ट्र एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण गाड़ियों में ऐसे डिब्बों की व्यवस्था कर पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तथापि, नीति के रूप में पहले ही सभी रात्रिकालीन मेल/ एक्सप्रेस गाड़ियों में यथा समय दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयान लगाने का विनिश्चय किया गया है।

स्कूलों के लिए पर्यावरणोन्मुख शिक्षा

1961. **श्री बन्सूलाल बन्द्राकर:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली के कितने विद्यालयों में 1992-93 में छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम चलाने का विचार है;

(ख) उसके लिए कितना धन खर्च करने का विचार है; और

(ग) स्कूलों के लिये पर्यावरणोन्मुखी शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अब तक कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) 1992-93 के दौरान छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारंभ करने से सम्बन्धी प्रस्ताव अभी तक संघशासित क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) स्कूलों के लिए पर्यावरणोन्मुखी शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के प्रारंभ होने के बाद अब तक संलग्न विवरण में दर्शाये गए 21 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने सहायता प्राप्त की है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	मिज़ोरम
14.	उड़ीसा
15.	राजस्थान
16.	तमिलनाडु
17.	त्रिपुरा
18.	उत्तर प्रदेश
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
20.	दिल्ली
21.	पांडिचेरी

[हिन्दी]

दिल्ली के स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

1962. **श्री जनार्दन मिश्र:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पहले ही 1970-71 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली के स्कूलों में यह योजना दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और शिक्षा निदेशालय के जरिये चयनात्मक आधार पर, जे०जे० कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों और गंदी बस्तियों जैसे मुख्यतया समाज के कमजोर वर्गों से बसे हुए क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) इन एजेंसियों द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान व्यय की जाने वाली सम्भावित धनराशि निम्नलिखित है:

(i) दिल्ली नगर निगम	534.00 लाख रुपये
(ii) नई दिल्ली नगर पालिका	80.00 लाख रुपये
(iii) शिक्षा निदेशालय	15.00 लाख रुपये
कुल:	629.00 लाख रुपये

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता

1963. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता देने के लिये कोई नियम अथवा दिशानिर्देश बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) यद्यपि इस प्रयोजनार्थ कोई नियम और मार्गदर्शी रूपरेखाएं नहीं बनाई गई हैं, राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता संलग्न विवरण के अनुसार अपेक्षित सूचनाओं और कुछ दस्तावेजों के आधार पर दी जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता देने के विचारार्थ अपेक्षित सूचना/दस्तावेज

(1) संघ का संवैधानिक स्तर क्या है? क्या यह पंजीकृत/समाविष्ट निकाय है? यदि हां, तो पंजीकरण/समावेशन प्रमाणपत्र सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करें जिसमें उसकी स्थिति का उल्लेख हो जिसके अंतर्गत इसे पंजीकृत/समाविष्ट किया गया है।

(2) कृपया इसकी संवैधानिक स्थिति के समर्थन में यथा प्रामाणिक सभी कागजात प्रस्तुत करें। इनमें आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उप नियम जैसा भी मामला हो, संघ की दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली के बारे में नियम और विनियम शामिल होने चाहिए।

(3) कृपया हमें संघ के वर्तमान पदाधिकारियों के नाम और पूरे पते भेज दें। उन्हें किस प्रकार पदाधिकारी बनाया गया था? उन्होंने कब कार्यभार संभाला तथा उनकी वर्तमान अवधि की समाप्ति की तिथि क्या है?

(4) संघ से सम्बद्ध राज्य स्तरीय तदनुरूपी निकायों के नाम और पते दें। इसके समर्थन में कृपया दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करें।

(5) बैलेंस शीट तथा पिछले 3 वर्षों का आय और व्यय का विवरण दें जिसमें अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संघ की वित्तीय स्थिति का पूर्ण और संतोषजनक यथा परीक्षित ब्यौरा हो।

(6) गत 3 वर्षों के दौरान संघ के कार्यकलाप क्या रहे हैं? अब तक आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का ब्यौरा दें तथा भाग लेने वाली राज्य की इकाइयों के नाम और उनके परिणाम दें।

(7) क्या संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए किसी टीम को प्रायोजित किया है? यदि हां, तो इन स्पर्धाओं में टीम के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ब्यौरा दें। यहां उल्लिखित टीम के सदस्यों का चयन किस प्रकार किया गया था?

(8) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय से संघ ने यदि कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की है तो उसका ब्यौरा दें।

(9) इस खेल के विकास के लिए क्या सिर्फ यही राष्ट्र-स्तरीय संघ है या ऐसा कोई अन्य संघ भी कार्य कर रहा है?

(10) इस बात का घोषणापत्र दें कि संघ सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है।

(11) इस खेल तथा इसके लिए लागू नियम और विनियम आदि का ब्यौरा दें।

(12) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू खेल के नियम और विनियमों की तुलना में यदि नियम और विनियमों में भिन्नता है तो बताएं।

(13) इस बात का दस्तावेजी सबूत कि संघ तदनुरूपी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सम्बद्ध है।

(14) कोई अन्य संबंधित सूचना।

दुर्घटना स्थल पर चिकित्सा राहत

1964. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्घटना स्थलों को तुरन्त राहत और चिकित्सा दल भेजा जाना सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रबंध और सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दुर्घटना स्थलों पर यात्रियों को शीघ्रतापूर्वक पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां। दुर्घटना स्थल पर तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए निम्न प्रकार के दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध हैं:—

दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर श्रेणी—I
दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर श्रेणी—II
दुर्घटनाओं के लिए सुवाह्य चिकित्सा किट
प्रथम उपचार पेटियां।

संदेश मिलते ही दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर, चिकित्सा दल के साथ तत्काल सड़क या रेल द्वारा दुर्घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन बड़े अस्पताल

1965. **श्री बलराज पासी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन बड़े अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञों वाले बड़े अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिला प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती

1966. **प्रो॰ रीता वर्मा:**
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में महिला प्राइमरी स्कूल शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ... ा है;

(ग) क्या ... कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्... वृद्धि करने का है; और

... विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी ... की भर्ती राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा की जाती ... र्धारित है कि नियुक्त शिक्षकों में से कम से कम ,50

... ा स्वयंसेवक होते हैं और उनका चयन राज्य ... शिक्षा कार्यक्रम में यह निर्धारित है कि महिलाओं ... अर्हताओं में उचित छूट दी जाए ताकि महिलाओं ... प्रोत्साहित किया जा सके।

कोंकण रेलवे के लिए बॉण्ड

1967. श्रीमती शीला गौतम:
श्री तेज नारायण सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे वित्त निगम ने हाल ही में कर मुक्त बॉण्ड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि एकत्रित की गई है;

(ग) क्या ये बॉण्ड केवल वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इन संस्थाओं से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या वित्तीय संस्थाओं ने इन बॉण्डों के अंकित मूल्य पर छूट मांगी है; और

(च) निर्धारित समय के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) "कोंकण रेलवे वित्त निगम" नामक कोई निगम नहीं है। भारतीय रेलवे वित्त निगम (भारेविनि) बंध-पत्रों के निर्गम के माध्यम से कोंकण रेलवे परियोजना के लिए अभी तक जुटाई गई कुल राशि 111.64 करोड़ रुपये है।

(ग) ये बंध-पत्र वित्तीय संस्थानों, बैंकों और उनके सहायक संगठनों को इस शर्त पर उपलब्ध कराए जाते हैं कि वे कम से कम 20 प्रतिशत बंध-पत्र काउंटर पर बिक्री के माध्यम से जनता को दिये जाएंगे।

(घ) 150 करोड़ रुपये की पहली खेप से संबंधित निर्गमों के लिए ही विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 100 करोड़ रुपये की दूसरी खेप के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावित बंध-पत्रों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ङ) भारतीय रेल वित्त निगम ने बंध-पत्रों का पूर्व क्रय करने वाले वित्तीय संस्थानों को प्रबंध शुल्क का भुगतान किया है।

(च) पूंजी बाजार में हाल की गतिविधियों के कारण बंध-पत्रों के माध्यम से धन जुटाने में आई कठिनाइयों को देखते हुए कोंकण रेलवे निगम ने, बंध-पत्रों की शेष राशि के जुटाये जाने तक, कमी पूरा करने के लिए भारतीय रेल वित्त निगम से 100 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है।

वसंत दादा शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, सांगली को लेवी चीनी की सप्लाई

1968. श्री जार्ज फर्नांण्डीज: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वसन्त दादा शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, सांगली, महाराष्ट्र को लेवी की चीनी की गैर-कानूनी सप्लाई किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) वसंत दादा शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, सांगली (महाराष्ट्र) को अप्राधिकृत रूप से लेवी चीनी जारी किए जाने के संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वसंत दादा शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि० द्वारा नवम्बर, 1990 में मध्य प्रदेश को लेवी चीनी की डिलीवरी में बरती गई अनियमितता के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस मामले की जांच के लिए उक्त शिकायत महाराष्ट्र सरकार को भेज दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

1969. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:**
श्री विजय एन० पाटील:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से कुल कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं अथवा शुरू की जानी हैं;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से विगत समय में शुरू की गई परियोजनाओं ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) पर्यावरण के क्षेत्र में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से दो परियोजनाएं शुरू की गई हैं:

(1) दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना।

(2) हरियाणा में अरावली पहाड़ियों में सामूहिक भूमि का सुधार।

वायु गुणवत्ता निगरानी से संबंधित परियोजना के लिए 2.8 करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है और इससे दिल्ली में तीन आटोमैटिक वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए गये थे, जिनमें से दो केन्द्र योजना के अनुसार स्थापित किए गए हैं। यह परियोजना 1988 में शुरू की गई थी और ये दो केन्द्र 1989 से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों से संबंधित परियोजना 1991 में शुरू की गई है और 1998 तक जारी रहेगी।

[हिन्दी]

जंगल माफिया

1970. **डा० रमेश चन्द तोमर:**
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक भागों में जंगल माफिया के लोग जंगलों को काटने में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त माफिया दलों पर काबू करने हेतु कोई योजना तैयार की जा रही है ताकि जंगलों की कटाई रोकी जा सके; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) वनों के विनाश में जंगल माफिया गिरोहों का पता लगाने के बारे में राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, त्रिपुरा सरकार ने खबर दी है कि त्रिपुरा के कुछ भागों में, खासकर भारत-बंगलादेश सीमा क्षेत्रों में संगठित सशस्त्र गिरोह क्रियाशील हैं और पेड़ों की अवैध कटाई करते हैं।

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई में 3152 व्यक्ति लिप्त थे जिनके खिलाफ कानूनी उपबंधों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की गई।

"जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वर्ष 1986-87 से 1991-92 की अवधि के दौरान भारत सरकार ने वन विभाग के कार्मिकों के लिए आग्नेयास्त्र, वाहन, बे-तार सेट, बाड़ सामग्री आदि जैसे उपकरण खरीदने के लिए राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1-4-92 से राज्य योजना क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

ट्यूशन फीस में वृद्धि

1971. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कालेजों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विशेषतः दिल्ली में छात्रों की ट्यूशन फीस में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों की स्थिति को देखते हुए सरकार का अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो गरीब छात्रों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि पांडिचेरी सरकार ने व्यय में वृद्धि के कारण 1992-93 से पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय कालेजों के शिक्षा शुल्क में मामूली सी बढ़ोतरी की है। शिक्षा शुल्क में वृद्धि से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका शुल्क सरकारी छात्रवृत्ति द्वारा वापिस मिल जाएगा।

दी गई सूचनानुसार विभिन्न कालेजों में छात्रों के शिक्षा शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन नहीं है। इसी प्रकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पास भी शिक्षा शुल्क बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उनके कालेजों में शिक्षा शुल्क में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

शेष केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में कालेज नहीं आते।

गोदामों का निर्माण

1972. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय वैज्ञानिक ढंग से बनाये गये भारतीय खाद्य निगम के राज्य-वार कितने गोदाम हैं;

(ख) प्रत्येक गोदाम की भण्डारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का 1992-93 के दौरान ऐसे और अधिक गोदामों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये गोदाम कहां-कहां बनाए जाएंगे?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) 31.3.1992 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 1500 गोदाम थे। एक विवरण-I संलग्न है जिसमें इन गोदामों और प्रत्येक राज्य में ऐसे गोदामों की भण्डारण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है 1500 गोदामों के संबंध में गोदाम-वार क्षमताओं के संकलन में अत्यधिक समय और श्रम अंतर्ग्रस्त होगा और यह प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम का 1992-93 के दौरान कुल 2.03 लाख मीटरी टन क्षमता के ऐसे और 28 गोदामों का निर्माण करने का विचार है। इन गोदामों का उनके स्थानों सहित ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

31.3.1992 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों की संख्या और कुल भण्डारण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोदामों की संख्या	भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टन में)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	0.15
2.	आन्ध्र प्रदेश	126	16.99
3.	असम	41	2.80
4.	बिहार	61	6.40
5.	गोआ	2	0.17
6.	गुजरात	32	7.64
7.	हरियाणा	109	15.58

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	18	0.28
9.	जम्मू तथा कश्मीर	14	0.93
10.	कर्नाटक	45	3.12
11.	केरल	35	5.37
12.	मध्य प्रदेश	118	11.23
13.	महाराष्ट्र	40	14.96
14.	मणिपुर	2	0.12
15.	मेघालय	6	0.21
16.	मिजोरम	3	0.12
17.	नागालैण्ड	5	0.16
18.	उड़ीसा	39	3.72
19.	पंजाब	369	51.33
20.	राजस्थान	69	8.01
21.	सिक्किम	2	0.08
22.	तमिलनाडु	30	6.80
23.	त्रिपुरा	8	0.38
24.	उत्तर प्रदेश	177	25.05
25.	पश्चिम बंगाल	118	12.69
26.	चण्डीगढ़	14	0.65
27	दिल्ली	11	3.91
28.	पाण्डिचेरी	3	0.41
	जोड़	1500	199.26

विवरण-II

उन स्थानों के नाम जहां भारतीय खाद्य निगम का 1992-93 के दौरान गोदामों का निर्माण करने का विचार है और उनकी भण्डारण क्षमता

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्र०सं०	केन्द्र/क्षेत्र	1992-93 लिए क्षमता निर्माण का लक्ष्य	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुरादाबाद/उत्तर प्रदेश	3.00	
2.	परतापुर/उत्तर प्रदेश	19.58	सातवीं योजना से आगे लाये गये निर्माण कार्य
3.	वाराणसी/उत्तर प्रदेश	1.82	

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	कोसीकलां / उत्तर प्रदेश	4.83	
5.	बुलन्दशहर / उत्तर प्रदेश	0.84	
6.	मथुरा / उत्तर प्रदेश	2.24	
7.	घेवरा / दिल्ली	5.00	
8.	बारन / राजस्थान	2.50	
9	बाड़मेर / राजस्थान	5.00	
10.	चंदेरिया / राजस्थान	5.00	
11.	हनुमानगढ़ / राजस्थान	5.00	सातवीं योजना से आगे लाए गए निर्माण कार्य
12.	श्री विजयनगर / राजस्थान	3.74	
13.	केशोरापट्टनम / राजस्थान	6.67	
14.	गुडीवाडा / आन्ध्र प्रदेश	30.00	
15.	हुबली / कर्नाटक	30.00	
16.	कारगिल / जम्मू तथा कश्मीर	2.50	
17.	पुंछ / जम्मू तथा कश्मीर	2.50	
18.	लवंगतलई / मिजोरम	3.34	
19.	पासीघाट / अरुणाचल प्रदेश	2.50	
20.	परसाखेड़ा / उत्तर प्रदेश	5.00	
21.	बेलारी / कर्नाटक	10.00	
22.	समालकोट-I/आन्ध्र प्रदेश	10.00	
23.	दोवलेश्वरम-I/आन्ध्र प्रदेश	10.00	
24.	ओंगोले/आन्ध्र प्रदेश	5.00	नए निर्माण कार्य
25.	खम्माम/आन्ध्र प्रदेश	10.00	
26.	एम० काबु/केरल	5.00	
27.	शोलापुर-I/महाराष्ट्र	5.00	
28.	बदाम पहाड़/उड़ीसा	5.00	
	जोड़	203.06	
	अर्थात्:	2.03 लाख मीटरी टन	

इन्दिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम में बहुमंजली इमारत

1973. **श्री शरद यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम में एक बहुमंजली इमारत समुचित उपयोग अथवा भावों खरीददार के बिना खाली पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस भवन के रखरखाव पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) इस भवन को उपयोग में लाए जाने अथवा इसके लिए खरीददार के न मिलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी, हां।

(ख) अब तक कोई भी व्यय नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भवन का आधिपत्य अब तक नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) भवन इस समय उपयोग करने की हालत में नहीं है। इस भवन को छात्रावास-व-होटल में बदलने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया परन्तु यह प्रस्ताव आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। भवन के शीघ्र पूरा होने और प्रयोग करने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को जब आवश्यकता पड़े तब भवन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

स्वयंसेवी संगठनों को निधि

1974. **श्री चेतन पी० एस० चौहान:**
श्री ललित डरांव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्वयंसेवी संगठनों के राज्यवार नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत केन्द्रीय सरकार से अनुदान हेतु अनुरोध किया है;

(ख) उन संगठनों को स्वीकृत धनराशि का संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन संगठनों के चयन का मानदण्ड क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) एवं संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम के अधीन प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की केन्द्रीय योजना के अधीन, वर्ष 1992-93 अथवा उस अवधि के किसी भाग के लिए अनुदान मुक्त करने के अनुरोध, संस्वीकृत परियोजना वर्ष के पूरा होने पर जब भी वे अनुदान देय होते हैं, स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण I संलग्न है।

(ख) एक विवरण II संलग्न है।

(ग) ये ब्यौरे योजना में दिए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ साथ एजेंसी की पात्रता, उपयुक्तता प्रस्ताव की सम्बद्धता और उसे कार्यान्वित करने में एजेंसी की क्षमता शामिल है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, अनौपचारिक शिक्षा योजना स्वयं ही उन शर्तों के ब्यौरे निर्धारित करती है जिनका पालन करना इस योजना के अधीन अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों के लिए अनिवार्य है। इनमें एजेंसियों द्वारा अनुदानों की उचित उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षित लेखों और प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाओं का मूल्यांकन आजकल संयुक्त मूल्यांकन दलों, जिनमें केन्द्रीय और राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि और एक गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं, द्वारा किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का बाहरी मूल्यांकन भी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों तथा अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त अन्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

31.3.1992 की स्थिति के अनुसार चल रहे गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के स्वैच्छिक संगठनों की स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24
2.	असम	14
3.	बिहार	33
4.	दिल्ली	4
5.	गुजरात	25
6.	हरियाणा	7
7.	हिमाचल प्रदेश	4

1	2	3
8.	जम्मू और काश्मीर	1
9.	कर्नाटक	4
10.	केरल	1
11.	मध्य प्रदेश	8
12.	महाराष्ट्र	71
13.	मणिपुर	3
14.	उड़ीसा	87
15.	राजस्थान	15
16.	तमिलनाडु	14
17.	उत्तर प्रदेश	39
18.	पश्चिम बंगाल	8
	कुल	362

विवरण-II

15 जुलाई, 1992 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को संस्वीकृत राशि के ब्यौरे

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम	संस्वीकृत अनुदान की राशि (लाख रु० में)
1	2	3
1.	अंत्योदया चेतना केन्द्र, उड़ीसा	1,28,740/-
2.	कांग्रेगेशन आफ दि सिस्टर्स आफ दी क्रास ऑफ छावनोद, तमिलनाडु	1,20,040/-
3.	जनता कल्याण समिति, हरियाणा	2,22,035/-
4.	महिला शिशु कल्याण प्रतिष्ठान, बिहार	1,20,300/-
5.	टैगोर ग्रामीण विकास सोसायटी, उड़ीसा	4,45,800/-
6.	बिनोवा आरोग्य एवं लोक शिक्षण केन्द्र, बिहार	2,75,255/-
7.	गौरीपुर विवेकानंद क्लब, असम	1,20,262/-
8.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, बिहार	2,76,428/-
9.	निर्माण न्यास, गुजरात	47,178/-
10.	ग्राम विकास संस्था, आंध्र प्रदेश	38,730/-
11.	लोक विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	6,19,800/-

1	2	3
12.	"प्रिपेअर", उड़ीसा	2,20,183/-
13.	श्री सत्य साई सेवा समिति, उड़ीसा	1,20,040/-
14.	जगरूत श्रमिक संगठन, उड़ीसा	2,13,214/-
15.	अखिल भारतीय शहरी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, जम्मू	52,125/-
16.	गायत्री शिक्षण समाज, गुजरात	93,550/-
17.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, महाराष्ट्र	43,834/-
18.	आंचलिक कुन्जेश्वरी सांस्कृतिक संसद, उड़ीसा	1,28,296/-
19.	जन शिक्षण केन्द्र, बिहार	67,823/-
20.	भोरूका चेरिटेबल ट्रस्ट, राजस्थान	2,04,342/-
21.	वनवासी सेवा केन्द्र, बिहार	1,26,709/-
22.	आदिवासी सहज शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र	60,150/-
23.	समाज उन्नति शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र	60,132/-
24.	जीवनधारा विद्यापीठ, कर्नाटक	59,125/-
25.	प्रखण्ड लोक विकास समिति, बिहार	3,624/-
26.	मीनाक्षी इल्लम पोतुनाला केलवी संगम, तमिलनाडु	60,150/-
27.	अंत्योदया चेतना मंडल, उड़ीसा	74,385/-
28.	राजऋषि श्री छत्रपति साहु शिक्षण प्रसारण मंडल, महाराष्ट्र	59,027/-
29.	शिक्षा समिति डी०ए०बी० प्रशिक्षण कालेज, हरियाणा	3,08,166/-
30.	डा० एन्त्री बेसेंट महालीर मंदरम, तमिलनाडु	66,525/-
31.	विद्या महासभा कन्या गुरूकुल विद्यालय, हरियाणा	4,79,059/-
32.	ग्रामीण शिक्षा संस्था, आंध्र प्रदेश	2,22,900/-
33.	सरस्वतम, गुजरात	2,22,900/-
34.	मध्यम, उत्तर प्रदेश	1,19,361/-
35.	ग्राम विकास सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	59,960/-
36.	साहित्य सेवा मण्डल, महाराष्ट्र	60,046/-
37.	गांधी सेवाश्रम, उड़ीसा	1,09,540/-
38.	जिला महिला जागृति परिषद, राजस्थान	60,012/-
39.	लक्ष्मी एजूकेशन सोसाइटी, हरियाणा	2,40,018/-
40.	पार्थ विद्या प्रसारण मंडल, महाराष्ट्र	1,19,301/-
41.	नेहरू बाल समिति, नई दिल्ली	1,14,695/-

पश्चिम रेलवे (गुजरात) की रेलवे लाइनों को बदलना

1975. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के कुछ मीटर गेज और नैरो गेज की लाइनों को ब्रोड गेज में बलदने के लिए गुजरात सरकार और अन्य लोक प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों और मांगों का ब्यौरा क्या है और ये मांगें और प्रस्ताव कब प्राप्त की गई थी;

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर किए गए इंजीनियरी, यातायात और वाणिज्यिक सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इनको बदलने के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं और तत्संबंधी योजनाओं, प्रस्तावों और खर्च का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित लाइनों के आमान परिवर्तन की मांग प्राप्त हुई है:—

(i) राजकोट-वेरावल मीटर लाइन का बड़ी लाईन में बदलाव;

(ii) सुरेन्द्रनगर-भावनगर, वांकानेर-नवलाखी और गांधीधाम-भुज मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन खण्ड में बदलाव;

(iii) केवाडिया खंड (नर्मदा बांध स्थल) सहित प्रतापनगर-छोटा उदयपुर छोटी लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव और इसका इंदौर तक विस्तार।

(ग) और (घ) रेलवे ने मीटर/छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है।

परिचालनिक/सामरिक महत्व के आधार पर 11000 कि०मी० की पहचान की गई है जिसमें से 6,000 कि०मी० का बदलाव आठवीं योजना में किया जाएगा।

राजकोट-वेरावल और अहमदाबाद-दिल्ली मीटर लाइन खंड का सर्वेक्षण कर लिया गया है और इसे आठवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की कार्य योजना मे शामिल कर लिया गया है।

सुरेन्द्रनगर-भावनगर, प्रतापनगर-छोटा उदयपुर, वांकानेर-नवलाखी और गांधीधाम-भुज खंडों के बारे में अगले चरणों में आमान परिवर्तन के लिए खंडों का निर्धारण करते समय अन्य लाइनों के साथ विचार किया जाएगा। प्रतापनगर-छोटा उदयपुर और गांधीधाम-भुज खंडों के लिए विगत मे किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चला था कि इनसे अपर्याप्त प्रतिफल प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

स्तन कैंसर

1976. **डा० परशुराम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिशुओं को स्तनपान न कराने वाली माताओं को कैंसर होने की संभावना अधिक होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार देश में स्तन कैंसर की जांच के लिए क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोषाहार कार्यक्रम

1977. **श्री महेश कनोडिया:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीनों के दौरान पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने बच्चे लाभन्वित हुए;

(ख) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) इस संबंध में गांवों में रहने वाले बच्चों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी): (क) पिछले छः महीनों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्ता बच्चों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	बच्चों की संख्या
1.	समेकित बाल विकास सेवा	148.00 लाख प्रतिदिन
2.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	2.29 लाख प्रतिदिन
3.	शिशुगृह	3.05 लाख प्रतिदिन
4.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	213.00 लाख प्रतिदिन

इन कार्यक्रमों के अलावा कई राज्य सरकारें भी विशेष पोषाहार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं।

(ख) राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य सामग्री के अलावा वर्ष 1992-93 के दौरान इन प्रमुख कायक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित नियतन किए गए हैं:

(I)	समेकित बाल विकास सेवा	271.74 करोड़ रुपये
(II)	गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	25 करोड़ रुपये
(III)	बालवाडी पोषाहार कार्यक्रम	8.67 करोड़ रुपये
(IV)	शिशु गृह कार्यक्रम	23.05 करोड़ रुपये

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सहित पोषाहार कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत परिव्यय -266.68 करोड़ रुपये

(ग) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों में आने वाले 6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को पूरक पोषाहार दिया जाता है। चयन मानदण्डों के अन्तर्गत उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिन का वजन सामान्य बच्चों के वजन की तुलना मे कम होता है।

बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 3—5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

शिशुगृह कार्यक्रम के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को कवर किया जाता है जिनके माता-पिता की कुल मासिक आय 1800 रुपये से अधिक नही होती।

"पोडु" की खेती

1978. **डा० विश्वानाथम कैनिथी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार कितनी भूमि "पोडु" की खेती के अन्तर्गत आती है; और

(ख) "पोडु" की खेती को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पौडु की खेती, जिसे सामान्यतः झूम खेती के रूप में जाना जाता है, देश के 11 राज्यों में 43.56 लाख है, पर की जाती है। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

		क्षेत्र लाख है० में
1.	आंध्र प्रदेश	1.500
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.100
3.	असम	1.392
4.	बिहार	0.810
5.	मध्यप्रदेश	1.250
6.	मणिपुर	3.600
7.	मेघालय	2.650
8.	मिजोरम	1.890
9.	नागालैंड	0.768
10.	उड़ीसा	26.490
11.	त्रिपुरा	1.115
	कुल	43.565

(ख) राज्य सरकारें झूम खेती के नियंत्रण के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रही हैं तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार, 9 राज्यों में 26,532 परिवारों को फिर से बसाया जा रहा है। राज्य सरकारों को इस स्कीम को आठवीं योजना में जारी रखने की सलाह दी गई है हांलाकि इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

1979. **श्री देवी बक्स सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 17 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार तथा राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 18 श्रेणियों के तहत कुल 1676 ईकाइयों को अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में अधिनिर्धारित किया गया है। श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य-वार			श्रेणी-वार		
क्र०सं०	राज्य	ईकाइयों की संख्या	क्र०सं०	श्रेणी	ईकाइयों की संख्या
1.	असम	14	1.	अल्यूमिनियम प्रगालक	09
2.	आंध्र प्रदेश	238	2.	कास्टिक सोडा	23
3.	बिहार	65	3.	सीमेंट	124
4.	दमन और द्वीप	6	4.	कोपर प्रगालक	02
5.	गोआ	7	5.	डाईज और इन्टरमीडिएटस	65
6.	गुजरात	165	6.	किण्वन	175
7.	हरियाणा	49	7.	उर्वरक	124
8.	हिमाचल प्रदेश	9	8.	समन्वित लोहा और इस्पात	07
9.	कर्नाटक	84	9.	चर्म	93
10.	केरल	28	10.	तेलशोधक	12
11.	महाराष्ट्र	357	11.	कीटनाशक	80
12.	मध्य प्रदेश	69	12.	पेट्रो-रसायन	73
13	उड़ीसा	34	13.	औषध	269
14.	पंजाब	47	14.	लुग्दी व कागज़	80
15.	राजस्थान	46	15.	चीनी	387
16.	तमिलनाडु	101	16.	सल्फ्यूरिक एसिड	70
17.	संघशासित क्षेत्र दिल्ली	5	17.	ताप-विद्युत संयंत्र	79
18.	संघशासित क्षेत्र चण्डीगढ़	1	18.	जस्ता प्रगालक	04
19.	उत्तर प्रदेश	279			
20.	संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी	11			
21.	पश्चिम बंगाल	61			

[अनुवाद]

खाद्य मितव्ययिता प्रबन्धन संबंधी कार्यक्रम

1980. **श्री बापू हरि चौरे:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्यान्नों के अपेक्षाकृत अधिक मूल्यों, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हेतु कम भंडार और कृषि निवेश में अधिक कमी आने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र के उभरते मामलों पर विचार करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की कोई बैठक बुलाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए खाद्य मितव्ययिता प्रबंधन हेतु कोई समन्वित कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) यद्यपि, खाद्यान्नों के मूल्यों पर दबाव है और केन्द्रीय पूल में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम स्टाक है, लेकिन सरकार ने कृषि में पूंजी निवेश में कमी नहीं की है।

(ख) खाद्य मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार उत्पादन, मूल्य नीति, वसूली, प्राथमिकता के कार्यक्रमों के अधीन वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु बफर स्टाक का अनुरक्षण करने आदि जैसे खाद्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और इस कार्य से संबंधित विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय बनाए रखा जाता है।

[हिन्दी]

गया और धनबाद के बीच माल की चोरी और रेल दुर्घटनाएं

1981. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान हावड़ा-कोडरमा रेल लाइन पर गया और धनबाद के बीच कितने मूल्य के माल की चोरी हुई और कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई तथा इन दुर्घटनाओं के कारण कितना नुकसान हुआ;

(ख) क्या इन मामलों की कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इनमें कितने जी० आर० पी० कर्मी तथा कितने रेलवे कर्मचारी शामिल पाये गये और कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान हावड़ा-कोडरमा लाइन पर गया और धनबाद के बीच चुराये गये सामान का मूल्य नीचे दिया गया है:—

वर्ष	चुराये गये सामान का मूल्य
1990-91	1,35,025/-रुपये
1991-92	5,93,299/-रुपये

1990-91 और 1991-92 के दौरान गया और धनबाद के बीच क्रमशः 14 और 13 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। रेल सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान क्रमशः 150.89 लाख रुपये और 28.74 लाख रुपये लगाया गया है।

(ख) जी हां

(ग) चूंकि इनमें कोई राजकीय रेलवे पुलिस अथवा रेल कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त नहीं पाया गया था इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

अनुवाद

बंगलौर-मैसूर-बंगलौर रेल सेवा

1982. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगलौर-मैसूर-बंगलौर रेल सेवा बंद कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क)और(ख) बेंगलौर-मैसूर खंड पर आमान परिवर्तन कार्य अंतिम चरण में होने के कारण गाड़ी सेवाएं 5.6.92 से अस्थायी रूप से बंद कर दी गयी हैं।

कोंकण रेलवे परियोजना

1983. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोंकण रेलवे परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई और इस परियोजना को पूरा करने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख)क्या सभी चार राज्यों में इस प्रयोजनार्थ भूमि पर कब्जा किया जा चुका है;

(ग)यदि नहीं, तो कितनी जमीन पर कब्जा किया जाना बाकी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ)इस परियोजना पर, विशेष रूप से गोआ में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) अभी तक 425 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। परियोजना को पूरा करने के लिए 1991-92 के प्रचलित मूल्यों के आधार पर 960 करोड़ रुपयों की राशि की आवश्यकता है। इसमें उधार ली गई राशि पर देय ब्याज की राशि शामिल नहीं है।

(ख)और(ग) नई कोंकण रेलवे लाइन तीन राज्यों यथा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। इन तीनों राज्यों में पड़ने वाले संरेखण की कुल लम्बाई और इनकी सहमति द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	कुल	अधिगृहीत की गई
महाराष्ट्र	382 कि०मी०	341 कि०मी०
गोवा	105 कि०मी०	69 कि०मी०
कर्नाटक	273 कि०मी०	159 कि०मी०

(घ) समग्र वास्तविक प्रगति—25%

गोवा-वास्तविक प्रगति—10%

शिशु मृत्यु दर

1984. **श्री विजय एन० पाटील:**
श्री एन० डेनिस:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान शिशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम से 0-4 वर्ष के आयु वर्ग में मृत्यु-दर कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जिसमें सभी नवजात शिशुओं (एक वर्ष तक की आयु के) को 6 वैक्सीन-निवार्य रोगों अर्थात् डिप-थीरिया, कालीखांसी, टेटनस, क्षयरोग, पोलियों और खसरे से प्रतिरक्षित करने का उल्लेख है, को 1985 में 31 जिलों में शुरू करके क्रमिक रूप में शुरू किया गया और इसे 1989-90 में सारे देश में व्यापक रूप से लागू कर दिया गया। नवजात शिशुओं (1 वर्ष की आयु तक के) की मृत्यु-दर में, जो 1985 में 57 प्रति हजार जीवित जन्मों से हर वर्ष शनैः-शनैः घट रही थी, रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सर्वव्यापीकरण के बाद हर वर्ष ग्यारह प्वाइंट की महत्वपूर्ण कमी हुई जो 1989 में 91 से घटकर 1990 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 80 हो गई। तथापि केवल 1988 के शिशुओं (0-4 वर्ष की आयु) की मृत्यु दर के नवीनतम अनुमान उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता है कि इसमें आंशिक कमी हुई है और यह इस आयु समूह के बच्चों में 1986 में 36.6 से घटकर 1989 में प्रति हजार जनसंख्या पर 33.3 हो गई है।

(ख) प्रमुख राज्यों के बारे में भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986, 1987 और 1988 की शिशु मृत्यु दर और वर्ष 1988, 1989 और 1990 की नवजात शिशु मृत्यु दर के नवीनतम अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रमुख राज्य की अनुमानित शिशु मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर

क्रम सं॰	प्रमुख राज्य	शिशु मृत्युदर			नवजात शिशु मृत्युदर		
		1986	1987	1988	1988	1989	1990
1.	आंध्र प्रदेश	29.1	27.0	27.0	83.0	81.0	70.0
2.	असम	40.4	36.2	37.2	99.0	91.0	76.0
3.	बिहार	43.3	40.0	38.0	97.0	91.0	75.0
4.	गुजरात	37.4	33.3	30.9	90.0	86.0	72.0
5.	हरियाणा	29.1	28.1	29.4	90.0	82.0	89.0
6.	हिमाचल प्रदेश	27.1	22.3	23.7	80.0	75.0	69.0
7.	जम्मू व कश्मीर	29.0	20.1	25.0	71.0	66.0	70.0
8.	कर्नाटक	24.5	25.1	24.1	74.0	80.0	70.0
9.	केरल	8.1	7.6	7.7	28.0	21.0	17.0
10	मध्य प्रदेश	50.0	49.5	51.0	121.0	117.0	111.0
11.	महाराष्ट्र	20.6	21.1	22.3	68.0	59.0	58.0
12.	उड़ीसा	43.9	47.6	37.2	122.0	121.0	122.0
13.	पंजाब	24.1	20.4	21.4	62.0	64.0	61.0
14.	राजस्थान	41.4	40.5	51.8	103.0	96.0	84.0
15.	तमिलनाडु	25.1	23.2	21.4	74.0	68.0	59.0
16.	उत्तर प्रदेश	54.3	52.0	46.7	124.0	118.0	99.0
17.	पंश्चिम बंगाल	25.6	24.3	22.4	69.0	77.0	63.0
	भारत	36.0	35.2	33.3	94.0	91.0	80.0

दिल्ली में रेलवे की भूमि

1985. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में रेलवे भूमि की बिक्री करने/उसका वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा एवम् इस प्रयोजनार्थ रेलवे भूमि का किन-किन स्थानों पर कुल कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है; और

(ग) यह कार्य कब शुरू किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना

1986. **श्री सत्य देव सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विकसित देशों की तुलना में देश में रेलगाड़ियों की गति बहुत कम है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सभी रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) भारत में बड़ी लाइन पर यात्री गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार 110 कि०मी० प्रति घंटा है। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रतिष्ठित गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार 130 और 140 कि०मी० प्रति घंटा है। बहरहाल, भारत में गाड़ियों की रफ्तार कई विकसित देशों की गाड़ियों की रफ्तार से कम है।

(ख) और (ग) रेलों द्वारा यात्री गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों की रफ्तार से संबंधित आंकड़े रखे जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण और परीक्षण किए जाते हैं।

(घ) मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों की रफ्तार में कोई विशेष वृद्धि करने का विचार नहीं है क्योंकि लाइन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों की रफ्तार में अंतर कम करने का इरादा है।

[अनुवाद]

रेलवे में संसाधनों का अभाव

1987. **श्री रूपचन्द पाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में संसाधनों का भारी अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की समग्र रूप से कमी है जिसका रेलें भी सामना कर रही हैं।

(ग) समिति उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत, महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के बीच के अंतर को आंशिक रूप से बाजार से ऋण लेकर कम किया जाता है।

भारत में जनजातियों के बारे में सर्वेक्षण

1988. **श्री परसराम भारद्वाज:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में जनजातियों और उनकी संस्कृति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) भारत में जनजातियों और उनकी संस्कृति के बारे में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि, भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण ने "भारत के लोग" नामक परियोजना के एक भाग के रूप में भारत में कुछ जनजातियों का अध्ययन किया है।

(ख) अध्ययन की गई जनजातियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	अध्ययन की गई जनजातियों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6
आंध्र प्रदेश	43
अरुणाचल प्रदेश	67
असम	28
बिहार	26
दादर और नगर हवेली	6
दमन व दीव	3
गुजरात	31
हिमाचल प्रदेश	13
जम्मू व कश्मीर	11
कर्नाटक	18
केरल	33
लक्षद्वीप	7
मध्य प्रदेश	75
महाराष्ट्र	47
मणिपुर	22
मेघालय	14

राज्य	अध्ययन की गई जनजातियों की संख्या
मिजोरम	16
नागालैंड	20
उड़ीसा	55
राजस्थान	14
सिक्किम	6
तमिलनाडु	24
त्रिपुरा	20
उत्तर प्रदेश	5
पश्चिम बंगाल	29
कुल:	639

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम में शिक्षकों की रिक्तियां

1989. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के कई स्कूलों में शैक्षिक वर्ष 1992-93 की शुरुआत से ही अध्यापकों और मुख्याध्यापकों के कई पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खाली पदों को भरने के लिए प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने वाले हैं ताकि स्कूलों में पढ़ाई में हो रही रुकावट को दूर किया जा सके?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है:—

नई दिल्ली नगर पालिका

नीचे दर्शाये गए 68 पद रिक्त हैं:

1. उप प्रधानाचार्य	—	2
2. टी०जी०टी० एस० सी० 'क'	—	10
3. टी०जी०टी० (सामान्य) आदि	—	11
4. सहायक अध्यापक	—	22
5. कनिष्ठ संगीत शिक्षक	—	5
6. नर्सरी अध्यापक	—	2
7. उर्दू अध्यापक	—	2

8. पी०जी०टी०	—	1
9. कार्य अनुभव शिक्षक	—	4
10. एच०एम० नर्सरी स्कूल	—	1
11. हेडमास्टर राइमरी स्कूल	—	8
		कुल: 68

नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उप-प्रधानाचार्य, टी०जी०टी० (एस०सी० 'क') टी०जी०टी० (सामान्य), सहायक अध्यापक और कनिष्ठ संगीत शिक्षक के पदों के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। अन्य पदों के मामले में नई दिल्ली नगर पालिका ने रोजगार कार्यालय से मांग करके और विभागीय प्रोन्नति समिति आयोजित करके कार्रवाई की है।

दिल्ली नगर निगम

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इनके स्कूलों में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के 1500 पद रिक्त हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने इन अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की है। तब तक अध्यापकों को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो।

रेल लाइन का कपिल मुनि आश्रम तक विस्तार

1990. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सहायता के लिए पश्चिम बंगाल में डायमंड हारबर से सुन्दरवन में सागर द्वीप स्थित कपिल मुनि आश्रम तक रेल लाइन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या

1991. **श्री रमेश चेन्निथला:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) प्रति सैक्शन विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या को, जो 35 से 40 तक है, बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, जब नए सेक्शन या नए स्कूल शामिल किए जाते हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बढ़ जाती है।

उत्तर प्रदेश में गर्भाधान-दर को नियंत्रित करने सम्बंधी कार्यक्रम

1992. **श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गर्भाधान-दर को नियंत्रित करने के कार्यक्रम के लिए यू॰ एस॰ए॰ आई॰ डी॰ के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिये कितनी धन-राशि नियत की गई है;

(ग) इस कार्यक्रम में किन गर्भ-निरोधक साधनों के उपयोग का प्रचार किया जायेगा;

(घ) क्या इन सभी साधनों की स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की दृष्टि से पर्याप्त जांच कर ली गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त 3250 लाख डालर की सहायता की एक पेशकश के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए "परिवार नियोजन सेवाओं का नवीकरण" नामक एक परियोजना तैयार की जा रही है। यह परियोजना दस वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी जो इसके वास्तविक क्रियान्वयन की तारीख से लागू होगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यू॰एस॰ एड के साथ औपचारिक करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ग) से (ङ) इस परियोजना के अंतर्गत केवल उन्हीं गर्भ निरोधकों को उपयोग में लाया जाएगा जिन्हें देश में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वीकृत किया जाता है।

अरावली पर्वत

1993. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी:**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर(दीपा):

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान और हरियाणा के अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में वनों की कटाई का प्रतिकूल प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा इसके कारण मरुभूमि क्षेत्र में वृद्धि हो गई है;

(ख) राजस्थान और हरियाणा के किन-किन जिलों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या टूरिज्म एन्ड वाइल्ड लाइफ सोसायटी आफ इंडिया ने इस संबंध में ठोस कदम उठाने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान और हरियाणा के 20 जिलों में भूमि और वनों पर जैविक दबाव तथा खनन कार्यों के कारण अरावली पर्वत माला की पारि-प्रणाली के अवक्रमण की रिपोर्ट मिली है। मरुस्थली-करण एक लम्बी प्रक्रिया होने के नाते, मरुस्थल क्षेत्र बढ़ा हो या नहीं इस पर वैज्ञानिक विचारों में मतभेद है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

1994. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश के शैक्षिक सबसे पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे जिलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वयन के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन जैसे कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक-शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है।

सम्पूर्ण राज्य को आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना के तहत शामिल किया गया है। 12 जिलों को पूर्ण साक्षरता अभियानों के तहत पूर्ण रूप से शामिल किया गया है; 10 जिलों के भागों को उसी प्रकार शामिल किया गया है।

विवरण

1981 जनगणना के अनुसार उन जिलों की सूची जिनमें साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 36.23% (सभी व्यक्तियों) से नीचे है

राज्य का नाम	क्रम सं०	जिलों का नाम	साक्षरता दर
आन्ध्र प्रदेश	1.	श्रीकाकुलम	22.72
	2.	विजीआनागारम	21.74

राज्य का नाम	क्रम सं॰	जिलों का नाम	साक्षरता दर
	3.	विशाखापटनम	27.83
	4.	पूर्व गोदावरी	35.31
	5.	गुंटुर	36.06
	6.	प्रकासम	29.39
	7.	नेलौर	32.16
	8.	चित्तूर	31.85
	9.	कुदप्पाह	31.11
	10.	आनंतपुर	29.02
	11.	कुरनूल	28.73
	12.	महबूबनगर	19.42
	13.	रंगारेड्डी	29.41
	14.	मेडक	21.53
	15.	निज़ामाबाद	21.73
	16.	अदिलाबाद	18.79
	17.	करीमनगर	21.50
	18.	वारांगल	23.55
	19.	खामाम्म	25.59
	20.	निलगोंडा	22.44

गैर-लेवी चीनी की बिक्री के लिए फार्मूला

1995. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई फार्मूला बनाया गया है जिससे चीनी मिलों की गैर-लेवी वाली चीनी के अतिरिक्त मूल्य में गन्ना उत्पादकों को हिस्सा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो इस फार्मूला का ब्यौरा क्या है और इसके संघटक क्या-क्या हैं;

(ग) यह फार्मूला किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5-क के उपबंधों के अनुसार गन्ना उत्पादक, निर्धारित न्यूनतम गन्ना कीमत के अतिरिक्त, अतिरिक्त कीमत पाने के पात्र हैं, यदि उक्त आदेश की दूसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार यह कीमत देय पायी जाती है।

(ख) फार्मूला तथा इसके संघटकों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार प्रत्येक चीनी मौसम के लिए चीनी की क्षेत्रवार प्रति क्विंटल युनिट लागत की सूचना राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजती है कि वे अपने राज्य की चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने की अतिरिक्त कीमत का निर्धारण करें तथा संबंधित गन्ना उत्पादकों को तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करें।

विवरण

दूसरी अनुसूची

(खंड 5-क देखें)

चीनी उत्पादकों द्वारा खंड 5-क के तहत अतिरिक्त कीमत के रूप में (प्रति क्विंटल गन्ने पर) देय राशि का परिकलन निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जाएगाः

$$\text{एक्स} = \frac{\text{आर} - \text{एल} + 2\text{ए} + \text{बी}}{2\text{सी}}$$

फार्मूले की व्याख्या इस प्रकार हैः—

1. "एक्स" से तात्पर्य चीनी उत्पादकों द्वारा किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने पर देय अतिरिक्त कीमत (रुपयों में) से है;

2. "आर" से तात्पर्य क्रेता द्वारा फैक्ट्री को भुगतान किए गए यद भुगतान किए जाने वाले उत्पाद शुल्क को छोड़कर चीनी वर्ष के दौरान उत्पादित चीनी की कीमत (रुपयों में) से है;

3. "एल" से तात्पर्य चीनी वर्ष के दौरान उत्पादित चीनी की कीमत (रुपयों में) से है। जिसकी गणना प्रति क्विंटल एक्स फैक्ट्री यूनिट लागत, खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम गन्ना कीमत के संबंध में निर्धारित

किए गए उत्पाद शुल्क को छोड़कर, वर्ष के अंतिम कार्य परिणामों और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई लागत अनुसूची एवं लाभ के आधार पर की जाती है;

4. "ए" से तात्पर्य पिछले वर्ष के लिए देय पायी गई लेकिन उप खंड (9) के तहत वास्तव में भुगतान न की गई राशि से है;

5. "बी" से तात्पर्य वर्ष के दौरान उत्पादित चीनी के बिना बिके स्टॉक की वास्तविक बिक्री से हुई वसूली में बढोतरी या कमी से है जिसे 30 सितंबर को नीचे मद सं॰ 7 (II) के तहत अगले वर्ष की बिक्री वसूली में आगे लाया जाता है तथा समायोजित कर दिया जाता है;

6. "सी" से तात्पर्य चीनी वर्ष के दौरान चीनी उत्पादकों द्वारा खरीदे गए गन्ने की मात्रा (क्विंटल में) से है;

7. व्याख्या 2 में उल्लिखित राशि "आर" का परिकलन निम्न प्रकार किया जाएगा:—

(I) चीनी वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल की गई राशि; और

(II) 30 सितंबर को शेष बचे चीनी के बिना बिके स्टॉक की अनुमानित कीमत का परिकलन खुली बिक्री चीनी के स्टॉक के मामले में 16 सितंबर से 30 सितंबर के पखवाड़े के दौरान बिक्री की औसत दर के आधार पर तथा लेवी चीनी के स्टॉक के मामले में 30 सितंबर को लेवी चीनी की अधिसूचित कीमत के आधार पर किया जाएगा।

व्याख्या:—इस अनुसूची में "चीनी" से तात्पर्य चीनी के किसी भी रूप से है जिसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा सुक्रोज तत्व हों।

आन्ध्र प्रदेश में शिक्षा प्रसार योजना (ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड)

1996. **श्री के॰पी॰ रेड्डय्या यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा प्रसार योजना (ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना) का आन्ध्र प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में आंध्र प्रदेश के लिये पिछले वर्ष, जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितनी धनराशि निर्धारित की गयी थी; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान इन लक्ष्यों की प्राप्ति कहां तक हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) 30 सितम्बर, 1986 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश से समस्त जिलों में विद्यमान सभी प्राथमिक स्कूलों को इस योजना में शामिल करने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष-वार अथवा जिला-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। इस योजना की चरणबद्धता राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता है। अब तक वर्ष

1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1991-92 में आंध्र प्रदेश राज्य के सभी जिलों से 43306 स्कूलों को शामिल कर चारों चरणों की संस्वीकृति दे दी गई है।

फरवरी, 1992 के दौरान योजना के चारों चरणों को संस्वीकृति प्रदान कर दी गई। संस्वीकृत प्रस्ताव के ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(i) **क्षेत्र विस्तार**

शामिल किए गए स्कूल 17148

(ii) **उपकरण**

संस्वीकृत की गई धनराशि
13,60,00,000 रु०

(iii) **शिक्षक**

संस्वीकृत पदों की संख्या
9004

(iv) **निर्माण**

कक्षा, कक्षों की संख्या जिनका निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
17506

व्यय में कटौती संबंधी समिति

1997. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने व्यय में कटौती करने संबंधी उपायों का सुझाव देने के बारे में कई उपसमितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये उपसमितियां अपनी रिपोर्ट कब तक दे देंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आमदनी बढ़ाकर तथा खर्च पर नियंत्रण रखकर परिचालन अनुपात में सुधार करने के लिए रेलों पर एक कार्य योजना शुरू की गई है। इस कार्य योजना पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

असम में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

1998. **श्री प्रबीन डेका:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम के शैक्षिक रूप से पिछड़े उन जिलों के नाम क्या है जो असम के औसत साक्षरता स्तर से नीचे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) एवं संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): साक्षरता आंकड़े का मुख्य स्त्रोत दसवार्षिक जनगणना है। वर्ष 1981 में असम में कोई जनगणना

नहीं की गई। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल मिलाकर असम की साक्षरता दर 53.42 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना की जिलावार साक्षरता दरें अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं।

जंगलों की कटाई

1999. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री ललित उरांव:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन साल के दौरान वनों की भारी कटाई हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने पेड़ों को गिराया गया है और इस अवधि के दौरान कितना इलाका वनों की कटाई के कारण खाली हो गया है; और

(घ) वनरोपण कार्यक्रमों के तहत पेड़ लगाए जाने का कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान (1989—91) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.03 लाख हेक्टेयर के पुराने कब्जों सहित 1.60 लाख हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है।

(घ) केन्द्र सरकार क्षतिपूरक वनरोपण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। मंत्रालय के लखनऊ, शिलांग, भोपाल, भुवनेश्वर, बंगलौर और चण्डीगढ़ स्थित छः क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये भी निगरानी की जा रही है।

बाल सुरक्षा संबंधी आयोग

2000. **डा० वी० राजेश्वरन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश पर बच्चों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए एक आयोग गठित किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं, और

(ग) आयोग द्वारा अपना कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी): (क) से (ग) 21 दिसम्बर, 1991 को प्रवृत्त संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा में बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोग की स्थापना की कोई सिफारिश नहीं की गई है। परन्तु , बाल अधिकार घोषणा में बच्चों के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य पक्षों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक "बाल अधिकार समिति" की स्थापना का प्रावधान अवश्य किया गया है। इस बाल अधिकार समिति की स्थापना की जा चुकी है। भारत सरकार ने भी एक राष्ट्रीय बाल कार्य योजना अनुमोदित कर दी है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बिजली के इंजनों का निर्माण

2001. **श्री राजेश कुमार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने बिजली के इंजनों का निर्माण किया गया; और

(ख) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापित वार्षिक क्षमता कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बनाए गए बिजली रेल इंजनों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

1989-90	105
1990-91	110
1991-92	115

(ख) 100 बिजली रेल इंजन प्रति वर्ष स्थापित क्षमता बढ़ाकर प्रथम चरण में 120 बिजली रेल इंजन प्रति वर्ष तथा दूसरे चरण में 150 बिजली रेल इंजन प्रतिवर्ष करने के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

छितौनी बेगहा में पुल

2002. **श्री मोहन सिंह (देवरिया):** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के छितौनी बगहा में रेल और सड़क पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) इस परियोजना को 1995-96 में पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते हिस्सेदारों द्वारा धन की व्यवस्था की जाये।

(ख) 31.3.92 तक लगभग 30.60 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित परिव्यय की राशि 86.00 करोड़ रुपये है जिसमें से रेलों ने अपने हिस्से के 15.05 करोड़ रूपयों की राशि की व्यवस्था कर दी है। शेष राशि की व्यवस्था अन्य हिस्सेदारों यथा उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की जानी है।

[अनुवाद]

हृदय की बाय-पास शल्य चिकित्सा के लिए सुविधाएं

2003. **श्री अनन्तराव देशमुख:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में अस्पताल-वार किन-किन अस्पतालों में हृदय की बाय-पास शल्य चिकित्सा के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या ये सुविधाएं अमरीका में ह्यूस्टन जैसे उन्नत विदेशी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के समकक्ष है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ): (क) भारत के ऐसे कुछ प्रमुख अस्पताल निम्नलिखित हैं जहां पर कोर्डियो-बाय-पास सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं:

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2. गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली
3. बत्रा अस्पताल, नई दिल्ली
4. एस्कॉर्ट हार्ट इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली
5. अपोलो अस्पताल, मद्रास
6. बिड़ला हार्ट इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता
7. तिरूनेल हेल्थ इन्स्टिट्यूट, त्रिवेन्द्रम
8. के॰ई॰एम॰ अस्पताल, बम्बई
9. जसलोक अस्पताल, बम्बई

(ख) और (ग) भारत में कार्डियो-बाय-पास सर्जरी की सुविधाएं विश्व में उन्नत विदेशी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के समकक्ष हैं।

उत्तर रेलवे में स्टेशनों की मरम्मत

2004. **श्री कमल चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90 तथा 1991 के दौरान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में उत्तरी रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों की मरम्मत की गई और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान पंजाब और हरियाणा में कुछ और रेलवे स्टेशनों की मरम्मत करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) 1989-91 की अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जिन रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया गया है उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

राज्य	स्टेशन का नाम	खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)
पंजाब	1. भटिंडा	3.50
	2. पटियाला	13.50
	3. अलाल	0.50
	4. भावसार	1.00
	5. अमृतसर	47.50

राज्य	स्टेशन का नाम	खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)
	6. जालंधर शहर	45.00
	7. ब्यास	7.24
	8. लुधियाना	3.22
	9. मुकेरियां	3.12
	10. फिल्लौर	4.22
	11. जलालाबाद	2.21
	12. फिरोजपुर छावनी	9.15
	13. फिरोजपुर शहर	9.28
हरियाणा	1. गुड़गांव	3.05
	2. कालका	4.00
	3. हरसन कलां	1.00
	4. कोहंड हाल्ट	0.60
दिल्ली		—

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नए पुल

2005. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:** क्या रेल मंत्री 2 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 220 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान नये रेलवे पुलों के निर्माण के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा रेलवे द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मध्य रेलवे में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में शोलापुर जिले के आसपास उक्त अवधि के दौरान किन-किन नये पुलों का निर्माण किया गया तथा वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन पुलों का निर्माण किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) संभवतः आशय ऊपरी सड़क पुलों से है जिनकी लागत रेलवे और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। ऐसे पुलों पर हुए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	रेलवे द्वारा	राज्य सरकार द्वारा
1989-90	45 लाख रुपये	33 लाख रुपये
1990-91	77 लाख रुपये	97 लाख रुपये
1991-92	108 लाख रुपये	51 लाख रुपये

(ख) तीन वर्ष की अवधि में पूरे किये गए तीन ऊपरी सड़क पुल इस प्रकार हैं:—

1. मानखुर्द-बेलापुर नई लाइन पर नेरूल स्टेशन पर 2 पुल।
2. वर्धा पूर्व स्टेशन के निकट कि॰ मी॰ 761/6-7 पर समपार सं॰ 92/सी के बदले।

कल्याण-करजत लाइन पर अम्बरनाथ में निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुल के 1992-93 में पूरा हो जाने की संभावना है।

कर्नाटक में शिक्षा संस्थानों को अनुदान

2006. **श्री वी॰ धनंजय कुमार:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं; और

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत तीन शिक्षा वर्षों के दौरान कर्नाटक में कार्यरत विभिन्न शिक्षा संस्थानों को दिये गये अनुदान का संस्थावार ब्यौरा क्या है?

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय) शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग शैक्षिक संस्थाओं को, उनके विकास के स्तर, संस्थाओं के आकार और वि॰अ॰आ॰ के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास अनुदान प्रदान करता है।

(ख) आयोग पंच वर्षीय योजना अवधि के आधार पर विकास अनुदान प्रदान करता है। वि॰अ॰आ॰ के कुल बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए और पिछले वर्ष के दौरान संस्वीकृत अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किस्तों में आवंटित राशि संस्वीकृति की जाती है।

चालू योजना अवधि के दौरान कर्नाटक के विश्वविद्यालयों और कालेजों को प्रदान किये गये विकास अनुदान के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

		(रु॰ लाखों में)
(1)	बंगलौर विश्वविद्यालय	20.00
(2)	गुलबर्ग विश्वविद्यालय	15.00
(3)	कर्नाटक विश्वविद्यालय	20.00
(4)	मंगलौर विश्वविद्यालय	15.00
(5)	मैसूर विश्वविद्यालय	25.00
(6)	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	10.00
(7)	उपर्युक्त विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेज	262.21
(8)	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर (सम विश्वविद्यालय)	291.67

उर्दू को प्रोत्साहन

2007. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्दू के प्रोत्साहन संबंधी गुजराल समिति की रिपोर्ट पर अली सरदार जाफरी समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार का कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय) शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजना

2008. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनसंख्या नियंत्रण और लड़कियों के सामाजिक उत्थान हेतु किसी नई योजना को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस योजना को अपनी वित्तीय स्वीकृति दे दी है;

(घ) क्या सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को इसी प्रकार की योजना के कार्यान्वयन का निर्देश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) (क) से(च) गुजरात, महाराष्ट्र तथा हिमाचल जैसे राज्यों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को शान्त करने की दृष्टि से बन्धयकरण के स्वीकारकर्ताओं को जिनकी केवल पुत्रियां ही हैं, दीर्घकालिक परिपक्वता बोण्ड देने की योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य समाज में महिलाओं का स्तर ऊपर उठाना तथा बालिका शिशु का महत्व स्थापित करना भी है। ये राज्य अपने संसाधनों से इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन योजनाओं की उपयोगिता को देखते हुए इस मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं शुरू करने के लिए लिखा है बशर्ते कि उनके संसाधन उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हों।

हरियाणा सरकार से प्राप्त एकीकृत महिला, जनसंख्या और विकास परियोजना को कार्यान्वित करने का एक नवीनतम प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यू० एन० एफ० पी० ए० से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा सभी आयु वर्गों की गरीब महिलाओं को बेहतर शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक स्तर देकर उनकी प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। इन स्थितियों से उम्मीद है कि राज्य में प्रजननता दर में कमी तथा लोगों के भरण पोषण के लिए साधनों और जनसंख्या के बीच संतुलन होगा।

गुरू तेगबहादुर अस्पताल में सुविधाएं

2009. डा॰ जी॰ एल॰ कनौजिया:
श्री गोविंद चंद्र मुंडा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के गुरू तेगबहादुर अस्पताल में बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों के लिए चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी, बिस्तर और अन्य आवश्यक जांच उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने जनता को बेहतर स्वास्थ्य रक्षण सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) गुरू तेग बहादुर अस्पताल में पर्याप्त डाक्टर हैं, यद्यपि परा-चिकित्सा स्टाफ की कुछ कमी का अनुभव किया गया है जिसमें वृद्धि की जा रही है। विशेषीकृत नैदानिक सुविधाओं जैसे सी टी स्कैन, एम आर आई और ई ई जी को छोड़कर, नैदानिक उपकरण उपलब्ध हैं। तथापि, निर्धन रोगियों के लिए ये परीक्षण करवाने के लिए सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाकर निजी नैदानिक केन्द्रों से संपर्क की व्यवस्था करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए अस्पताल की समग्र प्राथमिकताओं और साधनों की उपलब्धता के भीतर समय-समय पर सुविधाओं में वृद्धि की जाती है।

स्नातकोत्तर अध्यापकों का आरक्षित कोटा भरा जाना

2010. श्री मोहन लाल झिकराम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने स्नातकोत्तर अध्यापकों का बकाया आरक्षित कोटा भर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय) शिक्षा विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग में उप मंत्री, (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के 128 पदों और सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 47 पदों की रिक्तियां बकाया हैं। शिक्षकों की रिक्तियां समय-समय पर बढ़ती रहती हैं और इसी कारण उनको भरने की एक निरंतर प्रक्रिया है। सभी पदों को भरने की समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। फिर भी सभी पदों को भरने की सभी कोशिश की जा रही है। दिल्ली प्रशासन ने पहले की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के पदों के लिए अधिसूचना दे दी है जबकि प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों की मांगें

2011. **श्री वी० एस० विजयराघवन:**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):
श्री लाल कृष्ण आडवाणी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और कौन-कौन सी मांगें मान ली गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के समूह "ग" और "घ" के कर्मचारी 13 मई, 1992 से 10 जून, 1992 तक हड़ताल पर थे।

(ग) यह निश्चय किया गया है कि एसोसिएशन की वैध मांगों पर अनुकूल विचार विमर्श करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

निजामुद्दीन से नई रेलगाड़ियां

2012. **कुमारी पुष्पादेवी सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निजामुद्दीन से कुछ ऐसी नई रेलगाड़ियां चलायी हैं अथवा चलाने का विचार है जो मध्य प्रदेश से गुजरती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 92 की समय-सारिणी से सप्ताह में तीन दिन चलने वाली 8301/8302 हजरत निजामुद्दीन-संबलपुर एक्सप्रेस और 9301/9302 हजरत निजामुद्दीन-इन्दौर एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई गई हैं जो मध्य प्रदेश से गुजरेंगी।

[हिन्दी]

आदर्श गांवों का विकास

2013. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ आदर्श गांवों का विकास करने का है; जहां जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाएगा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) इस समय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए देश में आदर्श गांवों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिवा और मुम्बरा स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना

2014. **श्री यशवंतराव पाटिल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 मई, 1992 को मध्य रेलवे के दिवा और मुम्बरा स्टेशनों के बीच कोई रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) क्या वर्ष 1981 में वहां पर कोई बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी और यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 5.3.1981 को दिवा स्टेशन पर एक माल गाड़ी दूसरी माल गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई थी तथापि, 1981 के बाद, 15.5.1992 को हुई दुर्घटना को छोड़कर इन स्टेशनों के बीच बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। 15.5.1992 को हुई दुर्घटना की जांच मध्य क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई है। उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना उपस्करों की खराबी तथा रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

[अनुवाद]

बी॰ डी॰ आर॰ सेक्शन में डीजल इंजन

2015. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार बी॰ डी॰ आर॰ सेक्शन में डीजल इंजन शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) बांकुरा-दामोदर रिवर बी॰ डी॰ आर॰ खंड पर डीजल रेल इंजन शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बांकुरा-दामोदर रेलवे, बांकुरा-दामोदर रिवर रेलवे कंपनी के स्वामित्व में है। रेलें, भारतीय रेल और उक्त कंपनी के बीच हुए करार के अनुसार मात्र रेलवे का संचालन कर रही हैं।

हुसैन सागर झील

2016. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया की किसी विशेषज्ञ समिति ने आंध्र प्रदेश की हुसैन सागर झील में प्रदूषण के पहलू का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या निष्कर्ष निकाला है और क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) सरकार ने हुसैन सागर झील को प्रदूषण मुक्त करने हेतु क्या कारवाई की है अथवा करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में हुसैन सागर लेक के प्रदूषण से निपटने के लिए एक परियोजना से संबंधित सरकारी स्तर की चर्चाओं में भाग लेने के लिए जून, 1992 के दौरान आस्ट्रेलिया इन्टरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंट ब्यूरो के एक प्रि-फीजिबिलिटी मिशन ने भारत का दौरा किया। मिशन ने परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार किया तथा फीजिबिलिटी अध्ययन करने के लिए विस्तृत शर्तें तैयार करने का सुझाव दिया।

(ग) हुसैन सागर लेक के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:

— बहिस्राव गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं तथा उद्योगों को इन मानकों का निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन करने के निदेश दिये गये हैं।

— दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

— विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण तथा निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

— लघु उद्योगों के समूहों को साझा बहिःस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 20% तक की सहायता दी जाती है बशर्ते कि राज्य सरकार भी इसके बराबर का अनुदान दें।

— उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जल के उपयोग पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अंतर्गत जल उपकर लगाया जाता है।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल चालित इंजनों का निर्माण

2017. **श्री प्रकाश वी॰ पाटील:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने डीजल चालित इंजनों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की एककों की संख्या कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या परिणाम निकलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाये गये डीजल इंजनों की संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	संख्या
1989-90	42
1990-91	44
1991-92	45

(ख) जी हां।

(ग) विद्युतीकरण पर अधिकाधिक बल दिए जाने के कारण बिजली रेल इंजनों की अधिक मांग है, इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने, जो रेलवे क्षेत्र में बिजली रेल इंजनों का

निर्माण करने वाला एकमात्र बड़ी इकाई है। में उपलब्ध निर्माण सुविधाओं का उपयोग सर्वप्रथम बिजली रेल इंजनों के निर्माण के लिए किया जाए।

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा कार्य निधि से गुजरात को धनराशि

2018. **श्री काशी राम राणा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे सुरक्षा कार्य निधि (रेलवे सैफ्टी वर्क्स फन्ड) से गुजरात को कितनी धनराशि दी गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेलवे संरक्षा निर्माण कार्य निधि के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार को 52.36 लाख रुपये दिये गये थे।

कोयले की ढुलाई हेतु वैगन

2019. **श्री एन० जे० राठवा:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की सप्लाई के लिए सप्लाई किए गए रेल वैगनों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोयले की सप्लाई के लिए कितने वैगन उपलब्ध कराए गए;

(ग) क्या सरकार का कोयले की सप्लाई सामान्य बनाने के लिए रेल वैगनों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार चालू वर्ष के अंत तक वैगनों की उस संख्या में कितनी वृद्धि करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और 1992-93 के पहले तीन महीनों के दौरान चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से राजस्व अर्जक कोयले की औसत दैनिक ढुलाई नीचे दी गई है:—

1989-90	14989
1990-91	15763
1991-92	171145
अप्रैल 92—जून 92	17435

(ग) से (ङ) रेल द्वारा कोयले की ढुलाई में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1992-93 के लिए राजस्व अर्जक कोयले की ढुलाई का लक्ष्य 157.00 मिलियन टन रखा गया है जो प्रतिदिन 18700 मालडिब्बा के समतुल्य है।

[अनुवाद]

सम्बलपुर-तालचेर रेल लाइन

2020. **श्री लोकनाथ चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सम्बलपुर-तालचेर रेल लाइन के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी;

(ख) परियोजनाओं पर उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) धनराशि का यदि पूरा उपयोग नहीं किया गया हो तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान तालचेर-सम्बलपुर नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए किए गए आवंटन और वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आवंटन	किया गया खर्च
1989-90	10.00	9.17
1990-91	25.00	8.63
1991-92	16.48	16.48

(ग) स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किए गए आंदोलन और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति, जो अब प्राप्त हो गई है, प्राप्त होने में विलम्ब के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। अब निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है।

पुरातत्व वस्तुओं की खुदाई

2021. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दिपा):**
श्री लाल बाबू राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई कार्य के दौरान पाई गई भग्न प्रतिमाओं और अन्य महत्वपूर्ण पुरातत्व वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा ये किन स्थानों पर पाई गई हैं;

(ख) क्या इन स्थानों को ऐतिहासिक प्रतिमाओं के संग्रहालय के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुरातत्व विभाग ने उन स्थानों का खुदाई कार्य बन्द कर दिया है और अनधिकृत खुदाई का कार्य सामान्यतः होता रहता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन स्थानों पर खुदाई का कार्य पुनः शुरु करने तथा अनधिकृत खुदाई को बन्द करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त सूची में दिए गए कुछ स्थलों पर संग्रहालय विकसित किए जा सकते हैं, किंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी सामग्री और कितनी धनराशि उपलब्ध है। संदर्भाधीन स्थलों में से चार स्थलों पर अर्थात् बिहार में वैशाली (कोल्हुआ), कर्नाटक में हम्पी, गोवा और पंजाब में संघोल में पहले से ही स्थल संगरहालय हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त सूची में दिए गए स्थलों पर अनधिकृत उत्खनन-कार्य किए जाने संबंधी कोई सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दृष्टि में नहीं आई है। इसलिए कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(च) उल्लिखित स्थलों पर उत्खनन-कार्य का पुनरारम्भ 'पुरातत्व के केन्द्रीय सलाहकार मंडल की स्थायी समिति' द्वारा केस की छानबीन किए जाने तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिन स्थानों पर उत्खनन-कार्य किया गया है, उनके नामों की सूची

क्र० सं०	स्थल का नाम	महत्वपूर्ण अनुसंधानों का विवरण
1.	आदम, जिला नागपुर महाराष्ट्र	आदि ऐतिहासिक युग के प्राचीन सिक्के, पकी मिट्टी की मोहरें, मुद्रांकनें एवं मूर्तियां, तांबे, लोहे, हड्डी एवं हाथी दांत की वस्तुएं।
2.	बाराबती किला, जिला कटक, उड़ीसा	मध्य काल की मूर्तियां तथा स्थापत्य-संबंधी टुकड़े एवं लोहे के बाणाग्र।
3.	बानारसिहानकलां, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	आदि बौद्ध स्थल एवं स्तूप।
4.	बैतबारी, मेघालय	मंदिरों, किले की चहारदीवारों के संरचनात्मक अवशेष तथा पकी मिट्टी की मूर्तियां।
5.	चारमंगुडु, जिला त्रिचूर, केरल	लगभग प्रथम शताब्दी ईसवी के महापाषाण काल के शवाधान।
6.	दाहपार्वतिया, गोलपाड़ा, असम	छठी शताब्दी ईसवी के ईंटों के संरचनात्मक अवशेष।
7.	दत्त नगर, जिला, शिमला, हिमाचल प्रदेश	प्राचीन मंदिर के स्थापत्य संबंधी अवशेष।
8.	धोलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात	हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित मोहरें, मुद्रांकनें, पकी मिट्टी की मूर्तियां, शंख एवं तांबे के सामान, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के ठप्पे तथा संरचनात्मक अवशेष।
9.	दुल्मी, जिला सिंहभूम, बिहार	मध्य काल के संरचनात्मक अवशेष।

क्र० सं०	स्थल का नाम	महत्वपूर्ण अनुसंधानों का विवरण
10.	गोलबाई सासन, जिला पुरी, उड़ीसा	नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के हड्डियों के सामान और मिट्टी के बर्तन।
11.	गुदनापुर, जिला उत्तरा कन्नड़, कर्नाटक	आठवीं शताब्दी ईसवी के मंदिर के अवशेष, ताम्बे के बर्तन और मिट्टी की मूर्तियां।
12.	दासपुज देवस्थान, जिला गोलपाड़ा, असम	पाल काल के संरचनात्मक अवशेष।
13.	हम्पी, जिला बेल्लारी, कर्नाटक	मध्य काल की प्रस्तर प्रतिमाएं, चुने की बनी मूर्तियां, सिक्के, ठप्पे और संरचनात्मक अवशेष।
14.	कोल्हुआ, वैशाली	7वीं/8वीं शताब्दी ईसवीं के मठ के संरचनात्मक अवशेष और लघु स्तूप।
15.	कर्कभाट, जिला दुर्ग, मध्य प्रदेश	महापाषाण काल के शवाधान, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी।
16.	ललितगिरि, जिला कटक, उड़ीसा	6ठी से 9वीं शताब्दी ईसवीं की बौद्ध प्रतिमाएं, अवशेष मंजूषाएं, मिट्टी के बर्तन और मोहरें।
17.	लाल कोट, दक्षिण दिल्ली	मध्यकालीन पुरा-वस्तुएं और संरचनात्मक अवशेष।
18.	लाडपुरा, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश	महापाषाण काल के शवाधान, लगभग तीसरी शताब्दी ईसवीं पूर्व।
19.	मामल्लपुरम, जिला एम०जी०आर०, तमिलनाडु	पल्लव काल के शिलालेख और स्थापत्य संबंधी अवशेष।
20.	अनंगपुर, हरियाणा	प्रागैतिहासिक स्थल, पाषाण काल।
21.	सारहा वाराहा, जिला आगरा उ०प्र०	आद्य-एवं-प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल।
22.	संघोल, जिला लुधियाना, पंजाब	हड़प्पा काल से पिछले मध्य काल तक की बौद्ध प्रतिमाएं, संरचनात्मक अवशेष, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, मोहरें, मुद्रांकनें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन। हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा एक संग्रहालय खोला गया है।
23.	सेकता, मणिपुर	महापाषाण काल के शवाधान, आदि ऐतिहासिक काल से मध्य काल तक।
24.	श्रावस्ती, जिला बहराइच, उ०प्र०	प्राचीन काल का एक बौद्ध अवशेष।
25.	सेंट अगस्टाइन चर्च, गोवा	मध्य काल के संरचनात्मक अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, चिकनी मिट्टी के बर्तन और पेंटिंगों के अवशेष।

क्र॰ सं॰	स्थल का नाम	महत्वपूर्ण अनुसंधानों का विवरण
26.	उदयगिरि, जिला पुरी, उड़ीसा	मध्य काल का बौद्ध मंदिर और मठ।
27.	थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा	अनियमित क्रमभंग के साथ प्राचीन काल से मुगल काल तक के संरचनात्मक और पुरातनिक अवशेष।

उड़ीसा जाने वाली रेलगाड़ियों में मूलभूत सुविधाएं

2022. **श्री सुबास चन्द्र नायकः**
श्री श्री बल्लवपाणिग्रही:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली/निजामुद्दीन/दिल्ली और उड़ीसा के बीच चलने वाली प्रायः प्रत्येक रेलगाड़ी में खराब यात्री सुविधाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों में मूलभूत यात्री सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) सवारी डिब्बों में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था यात्री सुविधा समिति की सिफारिशों के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और किसी राज्य/क्षेत्र आदि के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तथापि, कुछ खंडों पर उच्छृंखल गुंडागर्दी/चोरियों के कारण सुविधा फिटिंगों को भारी हानि पहुंचती है और कभी-कभी इन खामियों को तुरंत दूर कर पाना कठिन हो जाता है।

[हिंदी]

राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई

2023. **प्रो॰ रासा सिंह रावतः**
श्री पांडुरंग पंडुलिक फुंडकरः
श्री विजय कुमार यादवः

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 1992 से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की मांगों की तुलना में प्रत्येक माह उन्हें गेहूं, चावल और चीनी का कितना आवंटन किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जून, 1992 तक इन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने कितना खाद्यान्न उठाया;

(ग) खाद्यान्नों की शेष मात्रा की सप्लाई कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणों I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) सामान्यतया स्टाक का उठान उस मास के अन्त में किया जाता है जिससे आवंटन संबंधित

होते हैं। तथापि, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनकी वजह से निर्धारित अवधि के अन्दर उठान नहीं किया जा सका था, मास के समाप्त हो जाने के बाद भी उठान करने की अनुमति दे दी जाती है।

विवरण-I

राज्यो/संघ शासित प्रदेशों की संबंध में जनवरी, 1992 से मार्च, 1992 तक के महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम		जनवरी, 1992			फरवरी, 1992			मार्च, 1992		
			मां॰	आ॰	उ॰	मां॰	आ॰	उ॰	मां॰	आ॰	उ॰
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	आन्ध्र प्रदेश	चावल	220.0	170.0	145.5	160.0	160.0	103.4	50.0	50.00	44.7
		गेहूं	20.0	18.0	12.8	20.0	20.0	12.5	30.0	20.0	9.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	चावल	8.0	8.0	6.8	8.0	8.0	7.0	8.0	12.0	9.7
		गेहूं	1.0	0.72	0.4	1.0	0.70	0.3	1.0	0.70	0.4
3.	असम	चावल	64.0	35.3	38.8	64.0	35.0	34.7	64.0	35.0	34.6
		गेहूं	42.0	25.0	19.3	42.0	30.0	19.8	42.0	30.0	16.9
4.	बिहार	चावल	25.00	15.00	10.8	25.0	15.0	12.5	25.0	15.0	10.0
		गेहूं	100.0	42.3	51.3	100.0	50.0	45.5	100.0	50.0	52.7
5.	गोआ	चावल	6.0	4.5	5.5	6.0	5.0	2.4	6.0	5.0	4.4
		गेहूं	3.5	3.15	2.7	3.5	3.5	1.6	4.0	3.5	2.9
6.	गुजरात	चावल	50.0	28.0	24.5	50.0	28.0	26.1	50.0	28.0	23.0
		गेहूं	100.0	60.0	49.6	100.0	70.0	64.1	100.0	70.0	62.9
7.	हरियाणा	चावल	4.0	3.0	1.7	4.0	3.0	1.7	4.0	3.0	1.6
		गेहूं	45.0	27.0	22.5	45.0	40.0	30.0	60.0	40.0	38.11
8.	हिमाचल प्रदेश	चावल	7.15	6.5	6.8	7.15	6.5	6.2	7.15	6.5	6.0
		गेहूं	20.0	10.0	9.5	20.0	10.0	8.8	20.0	10.0	9.6
9.	जम्मू तथा कश्मीर	चावल	40.0	35.0	22.3	40.0	35.0	15.0	40.0	35.0	13.0
		गेहूं	20.0	18.0	8.0	20.0	20.0	8.5	20.0	20.0	11.9
10.	कर्नाटक	चावल	75.0	50.0	48.1	75.0	48.0	47.6	75.0	63.0	61.7
		गेहूं	50.0	36.0	35.1	50.0	40.0	39.4	50.0	25.0	24.8
11.	केरल	चावल	236.0	150.0	146.0	236.0	150.0	164.8	236.0	150.0	129.1
		गेहूं	50.0	27.0	26.6	50.0	30.0	21.5	50.0	30.0	22.2
12.	मध्य प्रदेश	चावल	120.0	23.0	16.4	120.0	30.0	22.1	120.0	30.0	19.2
		गेहूं	180.0	31.5	31.5	180.0	35.0	38.1	180.0	35.0	32.1
13.	महाराष्ट्र	चावल	75.0	82.0	58.7	75.0	80.0	78.3	75.0	95.0	81.5
		गेहूं	150.0	121.0	114.4	150.0	125.0	114.6	150.0	95.0	111.1
14.	मणिपुर	चावल	9.3	7.0	9.1	9.3	7.0	9.4	9.3	7.0	6.0
		गेहूं	3.0	2.7	2.3	3.0	2.0	0.7	3.0	3.0	2.0

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15.	मेघालय	चावल	15.0	10.0	14.0	15.0	9.5	8.8	15.0	13.0	13.6
		गेहूं	2.5	2.25	2.0	2.5	2.0	1.6	2.5	2.0	2.3
16.	मिजोरम	चावल	10.5	6.0	8.3	10.5	7.5	6.9	7.5	9.5	7.6
		गेहूं	1.25	1.25	1.1	1.25	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2
17.	नागालैण्ड	चावल	15.0	9.25	15.5	15.0	9.0	11.1	18.0	9.0	8.3
		गेहूं	10.0	6.0	3.0	10.0	4.0	4.3	12.0	4.0	2.9
18.	उड़ीसा	चावल	30.0	25.0	22.0	30.0	25.0	18.8	30.0	25.0	16.5
		गेहूं	35.0	22.5	18.1	35.0	25.0	22.2	35.0	25.0	21.7
19.	पंजाब	चावल	1.5	1.5	0.4	1.5	1.5	0.8	1.5	1.5	0.6
		गेहूं	25.0	22.5	19.2	25.0	25.0	16.4	25.0	25.0	10.8
20.	राजस्थान	चावल	5.0	3.0	2.1	5.0	4.0	2.6	5.0	4.0	2.3
		गेहूं	200.0	72.5	72.4	200.0	75.0	74.6	200.0	75.0	72.0
21.	तमिलनाडु	चावल	100.0	81.0	66.5	100.0	60.0	65.05	100.0	68.0	68.3
		गेहूं	30.0	27.0	12.6	30.0	30.0	23.9	30.0	30.0	26.6
22.	त्रिपुरा	चावल	12.85	16.85	11.8	16.85	16.0	14.5	16.85	16.0	14.7
		गेहूं	2.85	2.25	0.4	2.5	2.0	0.7	2.5	2.0	0.6
23.	उत्तर प्रदेश	चावल	50.0	28.0	26.1	50.0	30.0	25.7	141.0	30.0	24.5
		गेहूं	100.0	54.0	55.1	100.0	75.0	77.8	185.0	75.0	68.1
24.	पश्चिम बंगाल	चावल	150.0	69.0	56.2	150.0	70.0	55.0	150.0	70.0	54.0
		गेहूं	130.0	81.0	71.0	130.0	90.0	53.9	130.0	90.0	73.4
25.	अ० और नि० द्वीपसमूह	चावल	4.5	4.5	0.6	—	—	1.4	—	—	—
		गेहूं	2.1	2.1	नग०	—	—	0.5	—	—	—
26.	चण्डीगढ़	चावल	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
		गेहूं	3.0	1.6	1.9	3.0	1.8	1.8	3.0	1.8	1.2
27.	द० और न० हवेली	चावल	0.5	0.5	—	0.5	0.5	—	0.5	0.5	—
		गेहूं	0.2	0.18	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—
28.	दमन और दीव	चावल	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	—	0.6	0.5	—
		गेहूं	0.2	0.13	0.1	0.2	0.15	0.1	0.3	0.15	0.1
29.	दिल्ली	चावल	35.0	20.0	17.4	35.0	20.0	18.4	35.0	20.0	13.6
		गेहूं	75.0	64.8	74.2	75.0	72.0	64.8	75.0	72.0	68.0
30.	लक्षद्वीप	चावल	—	—	0.6	—	—	0.7	—	—	0.9
		गेहूं	—	—	—	—	—	नग०	—	—	नग०
31.	पांडिचेरी	चावल	3.0	2.0	0.4	3.0	2.0	0.4	3.0	2.0	0.4
		गेहूं	0.3	0.67	नग०	0.3	0.75	नग०	1.0	0.75	नग०
32.	सिक्किम	चावल	5.5	4.5	2.2	5.5	4.5	3.5	5.0	4.5	3.6
		गेहूं	0.7	0.54	—	0.7	0.6	0.1	0.7	0.6	0.9

मां=मांग आ=आवंटन उ=उठान नग०=50 मिटरी टन से कम

नोट: सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्रत्येक मास अनुरोध किया जाता है कि वे चावल और गेहूं की अपनी मांग भेजें। कुछ राज्य/संघ शासित प्रदेश अपनी मांग भेजते हैं जब कि कुछ अपनी मांग नहीं भेजते हैं। ऐसे मामलों में, अद्यतन उपलब्ध मांग को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण-I (भाग-ख)

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में अप्रैल, 1992 से जून, 1992 तक के महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्र० सं०	राज्यों/संघ शासित प्रदेश का नाम		अप्रैल, 1992			मई, 1992			जून, 1992		
			मां०	आ०	उ०	मां०	आ०	उ०	मां०	आ०	उ०
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	आन्ध्र प्रदेश	चावल	50.0	90.0	77.2	105.0	168.0	137.1	120.0	168.25	—
		गेहूं	30.0	15.0	7.5	20.0	15.0	9.0	20.0	11.3	—

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	अरुणाचल प्रदेश	चावल	8.0	12.0	8.2	8.0	8.0	8.9	8.0	8.0	—
		गेहूं	1.0	0.7	0.3	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7	—
3.	असम	चावल	64.0	35.0	29.5	64.0	42.0	38.1	64.0	43.42	—
		गेहूं	42.0	30.0	10.5	42.0	20.0	28.1	42.0	20.0	—
4.	बिहार	चावल	25.0	15.0	3.4	25.0	15.0	12.5	25.0	24.58	—
		गेहूं	100.0	42.0	19.5	100.0	42.0	43.1	100.0	51.58	—
5.	गोवा	चावल	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	4.54	—
		गेहूं	4.0	3.5	2.0	4.0	3.5	1.9	4.0	3.1	—
6.	गुजरात	चावल	43.0	28.0	24.1	43.0	28.0	27.5	43.0	28.0	—
		गेहूं	120.0	60.0	57.5	110.0	65.0	53.7	110.0	65.0	—
7.	हरियाणा	चावल	4.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.2	4.0	3.0	—
		गेहूं	60.0	10.0	6.4	60.0	10.0	2.2	60.0	10.25	—
8.	हिमाचल प्रदेश	चावल	6.5	6.5	5.6	8.0	6.5	5.5	8.0	6.5	—
		गेहूं	20.0	10.0	8.4	20.0	10.0	10.0	20.0	10.0	—
9.	जम्मू तथा कश्मीर	चावल	35.0	35.0	8.5	35.0	35.0	20.9	35.0	36.17	—
		गेहूं	20.0	20.0	6.5	20.0	20.0	11.9	20.0	20.0	—
10.	कर्नाटक	चावल	75.0	63.0	59.4	75.0	60.0	58.2	75.0	68.5	—
		गेहूं	50.0	25.0	23.0	50.0	25.0	24.3	50.0	25.0	—
11.	केरल	चावल	236.0	150.0	153.3	236.0	150.0	156.3	236.0	150.0	—
		गेहूं	50.0	25.0	15.0	50.0	25.0	13.2	50.0	25.0	—
12.	मध्य प्रदेश	चावल	120.0	30.0	23.0	120.0	30.0	22.3	120.0	40.92	—
		गेहूं	180.0	35.0	27.2	180.0	42.5	37.6	180.0	46.0	—
13.	महाराष्ट्र	चावल	75.0	50.0	71.9	75.0	50.0	50.9	75.0	62.0	—
		गेहूं	150.0	75.0	71.1	150.0	85.0	87.9	150.0	102.0	—
14.	मणिपुर	चावल	9.3	7.0	2.9	9.3	7.0	4.2	9.3	7.67	—
		गेहूं	3.0	3.0	2.1	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	—
15.	मेघालय	चावल	15.0	9.5	10.8	15.0	9.5	12.7	15.0	9.5	—
		गेहूं	2.5	2.0	1.9	2.5	2.0	2.2	2.5	2.0	—
16.	मिजोरम	चावल	7.5	9.5	9.9	7.5	9.5	10.1	7.5	9.5	—
		गेहूं	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.1	1.5	1.0	—
17.	नागालैण्ड	चावल	18.0	9.0	5.4	18.0	9.0	7.8	18.0	9.0	—
		गेहूं	12.0	2.0	1.7	12.0	2.0	1.0	12.0	2.0	—
18.	उड़ीसा	चावल	30.0	25.0	18.7	35.0	25.0	18.5	35.0	38.75	—
		गेहूं	35.0	25.0	23.6	35.0	20.0	17.3	35.0	20.0	—
19.	पंजाब	चावल	1.5	1.5	0.4	1.5	1.5	0.6	1.5	1.5	—
		गेहूं	25.0	5.0	1.8	25.0	5.0	0.7	25.0	5.0	—
20.	राजस्थान	चावल	5.0	4.0	1.3	5.0	4.0	0.6	5.0	4.0	—
		गेहूं	200.0	75.0	61.2	200.0	75.0	73.0	200.0	101.5	—
21.	सिक्किम	चावल	5.0	4.5	4.1	5.0	4.5	3.6	5.0	4.5	—
		गेहूं	0.7	0.6	0.2	0.7	0.6	0.2	0.7	0.6	—
22.	तमिलनाडु	चावल	100.0	68.0	55.1	75.0	70.0	71.3	75.0	70.83	—
		गेहूं	30.0	30.0	15.7	30.0	30.0	18.2	30.0	20.0	—

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23.	त्रिपुरा	चावल	16.85	16.0	14.5	16.85	46.0	18.8	16.85	16.0	—
		गेहूं	2.5	3.0	1.3	2.5	2.0	1.7	2.5	2.0	—
24.	उत्तर प्रदेश	चावल	141.0	30.0	24.5	141.0	30.0	26.5	141.0	37.83	—
		गेहूं	185.0	50.0	40.9	185.0	50.0	40.1	185.0	57.83	—
25.	पश्चिम बंगाल	चावल	150.0	70.0	42.7	150.0	70.0	50.7	150.0	80.58	—
		गेहूं	130.0	90.0	63.2	130.0	90.0	84.4	130.0	57.83	—
26.	अ० तथा नि० द्वीप समूह	चावल	4.5	6.0	2.7	—	1.0	0.5	—	—	—
		गेहूं	2.1	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	चावल	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	—
		गेहूं	3.0	1.8	2.0	3.0	1.8	0.8	3.0	1.8	—
28.	दा० तथा न० हवेली	चावल	0.5	0.5	—	0.5	0.5	—	0.5	0.5	—
		गेहूं	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—
29.	दमन तथा दीव	चावल	0.6	0.5	—	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	—
		गेहूं	0.3	0.15	0.1	0.3	0.15	—	0.3	0.15	—
30.	दिल्ली	चावल	35.0	20.0	14.9	35.0	20.0	13.5	35.0	20.0	—
		गेहूं	75.0	72.0	65.8	75.0	72.0	63.3	75.0	72.0	—
31.	लक्षद्वीप	चावल	—	—	0.1	—	—	Neg. नग०	—	—	—
		गेहूं	—	—	Neg. नग०	—	—	Neg. नग०	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	चावल	3.0	2.0	0.3	3.0	2.0	0.4	3.0	2.0	—
		गेहूं	1.0	0.75	Neg. नग०	1.0	0.75	—	1.0	0.75	—

नग० 50 मीटरी टन से कम

नोट: मां: मांग

आ: आवंटन

उ: उठान

1. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्रत्येक मास अनुरोध किया जाता है कि वे चावल और गेहूं की अपनी मांग भेजें। कुछ राज्य/संघ शासित प्रदेश अपनी मांग भेजते हैं जबकि कुछ अपनी मांग नहीं भेजते हैं। ऐसे मामलों में अद्यतन उपलब्ध मांग को ध्यान में रखा जाता है।

2. चूंकि मास विशेष के उठान के आंकड़े आगामी मास के तीसरे सप्ताह में उपलब्ध होते हैं, अतः जून, 92 मास के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-II

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी के कोटे के आवंटन को बताने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मासिक सामान्य कोटा	अगस्त, 91 से सितम्बर, 92 के लिए अतिरिक्त 5%	प्रत्येक वर्ष के लिए एक लाख मीटरी टन में से त्यौहार कोटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	25281	1264	7614
2.	अण्डमान निकोबार	247	12	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	314	16	94
4.	असम	9617	481	2896
5.	बिहार	33459	1673	10078
6.	चण्डीगढ़	372	19	112
7.	दादर तथा नगर हवेली	51	3	14
8.	दिल्ली	8721	436	2316
9.	गोआ	500	25	150
10.	दमन	24	1	12
11.	दीव	15	1	
12.	गुजरात	16194	810	4878
13.	हरियाणा	6386	319	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	101	608
15.	जम्मू तथा कश्मीर	2884	144	868
16.	कर्नाटक	17769	888	5350
17.	केरल	11953	598	3600
18.	लक्षद्वीप	71	4	22
19.	मध्य प्रदेश	25031	1252	7536
20.	महाराष्ट्र	29938	1497	9014
21.	मणिपुर	694	35	208
22.	मेघालय	662	33	200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	मिजोरम	261	13	78
24.	नागालैण्ड	426	21	128
25.	उड़ीसा	12393	620	3730
26.	पांडिचेरी	305	15.2	64
27.	सिक्किम	73	3.7	18
28.	गोवा	15	0.7	4
29.	यनम	7	0.4	2
30.	पंजाब	7945	397	2392
31.	राजस्थान	16914	846	5092
32.	सिक्किम	165	8	50
33.	तमिलनाडु	22547	1127	6790
34.	त्रिपुरा	1001	50	302
35.	उत्तर प्रदेश	52926	2646	15936
36.	पश्चिम बंगाल	25888	1294	7796

नोट : लेवी चीनी के आवंटन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग पर आधारित नहीं होते हैं। सामान्यतया पूरा उठान किया जाता है।

[अनुवाद]

चावल का आयात

2024. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1992 के दौरान चावल का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) यह आयात किन-किन देशों से किए जाने की संभावना है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमरुद्दीन अहमद): (क) से (ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के समूचे स्टाक में वृद्धि करने के लिए 1992-93 के दौरान कुछ चावल का आयात करने की सम्भावना की जांच की जा रही है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के चन्दिल-मूरीसेक्शन को दोहरा करना

2025. **श्री बीर सिंह महतो**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के चन्दिल-मूरी सेक्शन में दोहरी रेल लाइन बिछाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न परिचालनिक सुधारों के कारण इकहरी-लाइन वाले खंड की क्षमता संतृप्त हो जाने पर ही दोहरीकरण किया जाता है। चांडिल-मूरी खंड पर अभी यातायात इस स्तर तक नहीं पहुंचा है।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा

2026. **श्री नीतिश कुमार:**
श्री जगमीत सिंह बरार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक के "एशिया में शिक्षा-लागत और वित्त संबंधी तुलनात्मक अध्ययन" नामक अध्ययन की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या निरक्षरता उन्मूलन और बीच में शिक्षा छोड़ने के बढ़ते मामलों में कमी लाने के लिये सरकार का विचार उच्चतर शिक्षा के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा के लिये उदारतापूर्वक धन उपलब्ध करने पर जोर देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) विश्व बैंक क्षेत्रीय तथा आंचलिक अध्ययन ने "एजूकेशन इन एशिया कंपेरेटिव स्टडी आफ कास्ट एंड फाइनान्सिंग" (1992) में अन्य बातों के साथ-साथ प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों की समस्या का हवाला दिया है तथा इसके लिए पर्याप्त आवंटन की आवश्यकता पर बल देते हुए क्षेत्र में व्यय की सार्थकता का विश्लेषण किया है।

आठवीं योजना में मानव विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है तथा इसमें प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए इसके तीनों आयामों—नामांकन, सहभागिता तथा उपलब्धि को प्राथमिकता देने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्ग की बालिकाओं तथा कामकाजी बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। तदनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय आवंटन छठी योजना के 29.12 प्रतिशत से बढ़ाकर आठवीं योजना में 38.7 प्रतिशत कर दिया गया है। इस समय अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में समायोजन करके 2880/- करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दूराव अस्पताल, दिल्ली

2027. **श्री राम विलास पासवान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में "हिन्दूराव रीलिंग अंडर स्केअरस्टी आफ स्टाफ, मेडिसिन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कया हिन्दूराव अस्पताल, दिल्ली के कैजुअल्टि वार्ड में पूरे उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तथा वहां पर दवाइयों और कर्मचारियों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

स्वाथय और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति आदेशों का पालन न करने के कारण हिन्दूराव अस्पताल में कुछ दवाइयों की कभी-कभार कमी हो गई है। रिक्त चिकित्सा और गैर-चिकित्सा पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। अस्पताल के कार्य पर लगातार नजर रखी जा रही है और त्रुटियों को सुधारने के लिए शीघ्रता से कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डेहरी आन सोन और दाऊद नगर के बीच रेल लाइन

2028. **श्री मुमताज अंसारी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बिहार में वाया बेहला डेहरी आन सोन से दाऊद नगर तक रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में बिस्तरों की कमी

2029. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रतिदिन कितने आपातकालीन मरीज देखे गये;

(ख) क्या विभिन्न वार्डों में बिस्तरों की कमी होने के कारण ऐसे मरीजों से फर्श पर लेटने को कहा जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस परकार की कमियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल का संबंध है प्रतिदिन लगभग 300 रोगी अस्पताल के आपातकालीन सेवा विभाग में आते हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, सभी गंभीर रूप से बीमार रोगियों, जिन्हें भर्ती करना जरूरी होता है, को आपातकालीन वार्डों के खाली पलंग दिए जाते हैं। अन्य मामलों में जहां रोगियों को प्राथमिक उपचार, पुनरुज्जीवन, जहां जरूरी होता है, प्रदान करने और रोगी की दशा स्थिर होने के उपरान्त सबसे नजदीक सफदरजंग अस्पताल तथा अन्य स्थानीय अस्पतालों में भेज दिया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल रोगियों के ठहरने की औसत अवधि को कम करके तथा प्रभावी ढंग से उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करके आपातकालीन रोगियों के लिए उपलब्ध पलंगों का अधिकतम उपयोग करने हेतु सतत प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में कथित अनियमितताएं

2030. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री राजेश कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन के डी॰आर॰एम॰ कार्यालय में हाल ही में वित्तीय गबन के कथित मामले प्रकाश में आए हैं तथा दोषी अधिकारियों को आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) हाल ही में दो मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) और (ग) (i) 10.7.1991 को 64,674 रुपये की रोकड़ कम होने का पता चला था। दोषी कर्मचारी को गैर-रोकड़ पद पर लगा दिया गया है और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ii) स्टेशन आमदनी के 2.39 लाख रुपये का न लौटाया जाना। संबंधित कर्मचारी को अगस्त, 1991 में निलम्बित कर दिया गया था और बड़ी शास्ति के लिए उसे आरोप-पत्र जारी कर दिया गया था।

[अनुवाद]

सुपरफास्ट गाड़ियों में सेना के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

2031. **डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लम्बी दूरी की सुपरफास्ट गाड़ियों में सेना के कर्मचारियों के लिए एक दूसरी श्रेणी का कम्पार्टमेंट अथवा कुछ बर्थें अलग से आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) लम्बी दूरी की सुपरफास्ट गाड़ियों सहित विभिन्न गाड़ियों में रक्षा कर्मियों के लिए पहले से ही कुछ शायिकाएं डिफेंस कोटा के नाम से नियत की गई हैं। कुछ चुनिंदा गाड़ियों में उनके लिए दूसरे दर्जे के अनारक्षित डिब्बे भी नियत किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन

2032. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का है ताकि वहां के लोगों को अपने द्वारा लगाये गये पेड़ों को काटने तथा उनसे लाभ अर्जित करने का हक मिल जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों की सुरक्षा और वनरोपण में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को 1 जून, 1990 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चीनी मिलों को लाइसेंस देना

2033. **श्री अंकुशराव टोपे:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक चीनी मिल, जिसकी लाइसेंस क्षमता प्रारंभ में 2500 टी॰सी॰डी॰ हो, उसे अर्थक्षम एकक माना जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या प्रारंभिक चरण में चीनी मिलों को 2500 टी॰सी॰डी॰ की तुलना में 1750 टी॰सी॰डी॰ की कम क्षमता के लिए लाइसेंस देने हेतु विशेष रूप से महाराष्ट्र से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) दिनांक 8.11.91 के प्रेस नोट के तहत जारी किए गए मौजूदा लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 2500 टी॰सी॰डी॰ की प्रारंभिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाते हैं जिसे न्यूनतम अर्थक्षम क्षमता माना गया है। भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि जलवायु आधार पर गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त

प्रमाणित क्षेत्रों में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में 1750 टी०सी०डी० की प्रारंभिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जायेंगे बशर्ते कि ऐसी इकाइयां उत्पादन प्रारंभ करने के पांच वर्षों के भीतर अपनी क्षमता में 2500 टी०सी०डी० तक विस्तार कर लें।

8.11.91 को उक्त लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी होने के पश्चात् उपर्युक्त व्यवस्था के संबंध में खाद्य मंत्रालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

महिला साक्षरता अभियान

2034. **डा० आर० मल्लू:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1992 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित "फीमेल लिटेरेसी कम्पेन इन मेवात" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों में ऐसे स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देती है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा महिला साक्षरता अभियान तथा शिक्षा प्रचार में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के प्रयासों हेत् कितनी वित्तीय सहायता व अन्य आधारभूत ढांचा प्रदान किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से ग) सम्पूर्ण साक्षरता के लिए अभियान आज राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य कार्य नीति बन गया है। ऐसे अभियान क्षेत्र-विशेष, समयबद्ध, स्वैच्छिक-आधार, मूल्य-प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी हैं। एक क्षेत्र, एक ग्राम अथवा ग्रामों का समूह, एक ग्राम पंचायत अथवा एक मंडल पंचायत, पंचायत समिति अथवा ब्लाक, एक जिला अथवा यहां तक की एक राज्य भी हो सकता है। किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना ही एक अभियान के रूप में सम्पूर्ण साक्षरता के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के सक्रिय प्रोत्साहन, सहमति तथा सहयोग के साथ निचले स्तर से ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए। ऐसे प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए उन पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सम्पूर्ण साक्षरता के लिए कार्य योजनाओं को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायता भी प्रदान करता है। मेवात में महिला साक्षरता अभियान के विशेष मामले में संघ सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यूथ क्लबों को सहायता

2035. **श्री सुधीर सावन्त:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूथ क्लबों को दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त प्राधिकारियोंके परामर्श से आवृत्ति और अनावृति दोनों प्रकार की वित्तीय सहायता तथा

आवृत्ति अनुदान के लिए पात्रता-अवधि में पर्याप्त वृद्धि करने के बारे में जांच की जा रही है। ऐसा किया जाना आठवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि की उपलब्धता पर अधिक निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों पर काम का बोझ

2036. **श्री छेदी पासवानः** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों पर काम के बोझ को घटाने की दृष्टि से प्रो॰ यशपाल की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मद्रास और डिंडिगुल तथा मदुरै-मणियाचि के बीच बड़ी लाइन बिछाना

2037. **श्री के॰वी॰ तंगकाबालूः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मद्रास से डिंडिगुल तक वाया विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली तथा मदुरै से मणियाचि तक बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) मद्रास-दिंडीगुल खंड के आमान परिवर्तन का नया कार्य 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है। इसके मद्रास-चेंगला पट्टू उपखंड का कार्य 1992-93 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। मदुरै-मणियाच्चि खंड का आमान परिवर्तन करूर-दिंडीगुल-मदुरै-मणियाच्चि-तूतीकोरिन/तिरुनेलवेली परियोजना का एक भाग है। इस खंड का कार्य भी 1992-93 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

सांपों की खाल की तस्करी

2038. **श्रीमती सरोज दुबे:**
श्री मंजय लाल:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली पर हाल ही में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सांपों की खाल पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तस्करी के विभिन्न अड्डों से प्रतिवर्ष सांपों की कितनी खाल पकड़ी जाती है और गत एक वर्ष के दौरान चोरी छिपे लगभग कितने मूल्य की सांपों की खाल की देश के बाहर तस्करी की गई;

(घ) सरकार द्वारा सांपों की खाल के अवैध व्यापारियों तथा देश में और विदेशों में इनके संबंधों का पता लगाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में तस्करी की इन घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये अथवा करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) 21.5.92 को एक स्वीडिश नागरिक से दिल्ली के कस्टम प्राधिकारियों द्वारा अजगर, मूषक सांप तथा पानी के सांप की खालों के 1848 टुकड़े बरामद किए गए। बरामद की गई खालों का ठीक-ठीक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में सांपों का कानूनी तौर पर व्यापार नहीं किया जाता। तथापि, पंचनामे में प्रेषित माल का मूल्य लगभग 1.84 लाख रुपये आंका गया है।

(ग) माल की जब्ती 1991 के दौरान बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में कस्टम प्राधिकारियों द्वारा की गई, जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

बन्दरगाह का नाम	बरामद की गई सांप की खालों/मदों की संख्या
मद्रास	76 वालेट और 49 बैग
कलकत्ता	4 सांप की खाल से बने पर्स
दिल्ली	199 खालें और 28 खाल से बनी वस्तुएं
बम्बई	4,221 टुकड़े
कुल	4,420 खालें और 157 मदें

(घ) और (ङ) जहां भी अवैध वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से जिरह के दौरान अवैध व्यापार करने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी कुछ सूचना प्राप्त हुई है, स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से व्यापार प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए हैं और अलग-अलग मामले में परिणाम भिन्न-भिन्न प्राप्त हुए हैं।

(च) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

1. क्षेत्रीय उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण, चार प्रमुख बन्दरगाहों अर्थात्—कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में नियुक्त किए गए हैं। कोचीन, गुवाहाटी तथा पठानकोट में सहायक निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण

नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी तथा इनके अधीन नियुक्त निरीक्षक, कस्टम प्राधिकारियों की मदद से बन्दरगाह पर अचानक चैकिंग करते हैं।

2. राज्य वन्यजीव विंग के अधिकारी भी माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों के तहत लाइसेंस-धारी डीलरों द्वारा पकड़े गए माल की समय-समय पर जांच करते हैं। जहां भी सूचना प्राप्त होती है, वहां ये अधिकारी अवैध व्यापारियों को पकड़ने के लिए छापे भी मारते हैं।

3. तस्करों के बारे में सूचना प्राप्त कराने के लिए नकद पुरस्कार की एक प्रणाली शुरू की गयी है।

4. चूंकि भारत "वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन" का सदस्य है, इसलिए तस्करों को पकड़ने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है।

5. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करने में राजस्व आसूचना निदेशालय, तटरक्षकों, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रुग्ण चीनी मिलें

2039. **श्री सुरेन्द्र पाठक:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिलें हैं और इनमें से कितनी मिलें रुग्ण हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव / ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस बारे में कितने आवेदन / प्रस्ताव / ज्ञापन प्राप्त हुए और सरकार द्वारा अब तक इनमें से कितनी मिलों का पुनरुद्धार किया गया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) उत्तर प्रदेश में 106 संस्थापित चीनी मिलें हैं। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत जो कंपनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामले इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को भेज दिए जाते हैं। अब इन उपबंधों का विस्तार कर दिया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी इसमें कवर कर लिया गया है। बी०आई०एफ०आर० ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश से 5 चीनी उपक्रमों के मामले प्राप्त हुए हैं इनमें से 4 मामले ऐसे पाए गए जिन्हें चालू रखना संभव नहीं था। शेष एक मामले पर विचार किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र की रुग्ण चीनी फैक्ट्रियों से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के बारे में खाद्य मंत्रालय में कोई प्रस्ताव / ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। रुग्ण चीनी मिलों को स्वयं पुनर्स्थापन / आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं तैयार करनी होती हैं तथा वित्तीय संस्थाओं से उनका अनुमोदन करवाना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन / आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तों को पूरा करती हों।

[अनुवाद]

यात्री किराया तथा माल-भाड़ा समिति

2040. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे द्वारा टिकटों में रियायत की नीति की जांच करने के लिए यात्रा किराया तथा माल-भाड़ा समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ श्रेणियों को दिये जाने वाले रेल किराया रियायत में कमी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) सरकार ने टिकट रियायत नीति सहित किराया और माल-भाड़ा संरचना के समस्त पहलुओं की जांच करने के लिए रेलवे किराया और माल-भाड़ा समिति का गठन किया है। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा कार्य योजना

2041. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक:**
श्री संदीपान भगवान थोरात:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1992 के "पैट्रियट" में "पॅल्यूशन फ्री गंगा ड्रीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों, कस्बों और उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनसे निकलने वाले कचरा और अपशिष्ट से गंगा नदी अब भी प्रदूषित हो रही है;

(ग) इस नदी में बिना अभिक्रिया किये हुए कचरे तथा अपशिष्ट का प्रतिशत गंगा कार्य योजना के आरम्भ में कितना था और अब वह प्रतिशत कितना है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) जिन नगरों से म्युनिसिपल कूड़ा-करकट गंगा में लगातार प्रवाहित हो रहा है उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। गंगा नदी के किनारे स्थित घोर प्रदूषक उद्योगों की सूची और बहि:स्राव को उपचारित करने के लिए किए गए उपायों की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) गंगा के किनारे स्थित 25 क्षेणी-1 के नगरों में स्कीमें हाथ में ली गई हैं। योजना में इन नगरों से प्रवाहित होने वाले 1340 एम०एल०डी० अपशेष जल में से 873 एम०एल०डी० के दिशा-परिवर्तन और उपचार का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 1.6.92 तक गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

1. 873 एम०एल०डी० के लक्ष्य की तुलना में दिशा परिवर्तित किए गए घरेलू सीवेज का प्रतिशत	55.5
2. 873 एम०एल०डी० के लक्ष्य की तुलना में उपचारित घरेलू सीवेज का प्रतिशत	25.5

शेष सीवेज को दिशा-परिवर्तित और उपचारित नहीं किया गया है और वह गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है।

(घ) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा के तट पर स्थित, हाथ में ली गई प्रदूषण निवारण की 261 स्कीमों में से अभी तक 191 स्कीमें पूरी की गई हैं। शेष स्कीमों को शीघ्रता से पूरे करने के हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। स्कीमों की श्रेणी-वार और राज्यवार सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उत्पन्न, अवरोधन किए गए/दिशा-परिवर्तित और उपचारित किए गए घरेलू अपशेष जल की नगर-वार मात्रा

राज्य/नगर	श्रेणी-1 के नगरों से उत्पन्न होने वाला कुल अपशेष जल (एम०एल०डी०)	गंगा कार्य योजना के अंतर्गत हाथ में ली जाने वाली मात्रा (एम०एल०डी०)	उपचारित/दिशा-परिवर्तित कुल मात्रा (एम०एल०डी०)
उत्तर प्रदेश			
1. हरिद्वार	33.3	33.3	32.0
2. फर्रूखाबाद और फतेहगढ़	9.3	2.7	—
3. कानपुर	360	160	125
4. इलाहाबाद	110	90	90
5. वाराणसी	147	125	125
6. मिर्जापुर	20	20	—
बिहार			
7. छपरा	8	6.5	—
8. पटना	100	87.0	30
9. मुंगेर	16	13.5	—
10. भागलपुर	8.7	8.0	—

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल			
11. बेहरामपुर	3	3	—
12. नवद्वीप	4	4	—
13. हुगली चिनसुरा	12	12	—
14. चन्दननगर	11	11	11
15. सेरामपुर	20	20	5
16. टीटागढ़	129	24	9
17. भाटपारा		29	13
18. पानीहाटी		7	—
19. बारानगर		19	
20. कामरहाटी			
21. बाली*	—	—	—
22. नईहाटी*	—	—	—
23. बैरकपुर*	—	—	—
24. हावड़ा	93	93	45
25. कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	255	105	—
	1340	873	485

*स्कीमें अवरोधन, दिशापरिवर्तन या उपचार से संबंधित नहीं हैं।

विवरण-II

गंगा नदी के किनारे स्थित घोर प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थिति

क्रम सं०	नाम	निस्तारण (मिलियन लीटर प्रतिदिन)	स्थिति
राज्य : उ०प्र०			
1.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, हैवी इलैक्ट्रिकल उपकरण संयंत्र, रानीपुर हरिद्वार-249403	36	बिहःस्राव उपचार संयंत्र लगाया गया।
2.	किसान सहकारी चीनी मिल साखपुर, बदायूं	2.5	-वही-
3.	किसान सहकारी चीनी मिल करमगंज, फर्रूखाबाद	2.33	-वही-

1	2	3	4
4.	जे० के० काटन मिल्स, कालपीरोड, कानपुर	0.88	बहिःस्राव उपचार संयंत्र लगाया गया।
5.	एल्गिन मिल, कानपुर (यूनिट 1) 11/6 श्रीमती पार्वती बाम्ला रोड, पो०बा०नं० 11, कानपुर	2.8	-वही-
6.	एल्गिन मिल कानपुर, (यूनिट 2) कानपुर	2.8	-वही-
7.	कानपुर वुलेन मिल्स, पो०बा०नं० 5, 14/66, सिविल लाइन्स, कानपुर	1.5	-वही-
8.	कानपुर टैक्सटाइल मिल्स, कूपरगंज, कानपुर	1.2	-वही-
9.	म्योर मिल, एन०टी०सी० की यूनिट पो०बा०नं० 33, सिविल लाइन्स, कानपुर	2.16	-वही-
10.	आई०सी०आई० इंडिया लि० (इंडियन एक्प्लोसिव) फर्टिलाइजर डिवीजन, पनकी वर्क्स, जी०पी०ओ० पो०बा०नं० 267, कानपुर	6.75	-वही-
11.	आर्डनैंस फैक्ट्री, अर्मापुर, कानपुर	12.3	-वही-
12.	हिन्दुस्तान वेजीटेबिल आयल लि० कालपी रोड, कानपुर	0.800	-वही-
13.	जीप इंडस्ट्रियल सिंडीकेट लि० (टार्च यूनिट) 28, साउथ रोड, इलाहाबाद-211001.	2.48	-वही-
14.	जीप इंडस्ट्रियल सिंडीकेट लि० 28, साउथ रोड, इलाहाबाद-211001.	2.4	-वही-
15.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज पो० बा० नं० 97 नैनी, इलाहाबाद	3.2	-वही-
16.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी	3.7	-वही-
17.	गवर्न्मैन्ट ओपियम एंड अल्कालायड वर्क्स, गाजीपुर	0.720	-वही-
18.	टेनरी एण्ड फुटवेयर कार्पोरेशन आफ इंडिया 13/400, सिविल लाइन्स, हजारी बंग्ला, कानपुर	0.540	-वही-
19.	आर्डनैंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, कानपुर	1.5	-वही-
20.	हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लि०, कानपुर डिवीजन, पो०बा०नं० 225, कानपुर	0.790	-वही-
21.	एम०पी० उद्योग लि०, कानपुर	0.885	-वही-
22.	इफ्को, फूलपुर, यूनिट, छियानगर, इलाहाबाद	12.08	-वही-
23.	स्माल आर्म्स फैक्ट्री, अर्मापुर, कानपुर	4.0	-वही-
24.	न्यू विक्टोरिया मिल, सिविल लाइन्स	1.19	बहिःस्राव उपचार संयंत्र निर्माणाधीन
25.	पनकी थर्मल पावर हाउस, पनकी, कानपुर	13.65	-वही-

1	2	3	4
26.	करमचंद थापर डिस्टिलरी, लि० उन्नाव	1.0	बहि:स्राव उपचार संयंत्र निर्माणाधीन
27.	नंद गंज शिहोरी चीनी मिल, गाजीपुर	1.25	-वही-
28.	अर्थटन क्लाथ मिल्स, फजलगंज, कानपुर	1.48	वैधानिक कार्यवाही के लिए कदम उठाए गए।
29.	लक्ष्मी रतन काटन मिल, काल्पी रोड, कानपुर	1.535	-वही-
30.	स्वेदेशी काटन मिल्स, जूही	2.765	-वही-
31.	पी०वी०के० डिस्टिलरी, गाजीपुर	2.5	-वही-
32.	कानपुर, केमिकल, अनवरगंज, कानपुर	0.996	यूनिट बंद है।
33.	बसंत पेपर मिल्स, रामनगर, वाराणसी	0.3	-वही-
34.	जे०के० रेयन, जाजमऊ, कानपुर	1.2	-वही-
राज्य: बिहार			
35.	बाटा इंडिया लि०, मोकामेह, पो० ओ० माठीडाह, जिला—पटना	8033301 0.860	बहि:स्राव उपचार संयंत्र लगाया गया।
36.	मैक डावल एण्ड कम्पनी लि० पो०ओ० हाथीडाह-8033301	1.8	-वही-
37.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन बरौनी, जिला—बेगूसराय	7.88	-वही-
38.	इंडियन आयल कार्पोरेशन, बरौनी रिफाइनरी पो०ओ० बरौनी आयल रिफाइनरी, जिला—बेगूसराय	25.5	-वही-
39.	अरुण केमिकल्स इंडस्ट्रीज	0.1	इकाई बंद है।
राज्य : पश्चिम बंगाल			
40.	केशवराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स गार्डनरीच, कलकत्ता	2.95	बहि:स्राव उपचार संयंत्र लगाया गया।
41.	गुलमोहर पेपर लि०, आर०एन० टैगोर रोड, आलम बाजार, दक्षिणेश्वर	1.406	-वही-
42.	हिन्दुस्तान सीवर लि०, 53, गार्डन रीच, कलकत्ता	1.07	-वही-
43.	हिन्दुस्तान लीवर लि०, पो०ओ०—आथपुर, (श्यामनगर) 24—परगना	5.809	-वही-
44.	बाटा इंडिया लिमिटेड बाटा नगर-743313 जिला 24 परगना	5.75	-वही-

1	2	3	4
45.	कोसीपुर गन और शैल फैक्टरी, कोसीपुर, कलकत्ता	2.26	बहिःस्राव उपचार संयंत्र लगाया गया।
46.	इचपुर मैटर और स्टील फैक्टरी, इचपुर नवाबगंज जिला 24 परगना	—	-वही-
47.	आई॰सी॰आई॰ इंडिया लिमिटेड (भारतीय विस्फोटक रसायनिक प्रभाग, डाकघर, रिसरा-712248, जिला हुगली	4.31	-वही-
48.	स्टैण्डर्ड फार्मेस्युटिकल्स, 1, डी कूज गार्डन लेन, सेरामपुर	0.313	-वही-
49.	त्रिवेणी टिश्यूज त्रिवेणी, हुगली	17.5	-वही-
50.	इंडियन आयल कार्पो॰, हल्दिया तेलशोधक-721606	15.3	-वही-
51.	हिन्दुस्तान हैवी कैमिकल्स 19, बी॰टी॰ रोड, खारदाह, 24-परगना	0.205	-वही-
52.	वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, पो॰बा॰नं॰ 178, फैक॰ ओल्ड हिमता रोड, बाल्घारिया, 24-परगना	0.33	-वही-
53.	क्लोराइड इंडिया (प्रोविक-1) हल्दिया, मिदनापुर	0.076	-वही-
54.	क्लोराइड इंडिया (एक्सपोर्ट फैक्टरी) हल्दिया, मिदनापुर	0.319	-वही-
55.	शा वाल्स एण्ड कम्पनी लि॰ पेस्टिसाइड प्लांट, हल्दिया	0.044	-वही-
56.	सुप्रीम पेपर मिल्स, रानीनगर, नादिया	2.804	बहिःस्राव उपचार संयंत्र निर्माणाधीन
57.	जयश्री टेक्सटाइल, इन्डस्ट्रीज रिसरा, हुगली	0.452	-वही-
58.	क्लोराइड, इन्डस्ट्रीज लि॰, 91, न्यू चार्ड रोड, अथपुर	0.671	-वही-
59.	बंगाल डिस्टिलरी, भद्रकाली, हुगली	0.150	-वही-
60.	इंडिया पेपर एण्ड पल्प, हाजीनगर, नईहाटी, 24 परगना	0.050	वैधानिक कार्यवाही के लिए कदम उठाए गए
61.	केशवराम रेयन, नयासराय	17.3	-वही-
62.	इस्टर्न डिस्टिलरीज, न्यू अलीपुर, कलकत्ता	0.106	-वही-
63.	दनबौर मिल्स, श्यामनगर, कलकत्ता	1.02	इकाई बंद है
64.	टीटागढ़ पेपर मिल, टीटानगर, 24 परगना	—	-वही-
65.	पेपरस पेपर लि॰ कल्याणी, नादिया	9.264	-वही-
66.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पो॰ हल्दिया, 721606 जिला मिदिनापुर	—	-वही-
67.	टीटागढ़ पेपर मिल कंकीनारा, 24 परगना	—	-वही-
68.	सेरामपुर डिस्टलरी एण्ड केमिकल्स कम्पनी, सेरामपुर हुगली	0.457	-वही-

विवरण-III

गंगा कार्य योजना के पहले चरण में पूरी की गई स्कीमों की राज्य-वार एवं श्रेणी वार कुल संख्या

स्कीमों का प्रकार	उत्तर प्रदेश		बिहार		पश्चिम बंगाल		कुल	
	पूरी की गई	कुल	पूरी की गई	कुल	पूरी की गई	कुल	पूरी की गई	कुल
1. सीवेज अवरोधन दिशापरिवर्तन	32	40	13	17	14	31	59	88
2. सीवेज उपचार संयंत्र	7	13	0	7	1	15	0	35
3. अल्प लागत स्वच्छता	11	14	7	7	22	22	40	43
4. विद्युत शवदाहगृह	2	3	6	8	15	17	23	28
5. नदी तटाग्र विकास	7	8	3	3	24	24	34	35
6. अन्य स्कीमें	23	28	3	3	1	1	27	32
कुलः	82	106	32	45	77	110	191	261

पटरियों की स्क्रैप के रूप में बिक्री

2043. **श्री हरिकिशोर सिंहः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः

(क) क्या बहुआमान (यूनिगेज) नीति के कारण पटरियों को बड़े पैमाने पर स्क्रेप के रूप में बेचे जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन निर्देश/मानदण्डों के अन्तर्गत ये बिक्री आयोजित की जाती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्क्रैप पटरियों को उपयुक्त लॅटों में लगाया जाता है, इन लॅटों को, पर्याप्त प्रचार देने के बाद सामान्यतः सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाता है। कुछ लॅट विज्ञापित निविदाओं के माध्यम से बेचे जाते हैं। कभी-कभी अन्य सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीधी बिक्री की व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

एन०बी०टी० द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

2044. **प्रो० रीता वर्मा:**
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा कुल, कितनी पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है और गत दो वर्षों में उन पर कुल कितनी धनराशि वयय की गई है;

(ख) ट्रस्ट वारा कृषि विज्ञान और सामाजिक वानिकी के संबंध में कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित और वितरित की गयी हैं;

(ग) क्या ट्रस्ट का विचार उदीयगान लेखकों और शोध पुस्तकों पर लेखों को प्रोत्साहित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पिछले दो वर्षों के दौरान 176 लाख रु० के कुल व्यय पर 1144 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये आकड़े वर्ष 1991-92 के लेखों को अंतिम रूप दिये जाने तक अस्थायी हैं।

(ख) न्यास द्वारा प्रकाशित एवं वितरित की गई पुस्तकों की कुल संख्या 50 थी, जिसमें कृषि विज्ञान अथवा सामाजिक वानिकी से सम्बद्ध विषयों पर अुनवाद शामिल हैं। इसके अलावा पुस्तकों के सहायता प्राप्त प्रकाशन के लिए इस की योजना के अंतर्गत 60 शीर्षकों के प्रकाशन के वास्ते सहायता भी प्रदान की गई थी।

(ग) से (ङ) जी, हां बच्चों और नव-साक्षरों के लिए पुस्तकें विकसित करने के वास्ते उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यास ने दो अन्वेषणात्मक योजनाएं शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत न्यास पुस्तकें तैयार करने के लिए भुगतान करने के अलावा लेखक और चित्रकार को सीधा भुगतान भी देता है। इसी प्रकार अनुसंधान पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए जिनका,तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर और भारतीय विश्वविद्यालयों में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यपुस्तकों, विषय उन्मुख पूरक पठन सामग्री और संदर्भ पुस्तकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, न्यास पुस्तकों की सहायता प्राप्त प्रकाशन की योजना के अंतर्गत प्रकाशक को सहायता के रूप में निर्माण लागत का 50 प्रतिशत और लेखक को राल्यल्टी के रूप में पुस्तक की प्रकाशित कीमत का 20 प्रतिशत प्रदान करके सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा दवाइयों की सप्लाई

2045. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडीकल स्टोरों में उपलब्ध औषधियों की गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान औषध नियंत्रक ने कितने परीक्षण किए;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में सामान्य रूप से दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं

और लाभार्थियों/मरीजों से यह कहा जाता है कि वे 'इंडेन्ट' कराये जाने और उपलब्ध होने तक इन्हीं दवाओं को बाजार से खरीद कर प्रयोग करें;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) औषधालयों को दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने तथा खरीदी गयी दवाइयों की धनराशि शीघ्र वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां, सभी औषधों का चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपुओं में भण्डारण/अपूर्ति करने से पहले निरीक्षण किया जाता है और अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाओं में उनको प्रयोगशाला जांच भी की जाती है और संतोषजनक परीक्षण रिपोर्टें होने पर ही उन्हें स्वीकार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिपुओं में रखी गई औषधों में से किसी भी औषध के अचानक नमूने लेकर उनका परीक्षण कराया जाता है।

(ख) औषध नियंत्रक (भारत) ने फरवरी, 1991 में अपने आंचलिक अधिकारियों से सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपुओं/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/अस्पतालों से नमूने लेने को कहा था। अब तक जांचे गए 160 नमूनों में से 139 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए और 21 नमूने मानक गुणवत्ता के नहीं पाए गए।

(ग) और (घ) प्राय सूचीबद्ध औषधें लाभार्थियों को उनके औषधालयों में उपलब्ध करा दी जाती हैं। अनुपलब्ध औषधों को आपाती स्थिति में प्राधिकृत केमिस्टों के माध्यम से इंडेंट कराकर रोगियों को प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों को आकस्मिक प्राधिकार पर्चीं भी जारी की जाती है।

(ङ) इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) नियमित और समय पर मांग भेज कर चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठनों से नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(ii) स्थानीय खरीद के इंडेंटों के माध्यम से अनुपलब्ध मदों की आपूर्ति स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय केमिस्ट नियुक्त किए गए हैं।

(iii) अनुपलब्ध मदों की खरीद पर हुए व्यय की लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

2046. **श्री अरविन्द नेताम:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या किन्हीं ऐसी विकास परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनके लिए राज्य सरकारों ने वन भूमि, जो ऐसी परियोजनाओं तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से प्रभावित है, के विकल्प के तौर पर गैर-वन भूमि प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रस्तावों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कतिपय

श्रेणियों के प्रस्तावों के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वन रोपण के लिए गैर वन भूमि उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित होती है। लेकिन, यदि क्षतिपूरक वन रोपण के लिए वनेतर भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो अवक्रमित वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण करने पर विचार किया जाता है।

वाहन प्रदूषण नियंत्रण

2047. **श्री जार्ज फर्नांडीज:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 10 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2174 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या न्यायाधीश एस०एन० सैकिया की अध्यक्षता में गठित वाहन प्रदूषण नियंत्रण संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट इस बीच प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी नहीं। समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में इस समिति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

लोक दायित्व बीमा अधिनियम , 1991

2048. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 लागू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम् को अभी तक लागू नहीं किया है; और

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कितने मामले दर्ज हुए/निपटाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में श्रमिक विद्यापीठ खोलना

2049. **श्री जीवन शर्मा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में श्रमिक विद्यापीठों की कुछ शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन जिलों में श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना के लिए न तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से और न ही किसी स्वैच्छिक एजेन्सी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

रेलवे की खाली पड़ी भूमि

2050. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन:**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति:
श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री मोहन रावले:
श्री अरविंद त्रिवेदी:
श्री जार्ज फर्नान्डीज:
श्री मनोरंजन भक्त:
श्री हरि किशोर सिंह:
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन महानगरों तथा नगरों के नाम क्या हैं जहां पर रेलवे की फालतू भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है, इससे रेलवे को कितनी आय होगी और इस योजना से रोजगार के कितने अवसर जुट पायेंगे;

(ग) इस भूमि की वाणिज्यिक उपयोगिता के दौरान रेलवे की इस भूमि के वैद्य स्वामित्व का अधिकार किसका होगा; और

(घ) रेलवे के पास जोन वार कुल कितने हेक्टेयर भूमि है इसका बाजार मूल्य क्या है और कितने हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) बांद्रा-बम्बई और बेंगलूरू में रेलवे भूमि के एक खण्ड के उपरी स्थान के वाणिज्यिक दोहन की योजनाएं हैं।

(ख) चूंकि यह मामला प्रारंभिक स्तर पर है इसलिए इसके ब्यौरे तैयार नहीं किये गये हैं।

(ग) भूमि का कानूनी स्वामित्व रेलों के पास ही बना रहेगा।

(घ) क्षेत्रवार रेलवे भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

मध्य	—	45,044
पूर्व	—	41,269
उत्तर	—	55,819
पूर्वोत्तर	—	41,443
पूर्वोत्तर सीमा	—	29,573
दक्षिण	—	29,646
दक्षिण मध्य	—	33,529
दक्षिण पूर्व	—	97,290
पश्चिम	—	45,835
	कुल	4,19,448

चूंकि रेलवे भूमि देशभर में चारों ओर फैली हुई है और अधिकांश भूमि पर परिचालनिक संरचनाएं आदि हैं इसलिए भूमि के कुल आधार मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा। वाणिज्यिक रूप से उपयोग में लाये जाने के लिए संभावित रेलवे भूमि का क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव अभी तक वैचारिक अवस्था में है।

राष्ट्रीय खेल संघों को अनुदान

2051. **श्री अशोक आनंदराव देशमुखः** या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन करने के लिये राष्ट्रीय खेल संघों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया;

(ख) इन संघों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी-कितनी धनराशि के अनुदान दिये गये; और

(ग) प्रत्येक संघ द्वारा अनुदानों की कितनी-कितनी राशि का वास्तव में उपयोग किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) राष्ट्रीय खेल संघों को वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 (जून-1992 तक) के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए क्रमशः 28,94,710/-रुपये, 27,57,408/रु०, 31,17,416/-रु० तथा 4,49,980-रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) दिये गये अनुदान का उपयोग अधिकतर खेल संघों द्वारा किया जा चुका है, सिवाए कुछ के, जिन्हें अभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र और परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने हैं।

विवरण

क्रम सं०	संघ का नाम	वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायक अनुदान			
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (जून 92 तक)
1.	अखिल भारतीय शतरंज संघ	25,000	2,00,000	2,71,670	1,00,000
2.	अखिल भारतीय कराटे डी-संघ	—	38,125	83,125	—
3.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद	18,750	1,65,300	62,500	—
4.	भारतीय अमैच्योर हैंडबाल संघ	3,77,500	1,68,750	1,25,000	79,10[illegible]
5.	भारतीय अत्या पत्या संघ	33,660	—	—	—
6.	भारतीय बाल बैडमिन्टन संघ	1,35,500	1,17,000	—	—
7.	भारतीय बास्केटबाल संघ	1,98,250	—	1,23,750	—
8.	भारतीय रोलर स्केटिंग संघ	—	18,750	—	—
9.	भारतीय साईकिल पोलो संघ	20,000	50,000	50,000	—
10.	भारतीय जिम्नास्टिक संघ	3,05,987	2,43,750	2,07,271	56,250

क्रम सं॰	संघ का नाम	वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायक अनुदान			
		1989-90	1990-92	1991-91	1992-93 (जून 92 तक)
11.	भारतीय शरीर सौष्ठव संघ	60,000	1,00,000	—	—
12.	भारतीय पोलो एसोसिएशन	17,972	—	—	—
13.	भारतीय सोफ्टबाल संघ	1,86,716	—	—	—
14.	भारतीय टीक बॉक्सो संघ	1,12,500	28,125	—	—
15.	भारतीय टेनी कोइट संघ	37,500	—	—	50,000
16.	भारतीय वालीबाल संघ	680	35,941	—	—
17.	भारतीय महिला फुटबाल संघ	1,62,500	62,500	—	—
18.	भारतीय महिला क्रिकेट एसोसिएशन	2,27,686	25,000	50,000	—
19.	जवाहरलाल नेहरू हाकी सोसायटी	—	1,17,600	—	—
20.	भारतीय क्याकिंग और कनोइंग एसोसिएशन	—	—	12,500	—
21.	भारतीय बेस बाल संघ	—	—	1,08,474	18,750
22.	अखिल भारतीय फुटबाल संघ	18,332	—	—	37,500
23.	भारतीय हाकी संघ (पुरूष)	25,000	87,500	47,750	—
24.	भारतीय तैराकी संघ	75,000	2,16,178	3,78,776	—
25.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर संघ	10,500	50,429	2,29,489	29,400
26.	भारतीय रोइंग संघ	20,000	—	—	4,780
27.	भारतीय अमैच्योर कबड्डी संघ	20,000	—	18,750	—
28.	भारतीय अमैच्योर एथलेटिक संघ	8,100	—	—	24,200
29.	भारतीय अमैच्योर मुक्केबाजी संघ	1,39,703	72,500	82,500	—
30.	अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन	84,730	1,57,408	—	—
31.	भारतीय भारोत्तोलन संघ	2,06,340	75,000	1,96,873	—
32.	भारतीय बैडमिन्टन एसोसिएशन	1,76,250	2,60,000	1,87,500	—
33.	भारतीय टेबल टेनिस संघ	75,567	1,00,000	2,60,000	—
34.	भारतीय याटिंग एसोसिएशन	21,970	63,919	43,819	50,000
35.	भारतीय राष्ट्रीय खो-खो एसोसिएशन	9,380	5,906	18,878	—
36.	भारतीय कुश्ती संघ	23,867	40,500	27,925	—
37.	भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन	18,750	23,968	1,28,480	—
38.	भारतीय साइक्लिंग संघ	—	1,43,076	97,424	—
39.	सुब्रतो मुखर्जी खेल शिक्षा सोसाइटी	—	12,500	45,644	—
40.	भारतीय महिला हाकी संघ	—	37,683	—	—
41.	भारतीय शक्तिलोलन संघ	—	25,000	2,59,948	—
	गैर-सम्बद्धता प्राप्त संघ				
42.	भारतीय खेल पत्रकार संघ	20,000	—	—	—

क्रम सं०	संघ का नाम	वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायक अनुदान			
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (जून 92 तक)
43.	भारतीय शरदकालीन खेल संघ	21,000	—	—	—
44.	भारत की भारतीय नेत्रहीन खेल एसोसिएशन	—	15,000	—	—

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शासी बोर्ड के सदस्यों का चयन

2052. **श्री महेश कनोडिया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शासी बोर्ड के सदस्यों के चयन की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के कुलपति भी इस आयोग के सदस्य हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सदस्यों के चयन में निर्धारित मानदण्डों को अपनाया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में वि.अ.आ. के शासी बोर्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

विश्व० अनु० आयोग अधिनियम की धारा 5(1) के प्रावधानो के अनुसार आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(i) एक अध्यक्ष;

(ii) एक उपाध्यक्ष तथा

(iii) दस अन्य सदस्य

(2) अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अधिकारी नहीं है।

(3) उपखण्ड. (i) के खण्ड (iii) में उल्लिखित अन्य सदस्यों में से,

(क) दो सदस्यों का चयन सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से किया जाएगा।

(ख) कम से कम चार व्यक्तियों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो चयन के समय विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं; तथा

(ग) शेष का निम्नलिखित व्यक्तियों में से चयन किया जाएगा:—

(i) जिनको कृषि, वाणिज्य, वन विद्या या उद्योग में ज्ञान या अनुभव है;

(ii) जो इंजीनियरी, विधि, मेडिकल या अन्य किसी विद्वतापूर्ण व्यवसाय में हैं; या

(iii) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं या जो केन्द्रीय सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के अध्यापक न होते हुए भी प्रसिद्ध शिक्षाविद है या उच्च शैक्षिक विशिष्टाएं प्राप्त की हैं।

बशर्ते कि इस खण्ड के अधीन चयन किए गए व्यक्तियों में से कम से कम आधे उन व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हैं।

प्रो॰ बशीरूद्दीन अहमद, कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया व प्रो॰ रामलाल पारिख, कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य हैं।

(घ) से (ङ) सदस्यों की नियुक्ति में विश्व॰ अनु॰ आयोग अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुसरण किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम संबंधी विशेषज्ञ समिति

2053. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10+2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बनाये रखने की दृष्टि से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰) ने नवम्बर, 1989 में उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया।

(ख) पैनल को अपनी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप देना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे का आर्थिक कार्य निष्पादन

2054. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक जोनल रेलवे को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ / हानि हुई हैं;

(ख) उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान यात्री भाड़ा और माल भाड़ा से हुई आय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और प्रत्येक वर्ष की व्यय की मुख्य मदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घाटे को न्यूनतम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) रेलों के कार्यनिष्पादन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

विवरण

(क) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लाभ और हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे का नाम	1988-89		1989-90		1990-91	
	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
मध्य	266.08	—	292.15	—	363.85	—
पूर्व	—	142.39	—	173.11	—	153.98
उत्तर	126.40	—	225.68	—	77.54	—
पूर्वोत्तर	—	236.07	—	266.79	—	299.17
पूर्वोत्तर सीमा	—	180.47	—	172.17	—	239.31
दक्षिण	—	195.25	—	232.27	—	217.37
दक्षिण मध्य	14.08	—	26.15	—	6.92	—
दक्षिण पूर्व	265.28	—	370.73	—	420.90	—
पश्चिम	216.45	—	282.08	—	326.11	—

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में यातायात और कार्गों (अर्थात यात्री, अन्य कोचिंग माल और फुटकर) से हुई आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	यात्री			अन्य कोचिंग			माल		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य	469.25	519.10	623.11	56.99	64.78	68.32	1029.03	1229.75	1372.51
पूर्व	274.58	298.51	349.49	29.07	29.17	31.04	780.27	903.08	990.10
उत्तर	457.55	510.39	590.06	45.13	60.89	61.52	1000.02	1221.95	1295.15
पूर्वोत्तर	152.06	159.76	180.40	12.54	11.96	18.48	125.31	154.18	164.32
पूर्वोत्तर सीमा	55.05	61.11	70.21	6.76	7.62	10.31	156.95	191.53	213.74
दक्षिण	236.30	244.93	292.87	36.63	45.62	44.80	329.30	387.83	453.67
दक्षिण मध्य	225.59	246.12	294.60	27.75	30.79	28.63	622.29	721.48	790.07
दक्षिण पूर्व	167.30	176.94	207.87	26.36	28.97	28.12	1355.16	1673.75	1886.61
पश्चिम	415.72	449.59	536.11	29.50	33.51	45.16	944.78	1140.94	1241.70

रेलवे	फुटकर			जोड़		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	11	12	13	14	15	16
मध्य	33.35	30.41	41.76	1588.62	1844.04	2105.70
पूर्व	40.40	36.00	33.80	1124.32	1266.76	1404.43
उत्तर	46.89	41.80	39.06	1549.59	1835.03	1985.79
पूर्वोत्तर	6.07	10.40	10.27	295.98	336.30	373.47
पूर्वोत्तर सीमा	8.34	9.27	8.57	227.09	269.53	302.83
दक्षिण	27.50	30.95	31.59	629.73	709.33	822.93
दक्षिण मध्य	20.77	20.41	22.34	896.40	1018.80	1135.64
दक्षिण पूर्व	21.01	22.22	23.36	1569.83	1901.88	2145.96
पश्चिम	20.46	24.68	30.79	1410.46	1648.72	1853.76

(ग) क्षेत्रीय रेलों का वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के खर्च (कुल संचालन व्यय) की मुख्य मदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है.

रेलवे	वर्ष	सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य	1988-89	47.32	106.52	96.86	111.13	62.46	97.12
	1989-90	52.89	118.97	113.12	123.81	71.14	104.05
	1990-91	56.80	123.04	115.57	131.11	71.34	113.55
पूर्व	1988-89	59.21	107.18	80.00	143.56	70.09	109.19
	1989-90	66.68	113.15	91.32	162.65	79.49	120.20
	1990-91	67.09	119.41	96.51	167.93	77.47	126.70
उत्तर	1988-89	51.97	123.73	104.61	99.19	65.69	115.70
	1989-90	57.97	135.07	116.29	113.77	71.74	122.93
	1990-91	62.93	144.85	128.34	131.56	76.88	131.93
पूर्वोत्तर	1988-89	31.07	52.77	37.74	43.17	23.74	39.83
	1989-90	33.14	56.65	41.81	48.36	28.85	43.48
	1990-91	36.64	56.54	44.83	51.60	30.03	46.80
पूर्वोत्तर	1988-89	23.07	53.59	28.00	30.45	16.47	31.87
सीमा	1989-90	26.70	54.53	29.07	33.68	18.66	34.97
	1990-91	27.92	57.37	32.23	38.94	19.76	37.82
दक्षिण	1988-89	41.64	68.06	42.04	88.57	36.47	50.21
	1989-90	46.30	76.69	57.33	105.53	41.51	55.04
	1990-91	48.61	81.23	58.19	109.16	40.32	55.65
दक्षिण मध्य	1988-89	34.24	83.31	61.46	68.32	31.65	53.02
	1989-90	39.24	94.15	65.31	77.22	35.98	58.05
	1990-91	41.26	98.57	71.98	80.13	37.70	61.12
दक्षिण पूर्व	1988-89	53.61	122.46	75.03	111.78	52.95	77.78
	1989-90	59.19	131.53	89.54	130.01	60.14	90.63
	1990-91	62.30	139.96	93.92	138.80	60.07	93.71
पश्चिम	1988-89	48.72	88.92	76.55	108.23	58.91	80.91
	1989-90	54.59	98.10	90.11	131.83	67.00	86.55
	1990-91	58.75	107.82	99.72	134.34	68.92	89.57

(राशि करोड़ रुपयों में)

रेलवे	परिचालन व्यय यातायात	परिचालन व्यय ईंधन	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	विविध संचालन व्यय	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	पेंशन निधि में विनियोग	जोड़
	9	10	11	12	13	14	15	16
मध्य	124.98	228.10	33.62	33.25	0.37	207.61	78.01	1227.35
	170.25	253.43	35.60	47.28	0.48	242.03	116.97	1450.02
	203.26	300.00	38.89	61.60	0.48	279.50	141.60	1636.74
पूर्व	114.15	180.55	37.36	42.81	0.59	163.97	77.55	1186.21
	139.62	191.36	41.60	47.69	0.69	190.24	112.48	1357.17
	153.04	200.10	43.49	60.26	0.82	206.83	148.57	1468.22
उत्तर	158.83	227.43	42.08	54.93	0.51	229.00	82.02	1355.69
	182.68	245.14	47.14	61.11	0.58	278.00	96.74	1529.16
	236.33	269.13	52.02	75.58	0.95	330.01	149.78	1790.29
पूर्वोत्तर	55.93	74.48	18.29	23.01	0.33	64.46	38.12	502.94
	67.27	86.27	19.85	20.45	0.28	74.95	47.36	568.72
	80.38	92.18	23.34	22.39	0.87	87.18	63.97	636.75
पूर्वोत्तर सीमा	65.32	38.07	25.88	20.60	0.15	80.59	26.68	440.74
	65.93	38.09	27.59	20.17	0.35	94.28	33.08	477.10
	74.15	43.12	30.30	21.72	0.50	109.70	42.40	535.93
दक्षिण	84.06	96.02	27.07	32.73	0.16	146.20	53.56	766.79
	91.64	104.09	30.33	38.12	0.15	166.34	65.89	878.96
	98.79	135.47	31.82	39.75	0.18	188.19	87.67	975.03
दक्षिण मध्य	72.67	123.29	26.60	27.78	0.17	184.23	49.84	816.58
	103.38	135.39	30.65	29.66	0.05	187.79	60.91	917.78
	130.40	166.25	32.93	29.41	0.30	213.61	80.33	1043.99
दक्षिण पूर्व	115.24	201.26	38.36	49.52	0.75	249.68	61.19	1209.71
	165.08	232.42	42.72	48.68	0.75	284.17	90.22	1425.08
	224.90	267.50	45.03	60.82	1.25	316.79	116.70	1621.75
पश्चिम	141.50	169.79	34.11	55.51	0.59	174.26	82.70	1120.69
	167.93	194.24	36.63	46.72	0.56	197.20	103.94	1275.40
	199.85	224.85	41.12	53.73	1.14	218.19	138.45	1436.45

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

2055. **श्री मोहन रावले:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

स्वाय और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाए जाते हैं। कुल मिलाकर, इन केन्द्रों के सफलतापूर्वक कार्य करने की सूचना मिली है।

प्राथमिक शिक्षा

2056. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में आठवीं योजना में क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र द्वारा प्रस्तावित प्रायोजित कार्यक्रमों तथा योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के परिव्यय का योजना-वार और राज्य-वार, ब्यौरा क्या है तथा वर्ष, 1992 में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंवम संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) आठवीं योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य निम्नानुसार है:

पहुंच

(i) सभी बच्चों का सर्वसुलभ नामांकन जिसमें बालिकाएं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं।

(ii) सभी बच्चों के लिए एक कि०मी० पैदल दूरी के भीतर प्राइमरी स्कूल प्रावधान करना तथा पढ़ाई बीच में छोड़ दिए जाने वाले कामकाजी बच्चों तथा पूर्ण दिवसीय स्कूलों में भाग न ले पाने वाली लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।

(iii) प्राइमरी स्कूल के अपर प्राइमरी स्कूल के मौजूदा 1:4 से 1:12 के अनुपात में सुधार लाना इसे अपर प्राइमरी स्तर पर लड़कियों की व्यापक भागीदारी के अधिक अवसर प्रदान करने के वास्ते एक पूर्व शर्त के रूप में लिया जा रहा है।

सहभागिता

(iv) कक्षा I से IV तथा कक्षा I से VIII की पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वालों की जो मौजूदा दर 46 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत है इसमें क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत की कमी लाना।

उपलब्धि

(v) लगभग सभी बच्चों को प्राइमरी स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध कराना तथा इस संकल्पना को अपर प्राइमरी स्तर पर व्यापक पैमाने पर लागू करना।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, 15-35 आयु वर्ग के 1.04 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि देश के 350 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियानों से 8.00 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल किया जाएगा ताथ शेष 2.4 करोड़ निरक्षरों को स्वैच्छिक एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों, नेहरू युवा केन्द्रों आदि के द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों के जरिए साक्षरता प्रदान की जाएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि 2.1 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाएगा।

(ख) योजना अवधि के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) आपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी स्कूलों का सुधार।

(ii) औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार लाना तथा उसकी ओर उन्हें मोड़ना।

(iii) स्कूल शिक्षकों को सेवाकालीन तथा सतत शिक्षा के लिए केन्द्रों को नेटवर्क प्रदान करके शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को उन्नत बनाना तथा उनका विस्तार करना।

(iv) सामुदायिक सहभागिता की प्रक्रिया के माध्यम से सूक्ष्म आयोजना (माइक्रोप्लानिंग) शुरू करना तथा गांव स्तर तक शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावी रूप से विकेन्द्रीकरण करके उसे गांव स्तर पर लाना।

(v) कक्षा V और कक्षा VIII पूरी करने वाले बच्चों का अनुवीक्षण करना और ऐसे कार्यक्रम विकसित करना जिससे यह सुनिश्चित हो कि इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों ने शिक्षा का न्यूनतम शिक्षा स्तर प्राप्त कर लिया है।

(vi) प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ करना जिसमें प्रबंध सूचना प्रणाली भी शामिल है।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, पूर्ण साक्षरता अभियानों, ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा, और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

(ग) और (घ) प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का योजनागत परिव्यय और 1992-93 के वार्षिक योजनागत परिव्यय की सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1992-93 का राज्यवार परिव्यय संलग्न विवरण III में दिया गया है। परियोजना के प्रस्तावों तथा उनके कार्यनिष्पादन पर निर्भर करने वाले भौतिक लक्ष्य वर्ष दर वर्ष राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं।

तथापि, आठवीं योजना (1992—97) के लिए कक्षा-VIII (6-14 आयु वर्ग के) नामांकन के अनन्तिम लक्ष्य तथा प्रौढ़ शिक्षा (15-35 आयु वर्ग के) में लोगों को शामिल करने की अनन्तिम लक्ष्यों की सूची संलग्न विवरण IV में दी गई है।

विवरण-I

प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 1992-93 का वार्षिक परिव्यय तथा आठवीं योजना परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	योजना का नाम	1992-93 के लिए वार्षिक परिव्यय	(करोड़ रुपए में) आठवीं योजना परिव्यय
1.	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	99.14	911.00
2.	अनौपचारिक शिक्षा	68.10	705.00
3.	शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना	64.50	547.00
4.	बाल भवन	1.00	5.00
5.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग	0.50	4.00
6.	सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा का अनुश्रवण	0.86	10.00
7.	सूक्ष्म आयोजना का संचालन	3.00	40.00
8.	शिशु उपलब्धियों में सुधार	2.00	25.00
9.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	18.90	633.00

विवरण-II

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए 1992-93 का परिव्यय तथा आठवीं योजना परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	योजनाएं	1992-93 के लिए वार्षिक परिव्यय	(करोड़ रु॰ में) आठवीं योजना के लिए परिव्यय
1.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	0.25	2.50
2.	निरक्षरता दूर करने के लिए विशेष परियोजनाएं	58.65	1000.00
3.	उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा	10.00	132.00
4.	कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन कार्यक्रम	3.75	25.00
5.	नेहरू युवा केन्द्र	1.50	15.00
6.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	0.50	8.00
7.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम	15.00	25.00
8.	श्रमिक विद्यापीठ	1.30	17.00
9.	स्वैच्छिक एजेंसियां (एस॰आर॰सी॰ तथा मम॰ सहित)	18.00	115.00
10.	राज्य प्रशासन ढांचे को मजबूत बनाना	7.00	28.00
11.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2.50	14.50
12.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	1.50	17.50
13.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	0.05	0.50

विवरण-III

प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1992-93 के लिए निर्धारित परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्रम० सं०	राज्य / संघ शासित प्रदेश	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा
1.	आन्ध्र प्रदेश	2377.00	665.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	22800.00	72.00
3.	असम	7689.00	811.40
4.	बिहार	9040.00	1017.00
5.	गोवा	540.00	45.00
6.	गुजरात	1537.96	354.54
7.	हरियाणा	3440.00	159.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1826.00	100.00
9.	जम्मू और कश्मीर	3000.00	169.00
10.	कर्नाटक	7194.00	350.00
11.	केरल	436.00	20.00
12.	मध्य प्रदेश	11708.00	780.00
13.	महाराष्ट्र	3946.00	297.00
14.	मणिपुर	582.12	47.00
15.	मेघालय	1680.00	86.00
16.	मिजोरम	457.00	34.00
17.	नागालैंड	306.00	12.60
18.	उड़ीसा	3000.00	600.00
19.	पंजाब	853.00	200.00
20.	राजस्थान	9995.00	160.00
21.	सिक्किम	644.00	10.00
22.	तमिलनाडु	3050.00	1300.00
23.	त्रिपुरा	1500.00	75.00
24.	उत्तर प्रदेश	9992.00	550.00
25.	पश्चिम बंगाल	4540.00	500.00
	कुल (राज्य)	91613.08	7913.54

(लाख रु० में)

क्रम० सं०	राज्य / संघ शासित प्रदेश	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा
	केन्द्र शासित प्रदेश		
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	438.00	4.60
27.	चंडीगढ़	132.20	9.94
28.	दादर एवं नागर हवेली	90.00	0.60
29.	दमन एवं दीव	86.87	2.25
30.	दिल्ली	5262.70	122.40
31.	लक्षद्वीप	34.21	2.76
32.	पांडिचेरी	215.00	10.00
	कुल (केन्द्र शासित प्रदेश)	6258.98	152.55
	कुल (राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश)	97872.06	8066.09

विवरण-IV

प्रारम्भिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए आठवीं योजना अनन्तिम भौतिक लक्ष्य (1992-93)

(हजारों में)

क्र० सं०	राज्य / संघ शासित प्रदेश	कक्षा I-VIII में प्रारम्भिक शिक्षा में अतिरिक्त दाखिला (6-14 आयु वर्ग)	प्रौढ़ शिक्षा में शामिल किए गए (आयु वर्ग) 15-35 वर्ष
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3988	7778
2.	अरूणाचल प्रदेश	63	175
3.	असम	1300	4500
4.	बिहार	10500	9400
5.	गोवा	15	100
6.	गुजरात	1208	4300
7.	हरियाणा	575	5711
8.	हिमाचल प्रदेश	191	800
9.	जम्मू एवं कश्मीर	377	600

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	631	6000
11.	केरल	332	980
12.	मध्य प्रदेश	5856	5500
13.	महाराष्ट्र	2150	9200
14.	मणिपुर	97.20	23
15.	मेघालय	81	262
16.	मिजोरम	54	32
17.	नागालैंड	66	23
18.	उड़ीसा	1016	130
19.	पंजाब	317	5000
20.	राजस्थान	4212	11000
21.	सिक्किम	27	4
22.	तमिलनाडु	1567	7800
23.	त्रिपुरा	114	400
24.	उत्तर प्रदेश	4410	16700
25.	पश्चिम बंगाल	4426	8559
	कुल (राज्य)	43573.20	104977
	संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.00	10
27.	चंडीगढ़	18.20	26
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0.24	15
29.	दमन एवं दीव	2.00	20
30.	दिल्ली	181.00	750
31.	लक्षद्वीप	0.30	12
32.	पांडिचेरी	10.00	30
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	226.74	863
	कुल (राज्य एवं संघ शासित प्रदेश)	43799.94	105840

राष्ट्रीय ऋण-छात्रवृत्ति सुविधा

2057. **श्री रमेश चैन्निथला:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए राष्ट्रीय ऋण-छात्रवृत्ति को सुविधाएं देना बन्द कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं। योजना अभी बन्द नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिन्धी भाषा का विकास

2058. **डा० के० डी० जेस्वाणी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिन्धी भाषा के विकास के लिए किसी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बोर्ड के द्वारा सिन्धी भाषा के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सिन्धी भाषा के विकास के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान सिंधी भाषा की प्रोन्नति और विकास के लिए 1.75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

गुवाहाटी में शटल ट्रेनें

2059. **श्री प्रबीन डेका:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में बारपेटा रोड और चापरमुख से गुवाहाटी तक यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए इन मार्गों पर शटल ट्रेनें चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) इस क्षेत्र के दैनिक यात्रियों के लाभ के

लिए 1.7.92 से न्यू बोंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच बारपेटा रोड को सेवित करने वाली एक नई पैसेंजर गाड़ी चलाई गई है, फिलहाल परिचालनिक तंगियों और वाणिज्यिक औचित्य की कमी के कारण चापरमुख और गुवाहाटी के बीच शटल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यात्री यातायात

2060. **डा० बसंत पवार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान यात्री यातायात में कोई कमी आई है;

(ख) क्या सरकार का विचार किराये में वृद्धि के अनुरूप यात्री सुविधाओं में सुधार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ सुपरफास्ट गाड़ियों से वातानुकूलित कुर्सीयान हटाने का है; और

(ड़) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु चुनी गई गाड़ियों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) उपलब्ध अनुमानित आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही में यात्री यातायात में गिरावट आई है।

(ख) और (ग) यात्री सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन और सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और यह यातायात की आवश्यकताओं पर आधारित है। 1992-93 के दौरान यात्री सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि 1991-92 के दौरान 31 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

(घ) और (ड) रात्रिकालीन गाड़ियों से वातानुकूलित कुर्सीयानों को हटाने का विनिश्चय किया गया है। अतः 1.7.92 से जम्मू तवी-गोरखपुर और हवड़ा-गोरखपुर, सुपर-फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों से वातानुकूलित कुर्सीयान हटा दिये गये हैं, नई दिल्ली-हवड़ा डीलक्स एक्सप्रेस और अमृतसर-बम्बई पश्चिम एक्सप्रेस से भी यथासमय वातानुकूलित कुर्सीयान हटा देने का प्रस्ताव है।

कोंकण रेलवे

2061. **प्रो० के०वी० थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार कोंकण रेलवे परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ख) लाभान्वित होने वाले प्रत्येक राज्य की क्या हिस्सेदारियां है;

(ग) क्या सभी राज्य अपनी हिस्सेदारी छोड़ रहे हैं; और

(घ) क्या इस रेलवे लाइन के रूट से सम्बन्धित विवाद हल कर लिए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1991-92 के मूल्य स्तर पर 1385 करोड़ रुपये।

(ख) इक्विटी पूंजी 400 करोड़ रुपये है जिसमें से प्रत्येक राज्य का हिस्सा इस प्रकार है:—

महाराष्ट्र	22%	88 करोड़ रु०
गोवा	6%	24 करोड़ रु०
कर्नाटक	15%	60 करोड़ रु०
केरल	6%	24 करोड़ रु०
		196 करोड़ रु०

रेलवे की हिस्सेदारी 204 करोड़ रुपये की है।

(ग) सभी चार राज्यों ने मार्च 1992 को समाप्त वर्ष तक का अपना-अपना पूरा हिस्सा जमा कर दिया है। चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य से प्राप्त अंशदान इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

	1992-93 तक हिस्सेदारी	अभी तक किया गया भुगतान
महाराष्ट्र	22	18.00
गोवा	6	0.88
कर्नाटक	15	2.00
केरल	6	कुछ नहीं

(घ) हालांकि गोवा की जनता के कुछ वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद नहीं है।

पुणे-काजीपेट रेलवे लाइन का दोहरीकरण

2062. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:** क्या रेल मंत्री 25 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे के पुणे-काजीपेट लाइन विशेषत: गुलबर्गा से घोंड तक के शेष खण्ड के दोहरीकरण का कार्य वर्ष 1992-93 के दौरान शुरू किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यातायात अपेक्षा और संसाधनों की उपलब्धता का आकलन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह आकलन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की तंगी।

(ग) जी हां।

(घ) इकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण लाइन क्षमता के संतृप्त हो जाने पर किया जाता है जिसमें अत्यधिक माल यातायात वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाती है। पुणे-काजीपेट खंड के शेष खंडों के दोहरीकरण के बारे में परिचालनिक आवश्यकताओं तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों के आवागमन से राजस्व

2063. **श्री अनन्तराव देशमुख:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यात्रियों के आवागमन से रेलवे को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यात्री सुविधाओं के लिए कितना धन आवंटित किया गया?

रेल मंत्रालय में राय मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों को यात्रियों से हुई आमदनी की राशि नीचे दी गई है:—

वर्ष	राशि लाख रुपयों में
1988-89	2455,50
1989-90	2668,92
1990-91	3147,50

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित की गई राशि नीचे दी गई है:—

वर्ष	राशि लाख रुपयों में
1988-89	18,67
1989-90	24,84
1990-91	29,07

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली भूमि पर अतिक्रमण

2064. **श्री यशवंत राव पाटिल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली भूमि का कई स्थानों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और उस पर नये भवनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर अतिक्रमण किया गया है; और

(ग) भूमि के इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण को रोकने और उस पर निर्माण न होने देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

खाड़ी-देशों के अनिवासी भारतीयों से धनराशि

2065. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राथमिक रेल परिवहन सुविधाओं के विकास, विशेषत: देश की कोंकण रेल परियोजना हेतु खाड़ी देशों के अनिवासी भारतीयों से पूंजी निवेश प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक प्राप्त हुई प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क)और(ख) भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा कोंकण रेलवे परियोजना के लिए जारी किए जा रहे बंध पत्रों के लिए खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया गया है, प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी स्टेडियम का विस्तार

2066. **श्री एन॰ जे॰ राठवा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साइकिलिंग और जल क्रीड़ा शुरू करने तथा वहां स्थित नेताजी स्टेडियम का विस्तार करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो स्टेडियम के विस्तार और वेलोड्रोम तथा स्विमिंग पूल की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है; और

(ग) इन पर अनुमानत: कितना खर्च होने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साईक्लिंग और जल क्रीड़ा पहले ही शुरू की गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने सिप्पी घाट, पोर्ट ब्लेयर में जल क्रीड़ा केन्द्र भी स्थापित किया है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग किसी भी प्रकार की खेल की बुनियादी सुविधाएं सृजित या स्थापित नहीं करता अपितु इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सहायता देता है।

(ख)और (ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन खेलों की बुनियादी सुविधाओं के विस्तार/सृजन के लिए निर्धारित तरीके से अपना आवेदन-पत्र भेजकर केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकता है। यह लागत सामान्यत: प्रत्येक मामले में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा वांछित सुविधाओं के क्षेत्र पर निर्भर करेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण वेलोड्रोम की स्थापना करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है, यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

फतेहनगर (हैदराबाद) में उपरिपुल

2068. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में फतेहनगर के रेल फाटक पर बहुत अधिक यातायात रहता है;

(ख) क्या इस फाटक पर उपरिपुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य कब से शुरू होगा; और

(घ) इस वर्ष के दौरान इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क)और(ख) हैदराबाद में फतेहनगर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण रेलवे निर्माण कार्यक्रम का एक अनुमोदित कार्य है;

(ग) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

(घ) 1992-93 के बजट में इस कार्य के लिए 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

2069. **श्री नीतीश कुमार:**
श्री जगमीत सिंह बरार:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानों में वृद्धि पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए इन विश्वविद्यालयों को सहायता देने का है कि अनुदानों की कमी के कारण इन पाठ्यक्रमों पर दुष्प्रभाव न पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूरी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। संसाधनों की उपलब्धता संबंधी मौजूदा कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 1992-93 के दौरान पिछले वर्ष के स्तर पर सभी मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के योजनेतर व्यय का स्तर बनाए रखने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वि०अ०आ० ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सूचित किया।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने अध्यक्ष, वि०अ०आ० तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ, उनके द्वारा जिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है उन्हें कम करने के उपायों पर विचार करने के लिए विचारविमर्श किए। इन विचार-विमर्शों के आधार पर आयोग ने 1992-93 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण अनुदान रोकने संबंधी अपने पिछले आदेश वापस ले लिए हैं।

इन परिस्थितियों में, निधियों की कमी के कारण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संख्या कम करने संबंधी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

[अनुवाद]

साहित्य अकादमी पुरस्कार

2070. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साहित्य कला अकादमी के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने संबंधी मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची तैयार करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1991 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) साहित्य अकादमी पुरस्कारों को अभिशासित करने वाले नियम और पद्धतियां संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) पुस्तकों का चयन करने की पद्धति के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा, अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं में से प्रत्येक में, अकादमी पुरस्कारों को अंतिम रूप देने के लिए, अपनी अनुमोदित सूचियों में से प्रतिवर्ष विभिन्न पैनलों का गठन किया जाता है।

(ग) 25 प्रारंभिक निर्णायकों के नामों को गोपनीय रखा जाता है। तथापि, प्रत्येक मामले में, अंतिम निर्णय देने वाले तीन निर्णायकों के नामों को पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही घोषित किया जाता है।

(घ) वर्ष 1991 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं की सूची संलग्न विवरणII में दी गई है।

विवरण—I

साहित्य अकादमी पुरस्कारों को अभिशासित करने वाले नियम और पद्धति

समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक चर्चाओं और टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि आमतौर पर लोग और बड़ी संख्या में लेखक एवं बुद्धिजीवी उन नियमों तथा पद्धति से पूर्ण रूप से जानकार नहीं हैं, जिसके अन्तर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किये जाते हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इन संदेहों और ग़लतफहमियों को दूर करने के लिए इनको सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया जाए।

साहित्य अकादमी पुरस्कारों को अभिशासित करने वाले नियम ये हैं:—

1. पुरस्कार के वर्ष से तीन वर्ष पहले पहली बार प्रकाशित पुस्तकों के लिए पुरस्कार दिये जायेंगे।
2. कोई भी पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र हो सकती है यदि वह सृजनात्मक या आलोचनात्मक क्षेत्र में उच्चकोटि की समझी गयी हो और उसकी भाषा और साहित्य, जिससे यह सम्बन्धित हो, में उत्कृष्ट योगदान के रूप में संस्तुति की गई हो। पुरस्कार के लिए पुस्तकों का मूल्यांकन करते समय कृति की साहित्यिक योग्यता को ध्यान में रखा जाता है।
3. जहां दो या अधिक पुस्तकें बराबर या लगभग बराबर साहित्यिक योग्यता की पायी जाती हैं, वहां लेखकों के कुल साहित्यिक योगदान तथा प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाएगा।
4. अनुवाद, संग्रह, संक्षिप्त और सम्पादित या सटीक कृतियां पुरस्कार की पात्र नहीं हैं।

5. पुस्तक के रूप में पहले से प्रकाशित लेखों के नए संग्रह या पहले से प्रकाशित पुस्तकों के संशोधित संस्करण पुरस्कार के पात्र नहीं हैं। तथापि, यदि किसी संग्रह में शामिल कम-से-कम 60% भाग पहली बार प्रकाशित किया गया हो तो इस पर पुरस्कार के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि प्रारम्भिक और अन्तिम पेनलों में सलाहकारों की राय केवल संग्रह में शामिल नए भाग से सम्बन्धित हो।

6. जो पुस्तक एक भाग में प्रकाशित की गयी हो और अभी अधूरी हो, पुरस्कार की पात्र नहीं है। तथापि, उक्त भाग में प्रकाशित पुस्तक यदि अपने आप में पूरी हो, तो वह पात्र होगी।

7. विश्वविद्यालय उपाधि या परीक्षा के लिए तैयार किये गये शोध प्रबन्ध और अनुसंधान कार्य पुरस्कार के पात्र नहीं हैं।

8. मृत्यु उपरान्त प्रकाशन केवल तभी पात्र होगा यदि वह लेखक की मृत्यु के तीन वर्ष के भीतर प्रकाशित किया गया हो।

9. साहित्य अकादेमी के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों और फेलो द्वारा लिखी गई पुस्तकें पुस्कार की पात्र नहीं होंगी।

10. कोई भी लेखक, जिसने एक बार पुरस्कार प्राप्त कर लिया है; दुबारा पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हो सकता।

11. कोई भी पुस्तक पुरस्कार के लिए अयोग्य ठहरायी जा सकती है, यदि कार्यकारी बोर्ड के सदस्य इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि इसके लिए प्रचार किया गया है।

साहित्य अकादेमी पुरस्कार के लिए पुस्तकें चुनने की पद्धति नीचे दी गई है:—

1. साहित्य अकादेमी अपने द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों को वार्षिक पुरस्कार देती है—

   (I) असमिया, (II) बांगला, (III) डोगरी, (IV) गुजराती, (V) हिन्दी, (VI) भारतीय अंग्रेजी, (VII) कन्नड़, (VIII) कश्मीरी, (IX) कोंकणी, (X) मैथिली, (XI) मलयालम, (XII) मणिपुरी, (XIII) मराठी, (XIV) नेपाली, (XV) उड़िया, (XVI) पंजाबी, (XVII) राजस्थानी, (XVIII) संस्कृत, (XIX) सिन्धी, (XX) तमिल, (XXI) तेलुगु और (XXII) उर्दू। केवल भारतीय नागरिक ही इस पुरस्कार के योग्य हैं।

2. साहित्य अकादेमी पुरस्कार के लिए पुस्तकें प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशकों या लेखकों को आमंत्रित नहीं करती है।

3. साहित्य अकादेमी एक विशेषज्ञ और विभिन्न मान्यता प्राप्त साहित्यिक संस्थाओं से उपर्युक्त भाषाओं की प्रत्येक पात्र और उपयुक्त पुस्तकों की एक आधार सूची तैयार करवाती है।

4. इस प्रकार यथा अनुशंसित पुस्तकों की एक सूची तैयार की जाती है जो 25 प्रारंभिक निर्णायकों के पेनल को भेजी जाती है, जिनसे अधिक-से-अधिक प्रत्येक में से पांच पुस्तकों, या तो उनको भेजी गई सूची में से अथवा उनकी अपनी पसन्द की पुस्तकों, की संस्तुति करने का अनुरोध किया जाता है। इन 25 निर्णायकों में से 9 निर्णायक प्रत्येक भाषा सलाहकार मंडल के सदस्य होते हैं, जिनमें इसका संयोजक शामिल नहीं होता है।

5. इस प्रकार से प्राप्त संस्तुतियों को एक सूची के रूप में संकलित किया जाता है, जिसे इस अनुरोध के साथ प्रारम्भिक निर्णायकों को भेजा जाता है कि उनमें से प्रत्येक अब इसमें से केवल एक पुस्तक की संस्तुति करें।

6. प्रारम्भिक निर्णायकों द्वारा इस प्रकार से अनुशंसित पुस्तकें प्रत्येक भाषा सलाहकार मंडल के संयोजक सहित तीन अन्तिम निर्णायकों को भेजी जाती हैं, जिनसे पुस्तकों का यापक रूप से मूल्यांकन करने और विस्तृत टिप्पणियां देने और उनके क्रमानुसार 1,2,3 आदि स्थान निर्धारित करने का अनुरोध किया जाता है। जिस पुस्तक का सबसे कम योग होता है, उसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है।

7. अन्तिम तीन निर्णायकों के मूल्यांकनों को साहित्य अकादेमी के कार्यकारी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो अन्तिम निर्णायकों की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कार की घोषणा करता है।

8. कभी-कभी, यदि अन्तिम पेनल निर्णायकों के मूल्यांकनों के आधार पर कार्यकारी मंडल यह समझता है कि कोई भी पुस्तक वांछित स्तर तक की नहीं है, तो उस भाषा में पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती।

9. पुरस्कार वर्ष 1981 से, अन्तिम निर्णायकों के नामों की घोषणा पुरस्कारों की घोषणा के साथ-साथ कर दी जाती है। जो भाषा विशेषज्ञ आधार सूची तैयार करते हैं, उनके नाम और 25 प्रारम्भिक निर्णायकों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं। कोई भी निर्णायक यह नहीं जानता है कि अन्य निर्णायक कौन-कौन हैं।

यद्यपि, साहित्य अकादेमी सभी विशेषज्ञों से अपने परिचय और संस्तुति को गोपनीय रखने का अनुरोध करती है, लेकिन मानव प्रवृत्ति के कारण कुछ विशेषज्ञ अपनी संस्तुतियां अपने मित्रों आदि पर प्रकट कर ही देते हैं। तथापि, साहित्य अकादेमी को निर्णायकों को किसी के द्वारा प्रभावित करने के प्रयास करने से सम्बन्धित कोई शिकायत शायद ही कभी मिली हो। वास्तविक और जिम्मेदार व्यक्तियों और निकायों के अभ्यावेदनों की शीघ्र जांच की जाती है।

पुरस्कारों के लिए पुस्तकों के चयन की विस्तृत पद्धति से यह स्पष्ट है कि यह एक लोकतांत्रिक और व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें काफी संख्या में लेखक शामिल होते हैं। हम नहीं समझते कि कोई भी लेखक, जिनके प्रति हमें पूर्ण सम्मान और स्नेह है, चाहने पर भी इस पद्धति को इसके विभिन्न स्तरों पर प्रभावित कर सका हो।

विवरण—II

साहित्य अकादेमी पुरस्कार 1991

भाषा	शीर्षक और विधा	लेखक
असमिया	ब्रह्मपुत्र इत्यादि पद्य (कविता-संकलन)	अजित बरुवा
बांगला	सादा खाम (उपन्यास)	मति नंदी
डोगरी	अपनी डफली अपना राग (नाटक-संग्रह)	मोहन सिंह

भापा	शीर्षक और विधा	लेखक
अंग्रेजी	दर्ड्डूरनामा इतिवृत्त (उपन्यास)	आई॰ एँलन सीली
गुजराती	टोलां अवाज घोंघाट (कविता-संग्रह)	लाभशंकर ठाकर
हिन्दी	मैं वक्त के हूं सामने (कविता-संकलन)	गिरिजाकुमार माथुर
कन्नड़	सिरिसंपिगे (नाटक)	चंद्रशेखर कंबार
कश्मीरी	आछर त्संगे (कविता-संग्रह)	गुलाम नबी टाक नाज़िर
कोंकणी	सपनफुलां (लघु-कहानियां)	मीना काकोडकार
मैथिली	पसिझैत पाथर (नाटक-संकलन)	रामदेव झा
मलयालम्	छत्रुवुं चामरवुं (समालोचना)	एम॰ पी॰ शङ्कुण्णिनायर
मणिपुरी	नुमिति असुम थेड ज़ील्लकलि (लघु-कहानियां)	यूमलेम्बम इबोम्चा सिंह
मराठी	टीका स्वयंवर (समालोचना)	भालचंद्र नेमाडे
नेपाली	हिपोक्रिट वायं-गुरांसर अन्य कविता (कविता-संग्रह)	गिर्मी शेर्पा
ओड़िया	आहिनक (कविता-संग्रह)	जगन्नाथ प्रसाद दास
पंजाबी	झनां दी रात (कविता-संकलन)	हरिदर सिंह महबूब
राजस्थानी	म्हारी कवितावां (कविता-संग्रह)	प्रेमजी प्रेम
संस्कृत	स्वातंत्र्यसम्भवम् (महाकाव्य)	रेवाप्रसाद द्विवेदी
सिन्धी	सोच जूं सूरतूं (कविता-संग्रह)	हरिकान्त जेठवाणी
तमिल	गोपल्लपुरत्तु मक्कलू (उपन्यास)	कि॰ राजनारायणन्
तेलुगु	इट्लु, मी विधेयुडु (लघु-कहानियां)	भामिडिपाटि राजगोपालम्
उर्दू	आइडेन्टिटी कार्ड (उपन्यास)	सलाहुद्दीन परवेज़

खाम गांव-जालना रेलवे लाइन

2071. **श्री अंकुशराव टोपे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कुछ साल पहले विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने वाले प्रस्तावित खाम गांव-जालना रेलवे लाइन के लिए सिफारिश की थी;

(ख) क्या इस संबंध में सर्वेक्षण पर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्य के लिए 1990 में पुनः लिखा है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उपरोक्त रेलवे लाइन को शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) 1990 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 155 कि॰ मी॰ लंबी नई बड़ी लाइन पर 133 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है तथा इससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर 1% से कम की है। यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) संसाधनों की तंगी और परियोजना का अलाभप्रद होना।

[हिन्दी]

सामान की चोरी

2072. **श्री छेदी पासवान:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे यार्डों में सामान को चढ़ाने-उतारने के दौरान इसकी चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, जोन-वार कितने मूल्य के सामान की चोरी हुई है;

(ग) इस संबंध में कितने कर्मचारी उत्तरदायी पाए गए हैं; और

(घ) इन व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) माल का लदान और उतराई रेलवे यार्डों में नहीं की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना

2073. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 जनवरी, 1992 को प्रकाशित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रारूप को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उद्योगों तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने वाले पर्यावरण मानदण्डों को राजपत्र में अधिसूचित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अधिसूचना का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) अधिसूचना के मसौदे के जारी होने की तिथि से 180 दिन के भीतर अर्थात् 25 जुलाई, 1992 तक अंतिम अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों से टिप्पणियां मांगी गई थीं और वे प्राप्त हो गई है। ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि निर्णय लेने में विलम्ब हो जाएगा जिससे विकास की गति धीमी पड़ जाएगी और राजस्व की भी हानि होगी। तथापि, बाद में इस प्रकार की आशंकाओं को दूर करने तथा अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए संशोधनों को शामिल करने, यदि कोई हों, के लिए विस्तृत चर्चाएं आयोजित की गई।

नागरकोइल तथा कन्याकुमारी स्टेशनों पर जयंती-जनता एक्सप्रेस में शायिका (बर्थ) हेतु कोटा

2074. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयंती-जनता एक्सप्रेस में कन्याकुमारी और नागरकोइल स्टेशनों पर द्वितीय श्रेणी शायिका का इस समय कितना-कितना कोटा है;

(ख) उपर्युक्त स्टेशनों पर इन शायिकाओं की संख्या उस समय-कितनी थी जब उपर्युक्त रेलगाड़ी को इस रेल मार्ग पर पहली बार चलाना शुरू किया गया था;

(ग) क्या यह कोटा बढ़ाने की कोई मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) 1082 कन्याकुमारी एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे में कन्याकुमारी और नागरकोइल स्टेशनों से बम्बई के लिए इस समय और 1.7.84 को, जब यह गाड़ी कन्याकुमारी तक बढ़ाई गई थी, आरक्षण कोटे की स्थिति निम्न प्रकार है:-

	वर्तमान कोटा	1.7.84 को
कन्याकुमारी	8	28
नागरकोइल	16	16

(ग) जी हां।

(घ) चूंकि मांग के वर्तमान स्तर को संभालने के लिए मौजूदा कोटा सामान्यतः पर्याप्त है, इसलिए फिलहाल इन कोटों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में शोर प्रदूषण

2075 **श्री मदन लाल खुराना:**
श्री राम विलास पासवान:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में शोर प्रदूषण में असामान्य वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में शोर प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया।

(ख) दिल्ली में शोर प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रों के लिए शोर के संबंध में परिवेशी-वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। वाहनों, घरेलू उपकरणों, निर्माण उपस्करों के विनिर्माण स्तर पर अपनाए जाने के लिए भी शोर की सीमाएं निर्धारित की गई है। वाहनों के लिए शोर की सीमाओं को दिसम्बर, 1992 तक पूरा किया जाना है जबकि उपकरणों और उपस्करों के मामले में इनको दिसम्बर, 1993 तक पूरा किया जाना है।

2. उद्योगों और वाहनों से इतर स्रोतों से होने वाले शोर को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा व्यवहार संहिताएं इजाद की गई हैं और विभिन्न राज्य संरकारों से उनको कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

3. दिल्ली में शैक्षिक संस्थाओं के आस पास के 19 क्षेत्रों को हस्पतालों के आस-पास के 28 क्षेत्रों को और 23 आवासी/कार्यालय क्षेत्रों को "शांत क्षेत्र" घोषित किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा इन क्षेत्रों में हॉर्न बजाने पर लगाए गए प्रतिबन्धों को लागू किया जा रहा है। इन प्रतिबन्धों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं।

नेहरू युवक केन्द्र

2076. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समेकित पारस्परिक ग्रामीण विकास योजना में नेहरू युवक केन्द्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) नेहरू युवा केन्द्रों को पहले ही एकीकृत पारस्परिक ग्राम-विकास योजनाओं में शामिल कर लिया गया है। उदाहरणार्थ, नेहरू युवा केन्द्रों के उद्देश्यों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्रईसेम), स्वरोजगार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रौढ़-शिक्षा जैसे सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के साथ युवाओं को जोड़ने वाली समन्वयक एजेंन्सी के रूप में कार्य करना शामिल है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गत वर्ष किये गये उपायों में उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है जहां 8000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से लगभग 2,40,00 अनपढ़ व्यक्तियों को साक्षरता कार्यक्रम प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त 540 युवा क्लबों द्वारा उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के 8 जिलों को प्रौढ़ शिक्षा हेतु अपनाया गया था। नेहरू युवा केन्द्रों ने टी० वी०/रेडियो मरम्मत, ट्यूबवेल मरम्मत, दर्जीगिरी, हस्तकला जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये थे जिनके द्वारा गत वर्ष लगभग 35,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था।

सरकार का 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10-10 गांवों के प्रत्येक समूह के लिए एक केन्द्र के हिसाब से

18,000 युवा विकास केन्द्र प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव है। इन केन्द्रों में सूचना, खेल, प्रशिक्षण तथा युवा कार्यक्रमों की सुविधाएं होगीं तथा ये नेहरू युवा केन्द्रों की सहायता के जरिए कार्य करेंगे। ये केन्द्र संघटक ग्रामों की विकास योजनाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभायेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

2077. **प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) सरकार ने मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुंह और गले के कैंसर के रोगी

2078. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या देश में मुंह और गले के कैंसर वाले रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 मार्च, 1992 तक राज्यवार मुंह और गले के कैंसर वाले कितने रोगियों का पता लगाया गया और कितने रोगियों का उपचार हो रहा है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत प्राप्त आंकड़े पिछले वर्षों के दौरान मुखीय कैंसर की घटना में किसी वृद्धि की सूचना नहीं देते।

(ग) मुंह और गले के कैंसर रोगियों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कैंसर की रोकथाम और शुरू में ही पता लगाने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। मुखीय कैंसर के संभावित कारणों और तंबाकू से होने वाले क्षय रोग के बुरे प्रभावों के बारे में जनता में जागरुकता पैदा करने के बारे में उन्हें शिक्षित करने के विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पुएनाम पौधे के संबंध में अनुसंधान

2079. **श्री महेश कनोडिया:**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिजोरम में पाये जाने वाले पुएनाम पौधे के संबंध में जिसकी हृदय संबंधी रोगों तथा रक्तचाप रोकने में औषधीय उपयोगिता अत्यधिक है, व्यापक अनुसंधान कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में भी उसके प्रचार और खेती के लिए धन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, द्वारा अब तक किए गए अध्ययन से पता चलता है कि यह पौधा रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों को रोकने में प्रभावकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में खसरा फैलना

2080. **श्री गुरुदास कामत:**
श्री अन्बारासु इरा:
श्री परसराम भारद्वाज:
श्री बारे लाल जाटव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के तेइस जिलों में खसरा फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितने बच्चों की मौतें हुई हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1992-93 में भिंड, मुरैना, दुर्ग, शिवपुरी, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों में खसरे के रोगियों में वृद्धि की सूचना दी है।

(ख) खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है और सभी बच्चे, यदि उनका टीकाकरण नहीं किया गया है, अपने जीवन में खसरे से पीड़ित होते हैं। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य शिशुओं को खसरा

सहित छह वैक्सीन निवार्य रोगों से बचाना है, 1985-86 में चरणवार तरीके से प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश के 45 में से 25 जिलों को वर्ष 1989-90 से ही शामिल किया गया। इस प्रकार 5 वर्ष तक की आयु के ऐसे अनेक बच्चे हैं जिनका टीकाकरण नहीं किया गया है। राज्य में वर्ष 1991-92 में खसरा वैक्सीन का कवरेज स्तर केवल 74.77% है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में रोग की स्थिति के आधार पर इस वर्ष खसरे के अधिक प्रकोप का पूर्वानुमान था।

(ग) वर्ष 1992-93 में अब तक राज्य में 92 बच्चों की मृत्यु की सूचना मिली है।

(घ) भारत सरकार ने दिसम्बर, 1991 में राज्यों को वर्ष 1992 में खसरे की महामारी के प्रकोप की संभावना के बारे में सूचित करते हुए इस महामारी से बचने और यदि इसका प्रकोप हो जाता है तो खसरे से पैदा हुई जटिलताओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में दिशा-निर्देश दिए थे। राज्यों को यह सलाह भी दी गई थी कि खसरे से बचाव के लिए एक अभियान के रूप में टीकाकरण की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रोटरी इंटरनेशनल और इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की सहायता से 16 मार्च, 1992 को विशेष खसरा टीकाकरण दिवस के रूप में मनायें। मध्य प्रदेश में खसरा महामारी होने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मुरैना में एक केन्द्रीय चिकित्सा दल भेजा गया था जिसने इस महामारी को फैलने से रोकने हेतु उपायों की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश सरकार ने महामारी क्षेत्रों में 6 महीने से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को विटामिन "ए" घोल प्रदान करने के साथ-साथ खसरे से बचाव के लिए टीकाकरण द्वारा रोग नियंत्रण उपाय अपनाये हैं। नये रोगियों का पता लगाने के लिए सक्रिय निगरानी की जा रही है और प्रभावित क्षेत्र में खसरे के पश्चात् की जटिलताओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए उपचार हेतु विशेष दल कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा समाज में व्याप्त मिथ्या धारणाओं को दूर करने के लिए जागरुकता पैदा करने और खसरा टीकाकरण को अपनाने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है।

राज्यों के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक

2081. **श्री श्रवण कुमार पटेल:**
श्री बी० एन० रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांस्कृतिक मामलों में राज्यों की भूमिका पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में राज्यों के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या थे और इसमें क्या सुझाव दिये गये; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां। संस्कृति सचिवों और मंत्रियों की एक बैठक, अन्य के साथ-साथ, राष्ट्रीय संस्कृति नीति से संबंधित विचार-विमर्शों के संक्षिप्त विवरण पर विचार करने के लिए 25 और 26 मई, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है। नीति तैयार करते समय सरकार इनको ध्यान में रखेगी।

विवरण

(ख) बैठक में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

(i) 1990 में आयोजित जिन 10 क्षेत्रीय सेमिनारों में विशेषज्ञों, समीक्षकों तथा प्रशासकों ने ऐसी नीति पर विचार करने के लिए भाग लिया था, उनमें की गई सिफारिशों पर आधारित संस्कृति नीति के दस्तावेज पर आम सहमति हुई थी।

(ii) यह निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक संगठनों एवं व्यक्तियों को अनुदान देने के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति परिषद के गठन पर और विचार किया जाए।

(iii) इस बात को लेकर आम सहमति थी कि संस्कृति के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों का प्रोत्साहन नगरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह पंचायत प्रणाली के माध्यम से निचले स्तर तक भी पहुंचाया जाना चाहिए।

(iv) कई राज्यों ने संस्कृति के क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को बहाल किए जाने के लिए अपील की।

(v) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंग के रूप में पुस्तकालय अभियान पर पर्याप्त बल दिया गया।

(vi) इस बात पर भी जोर दिया गया कि बच्चे पर भार बढ़ाए बिना ही संस्कृति के पहलुओं को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की जा रही पाठ्य पुस्तकों में जोड़ा जाए।

(vii) यह भी सिफारिश की गई कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ की एक शाखा प्रयोगशाला मणिपुर में तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्राहलय की एक शाखा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाए।

(viii) यह महसूस किया गया कि सांस्कृतिक कार्यकलापों के अनेक पहलू राज्यों के विभिन्न विभागों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें एक ही क्षेत्राधिकार में लाए जाने की जरूरत है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

2082. **श्री प्रबीन डेका:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए असम सरकार से कोई मास्टर प्लान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन "असम में गैंडों का संरक्षण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को सहायता देना भी शामिल है, के तहत वित्तीय सहायता के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर विकास परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं। आठवीं योजना के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्कीम के तहत 92.38 लाख रुपये की राशि दी गई है। जबकि 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 43.90 और 70.25 लाख रुपये दिए गए थे। 1992-93 से स्कीम को असम सरकार को दे दिया गया है, जिसके लिए कुल 75 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

एर्णाकुलम में कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

2083. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एर्णाकुलम में कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण शुरू करने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) एर्णाकुलम स्टेशन के आधुनिकीकरण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 30 सितम्बर, 1992।

(ख) एर्णाकुलम जंक्शन के आधुनिकीरण का कार्य पहले ही 62.5 लाख रुपये की लागत से शुरू किया जा चुका है। इस योजना में प्रसाधन सुविधाओं, अग्रिम आरक्षण सुविधा और सम्मिलन की सुविधाओं सहित दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था शामिल है।

प्राणी उद्यानों की स्थापना

2084. **श्री सुधीर सावंत:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्राणी उद्यान स्थापित करने के संबंध में विद्यमान नीति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): भारत सरकार केवल ऐसे चिड़ियाघरों की स्थापना करने के पक्ष में है जो प्राणिजात की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का स्वस्थाने संरक्षण में सकारात्मक योगदान कर सकें और जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति दर्शकों में समझदारी और परानुभूति को बढ़ावा दे सकें।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा का प्रसार

2085. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमित साधनों और धन की कमी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार साक्षर व्यक्तियों और स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) अनौपचारिक शिक्षा की संशोधित योजना, जिसका लक्ष्य तुलनात्मक रूप से वंचित भौगोलिक क्षेत्रों तथा समाज के सामाजिक-आर्थिक वर्गों में, प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना है, को राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 1987-88 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि स्थानीय समुदाय के साक्षर व्यक्तियों का चयन मानदेय की छोटी सी राशि पर अंश-कालिक अनुदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए किया जाए। आठवीं योजना के दौरान निधियों की उपलब्धता के आधार पर योजना में विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उन स्थानों तथा परिस्थितियों में, जहां परम्परागत पूर्ण कालिक स्कूल पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं अथवा बन्द हो गए हैं, वहां एक मूल्य प्रभावी तरीके से अपर प्राइमरी शिक्षा के सर्वसुलभीकरण/प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा स्वैच्छिक स्कूलों की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस समय राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित योजना पर चर्चा की जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण के बारे में विश्व बैंक का सुझाव

2086. **श्री यशवंतराव पाटिल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिये कोई योजना तैयार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ङ) इस मंत्रालय को जनसंख्या नियंत्रण के लिए विश्व बैंक द्वारा सुझाई गई किसी ऐसी योजना की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

'एड्स' के उपचार में लगे चिकित्सा कार्मिकों को सहायता

2087. **श्री प्रकाश वी० पाटील:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अस्पतालों और औषधालयों में एड्स से पीड़ित चिकित्सा कर्मचारियों और डाक्टरों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन्हें यह सहायता केवल सेवानिवृत्त होने तक ही दी जाती है;

(ग) चिकित्सा कर्मचारियों और डाक्टरों को इस प्रयोजनार्थ दी जाने वाली सहायता की शर्तों को उदार बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का एड्स रोगियों के उपचार और अनुसंधान में लगे सभी चिकित्सा कर्मचारियों के लिए कोई उदार और परिपूर्ण बीमा योजना शुरू करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) भारत सरकार ने सरकारी सेवा में लगे चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों को एच आई वी संक्रमण से सुरक्षण देने की योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना द्वारा दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

1. ऐसे कर्मचारी जो एच आई वी से संक्रमित हैं लेकिन इस रोग के शिकार नहीं हुए हैं:

सरकारी सेवा में लगे हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों को जो रोगी परिचर्या प्रदान करते समय एच आई वी से संक्रमित हो गए हैं, अपनी सेवा से निवृत्त होने की तिथि तक वही परिलब्धियां मिलती रहेंगी जिसे वे एच आई वी से संक्रमित होने के समय प्राप्त कर रहे थे तथा वे परिवार पेंशन के भी हक़दार होंगे। उपदान की गणना सामान्य अधिवर्षिता की तिथि को लिए गए अंतिम वेतन के अनुसार की जाएगी।

2. ऐसे कर्मचारी जो रोग से सक्रमित हो जाते हैं तथा एड्स के शिकार हो जाते हैं:

(i) पति/पत्नी अधिवर्षिता की तिथि तक लिए गए अंतिम वेतन के समतुल्य पेंशन पाने के हकदार होंगे, यदि वह सेवारत रहना जारी रखता/जारी रखती।

(ii) पति/पत्नी अधिवर्षिता की तिथि को दिए गए वेतन के आधार पर आकलित परिवार पेंशन के पात्र होंगे।

(iii) उपदान का हिसाब मृतक की सामान्य अधिवर्षिता की तिथि तक लगाया जाएगा तथा इसका भुगतान एक मुश्त किया जाएगा।

[हिन्दी]

अमरीका जाने वाला भारतीय घुड़सवार दल

2088. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने पिछले वर्ष अमरीका का दौरा करने के लिए भारतीय घुड़सवार दल का चयन किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय घुड़सवारों को चुना गया था और उनमें से कितने भारतीय घुड़सवारों ने अमरीका का दौरा किया;

(ग) अमरीका का दौरा करने के बाद कुल कितने भारतीय घुड़सवार भारत वापस आये है;

(घ) दौरे के बाद कितने भारतीय घुड़सवार वापस नहीं आ पाये;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका गये कुछ घुड़सवार लापता हैं यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार लापता भारतीय घुड़सवारों को खोजने के लिए क्या उपाय कर रही है और इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी, नहीं। सरकारी मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार चयन समिति ने 7 से 14 अक्तूबर, 1991 तक ग्लेडस्टोन, न्यू जर्सी, अमेरीका में टैंट पेगिंग प्रदर्शन के लिए 5 सदस्यीय घुड़सवारी टीम का चयन किया था।

(ख) चयनित 4 घुड़सवार अमेरीका गए थे।

(ग) 3(तीन)।

(घ) 1 (एक)।

(ङ) और (च) जी, हां। घुड़सवार कहां है उसका पता लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सम्बन्धित एजेन्सी को मामला भेजा गया है।

[अनुवाद]

दक्षिण-मध्य रेलवे में रेलवे लाइनों का बदला जाना

2089. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:**
श्री धर्म भिक्षम:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे में मीटर गेज रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) उसमें से कितने किलोमीटर लाइन को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी लाइन में बदलने का विचार है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का विचार विकाराबाद-वाडी-गुंतकल रेल मार्ग दोहरा करने बोलारम-महबूबनगर, गुंटुर-नरसारावपेट, औरंगाबाद-जालना, परभनी-पूर्णा तथा बेलारी-रायदुर्ग सैक्शनों पर मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) मार्ग की लम्बाई से संबंधित आंकड़े प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किए जाते हैं, 31 मार्च, 1991 को (उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) दक्षिण मध्य रेलवे पर मीटर लाइन प्रणाली की मार्ग किलोमीटर दूरी 3571.82 कि॰ मी॰ थी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2105 कि॰ मी॰ मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ) जी हां, 1992-93 के दौरान निम्नलिखित खंडों के दोहरीकरण और आमान परिवर्तन के लिए उपलब्ध कराया गया परिव्यय इस प्रकार है:—

खंड	**परिव्यय 1992-93 (करोड़ रुपयों में)**
विकाराबाद-वाडी-गुत्तकल खंड पर दोहरी लाइन लाइन बिछाने का कार्य	8.00
मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव	
1. औरंगाबाद-जालना और परभनी-परली बैजनाथ	50.00
2. सिकन्दराबाद-फलकनुमा-महबूब नगर	70.00
3. गुंटूर-नरसारावपेट	30.00
4. बेल्लारी-रायदुर्ग	2.00

रेलवे की भूमि का प्रयोग

2090. **प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की भूमि का बेहतर उपयोग करने हेतु अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारणीय विषय क्या हैं;

(ग) इस समिति में भूमि प्रबंधन विशेषज्ञ सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) इस समिति से कहा गया है कि रेलवे भूमि प्रबंध में अंतर्ग्रस्त संपदा, वित्तीय, विधिक और संगठनात्मक मामलों के सभी पहलुओं, जिसमें वाणिज्यिक दोहन का पहलू भी शामिल है, का अध्ययन करे और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

(ग) श्री गौरी शंकर (दल के नेता), सर्वश्री के० बी० कुमार और आर० एन० सोनी (सदस्य)।

(घ) जी नहीं, बहरआल, समिति ने एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

एच आई वी के जीवाणु का नया प्रभाव

2091. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच आई वी जीवाणु के किसी नये प्रभाव का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस जीवाणु के संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए किसी उन्नत परीक्षण प्रौद्योगिकी का आयात किया, जाना आवश्यक समझा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी संख्या, स्वरूप और लागत से संबंधित ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) इस समय देश में केवल एच० आई० वी-I और एच० आई० वी०-II के धब्बों का पता लगाया गया है। तथापि, एच० आई० वी०—II का भारत में आगमन सापेक्षतः अभी हाल में हुआ है यद्यपि विश्व के कुछ भागों में इसकी जानकारी है।

(ग) एच० आई० वी०-I और एच० आई० वी०-II विषाणुओं का पता लगाने के लिए अपेक्षित परीक्षण/प्रौद्योगिकी को देश में प्रदान किया जा रहा है। ऐसे परीक्षणों को करने के लिए संयुक्त किटों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से आयात किया जा रहा है।

(घ) अभी तक उपलब्ध कराए गए किटों की प्रकृति	किटों की संख्या	कुल लागत (लगभग)
एच० आई० वी०-I और एच० आई० वी०-II के मिश्रित किट	50.112 रु०	12,52,800 रु०

पब्लिक स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस में वृद्धि किया जाना

2092. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पब्लिक स्कूलों ने ट्यूशन फीस बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पब्लिक स्कूलों ने इसके लिए सरकार से अनुमति ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और अन्य खर्चों में वृद्धि होने के कारण कुछ गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षण शुल्क तथा अन्य प्रभारों को बढ़ाया है।

(ग) यदि गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल शैक्षिक सत्र के शुरू होने पर शिक्षण शुल्क बढ़ाना चाहें तो उन्हें सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2093. **श्री छेदी पासवान:**
श्री लाल बाबू राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कौन-कौन सी मीटर और नैरो गेज रेल लाइनों को बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; योजनाएं और प्राचलन तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धन-राशि खर्च होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) (i) मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज (ii) सगौली-रक्सौल (iii) नरकटियागंज-बगहा, वाल्मीकीनगर रोड (iv) समस्तीपुर-दरभंगा (v) छपरा-औडिहार (आंशिक रूप से बिहार में)

(ख) और (ग) मद (i), (ii) और (v) पर कार्य प्रगति पर हैं। मद (iv) पर कार्य शुरू किया जा रहा है। मद (iii) को आठवीं योजना में शुरू की जाने वाली आमान परिवर्तन कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

बोलंगीर (उड़ीसा) में पुल

2094. **श्री शरत् चंद्र पटनायक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा के बोलंगीर जिले में टिटलागढ़ और कांताबंजी में रेल उपरिपुल बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) टिटलागढ़ में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण 1992-93 की एक अनुमोदित योजना है, लेकिन कांताबंजी में सड़क ऊपरीपुल के निर्माण के लिए अनुमोदित योजना नहीं है।

(ख) और (ग) 1992-93 के बजट में टिटलागढ़ पुल के लिए 10 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

आंध्र प्रदेश में खाद्यान्नों की खरीद

2095. **श्री दत्तात्रेय बंडारूः** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान चावल और अन्य खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में खरीद की है;

(ख) इस राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पिछली तीन वर्षों के दौरान चावल और अन्य खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में क्षति हुई;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन क्षति मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश में विपणन मौसम, 1991-92 के दौरान (4-7-1992 तक) 22,33,138 मीटरी टन चावल की वसूली की थी। अन्य खाद्यान्नों की कोई वसूली नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भंडारण और मार्ग में वर्षा, बाढ़ों और चक्रवातों आदि के कारण क्षतिग्रस्त हुए चावल और अन्य खाद्यान्नों की मात्रा नीचे दी गई हैः—

(आंकड़े मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	अन्य खाद्यान्न	जोड़
1988-89	70.813	589.804	660.617
1989-90	216.621	35.794	252.415
1990-91	642.078	568.382	1210.460

(घ) खाद्यान्नों की सुरक्षा करने तथा हानियां रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैंः—

(1) भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गोदामों में खाद्यान्न रखता है जोकि मूषक और नमी प्रूफ होते हैं।

(2) खाद्यान्नों का आवधिक निरीक्षण करने और उन्हें उचित ढंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ लगाया जाता है।

(3) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जाता है और कीट नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं।

(4) कभी-कभी ढ़के हुए भंडारगृहों की अत्यधिक कमी और संचालन संबंधी कठिनाइयां होने के कारण भारतीय खाद्य निगम को अस्थायी रूप से भंडारण करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से [illegible]

(कवर और प्लिंथ) नामक प्रणाली के अधीन खुले में गेहूं और धान का भंडारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैप में भंडारित खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जाते हैं:—

1. स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उसे विशेष रूप से तैयार की गई न्यून घनत्व की काली पोलीथीन की वाटर प्रूफ चादरों (एल॰ डी॰ पी॰ ई॰) से ढ़का जाता है ताकि खाद्यान्नों की वर्षा से सुरक्षा की जा सके।
2. तूफान के दौरान पोलीथीन की चादरों के उड़ने से होने वाली क्षतियों को रोकने के लिए पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की जाती हैं।
3. मौसम की अनिश्चितता से खाद्यान्नों की अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैप काम्प्लैक्सों में मोनोफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स मुहैया किए जाते हैं।
4. स्टाक को अच्छी हालत में रखने तथा नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण संघनन द्वारा क्षति को भी रोकने के लिए कैप में भंडारित स्टाक का नियमित रूप से वातन किया जाता है।
5. गुम्बद के आकार के चट्टे लगाए जाते हैं ताकि शिखर पर पानी के जमाव को रोका जा सके।
6. पीड़क जन्तु बाधा तथा चूहों, पक्षियों आदि जैसे अन्य पीड़कों द्वारा जन्तुबाधा पर नियंत्रण पाने के लिए कैप में भंडारित स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और यथावश्यक उपचार किया जाता है।

[हिन्दी]

हवाना गए भारतीय मुक्केबाज

2096. **श्री एन॰ जे॰ राठवा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मुक्केबाजों को बार्सिलोना औलम्पिक की तैयारियां करने के सम्बन्ध में भारत-क्यूबा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत उनके प्रशिक्षण और प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए हवाना भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने कितने मुक्केबाज भेजे हैं;

(ग) क्या इन मुक्केबाजों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार ने इन मुक्केबाजों को अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध करायी है और यदि उन्हें कोई अतिरिक्त धनराशि दी जानी है तो यह कब तक भेज दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी, हां।

(ख) 6 (छह)

(ग) से (ङ) हवाना में भारतीय दूतावास ने सरकार को मुक्केबाजों को कुछ विदेशी मुद्रा जारी करने की आवश्यकता से अवगत कराया था ताकि वे प्रबंधों में वृद्धि कर सके और नगद मुद्रा दुकानों में उपलब्ध

अत्यावश्यक वस्तुएं खरीद सकें। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से भारतीय उमेच्योर मुक्केबाज संघ के पक्ष में लगभग 3500/—अमरीकी डालर जारी करने का अनुरोध किया गया था। यह कार्य किया जा चुका है तथा धनराशि प्रबंधक के माध्यम से हवाना पहुंच गयी है।

[अनुवाद]

बाल-कल्याण योजनाएं

2097. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में बाल कार्यक्रम को तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) इन योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितना वित्तीय प्रावधान रखा गया है अथवा रखने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) शिशु परिचर्या समग्र स्वास्थ्य परिचर्या परिदान पद्धति का एक अभिन्न हिस्सा रही है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु परिचर्या सहित ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य परिचर्या और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने हेतु कुछ उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं।

(ग) शिशु परिचर्या हेतु कोई पृथक प्रावधान नहीं रखा गया है और ये समग्र स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति का हिस्सा हैं।

संस्कृत और प्राचीन भाषाओं के लिये अनुदान आयोग

2098. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संस्कृत और प्राचीन भाषाओं के लिये एक समानान्तर आयोग गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) संस्कृत तथा अन्य श्रेण्य भाषाओं के शिक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा सुधार करने के लिए एक स्वायत्त आयोग का गठन करने के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप से निर्णय लिया है। तथापि, इसके ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में जीवन रक्षक घोल की कमी

2099. **श्री छेदी पासवान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1992 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'जीवन रक्षक घोल तक उपलब्ध नहीं' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जीवन रक्षक घोल की अनुपलब्धता के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक सरकारी अस्पताल में जीवन रक्षक घोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) जी, हां। तथापि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली से जीवन रक्षक घोल की कमी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) राष्ट्रीय पुनर्जलपूरण चिकित्सा कार्यक्रम के तहत जीवन रक्षक घोल के पैकटों की आपूर्ति राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को की जाती है जो अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न संस्थाओं को इसका वितरण करते हैं।

[अनुवाद]

'क्लास' परियोजना

2100. **श्री रामनरेश सिंह:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1984 में शुरू की गई 'क्लास' परियोजना की कोई व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार ने क्या कार्यवाही की; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए 'क्लास' परियोजना को और अधिक सार्थक तथा कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाने के लिए इस परियोजना की विस्तृत समीक्षा प्रगति पर है।

गेहूं का वितरण

2101. **श्री प्रकाश वी० पाटील:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को छोटे बोरों में अच्छी किस्म का गेहूं वितरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्राणली के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं का वर्तमान मूल्य क्या है और खुले बाजार में इसका मूल्य क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरण करने के लिए राज्यों / संघ शासित प्रदेशों अथवा उनके नामितों को 95 किलोग्राम की बोरियों में विहित विनिर्दिष्टियों (उचित

औसत किस्म) का गेहूं सप्लाई करता है। उपभोक्ताओं को गेहूं मुहैया करने की जिम्मेदारी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की होती है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 28.12.91 से 280/- रुपये प्रति क्विंटल है। कुछ केन्द्रों पर गेहूं की कुछेक किस्मों के मास अंत में थोक मूल्य निम्नानुसार हैं:—

केन्द्र / किस्म	जून, 1992 के अंत में प्रति क्विंटल मूल्य (रुपयों में)
करनाल (एम०ई०एक्स, ग्रेड-1)	325
अमृतसर (डब्ल्यू एल-711)	326
मोगा (कल्याण सोना)	315
हापुड़ (आर०आर०-21)	345

पूर्व सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों से अभ्यावेदन

2102. **श्री एम० रमन्ना राय:**
श्री चित्त बसु:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्व सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की ओर से भारतीय विश्वविद्यालयों में उनसे संबंधित पाठयक्रमों को जारी रखने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं / उठाने का विचार किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) भारत सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत, विगत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कुछ छात्र अभी भी भूतपूर्व सोवियत संघ के विभिन्न गण राज्यों में अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। इस मंत्रालय को इन छात्रों की ओर से इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, बड़ी संख्या में छात्र अधिकांशतः औषध, इंजीनियरी आदि में व्यावसायिक पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए या तो स्वयं अथवा गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सोवियत संघ गए थे। इस मंत्रालय को भारत में विभिन्न व्यक्तियों / संघों से भूतपूर्व सोवियत संघ में अपना अध्ययन जारी रखने की समस्याओं के संबंधों में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। भारत में व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थाओं में ऐसे छात्रों के प्रवेश के संबंध में भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

भारत में तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश प्रत्येक संस्था के प्रवेश नियमों और कार्य विधियों द्वारा अभिशासित किए जाते हैं। ऐसे छात्रों के भारत में अध्ययन को जारी रखने के मामलों पर व्यक्तिक आधार पर संबंधित संस्था के नियमों व विनियमों के अनुसरण में विचार कियां जा सकता है।

[हिन्दी]

नेपाल को गेहूं और चावल की सप्लाई

2103. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेपाल को भारी मात्रा में गेहूं और चावल की सप्लाई करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में नेपाल को 10,000 मीटरी टन गेहूं और 30,000 मीटरी टन चावल की आपूर्ति करने का निर्णय किया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की आपूर्ति क्रमशः 280/-रुपये और 584/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की जा रही है। तथापि, भारत-नेपाल व्यापार संधि के उपबंधों के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा विनियमों में दोनों देशों के बीच कारोबार के लिए स्थानीय मुद्राओं में भुगतान करने की व्यवस्था है।

(व्यवधान)

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे सामने कुछ मुद्दे हैं और मैं एक के बाद एक मुद्दे पर अनुमति दूंगा, कृपया वही सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो, जिसका मैं नाम पुकारूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबको एक-एक करके अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक दिन तो ऐसा जाने दीजिए कि एक के बाद एक बोलें। मैंने कह दिया है, मैं सबको चांस दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष जी, कम से कम एक दिन तो आप हमें पहले बुलाइये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रक्रिया नहीं समझ रहे हैं और आप पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध बोल रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): हालांकि पिछले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियाँ कम हुई हैं, लेकिन यह चिंता का विषय है कि उग्रवादियों की गतिविधियाँ इतनी तेज हो गई थीं कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के विधान सभा भवन तथा सचिवालय भवन को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने इन भवनों पर भी हमला किया। उन्होंने सचिवालय भवन पर रॉकेट छोड़े। जम्मू और कश्मीर के विधान सभा भवन भी इस हमले के कारण कुछ क्षतिग्रस्त हुआ।

मैं सरकार से विशेषरूप से गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें कि यह सब कैसे हुआ। इसका बुरा प्रभाव पड़ा है और इन भवनों, जहां पर कड़ी सुरक्षा की गई थी, पर हमला कर उन्हें क्षतिग्रस्त करने से जनता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। वहां पर ऐसी कार्यवाहियों को रोका जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष जी, आदरणीय श्री पाणिग्रही जी ने जो ज़िक्र किया है वह तो उसका ज़िक्र किया है जिसकी खबर अखबारों में भी छपी है और श्रीनगर पर वहां पर विधान सभा पर राकेट अटैक हों, चिंता की बात है। मुझे सूचना मिली है कि जिसका कहीं अखबारों में ज़िक्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार उसका स्पष्टीकरण दे। फोतेदार जी यहां बैठे हुए हैं। मेरी जानकारी में पिछले तीन दिनों में डोडा, जो कि घाटी में नहीं है, जम्मू क्षेत्र में उस डोडा में मिलिटेंट ने पूरा अधिकार कर लिया शहर पर और सारे पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर लिया है। जितने भी वहां पर सरकारी दफ्तर थे तो उन पर भी कब्जा कर लिया गया। बाद में वहां सेना गई, कुछ काम हुआ। लेकिन, उसकी वस्तुस्थिति क्या है वह खबर अखबारों में नहीं आई। वहां से मुझे डायरेक्ट सूचना मिली है। जिन सूत्रों ने दी उन पर विश्वास करने का कारण नहीं। सरकार, इसका स्पष्टीकरण दे। उसमें से साफ होता है कि उग्रवादियों की गतिविधियां घाटी तक सीमित नहीं हैं और आगे आकर यहां पर पहुंच गई हैं और गंभीरता से पहुंच गई हैं, यह चिंता की बात है और खासतौर से इसलिए चिंता की बात है कि लगातार सरकार यह इम्प्रैशन देने की बात करती है कि मिलिटेंट्स एक्टीविटीज़ हमने कन्टेन कर ली हैं और स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रही है। अब तो वहां पर चुनाव करने की भी परिस्थिति आ गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, डोडा के बारे में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है कि यहां के अखबारों में खबरें नहीं छपी हैं, मगर विदेशों में खबरें छपी हैं। मेरे पास लंदन से टेलीफोन आया जिसमें कहा गया कि यहां के समाचार पत्रों में छपा है कि डोडा शहर पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वह पूरे शहर पर कब्जा कर लें। बाद में जब मैंने गृह मंत्रालय से जब इसकी पुष्टि चाही, उन्होंने कहा कि घटनाएं हो रही हैं और गंभीर घटनाएं हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार वक्तव्य दे और सदन को विश्वास में ले।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): गृह मंत्रालय से इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में यहां पता करके बतायेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कह दिया कि स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद आवाज करने की क्या जरूरत है।

12.08 म०प०

[हिन्दी]

देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक हिंसा के बारे में

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी इस घटना की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत शोरगुल के अंदर वह बात सामने नहीं आ पाई। जो कल खबर आई अखबारों के अंदर, वह खबरें आई। एक तो केरल के अंदर आर एस एस की एक शाखा लगी थी। सुबह साढ़े सात बजे जब वह शाखा लगी हुई थी तब इस्लामिक स्वयं सेवक संघ जो वहां एक नया संगठन बना है, उग्रवादियों द्वारा बनाया गया है और जो भारत विरोधी प्रचार कर रहा है, उस शाखा में सुबह शांति-प्रिय लोग खेल रहे थे और जो फिजीकली कवायत कर रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। फिर सारे शहर में वह मामला फैला, फायरिंग हुई और हमारे तीन लोग जख्मी हुए। इस्लामिक स्वयं सेवक संघ ने कुछ दिन पहले यह अफवाह उड़ाई कि अयोध्या की मस्जिद को उड़ा दिया गया। उसके कारण स्टेट होम मिनिस्टर ने माना था कि केरल के अंदर जो जगह-जगह हमले हुए थे तो इस्लामिक सेवक संघ फिर वही कर रहा है।

दूसरी घटना यह है कि अखबारों में छपा है कि माले गांव में जनता दल के एम एल ए* के नेतृत्व में वहां एक जुलूस निकला और वहां पर जो मंदिर सेवक लोग थे तो उनके ऊपर हमला किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नाम कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको होम मिनिस्टर साहब देखें। यह ठीक है कि अयोध्या के बारे में चर्चा की जाती है, वहां अंदेशा है इसलिए यह किया जाए। चूंकि कुछ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगे कराने में फेल हुए हैं और मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में ईद, मोहर्रम, होली, दशहरा और दीवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे नहीं हुए जैसे हमेशा होते थे कहीं तो शिया-सुन्नी के दंगे होते थे। दो-दो मोहर्रम हो गए और उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे नहीं हुए। अब चूंकि दंगे कराने में नाकामयाब हुए हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर इसलिए ये लोग गैर-भाजपा राज्यों के अन्दर इस तरह की घटनायें कराकर उत्तेजना फैलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में होम मिनिस्टर यहां पर केरल में जो हुआ है, नासिक जिले में मालेगांव में और अहमदाबाद में जो घटनायें हुई हैं वक्तव्य दें। क्योंकि हम देखते हैं जरा सी घटना होती है तो रोज-रोज यहां स्टेटमेंट होता है, लेकिन इन घटनाओं पर केन्द्र सरकार चुप क्यों है, उसके बारे में भी स्टेटमेंट दें।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): महोदय, मैं अत्यंत दुःख और शर्म के साथ इस सभा को इस देश के सबसे अधिक शिक्षित राज्य की राजधानी, त्रिवेन्द्रम में पिछले दो दिनों में जो कुछ हुआ, उसके बारे में बता रहा हूं। **(व्यवधान)** यह बताया गया है कि यह पूरी समस्या आई०एस०एस० और आर०एस०एस० कट्टरपंथियों के बीच विवाद के कारण प्रारंभ हुई थी। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): यह सुनियोजित आक्रमण था **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए० चार्ल्स: दुर्भाग्यवश, इन दोनों समूहों द्वारा असमाजिक तत्वों को भड़काया गया। **(व्यवधान)** मैं किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। यह आई०एस०एस० और आर०एस०एस० जैसे कट्टरपंथी समूहों के बीच विवाद है जिन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र के लोकतांत्रिक ढ़ांचे को नष्ट कर दिया है **(व्यवधान)** मुझे दुःख है कि वहां आगजनी, घर जलाए जाने जैसी अनेक ऐसी हिंसक घटनाएं घटीं, जिनकी एक सुसंस्कृत समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती है **(व्यवधान)** मेरे घर से चार किलोमीटर की दूरी पर चार व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी गई। आज सूचना मिली है कि आई०एस०एस० और आर०एस०एस० दोनों ने अलग-अलग राज्य व्यापी बंद की घोषणा की है। सामान्य जनजीवन ठप्प हो गया है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं और सब जगह दहशत फैली हुई है।

मुझे त्रिवेन्द्रम से अनेक टेलीफोन आए हैं **(व्यवधान)** राज्य सरकार ने पुलिस को सतर्क कर दिया है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं है। आगजनी तथा लूटपाट अभी भी जारी है। यह अयोध्या मसले के कारण हो रहा है।

आज का समाचार और भी दुखदायी है। यह सूचना मिली है कि मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष, श्रीमती विजयाराजे सिंधिया के समाधान ढूंढने के प्रयास विफल हो गए हैं। यह मात्र एक ढोंग हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी इस मामले के बारे में गंभीर है तो उसे यह घोषणा करनी चाहिए कि वह विश्व हिन्दू परिषद के साथ नहीं है और वह न्यायलय के आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हैं। इससे सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करता हूं कि वह देश के साथ ऐसा न करें। वह देश में विनाश की परिस्थितियां पैदा न करें। क्या हमने 1946, 1947 और 1948 में देखा नहीं, कि देश में क्या-क्या हुआ था। देश को तबाह मत करो। त्रिवेन्द्रम एक सुशिक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। वहां पहले कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मुझे इस बात से बहुत दुःख है।

मैं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध हूं। मैंने बहुत बार बताया है कि मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार निर्वाचित होता आ रहा हूं, जहां हिंदुओं का बहुमत है और उनकी समृद्ध संस्कृति है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कट्टरपंथियों ने हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस देश में सांप्रदायिक समस्याएं पैदा न करें। मुझे बहुत दुख हुआ है। अभी मैं त्रिवेन्द्रम नहीं जा सकता, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं अपने लोगों के दुख को बांट भी नहीं सकता। मुझे लोगों से अनेक संदेश मिले हैं। मैं आग्रह करता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी समस्या को सुलझाना चाहती है, तो वह स्पष्ट रूप से कहे कि वह विश्व हिन्दू परिषद के साथ नहीं है। वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अन्यथा कट्टरपंथी स्थिति का लाभ उठाकर विनाश ला देंगे। हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा लोकतांत्रिक राजनीति का मुख्य अंग है और यह संप्रभु राष्ट्र हैं। कोई भी हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। वह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और महोदय, इसकी रक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, केरल में जो कुछ हुआ है, वह इस देश के लिए शर्मनाक है। खेल के मैदान पर जाकर आर० एस० एस० की शाखा चलाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और जब इस प्रकार से लोग संगठित होते हैं, उस समय यदि इस्लामी सेवक संघ हमला करता है तो जिन्होंने हमला किया है उनको सबक सिखाना और जिन पर हुआ है, उनको रक्षा देना, सरकार का काम है। वहां पर

कांग्रेस की सरकार है जिसे हकूमत में रहने के लिए मुस्लिम लीग का समर्थन है। इसलिए मुस्लिम लीग का समर्थन होने के कारण सरकार इस्लामी सेवक संघ के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि फण्डामेंटलिस्ट्स का मामला है।... (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री पी॰ सी॰ चावला (त्रिचूर): महोदय, यह पूर्णतः गुमराह करने की बात है। (**व्यवधान**)

श्री ए॰ चार्ल्स: महोदय आज सेना को सर्तक कर दिया गया है (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम नाईक: अध्यक्ष जी, केरल में जो घटना हुई है उसकी जानकारी लेकर गृह मंत्री जी को आज यहां बयान करना चाहिये, ऐसी हमारी मांग है। महाराष्ट्र में आज क्या हो रहा है? आप भी महाराष्ट्र से आते हैं। मालेगांव नासिक के नज़दीक है जिसको हम दक्षिण का अयोध्या कहते हैं और " कहा जाता है, वहां पर पिछले साल गणपति के समय दंगा हुआ, वह आपको मालूम है लेकिन आज वहां क्या हुआ? आज वहां पर जनता दल के माने हुए नेता, जो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। यह जानकारी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर दे रहा हूं... (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण): महोदय, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं...

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री राम नाईक: " वहां पर जनता दल के नेता है... (व्यवधान) वी जे पी के नेताओं का नाम लिया तो हमने कोई आपत्ति नहीं उठाई और इसलिए अध्यक्ष जी, जनता दल के महान् राष्ट्रीय नेता [2] के नेतृत्व में 20 हजार लोगों का एक जुलूस निकला। उसमें कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग सम्मिलित थे... (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री पी॰ सी॰ थामस (मुवत्तजुजा): महोदय, वह उनका नाम कैसे ले सकते हैं? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम नाईक: वहां पर परसों जो दंगा हुआ, उसमें 27 लोगों को स्टैबिंग किया है। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार वहां से जानकारी प्राप्त करे। वहां पर दो पुलिस अधिकारी को भी स्टैब किया गया है। जिनको स्टैब किया है, यदि उनके नाम सभा पटल पर आएंगे तो पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरी बात यह है कि केवल ऐसी कोई बात नहीं कि मोर्चा जा रहा था बल्कि साईकिल चेन्स, लकड़ी के डण्डे, लोहे के डण्डे लेकर वहां हंगामा हुआ है। वहां पर लोगों ने इस प्रकार से स्थिति बनाई है कि मानो महाराष्ट्र में कोई रह नहीं सकता है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में इस समय इस

"कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[श्री राम नाईक]

बात का महत्व है कि गणेश उत्सव आ रहा है। गणेश उत्सव लोकमान्य बालगंगाधर तिलक द्वारा स्थापित कया गया था जिसको अब सौ साल पूरे होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में यह उत्साह के साथ मानाया जायेगा और मालेगांव की जो घटना हुई है, वह घटना बाबरी समिति के आदेश देकर हुई है। इस प्रकार की मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। इसलिए अध्यक्ष जी, गृह मंत्री इस विषय को लेकर यहां निवेदन करें...

श्री मुरली देवरा: गणेश उत्सव को कम्युनल नहीं बनाना चाहिये।

श्री राम नाईक: गणेश उत्सव कम्युनल नहीं है, यह आपको मालूम नही है। वहां क्या हो रहा है, आज जरा जाकर देखिये। आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी परसों क्या हुआ, आपने देखा नहीं होगा। वहां दक्षिण मुम्बई में काले झण्डे लगाये गये। अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस घटना को हुए आज दो दिन हो गये, गृह मंत्री जी को यहां पर निवेदन करना चाहिये और चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए गृह मंत्री को वहां से जानकारी प्राप्त करके इस सभागृह को बताना चाहिये।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चाको: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्री खुराना और श्री राम नाईक जैसे वरिष्ठ सदस्य सभा को गुमराह कर रहे हैं। त्रिवेन्द्रम में जो कुछ हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की कार्यवाही ने सबसे पहले हमें प्रभावित किया। केरल एक अत्यंत शिक्षित तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन हम सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हो गए। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चुप बैठे हुए हैं और उनके सहयोगी आधा सच और आधा झूठ फैला रहे हैं...**(व्यवधान)** यदि आप सुनना चाहते हैं तो कृपाय सुनिए केवल त्रिवेन्द्रम में ही ऐसा नहीं हुआ है। आप अपने लोगों, अपने बाहुबल आर०एस० एस० से पूछिए कि पिछले 6 महीनों से केरल में क्या हो रहा है। आर०एस०एस० पिछले एक साल में ऐसे कार्य कर रहा है **(व्यवधान)** इस हिंसा में दर्जनों लोगों की जान चली गई। हिंसा को रोकने के लिए केरल सरकार कड़ी कार्यवाही कर रही है। श्री राम नाईक ने केरल की कांग्रेस सरकार की निंदा की है। वह केरल सरकार को गलत कैसे मान सकते हैं? सरकार पूरी सावधानी से स्थिति से निपट रही है। आप आई० एस० एस० की पृष्ठभूमि जानते हैं जो एक छोटा सा समूह है। आर० एस० एस० की गतिविधियां अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा पैदा कर रही हैं और उन्होंने भी स्वयं को संगठित करना तथा हथियार इकट्ठे करना शुरू कर दिया है। मैं यहां किसी समूह द्वारा हथियार एकत्रित करने का औचित्य नहीं बता रहा हूं। लेकिन ऐसा आर०एस०एस० द्वारा हिंसा शुरू करने के कारण हुआ है। जैसे कि श्री चार्ल्स ने अपील की है वैसे ही मैं भी श्री वाजपेयी और श्री आडवाणी से अपील करता हूं कि वे अपने कार्यकर्ताओं को रोकें। यदि वे आर०एस०एस० के कार्यकर्ताओं को ऐसी कार्यवाहियां करने से नहीं रोकते हैं, तो जो कुछ अयोध्या में हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया हमारे यहां होगी। श्री चन्द्रशेखर ने इस सभा को चेतावनी दी है कि यदि ऐसी कार्यवाहियों को चलने दिया गया तो यह देश नष्ट हो जाएगा।

केरल सरकार ने बहुत कठिनाई से स्थिति को नियंत्रित किया है। इसके बावजूद भी वे सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर तनाव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप एक पक्षीय आलोचना कर रहे हैं। त्रिवेन्द्रम में जो कुछ हुआ उसके लिए आर०एस०एस० और आई०एस०एस० दोनों उत्तरदायी हैं। यह एकतरफा मामला नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं वैसा मत कीजिए। कृपया सरकार से सहयोग कीजिए। केरल सरकार पर आरोप मत लगाइए और कांग्रेस पर आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ न उठाएं। केरल सरकार हिंसा को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। आर०एस०एस० के कार्यकर्ता अशांति फैला रहे हैं। जो कुछ त्रिवेन्द्रम में हुआ मैं उससे संबंधित पूरे तथ्य नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि इसे स्थिति और बिगड़ जाएगी। आपको आर०एस०एस० के

कार्यकर्ताओं से तथ्य प्राप्त हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी मस्जिद अथवा मंदिर पर आक्रमण किया जाएगा तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। आप आग से खेल रहे हैं और कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको दुबारा कह रहा हूं कि त्रिवेन्द्रम जैसी जगह में ऐसा होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यह आधा सच आधा झूठ मत बोलिए और सभा में अपनी अज्ञानता मत दर्शाइए। त्रिवेन्द्रम में जो कुछ हुआ उसके लिए आप भी उत्तरदायी हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर): कर्नाटक में जातीय दंगे हुए....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: ये क्या रावत साहब, आप पीछे बैठे-बैठे बोलते रहते हैं। ये ठीक नहीं है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत: कांग्रेस शासित प्रदेशों में किस तरह का कानून की पालना हो रही है वह मैं बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर हम सब यहां चर्चा क रहे हैं, निश्चय ही यह अत्यंत दुखद और गंभीर विषय है। श्रीमान् आज पूरे देश को इस विषय पर काफी चिंता है। केरल के हमारे साथियों ने जिक्र किया कि वहां आर॰ एस॰ एस॰ के लोग जब खेल रहे थे तो उन पर हमला किया गया। हम निश्चय ही उस हमले की निन्दा करते हैं। ऐसा हमला नहीं होना चाहिए था चाहे वह आर॰ एस॰ एस॰ मेम्बर हों और चाहे वह मुस्लिम लीग मेम्बर हों। ये कहते हैं कि आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला यहां चल रहा है। केरल में ये हुआ, तो अयोध्या में ये हुआ। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ अयोध्या में हो रहा है, इस का परिणाम आज केरल में हुआ, महाराष्ट्र में होगा, दिल्ली में होगा देश के सारे भागों में होगा। कितनी ज्यादा उत्तेजना फैला रही है जो वहां पर काम हो रहा है उसके कारण। कल मैं यह कहना चाहता था। वहां कार सेवा कराई जा रही है। अखबारों में आपने भी देखा होगा और कल हमने खुद यहां अखबार को पेश करने का प्रयत्न किया था, जिसमें दिखाया गया था कि वहां तलवार लेकर कार-सेवा करायी जा रही है। तलवार लेकर चलते हुए लोगों के बीच में कार-सेवा वहां हो रही है। जब इस तरह से कार-सेवा होगी तो यह मुल्क कहां जायेगा, इस देश का क्या होगा। उससे क्या केरल में मारपीट नहीं होगी, क्या उससे दिल्ली में मारपीट नहीं होगी, कहां उसका असर नहीं पड़ेगा।

अभी हमारे एक मित्र बड़े गौरव के साथ कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, इनकी पार्टी वहां शासन में है और तभी से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। बड़ी अच्छी बात है कि दंगा नहीं हुआ लेकिन इनको शायद आजमगढ़ याद नहीं आ रहा है, जहां हिन्दु और मुसलमानों के बीच इतना भयंकर दंगा हुआ और हिन्दू-मुसलमानों के उस दंगे में न मालूम कितने लोगों के मकान जल गये, कितने गरीब लोगों की दुकानें लूट ली गयीं और न जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ। वैसे ही बनारस में भी दंगा हुआ। जौनपुर में मारपीट हुई। रामपुर में भी दंगा हुआ और हमारे मित्र कह रहे हैं कि कहीं दंगा नहीं हुआ।

मैं ऐसा नहीं कहता कि दंगा होना कोई अच्छी बात है या इनकी मंशा है कि कहीं दंगा नही हो, अच्छी बात है कि कहीं दंगा नहीं होना चाहिये लेकिन जो जगह जगह दंगे हो रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण हैं, और उसका क्या उपाय है।

स्पीकर सर, मैं बस एक मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं। इसी हाउस में जब अविश्वास के प्रस्ताव पर परसों बहस होने वाली थी, उसके पहले यह कहा जा रहा था, हमारे एक बहुत सीनियर मैम्बर, खुराना साहब ने

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

कहा कि यह अदालत का विषय नहीं है। हमारे एक अन्य साथी ने बड़ी तेजी से चैलेंज देकर कहा कि अगर हिम्मत हो तो निर्माण कार्य को रोको। ऐसा किस को कहा जा रहा है, किसे चैलेंज दिया जा रहा है। यहां पर एक अन्य माननीय सदस्य, महन्त अवेद्य नाथ जी है, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने भी कहा था कि इस देश में मुसलमानों को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है। यह देश पाकिस्तान हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: इस समय कोई रैगुलर विधेयक सदन के सामने विचार के लिये नहीं है, आपको सिर्फ इस गवर्नमैंट के ध्यान में लाने के लिये ही बोलना है, इसे ख्याल में रखिये। आप सारी चीजें बोल रहे हैं, यह नहीं होना चाहिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: मैं सारी बातें विस्तार से नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप संक्षेप में ही कहिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार की स्थिति बनी रही, यदि इस पर तत्काल कोई नियंत्रण नहीं किया गया तो आज जिस विषय पर यहां चिन्ता व्यक्त की जा रही है, वह केवल इस विषय पर चिन्ता ही चिन्ता व्यक्त होकर रह जायेगी और स्थिति पर कोई रोकथाम नहीं हो सकेगी।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तत्काल आप हमारे मित्रों को यहां से यह राय दें कि जहां हाउस इनकी बातों का सम्मान करता है, वहीं यह राय भी प्रकट करता है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, उसे अविलम्ब रोक दिया जाये। कानून का पालन करना चाहिये। यदि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो यह देश जल जायेगा। चारों तरफ दंगे होंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगी। इन्हें कभी भी इतिहास माफ नहीं करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक: आप यहां कौन सी पार्टी की तरफ से बोले हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: आपको इससे क्या मतलब है। **(व्यवधान)**

12.28 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सूरज मंडल (गौड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यहां एक गम्भीर मामले पर चर्चा हो रही है और खुराना साहब हंस रहे हैं। आज केरल में जो कुछ हुआ, अयोध्या में जो हो रहा है, हिन्दुस्तान की सभी जगहों से जो सुनायी दे रहा है, उसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि दो सम्प्रदायों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है। इसके क्या कारण हैं—मुख्य कारण यह है कि अयोध्या में जिस तरह से मन्दिर निर्माण का काम लगातार हो रहा है, वही इसकी जड़ में है।

हमारे खुराना साहब ने कहा कि आज कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर, खुराना साहब ऐसे प्रयास कर रहे हैं लेकिन ईद के समय क्या हुआ। ...**(व्यवधान)**...हां, आप तो सामने नहीं आते हैं लेकिन आपके जो दो हाथ हैं, आपके साथ जो दो लोग हैं, एक तरफ विश्व हिन्दू परिषद और दूसरी तरफ आर० एस० एस०, उन दोनों को आप ललकारते हैं और वे कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में दंगे भड़काने की, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। ईद के समय, मेरी कांसटीटूऐंसी गोड्डा में विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने जाकर मुसलमानों को नमाज पढ़ने में रूकावट पैदा की, वे मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देना चाहते थे और दंगा भड़काने का प्रयास किया लेकिन हम लोगों ने मौके पर जाकर, हम लोग खुद वहां गये थे, और हम लोगों ने खुद वहां जाकर नमाज अदा कराने का काम किया। अटल जी का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा है और उनका यह

विचार बहुत अच्छा है कि मन्दिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारों से और गिरजाघरों से राजनीतिक विचार नहीं निकलना चाहिये, वहां से जो ऐसे ऐलान होते हैं, वे बंद होने चाहिये, उसके हम लोग समर्थक हैं। इसके हम लोग समर्थक हैं। लेकिन आप सब से निवेदन है कि आज केरल और हिन्दुस्तान के जिस कोने में भी आप देखें, वहां दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है, उसका एक ही कारण है और वह कारण है अयोध्या में निर्माण कार्य।

वहां पर कार-सेवक, तलवार के बल पर कार-सेवा कर रहे हैं। इससे दूसरे समुदाय के लोगों में भय और तनाव पैदा हो रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि इस निर्माण को तुरन्त रोकें। सारे देश में इससे गड़बड़ पैदा हो जाएगी। सारी देश की गड़बड़ी की जड़ में यह अयोध्या ही है। सारे देश के लोगों में दो समुदायों में अशांति और मनमुटाव पैदा करने की जड़ में यह अयोध्या ही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अयोध्या में चल रहा निर्माण कार्य-अविलम्ब रोका जाए।

महोदय, यदि वहां पर प्रदेश सरकार इस निर्माण कार्य को रोकने में असमर्थ रही है, तो मेरा आपके माध्यम से, भारत सरकार से निवेदन है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर के, अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्य को अविलम्ब रोके। इस कार्य में सारे देश की जनता आपके साथ है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यावाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस: महोदय, केरल में जो कुछ हुआ है मैं उसकी निन्दा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि हमें अपने भाषण द्वारा बाहर अपने लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही की निन्दा करना हम सभी का कर्तव्य है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्पूर्ण देश को, पूरे समाज को उचित दिशा निर्देश दिया जाए।

श्री पी० सी० थामस: मैं भी यह बात कहने की कोशिश कर रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय: हमें अनावश्यक रूप से एक दूसरे के साथ गाली-गलौज नहीं करना चाहिए। माहौल पहले से ही गुस्से और द्वेष से भरा हुआ है। हमें इसे और अधिक खराब नहीं करना चाहिए। देश में जो वातावरण है हमें उसे शान्त करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री पी० सी० थामस: महोदय, आपने जो कुछ कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ़): सबसे उचित रास्ता यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के बोलने की जगह आप प्रत्येक से अपना हृदय टटोलने का अनुरोध कर सकते हैं।

श्री पी० सी० थामस: महोदय, आप जो कह रहे हैं, हम सब उससे सहमत हैं। वास्तव में केरल में जो घटना हुई है हम उसकी निन्दा करते हैं। मैं आई० एस० एस० और उनकी कार्यवाही की निन्दा करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं आर० एस० एस० के रवैये की भी निन्दा करता हूँ। ऐसा इसलिये क्योंकि उन दोनों में संघर्ष है। उन्होंने इस समस्या की शुरुआत की है। जो इस मुद्दे को भड़का रहे हैं और इससे सम्बन्धित मामलों को इस हद तक भड़का रहे हैं मैं उन सभी की भी निन्दा करता हूं। अपने कुछ दोस्तों, अपने उन कुछेक महान नेताओं, जिन्होंने वास्तव में इस प्रकार की समस्या खड़ी कर दी है, के भाषणों की भी निन्दा करता हूँ।

अब मैं भाजपा के नेताओं श्री आडवाणी और श्री वाजपेयी जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वे भगवान राम जैसी सहनशीलता, हिन्दुत्व की सहनशीलता प्रदर्शित करना चाहते हैं और इस दिशा में नेतृत्व प्रदान

[श्री पी० सी० थामस]

करने की स्थिति में हैं तो मुझे विश्वास है कि इस पूरी समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया जा सकता है। नेताओं के भाषणों को सुनकर वास्तव में मैं लज्जित हूं मैंने समाचार-पत्रों में भी उनके भाषणों को पढ़ा। मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि भाजपा के एक नेता ने यहां तक कहा है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को गिरा कर ही इस मुद्दे को निपटाया जा सकता है।

मुझे यह कहते हुए बहुत ही दुःख होता है कि एक माननीय नेता ने अपने भाषण में यहां तक कह दिया था कि बाबरी मस्जिद, जिसका मुसलमानों के लिए कोई महत्व ही नहीं है, को गिरा दिया जायेगा। इस प्रकार से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

मैं सभी से यह अनुरोध करूँगा कि नेताओं की इस प्रकार की कार्यवाही अथवा मनोवृत्ति को कुछ समय के लिए रोक लिया जाना चाहिए ताकि पूरी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके।

मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि कुछ समय के लिए हम सब मिल कर बैठें और समस्या का समाधान करें अथवा इस प्रकार का निर्णय लें कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जा सके। यह सिर्फ सरकार का ही कार्य नहीं है। कार्यवाही करना सिर्फ सरकार का ही कार्य नहीं है न हीं इस प्रकार की कार्यवाही करना सिर्फ राज्य सरकार का काम है।

इसलिए, मैं यह महसूस करता हूँ कि नेताओं को एक साथ मिलकर और शीघ्र ही विचार विमर्श करना चाहिए तथा इस समस्या का समाधान ढूँढ़ना चाहिए।

मैं उनसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सत्ता पक्ष के एक सदस्य को और विपक्ष के एक सदस्य को अनुमति दूँगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है। इन्होंने केरल में आर०एस०एस० के बारे में कुछ कहा है। मेरी जानकारी है और अखबार में जो वहां के होम मिनिस्टर ने कहा है, मैं उसकी केवल दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "श्री सी० वी० रामाराजन गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुसार गड़बड़ी करीब 7.30 म०पू० शुरू हुई जब पुनथुरा में रा०स्व०से० की शाखा पर पत्थर फेंका गया था।"

[हिन्दी]

उसके बाद यह झगड़ा हुआ। मेरी जानकारी भी है इसलिए यह कहना कि वहां कोई क्लैश हुआ है, आर०एस०एस० पर अटैक हुआ है, वायलैंस उसके बाद शुरू हुई है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जो कुछ आप कहना चाहे थे आपने कह दिया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: परम्परा यह रही है कि सत्ता पक्ष के एक सदस्य को और विपक्ष के एक सदस्य को अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव: जीरो आवर में खुराना जी ने एक समस्या उठाई है। इन्होंने कहा कि आर० एस० एस० के लोगों पर, जो मैदान में शाखा कर रहे थे, हमला किया। यह अखबार में आया है, यह सही है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है केन्द्र की सरकार दोषी है। अयोध्या में आज जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्माण हो रहा है, केन्द्र सरकार में क्षमता नहीं है कि उसे रुकवा सके। केरल में जो हुआ है वह केवल केरल में होकर नहीं रह जाएगा, आप देखेंगे कि पूरे देश में रोजाना घटनाएं होंगी और उनको कोई रोक नहीं पाएगा। हाई कोर्ट के आदेश को लागू करवाना सरकार का कर्तव्य है, वह चाहे भूमि का अधिग्रहण करे चाहे बी० जे० पी० की सरकार को बरख्वास्त करे।

मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि खुराना जी बोल चुके, दूसरे माननीय सदस्य बोल चुके, फिर भी एक ही विषय पर बार-बार बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: उपाध्यक्ष महोदय, श्री सत्यपाल यादव ने जो कहा है उसपर आप व्यवस्था दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे (ठाणे): महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव शहर अत्यन्त संवेदनात्मक शहर माना जाता है।...**(व्यवधान)**

बाबरी ऐक्शन कमेटी के द्वारा मालेगांव शहर में पूरे दिन बंद हुआ। उसी दिन जनता दल के नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व विपक्ष के नेता के नेतृत्व में 50 हजार लोग इकट्ठे हुए और शहर में मोर्चा बना कर घूमते रहे। उसके बाद वह मोर्चा बालाजी मन्दिर के पास आया। तब उत्तेजना निर्माण करने की दृष्टि से वहां घोषणायें शुरू हुईं। वहां शिवाजी की मूर्ति के सामने एक फोटोग्राफर जो छायाचित्र लेना चाहता था, उसका कैमरा छीन लिया गया। उसके साथ मारपीट हुई। दूसरे दिन वह चीज पेपर में न छपे, इसके लिये कोशिश की गई। मालेगांव में ये जो सब हो रहा है, यह क्या हो रहा है? पुलिस कंट्रोल रूम के समाने पत्थरबाजी हुई और मन्दिर के सामने गलत घोषणायें हुईं। तीसरी बात यह हुई कि फोटोग्राफर का कैमरा छीन कर मारपीट की गई। जब जनता दल के नेता से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि यह मुझ से गलती हुई और यह मोर्चा मेरे काबू में नहीं रह सका। इस तरह की हरकतें मालेगांव में चल रही हैं। जनता दल यह चाहता है कि भारत वर्ष में जहां-जहां पहले दंगे हुए, वहां फिर से दंगे हों। इससे पहले गुजरात में यह दंगे हुए और अब महाराष्ट्र में करवाने की कोशिश सांगली और कराड़ में हुई। हर तरह से दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। मालेगांव में भी यही कोशिश की गई...**(व्यवधान)**...

श्री अयूब खां (झुंझुनु): मालेगांव के बारे में कह रहे हो, अयोध्या के बारे में कहो।

श्री राम कापसे: जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हर जगह दंगे हों लेकिन वहां नहीं हो रहे हैं। इसलिये महाराष्ट्र में यह विष फैलाने का काम ये कर रहे हैं। मैं इसकी घोर

[श्री राम कापसे]

निन्दा करता हूं और गृह मंत्री से इस बारे में ब्यान देने की मांग करता हूं। मालेगांव के बारे में मैंने कल भी यह सवाल उठाया था लेकिन उस विषय में कुछ नहीं हो रहा है। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर गृह मंत्री जी से इस विषय में कहें। वह खुद महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव जैसी जगह में दंगे होते हैं तो वह उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं जबकि बाकी हर विषय में बोलते हैं। यह विष केरल में फैले, महाराष्ट्र में फैले, आप जल्द ही इस दिशा में कदम उठायें।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम): उपाध्यक्ष जी, केरल में जो दो दिन से हो रहा है, इस सदन में हर पार्टी का नेता आगे आकर इसकी निन्दा करता है। मैं इस वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। आपने जो बताया है, मैं इससे सहमत हूं। इस देश में शान्ति और अमन का वातावरण बनाये रखना हर राजनैतिक पार्टी का और राजनैतिक दल का, उसके नेता का दायित्व बनता है। इस सदन के अन्दर हम लोग तो नये लोग हैं, हम लोग युवा लोग हैं हम लेकिन आडवाणी जी को देखते हैं, वी०पी० सिंह जी को देखते हैं और अन्य नेताओं को देखते हैं। आप इस देश को कहां लेकर जाते हैं?

मन्दिर निर्माण के हम लोग, कांग्रेस पार्टी खिलाफ नहीं है लेकिन आप देखिये, हमारे देश की इस नई पीढ़ी को आप कहां लेकर जा रहे हैं। त्रिवेन्द्रम के अन्दर चार लोग मर गये, 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। एक मस्जिद के अंदर एक आदमी को मार डाला, आज केरल की सरकार ने स्थिति को कायम रखने के लिए बहुत कुछ काम किया है लेकिन इसके बावजूद भी वहां अभी तक शान्ति और अमन का वातावरण नहीं बन पाया है इसलिए मैं सब को यही अपील करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर शान्ति और अमन का वातावरण बनाये रखने के लिए हर राजनैतिक दल के नेता आगे आयें और अपील करें। इस देश में शान्ति और अमन का वातावरण और साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बनाये रखने के लिए काम करें।

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): उपाध्यक्ष जी, मैं पिछले 40 साल से समाज का काम करता हूं। मेरा काम समाज की पिछड़ी हुई जातियों, हरिजन, आदिवासी, गरीब लोगों का है जिसे में 40-41 साल से करता हूं। हिन्दू मुस्लिम एकता का काम मेरा 40 साल से चलता है। मैं जो संस्था चलाता हूं, उसमें मुस्लिम कार्यकर्ता भी मेरे यहां हैं और मुस्लिम विद्यार्थी मेरे यहां हैं। कोई हिन्दू मुस्लिम की बात मेरे यहां नहीं है। लेकिन मेरे यहां अभी दंगा चल रहा है।

एक मुस्लिम भाई कहीं से आया था, उसकी आपस में कोई तकरार थी तो किसी मुसलमान ने उसको मार दिया। मारने वाला मुसलमान था, फिर भी उसने ऐसा कह दिया कि उसको हिन्दू ने मार दिया, उससे मुस्लिम भाइयों को कुछ तकलीफ हो गई और उन्होंने एक हिन्दू को मार दिया। सारे डीसा शहर में, जहां से मैं आता हूं, पालनपुर के पास डीसा तहसील का मतक है, वहां एक हिन्दू को मार दिया, शहर में तनाव हो गया।

यहां अविश्वास की दरख्वास्त थी, मेरे पास फोन आने लगे कि आप यहां आ जाइये तो मैं यहां आ गया। सारे शहर में तनाव था। पुलिस एक-एक आदमी को चुन-चुन कर लाकर मारती थी, पीटती थी। सारे कार्यकर्ताओं को बुला-बुला कर मारती थी, पीटती थी, एक औरत, एक बूढ़ी माई जा रही थी तो उस का हाथ तोड़ दिया, पुलिस ने। वह कोई दंगा करने नहीं जा रही थी। हमारे यहां देहात में एक सामठी गांव है, वहां से एक आदमी कुछ खरीदने के लिए आया था, उस आदमी को बेचारे को ऐसा मारा कि वह मर गया।... **(व्यवधान)**... मैं वहां पुलिस थाने पर गया, पुलिस आफिसर से मिला, उसे मैंने बताया कि इस तरह निर्दोष नागरिकों को न पकड़ा जाय, निर्दोष नागरिकों को पीटा न जाय...**(व्यवधान)**...देखो, मैं पीटा गया हूं। तो मैं जब पुलिस आफिसर के पास....

[अनुवाद]

श्री ए॰ चार्ल्स: माननीय गृह मंत्री को यहां आना चाहिए और एक वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक: यह उन पर व्यक्तिगत रूप से किया गया हमला है। कृपया सुनिए। **(व्यवधान)** फिर हम आपको बोलने की अनुमति नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: जब मैं पुलिस अधिकारी को मिलने गया तो मैंने पुलिस आफिसर से विनती की कि किसी निर्दोष नागरिक को पकड़ा न जाय, किसी निर्दोष नागरिक को पीटा न जाय तब ...**(व्यवधान)**... अभी मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जब इस सभा के एक माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उन पर हमला किया गया है तो क्या उनकी बात सुनना हमारा कर्त्तव्य नहीं है? हमें उनकी बात सुननी चाहिए। सरकार है और सरकार वक्तव्य देगी। आप अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि अन्य सदस्यों की कठिनाइयों को कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाए। अनेक उलझने हैं। सदस्यों के भाषण को रिकार्ड करने में रिपोर्टरों को काफी परेशानी हो रही है। कुछ शिकायतों को सामने रखने के लिए शून्य काल है। मैं सत्ता पक्ष एक सदस्य और विपक्ष से एक सदस्य का नाम पुकार रहा हूँ। मैं कुछ नियमों का पालन कर रहा हूँ। हममें से प्रत्येक पूरे विश्व को यह शिक्षा देना चाहता है कि हमें किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। साथ ही हम अपने आपको भी टटोलना है। माननीय सदस्य जी जो कुछ कहना है वह उन्हें कहने दें। **(व्यवधान)**

श्री पी॰ सी॰ थामस: अन्य मुद्दे की चर्चा करने से पूर्व हम यह चाहेंगे कि सरकार एक वक्तव्य जारी करे....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अपनी शिकायतों को सामने रखने का आपको पूरा अधिकार है। आप दूसरी पंक्ति में हैं, तो क्या आप इस सभा में अन्य सदस्यों के बोलने के अधिकार को छीन लेंगे? मैं ऐसा नहीं समझता हूं। नियम भी इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

श्री पी॰ सी॰ थामस: हम उनके मार्ग में रुकावट नहीं बनेगें।

उपाध्यक्ष महोदय: वे जो भी कहते हैं हम उसे धैर्यपूर्वक सुनें। यदि यह अच्छा लगे तो आप इसे स्वीकार करें और यदि नहीं तो आप इसकी उपेक्षा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा: उपाध्यक्ष महोदय, जब में विनती करने के लिए पुलिस स्टेशन गया कि निर्दोष नागरिकों को पीटा न जाए, निर्दोष नागरिकों को पकड़ा न जाए, तो मेरे साथ दो-चार साथी और आ गए। हम बोले तो लोग भी बाहर आ गए और मार-पीट शुरू कर दी। यह भी नहीं देखा कि कौन है। मैं तो अन्दर था, फिर भी मार-पीट शुरू कर दी। पीटा गया और पुलिस के वहां डीएसपी वगैरह ने पकड़-पकड़ कर ले गए। सौ डेढ़ सौ किलोमीटर ले जाकर छोड़ गए और वहां जाकर पता नहीं कि केस हुआ था, झूठा केस करके मैजिस्ट्रेट के सामने कर दिया। गुजरात में पुलिस कार्यवाही गलत चल रही है। यह बन्द नहीं की गई, जैसी कि वहां चल रही है, तो गलत होगा। बिहार जैसा वहां राज नहीं चलेगा।

[श्री हरिसिंह चावड़ा]

दूसरी बात, मेरा क्षेत्र पाकिस्तान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमारा एक गांव पीपराड़ा पांच हजार की आबादी वाला है। वहां एक माइनोरिटी वाला भाई, जिसको जसलोक बोलते हैं, उसको चोक के लिए ले आए। बाद में इतना हो गया कि गुंडागर्दी और मां-बहनों की इज्जत लूटने लगे। हमारे यहां पंचायत के प्रैजीडेंट को प्रमुख कहते हैं, जब वह खड़ा रहता है, तो उसके सामने कोई नहीं रहता है। सारे इल्लिगल काम करते हैं। यदि इन एक-दो माइनोरिटी वालों को रोका नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में जो परिस्थितियां हुई, वैसी ही परिस्थिति बनासकांटा की होगी। इसलिए में कहना चाहता हूं कि सरकार को जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए और काश्मीर जैसी परिस्थिति बनासकांटा में बनने के लिए रोकना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस (एरणाकुलम): हम माननीय सदस्य पर हुए हमले की निन्दा करते हैं .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह नियमित वाद विवाद नहीं है। यदि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो असंसदीय हैं, तो आपको इन्हें उठाने की स्वतन्त्रता है और ऐसे शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से हटाया जा सकता है। लेकिन आप कोई स्पष्टीकरण नहीं मँगा सकते हैं।

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस: महोदय, हम माननीय सदस्य पर हुए हमले की निन्दा करते हैं। लेकिन हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह सब अयोध्या में हुई घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। भाजपा ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि वे न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय के निर्देशों को लागू नहीं कर पायी। भाजपा के वरिष्ठ नेता विहिप पर हावी नहीं हो पाये और निर्माण कार्य चल रहा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार तथा भाजपा नेत्तृत्व की निष्क्रियता का परिणाम है कि केरल में साम्प्रदायिक दंगे शुरू हुए हैं....**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सत्ताधारी दल से यह अपेक्षा करता हूं कि वे देश में उत्पन्न इन कुछ परिस्थितियों पर जिम्मेदारी पूर्वक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अयोध्या के विषय में हमारे मत भिन्न हो सकते हैं। लेकिन इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि इन वर्षों में झगड़े का जड़ यह रहा हैकि मस्जिद के ढाँचे की सुरक्षा करनी चाहिए अथवा नहीं। **(व्यवधान)** यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ईमानदारी पूर्वक यह आश्वासन दिया है कि मस्जिद के ढाँचेको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि आज त्रिवेन्द्रम में दंगा हुआ है। मालेगांव में गड़बड़ी हुई है अथवा अन्य किसी जगह पर जो कुछ हुआ है, यदि हम-हमलोगों से तात्पर्य उन लोगों से है जो इस बात पर ध्यान देते हैं कि साम्प्रदायिक सद्भावना, साम्प्रदायिक शांति बनी रहे — आयोध्या के आधार पर इसे न्यायोचित ठहराने की कोशिश करेंगे तो इसक अर्थ होगा कि हम साम्प्रदायिक सद्भावना में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं मुस्लिम लीग की राजनीति से असहमत हूं, उसे अस्वीकार करता हूं। लेकिन मैं मुस्लिम लीग और इस्लामिक सेवक संघ में भेद मानता हूं और मैं सरकार से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य चाहता हूं कि इस संगठन का स्वरूप क्या है क्योंकि मेरी जानकारी में, जोकि बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त की गयी है, यह पाकिस्तान के इन्टर सर्विसेज़ संगठन द्वारा गठित एक तंत्र है। यह कार्य पाकिस्तान सरकार के इन्टर सर्विसेज़ इन्टेलिजेन्स विंग का है जोकि सी आई॰ ए के सामन है और यह तंत्र हाल ही में अस्तित्व में आया है और केरल में इन दिनों हुई सभी घटनाओं के पीछे इसी तंत्र का हाथ है। मुझे मालूम हुआ है कि 18 तारीख को केरल के तीन हवाई अड्डों—कोचीन, त्रिवेन्द्रम और कालीकट का हजारों लोगों द्वारा घेराव किया

गया था जिन्हें, उक्त संस्था के आह्वान पर ट्रकों और बसों में भरकर इन हवाई अड्डों पर लाया गया था और यह घेराव इतना प्रभावशाली था कि जो यात्री हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, उनमें से बहुत से यात्री यात्रा पूरी होने पर जहाज़ से बाहर नहीं निकल सके। दूसरे सदन के मेरे दो साथियों ने भी उसी जहाज़ से यात्रा की थी, वे भी बाहर नहीं आ सके थे। केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने मेरे इन साथियों के बाहर आने की व्यवस्था करायी और इस तरह से वे बाहर आ सके। परन्तु उस विमान में विदेशी लोग और महिलाएं भी थीं और ये हवाई अड्डे पर वस्तुतः रो रही थीं क्योंकि वे जहाज़ से बाहर नहीं निकल सके। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कई बातों को आपस में गुड़मुड़ करने की कोशिश न करें और किसी भी तरह दंगों का औचित्य जताने की कोशिश कदापि न करें। किसी भी तरह की हिंसा की निंदा होनी चाहिये और यदि दिन में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की किसी शाखा पर आक्रमण की घटना होती है—आप राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की बात से सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं—तो उसमें भी हिंसा की और वहां की सरकार की समान रूप से निंदा की जानी चाहिये। जहां भी कोई ऐसी घटना होती है, तो मैं इसकी निंदा करता हूं। इसलिये जब मेरे साथी बताते हैं और उन्हें इस तथ्य पर गर्व भी है कि गत एक वर्ष से उत्तर प्रेदश में तमाम उत्तेजनाओं के बावजूद श्री कल्याण सिंह की सरकार साम्प्रदायिक उपद्रवों को दबाने में सफल रही है। मैं सरकार की ओर से एक वक्तव्य चाहता हूं। इन दिनों, स्वभावतः ही सभी लोगों का ध्यान अयोध्या की ओर ही लगा हुआ है। परन्तु इस बीच अहमदाबाद में, गुजरात में कई स्थानों पर, मालेगांव में और अभी-अभी त्रिवेन्द्र में भी गंभीर उपद्रवों की घटनायें हुई हैं। मैं इन सभी घटनाओं के बारे में सरकार से एक विस्तृत वक्तव्य चाहता हूं, इन सभी घटनाओं पर और इन मामलों के संबंध में वहां की राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, उनके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सांप्रदायिक दंगे केरल में हो रहे हैं, मालेगांव में हो रहे हैं या देश के किसी भी क्षेत्र में हो रहे हैं, उन दंगों को हम बहुत बुरा मानते हैं और हमें बहुत अफसोस है कि हमारे देश में इस तरह के दंगे हो रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी द्वारा करवाए जा रहे हों, चाहे मालेगांव के दंगे हों या केरल के दंगे हों। **(व्यवधान)**

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बीमारी की जड़ कहां से शुरू हुई, यह देखना बहुत जरूरी है। जब कभी भी हिन्दूस्तान में दंगे हुए हैं, उसका कोई न कोई कारण हमेशा रहा है। इस बार हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अयोध्या में जो हालात हो रहे हैं और कोर्ट के आर्डर को जो नहीं माना जा रहा है और उसकी वजह से जो वातावरण देश में बन रहा है, उसके कारण ये दंगे हो रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर): क्या भारत सरकार का ऐसा ही दृष्टिकोण है? आप गृह मंत्री को कहें कि वे इस पर अपना वक्तव्य रखें ... **(व्यवधान)**... गृह मंत्री को इस तरह का वक्तव्य दें ...**(व्यवधान)**....

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है। कृपया धैर्य रखें।

[श्री गुलाम नबी आजाद]

[हिन्दी]

राष्ट्रीय इस्लामिक सेवा संघ की हम बहुत निंदा करते हैं, जहां हम देश में हिन्दू कम्युनलिजम के खिलाफ हैं, वहीं हम उतना ही मुस्लिम कम्युनलिजम के भी खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार जितनी हिन्दू कम्युनलिजम के खिलाफ है, उतनी ही मुस्लिम कम्युनलिजम के भी बराबर खिलाफ है। लेकिन यह नाम कहां से आया। इस्लामिक सेवक संघ मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ही स्टेप कज़न है। इसलिए आप हमसे पूछने के बजाए आर एस एस से पूछिए, जिन्होंने इस नाम को लाने में कामयाब बनाया। अगर आर एस एस नहीं होता तो इस्लामिक सेवक संघ भी नहीं होता। इसलिए हर बीमारी की जड़ का बीज आप बोते हैं। **(व्यवधान)** कोई भी बीमारी जब पैदा होती है तो उसकी वजह भी होती है। इसलिए जहां हम इस्लामिक सेवक संघ की निंदा करते हैं, वहीं हम आर एस एस की भी निंदा करते हैं, कि ये दोनों मिलकर देश का विभाजन करना चाहते हैं और देश में तनाव पैदा कर रहे हैं।

आज आपने जैसा बताया कि मालेगांव में दंगे हो रहे हैं, त्रिवेन्द्रम में दंगे हो रहे हैं, इससे हमारा शक और भी पक्का हो जाता है। हम इतने दिन से बोल रहे थे कि आप कोर्ट के आर्डर्स का पालन कीजिए, यदि कोर्ट के आर्डर्स का पालन नहीं किया गया तो देश में जो तनाव बढ़ रहा है, उससे दंगे होने का खतरा है। क्योंकि कोर्ट का आर्डर नहीं माना गया, जिसकी वजह से केरल में, महाराष्ट्र में और भगवान न करे कल को देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगे हो सकते हैं, इसके लिए कोर्ट का आर्डर न माना जाना ही कारण माना जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और यू०पी० की सरकार जिम्मेदार है, केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। ....**(व्यवधान)**...

श्री मदन लाल खुराना: मेरा आरोप है कि ऐसी स्टेटमेंट दे कर आप देश में दंगों को भड़का रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद: जहां तक आडवाणी जी ने फरमाया, मालेगांव के बारे में, हम उसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे और अयोध्या के बारे में भी सरकार स्टेटमेंट देगी। ... **(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम आज की कार्य-सूची की मद संख्या 6 को लेते हैं।

1.06 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना इस सभा को देनी है:—

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 16 जुलाई, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन, विधेयक, 1992 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

1.06-1/2 म०प०

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव: महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1992 को सभा पटल पर रखता हूं।

1.07 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1992-93

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय मैं, श्री सी० के० जाफर शरीफ की ओर से, वर्ष 1992-93 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2301/92]**

1.07-1/2 म० प०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1988-89

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय मैं, श्री सी० के० जाफर शरीफ की ओर से, वर्ष 1988-89 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अतिरिक्त मांगों का दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2302/92]**

1.08 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **केरल में कैपरोलैक्टम प्रोडयूसिंग कम्पनी, फैक्ट के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता**

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम): महोदय, देश में दो कंपनियां, केरल में फैक्ट तथा गुजरात में जी०एस०एफ०सी० कंपनी कैपरोलैक्टम का उत्पादन कर रही हैं। फैक्ट 40,000 से 50,000 टन और जी०एस०एफ०सी० 18,000 टन कैपरोलैक्टम का उत्पादन कर रही है। देश में कैपरोलैक्टम की कुल खपत 75,000 टन से 80,000 टन के बीच है। इस प्रकार देश में 20 हजार से 25 हजार टन कैपरोलैक्टम की कमी अनुभव की जाती है।

1992-93 के बजट से पहले, आयातित कैपरोलैक्टम पर 80 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया था। लेकिन बजट के बाद इसका सीमा शुल्क 80 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसके कारण कैपरोलैक्टम का मूल्य 81 हजार रुपये प्रतिटन से घटकर 45 हजार रुपये प्रतिटन हो गया जबकि फैक्ट द्वारा उत्पादित कैपरोलैक्टम की कीमत 80,000 रुपये प्रति टन ही रही है। इसके परिमाणस्वरूप बाजार में फैक्ट कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी और 30 करोड़ रुपये मूल्य का 4,000 टन कैपरोलैक्टम फैक्ट के गोदामों में जमा हो गया है। इस समय आयातित कैपरोलैक्टम बिक रहा है और इन दोनों कंपनियों का उत्पाद वैसे का वैसा ही पड़ा है। फैक्ट कंपनी को इस संकट से बचाने के लिए, निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं:—

(1) सरकार को उतनी ही कैपरोलैक्टम के आयात की अनुमति देनी चाहिए जितनी कि उसकी देश में कमी है।

[प्रो॰ के॰ वी॰ थामस]

(2) आयातकर्त्ताओं के लिये फैक्ट कंपनी का कैपरोलैक्टम खरीदना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

(3) ऐसे नियम का प्रयोग किया जाना चाहिये जिससे कैपरोलैक्टम जमा न किया जा सके।

(4) सरकार तथा फैक्ट कंपनी और कैपरोलैक्टम का इस्तेमाल करने वाले नाइलोन उद्योगों के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जाए ताकि इस समस्या का उचित हल ढूंढा जा सके।

(5) फैक्ट कंपनी को नाइलोन तथा नाइलोन पर आधारित उत्पादों का उत्पादन आरम्भ करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(6) फैक्ट कंपनी के अमोनिया संयंत्र को शीघ्र ही स्वीकृति दी जाये ताकि इसे कैपरोलैक्टम के उत्पादन के लिए प्रयुक्त आमोनिया का आयात न करना पड़े।

(दो) **देश में फाइलेरिया के बढ़ते प्रकोप को रोके जाने की आवश्यकता**

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर): ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 30 करोड़ 40 लाख लोगों को फाइलेरिया रोग होने का खतरा है। इनमें से 2 करोड़ 20 लाख लोगों में माइक्रोफाइलेरिया के जीवाणु हैं और 1 करोड़ 60 लाख लोग इस रोग से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और बिहार तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र इस रोग के प्रकोप से पीड़ित हैं। उड़ीसा राज्य तो इस रोग के जीवाणुओं का जन्म स्थल रहा है।

भारत में फाइलेरिया रोग प्रमुखतः वयुचेरीया कीटाणुओं के प्रवेश करने से होता है जोकि क्युलेक्स फेटीगन जाति के जीवाणु द्वारा छोड़ा जाता है। भारत में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण का वर्तमान कार्यक्रम 1956 में शुरू किया गया था जोकि उड़ीसा के पुरी जिले में लागू की गई प्रमुख परियोजनाओं के अनुभवों के आधार पर शुरू किया गया था। इस रोग से विशेषतया अविवाहित लड़कों और लड़कियों में कई सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। यह रोग अनियंत्रित रूप से फैल रहा है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(तीन) **अहमदाबाद और राजकोट के दूरदर्शन केन्द्रों को सूक्ष्मतरंग द्वारा अन्य केन्द्रों के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता**

श्री काशीराम राणा (सूरत): देश में टी॰वी॰ नेटवर्क के विस्तार कार्यक्रम के एक अंग के रूप में केन्द्र सरकार ने गुजरात में 30 कम शक्ति वाले टी॰वी॰ ट्रांसमीटर तथा तीन उच्च शक्ति वाले टी॰वी॰ ट्रांसमीटर लगाए हैं। गुजरात सरकार तथा सूरत निगम ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने के लिए भूमि, भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध करके अपना सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता को टी॰वी॰ कार्यक्रमों की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने एक सामुदायिक टी॰वी॰ योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत गांवों में टी॰वी॰ सैट लगाने के लिये राज्य सरकार बराबर की धनराशि उपलब्ध कराएगी।

क्षेत्रीय टी॰वी॰ पारेषण नेटवर्क का भी दायरा बहुत कम है तथा यह केवल अहमदाबाद और बड़ोदरा तक ही सीमित है। सूरत और बड़ोदरा जैसे टी॰वी॰ स्टेशनों को माइक्रोवेव से नहीं जोड़ा गया है। राज्य सरकार और

गुजरात राज्य के संसद सदस्यों ने केन्द्र सरकार से उस हेतु अनुरोध किया था और केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि जून 1992 से गुजरात को माइक्रोवेव से जोड़ दिया जाएगा किन्तु इस संबंध में अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है जिसके कारण अहमदाबाद और राजकोट में क्षेत्रीय भाषा में तैयार किए गए सांस्कृतिक, संगीत, कला संबंधी कार्यक्रम समूचे राज्य में जनता को उपलब्ध नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अहमदाबाद और राजकोट टी०वी० स्टेशनों को तत्काल अन्य केरों के साथ माइक्रोवेव से जोड़ा जाये। अहमदाबाद और दिल्ली को भी माइक्रोवेव द्वारा जोड़ना आवश्यक है ताकि राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं को उसी दिन राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाया जा सके।

(चार) **असम में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस ''आदोमितिला'' का दोहन किए जाने की आवश्यकता**

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज): असम की बरक घाटी में बिजली की अभूतपूर्व कटौती की जा रही है। क्योंकि असम में विद्युत आपूर्ति के स्रोत सीमित हैं, इसलिए बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य को पड़ौसी राज्यों मेघालय, त्रिपुरा तथा मणिपुर पर निर्भर रहना पड़ता है। जल और ताप विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त बरक घाटी में प्राकृतिक गैस भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है जोकि विद्युत उत्पादन का एक स्रोत है। राज्य में करीमगंज जिले में पत्थर कोडी के निकट ''आदमीटीला'' नामक स्थान पर विशाल मात्रा में प्राकृतिक गैस निकल रही है। इस प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन में आसानी से किया जा सकता है ताकि वहां हो रही विद्युत कटौती को कम किया जा सके। अतएव मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात की ओर ध्यान दिया जाये और इस दिशा में तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(पांच) **यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि खाद्य निगम कर्मचारी संघ की मांगों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को पूरी तरह लागू किया जाए**

श्री पी० सी० थॉमस (मुक्तुपुजा): भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ जिसकी सदस्य संख्या लगभग 70 हजार है, अपनी 95 प्रतिशत सदस्य संख्या के साथ अपनी न्यायोचित मांगों के लिए आन्दोलन कर रहा था। 15 मई, 1992 को वे हड़ताल पर जाने वाले थे। अनेक संसद सदस्यों के बीच में पड़ने के कारण केन्द्रीय खाद्य राज्य मंत्री तथा संघ के नेताओं के बीच बातचीत हुई जिसमें संसद सदस्य भी उपस्थित थे। इस बातचीत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये गए तथा मंत्री महोदय ने संसद सदस्यों को लिखित रूप में इन निर्णयों की सूचना देते हुए यह माना था कि इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। इसके बाद संसद सदस्यों के अनुरोध पर आन्दोलन वापस ले लिया गया। आश्चर्य की बात है कि इसके बावजूद भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधकों ने इन निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया है। सरकार से मेरा अनुरोध है वह इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करे।

(छः) **उड़ीसा के बोलंगीर क्षेत्र में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार देने हेतु कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता**

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर): महोदय, उड़ीसा का बोलंगीर संसदीय क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र है जो अपनी सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए मानसून पर निर्भर है। औसत से कम वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में सूखे की आशंका है। अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण भूमिहीन तथा सीमांत किसान भुखमरी तथा पलायन की समस्या का सामना कर रहे हैं। यद्यपि केन्द्र सरकार ने सूखारोधी तथा रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम आरंभ किए हैं, तथापि उपयुक्त निगरानी के अभाव में गरीब से गरीब लोगों को उनके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। भूमि तथा आर्द्रता संरक्षण की कमी के कारण भूमि की अवरोधन क्षमता भी घट रही है। भूमि

[श्री शरद चन्द्र पटनायक]

की उर्वरता में आ रही कमी को रोकने तथा सूखे से मुकाबला करने के लिए सरकार को एक ऐसी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार मिल सके। स्थानीय संसद सदस्यों को रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों की निगरानी में सहयोजित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके उसके जरिए आवश्यक वस्तुएं गरीब लोगों को वितरित की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.17 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.22 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.22 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे (खंड 1 और 2) तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): महोदय, श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:—

(1) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं (खंड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2264/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2265/92]

(5) (एक) राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2266/92]

(6) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2267/92]

(8) विश्वभारती (शान्तिनिकेतन) के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2268/92]

(10) (एक) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलौंग के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलौंग के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2269/92]

(12) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2270/92]

(14) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खंड 1 तथा 2)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2271/92]

(16) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षक लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2272/92]

(18) (एक) बाल भवन सोसाइटी (भारत) नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाल भवन सोसाइटी (भारत) नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाल भवन सोसाइटी (भारत) नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2273/92]

(20) (एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षक लेखे।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2274/92]

(22) (एक) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2275/92]

(24) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2276/92]

(26) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2277/92]

(28) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरतकल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरतकल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक इंजीनियरिंग कालेज, सूरतकल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2278/92]

(30) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2279/92]

(32) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2280/92]

(34) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2281/92]

(36) (एक) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2282/92]

(38) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2283/92]

(40) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2284/92]

(42) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2285/92]

(44) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2286/92]

(46) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2287/92]

(48) विश्व-भारती शान्ति निकेतन वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2288/92]

(50) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के क्रारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2289/92]

(52) (एक) स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेजों के बारे में श्री मोहन सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4288 के बारे में 17 दिसम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2290/92]

(53) दिल्ली विवविद्यालय का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2291/92]**

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना, भारतीय प्लाईबुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): महोदय, मैं श्री कमलनाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) तथा संशोधन नियम, 1992 जो 25 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 636(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2292/92]**

(2) (एक) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2293/92]

(4) राष्ट्रीय संरक्षण नीति तथा पर्यावरण और विकास संबंधी नीति विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2294/92]

(5) वन क्षेत्र के बारे में श्री सुभाष चन्द्र नायक, संसद् सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 84 के बारे में 14 जुलाई, 1992 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2295/92]

केन्द्रीय योग अनुसंधान तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान (इंडिया) अकादमी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ:

महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2296/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान (इंडिया) अकादमी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान (इंडिया) अकादमी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुये विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2297/92]

संघ सरकार (डाक सेवाएं) तथा संघ सरकार (दूरसंचार सेवाएं) के वर्ष 1990-91 के विनियोग लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) संघ सरकार (डाक सेवायें) के वर्ष 1990-91 के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2298/92]

(2) संघ सरकार (दूरसंचार सेवायें) के वर्ष 1990-91 के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2299/92]

(3) संघ सरकार के रक्षा सेवाओं के वर्ष 1990-91 के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2300/92]

2.23 म० प०

भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक पर आगे चर्चा करेगी।

अब श्री श्रवण कुमार पटेल बोलेंगे।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अखण्डनीय तथ्य है कि भोपाल गैस त्रासदी मानव इतिहास में सबसे दुखद औद्योगिक विभीषिका है। पुरुष, महिलाओं, बच्चों सहित हजारों व्यक्ति तथा पशु इस विभिषिका में मारे गए और लाखों लोगों को अपूर्णीय हानि हुई। कानूनी भाषा में आम कहावत है कि विलंब से न्याय देने का अर्थ है न्याय न दिया जाना। इस बात को आठ वर्ष हो चुके हैं जबकि मानव जीवन के प्रति लापरवाही के रवैये की वजह से भोपाल शहर पर उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को भीषण कहर बरपा था। यह त्रासदी मूलतः भोपाल में यूनियन कार्बाइड की लापरवाही के कारण घटी थी। शायद इस सम्माननीय सदन के कुछ माननीय सदस्यों को एक तथ्य के बारे में मालूम नहीं है कि भोपाल के एक छोटे से समाचार पत्र ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भोपाल शहर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और किसी भी समय यह विभिषिका घटित हो सकती है। परन्तु धनी एवं शक्तिशाली लोगों की पहुंच बहुत बड़ी होती है और अन्ततः इस विभीषिका को टाला नहीं जा सका। माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से इस सभा में हुई चर्चाओं को तथा संकल्प के माध्यम से सदन में लगभग एक सप्ताह तक हुई चर्चाओं को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। मैं हर पहलू के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, परन्तु हमने जो विभिन्न चर्चाएं की हैं उनके माध्यम से जो महत्वपूर्ण बातें सामने आईं मैं केवल उनका ही जिक्र करना चाहूंगा।

मैं शुरू में ही यह कहना चाहूंगा कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि मुआवजे की कोई भी राशि स्वास्थ्य पर पड़े दुष्प्रभाव को और एम०आई०सी० गैस रिसाव के शिकार लोगों को हुई जन-धन की क्षति की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकती है। यह कहने के पश्चात् मेरी दृष्टि में, गैस पीड़ितों, जिनकी संख्या इस समय

8 लाख से अधिक है, को हुई क्षति का आकलन दिया जाना, प्रत्येक वर्ग के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करना तथा उनके पुनर्वास का प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने इस सदन में मांग की है— अनेक श्रेणियों के लिए मार्गनिर्देशों को फिर परिभाषित किया जाना चाहिए और उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए, तथा माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि इस प्रणाली को सरल बनाया जाएगा ताकि दावों का निपटान यथासंभव कम से कम समय में किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने दावा आयुक्तों को व्यापक शक्तियां दी हैं। उन्हें अर्द्ध-न्यायिक कार्य भी करने होंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री डा० चिन्तामोहन ने कल ही यह घोषणा की है कि अब इन दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक हजार से अधिक लोग कार्य करेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग भोपाल में नहीं रहते हैं लेकिन जो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को वहां थे, उनके हितों की भी रक्षा की जाए और उन्हें भी कुछ मुआवजा दिया जाए क्योंकि उन्हें भी नुकसान हुआ है। मुआवजे की अदायगी मुआवजे की मूल राशि पर ब्याज भी शामिल होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने हमें उस दिन सूचित किया कि उक्त राशि 1400 करोड़ रुपए से अधिक बैठती है। यह सब करने के बाद राज्य सरकार द्वारा गैस पीड़ितों के पुनर्वास का मुख्य मुद्दा भी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार भी इस मामले में ठोस रूप में अपना योगदान दे सकती है।

गैस से प्रभावित हुए लोगों को व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ऐसी स्थिति में लाया जा सके कि वह अपनी जीविका अर्जित कर सकें तथा राज्य सरकार को उन लोगों को आसान शर्तों पर ऋण देना चाहिए ताकि वह अपने लिए किसी तरह का व्यवसाय शुरू कर सकें।

जैसा कि यूनियन कार्बाइड ने वायदा किया है सभी आधुनिक उपस्करों से सुसज्जित 500 बिस्तरों का एक अस्पताल और अविलम्ब बनाया जाना चाहिए। इस कम्पनी ने यह वायदा बहुत पहले किया था और उन्होंने यह वायदा पूरा नहीं किया है। कम्पनी को इस अस्पताल के लिए 106 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ लागत मूल्य भी देना चाहिए जैसा कि इस अस्पताल के लिए परियोजना रिपोर्ट में प्राक्कलित किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाए कि स्वास्थ्य के लिए इस तरह के खतरनाक उद्योग घनी आबादी वाले क्षेत्रों में न लगाए जाएं ताकि इस तरह की बड़ी विभीषिका कभी न होने पाए।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार श्री एण्डरसन और अन्य लोगों को उन पर मुकदमा चलाने के लिए यहां लाया जाए। मैं इस सदन का और समय नहीं लेना चाहता हूं। मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे देखा जाए, तो यह जो भोपाल-त्रासदी हुई थी, यह बहुत ही दर्दनाक घटना थी और इसमें और भी कई पहलू ऐसे थे जिन पर विचार किया जाना चाहिए था, उन पर आज तक विचार नहीं हुआ है। उनमें से एक पहलू यह भी है कि क्या यह एक प्रकार का हमारे देश की जनता पर किया हुआ प्रयोग था?

एक बात बहुत जरूरी है कि जिस दिन यह घटना हुई, उसके बाद से आज तक, उसको 8 साल हो गए हैं और 8 साल से जो प्रभावित लोग हैं, उनको जो क्षतिपूर्ति की राशि मिलनी चाहिए थी, वह तुरन्त मिलनी बहुत जरूरी थी, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से हर चीज के लिए देरी हो रही है। आज भी जिस प्रकार की गाइड लाइन दी गई हैं, उसमें मृत व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपए दिए गए हैं, जो प्रभावित हैं, उनके लिए जो राशि दी

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

गई है वह 4 लाख रुपए की राशि है, हालांकि नुकसान इस प्रकार का हुआ है कि एक-एक घर में, एक-एक परिवार में दस-दस व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया है। इसलिए जो मुआवजे की गाइड लाइन्स दी गई हैं, उन पर एक बार फिर सोचने की आवश्यकता है। जो लोग जख्मी हुए हैं, इंज्योर्ड हैं, उनके जख्म कोई ऐसे नहीं हैं, जो आज दिख रहे हैं। वे इस प्रकार के जख्म हैं, जिनका नुकसान उनकी पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। भविष्य में होने वाले प्रजनन पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि दिए जाने की गाइड लाइन देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके पुनर्वास का जो प्लान दिया है, उस पर बहुत सतर्कता से सोचना जरूरी है। जो पुनर्वास की योजना दी गई है उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जो बच्चे अभी इस धरती पर आए भी नहीं हैं, वे भी इस त्रासदी के दुष्परिणामों को भुगतेंगे, उनके ऊपर भी असर होने वाला है। जो तमाम लोग जीवित हैं, वे अभी प्रभावित नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें सुनाई नहीं दे सकता है, उन्हें दिखाई नहीं दे सकता है और आगे जाकर उनको बीमारियां हो सकती हैं, लकवा हो सकता है। वे बीमारियां भले ही अभी नुकसान देह नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उनका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिससे वे अपंग हो सकते हैं। उनका जीवन बिगाड़ने वाली बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे वहां अनेकों लोग आज भी मौजूद हैं। उनके पुनर्वास की जो योजना प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई है, उस पर केन्द्र सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। उसमें भी इसी प्रकार से अगर 8 साल के बाद गाइड लाइन दी जाएंगी, तो उनको कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे अब 8 साल के बाद गाइड लाइन दी हैं और 8 साल के बाद निर्णय लिया है और कमिश्नर को अधिकार देने का निर्णय लिया है, इसी प्रकार उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उस योजना के ऊपर विचार कर के तुरन्त केन्द्र सरकार निर्णय ले, मेरा यह अनुरोध है।

मेरा निवेदन यह है कि भोपाल में 56 वार्ड हैं, लेकिन केवल मात्र 36 वार्डों में ही लोगों को यह राहत दी जाने वाली है। भोपाल में लगभग साढे 5 लाख लोग हैं जिनमें से मात्रा 4 लाख लोगों को यह राहत दी जाने वाली है। मेरा निवेदन है कि जब यह गैस लीक हुई थी, तो क्या उसने यह देखा था कि मैं सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में सीमित रहूं, वह तो चारों तरफ फैल गई थी और मात्र भोपाल ही नहीं उसके आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि केवल 36 वार्डों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार का भी यह कहना है कि 36 वार्डों में नहीं बल्कि भोपाल के सभी 56 वार्डों में यह राहत वितरित होनी चाहिए। यदि इस दृष्टि से एक्शन-प्लान बनाया जाएगा, तो वास्तविक रूप से लाभ पहुंचा पाएंगे। इस अमेंडमेंट का तो मैं स्वागत करती हूं। परन्तु इस प्रकार के छोटे-मोटे अमेंडमेंट करने से लोगों को राहत नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा इस मामले में इतना ही निवेदन है कि पहले ही इस प्रकरण में काफी देर हो चुकी है, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोगों का मैडिकल परीक्षण हो चुका है, उनको ही कुछ देने की दृष्टि से इस त्रासदी की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित होगी इस दृष्टि से भी देखना चाहिए।

पूरा शहर गैस की चपेट में आ चुका था। हो सकता है आज जिनको कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन जो उस समय भोपाल में मौजूद थे, कल वे प्रभावित हो जाएं, कुछ साल बाद प्रभावित हो सकते हैं, अलग-अलग तरह से प्रभावित हो सकते हैं और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। यह डाक्टरों ने भी कहा है।

सरकार ने जो आवेदन किया है कि पूरे 56 वार्डों की दृष्टि से कोई प्लान तैयार होना चाहिए और उसके साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन प्लान दिया हुआ है, उस पर तुरन्त निर्णय करके इस त्रासदी से आने वाली पीढ़ी को बचाएं। जो अभी जीवित हैं और उनको आगे जाकर कुछ नुकसान हो सकता है, उनकी दृष्टि से भी तुरन्त निर्णय लिया जाना चाहिए।

मेरा इतना ही निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसका प्रयोजन भोपाल गैस विभिषिका (दावा-कार्यवाही) अधिनियम, 1985 संशोधन करना है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 1984 में भोपाल में एक भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई थी। आज तक, यह पक्के तौर पर और ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है कि इस दुर्घटना में कितने लोग मारे गए थे और कितने घायल हुए थे। कम से कम, जहां तक घायल लोगों की संख्या का सवाल है, वह बढ़ती ही जा रही है। परन्तु मृतकों की संख्या भी 4037 से कोई कम नहीं होगी। मैं नहीं जानता कि इन आंकड़ों में आगे भी कोई फेर-बदल हुआ है। परन्तु रिकार्ड के अनुसार, 4037 लोग इस दुर्घटना में मारे गए। उस समय यह कहा गया था कि बीस हजार लोग घायल हुए हैं। परन्तु अब, जैसा कि हम देखते हैं घायल लोगों की संख्या के बारे में अलग-अलग दावे हैं। यह मामला इस सभा में पहले भी अनेकों बार उठाया जा चुका है। पिछले हफ्ते भी, प्रश्न काल के दौरान, प्रधान मंत्री को यह बताने के लिए चर्चा के बीच में बोलना पड़ा कि कुछ लोग छूट गये हैं। जो कुछ भी हो, प्रधान मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया कि भोपाल में एक कमीश्नर तैनात है और यद्यपि भारत सरकार द्वारा मार्ग निर्देश जारी किए जा चुके है, तथापि उन्हें इन आंकड़ों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यदि कुछ लोग, जो वास्तव में घायल थे और जिन्हें इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया था उन्हें इस सूची में अब शामिल किया जा सकता है। यही आश्वासन दिया गया था।

यह बड़ी खेदजनक बात है कि यह दुर्घटना फैक्टरी के मालिकों की संयंत्र-प्रबन्धकों आदि लोगों की लापरवाही की वजह से हुई। इसी बीच सात आठ वर्ष बीत चुके हैं। परन्तु आज तक क्षतिपूर्ति के मामले का निपटारा नहीं हुआ है अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि इसके लिए मैं भारत सरकार को उत्तरदायी नहीं समझता। व्यवस्था ही ऐसी है कि हमें ही अपना रास्ता खोजना होता है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भोपाल में ही नहीं, बल्कि देश में कहीं भी इस घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो। परन्तु फिर भी यह संभावना तो रहेगी ही, कि इसी प्रकार की कोई समस्या पैदा हो जाए, चाहे वह इतनी विकराल न हो।

यहां पर यह एक अजीब मामला है और जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी इससे सम्बद्ध है, जो भारतीय कम्पनी नहीं है, बाहर की कम्पनी है—बहुत दूर की, अमेरिका की। आप यह भी जानते हैं कि कानूनी कार्यवाही कितनी मुश्किल और पेचीदा होती है। अमरीका में मुकदमा फाइल किया गया था और वहां न्यायाधीश की राय पर, इसे इधर भारत में अन्तरित कर दिया गया। कानूनी रूप से इसे भारत में रजिस्टर कर लिया गया है। अंत में, उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 1991 में इस पर इस टिप्पणी या यूं कहिए कि इस निर्देश के साथ अपना निर्णय दिया कि चार महीने की अवधि के भीतर इस दुर्घटना के शिकार लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे के निर्धारण और भुगतान के बारे में आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त तय कर लिए जाएं और उन्हें जारी कर दिया जाए। तब से यही किया गया है और आगे कार्यवाही जारी है।

आठ साल का समय बहुत ही लम्बा समय है; बहुत हो चुका, और अब यह पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस प्रयोजन से गठित ट्रायब्यूनलों द्वारा शीघ्र ही इन दावों का निपटारा कर दिया जाए।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक और निदेश दिया गया था, जो 40 ट्रायब्यूनलों की स्थापना के बारे में था। इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था, कि इस प्रयोजनार्थ 40 ट्रायब्यूनल स्थापित किए जाएं। अगर मैं गलत होऊं, तो मेरी बात का खंडन किया जाए, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी। इस समय मेरे विचार से केवल आठ ट्रायब्यूनल कार्य कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित या अनुशंसित 40 ट्रायब्यूनलों की तुलना में हम केवल आठ ट्रायब्यूनलों का ही गठन कर पाए हैं। इन आठ ट्रायब्यूनलों में से पांच का वास्तविक क्षेत्राधिकार है, और तीन अपीलीय न्यायाधिकरण हैं। और फिर उनके कार्यालयों की स्थापना, फर्नीचर और आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था आदि में कुछ विलम्ब हुआ। ये सब बातें सही समय पर व्यवस्थित नहीं हुई। जहां तक इस मामले का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार में ठीक समन्वय होना चाहिए। कार्यालयों की तथा और दूसरी बातों की सही व्यवस्था करने के लिए उचित समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। राज्य सरकार आंकड़े बढ़ा कर बताएगी और कुछ कहेगी। इससे काम नहीं चलेगा सब कुछ बहुत मिल-जुल कर करना है। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कार्यान्वयन आदि को केवल नौकरशाही पर ही न छोड़ दिया जाए। मैं जानता हूं कि ये ट्रायब्यूनल और कल्याण आयुक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं तथा धारा 7 के अनुसार शक्तियां सौंपी जा रही हैं। अतः कोई समस्या नहीं है। भारत सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त अधिकारियों या पदाधिकारियों की सूची में अब कल्याण आयुक्त भी शामिल होगा, जो कि एक न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश के रैंक का होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त हुआ है। यह अच्छा है। इस विधेयक में विरोध करने वाली कोई बात नहीं है।

मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह नौकरशाही को ठीक प्रकार से नियंत्रित करें। यदि मंत्रालय के अधिकारियों ने 1985 के मूल अधिनियम का प्रारूप बनाते समय ठीक प्रकार से विचार किया होता, तो इस संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। उस अधिनियम में क्या था? जैसा कि मैंने कहा है—धारा 6 में कल्याण आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। फिर धारा 7 में, एक प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार अपनी शक्तियों को या कुछेक शक्तियों को या सभी शक्तियों को कतिपय अधिकारियों आदि को सौंप सकती है। इसे शुरू में ही देखा जा सकता था। उस सूची में, कल्याण आयुक्त को भी शामिल किया जा सकता था या प्रारूप में यह कहा जाता; मैं यह कुछ ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें बाद में या समय-समय पर भारत सरकार ठीक समझे, अधिसूचना जारी करके, शक्तियां सौंप सकती है। इस तरह के छोटे-छोटे मामले क्यों हमेशा संसद के सामने आते रहे जिससे इस सम्माननीय सभा के बहुमूल्य समय का नुकसान होता है। अगर उन अधिकारियों ने सही कार्यवाही की होती तो सदन के समक्ष यह मामला लाये जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और इस प्रकार के संशोधन को टाला जा सकता था।

मैं और आगे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इस पर पहले ही काफी कहा जा चुका है। स्थिति की गंभीरता के बारे में सभी जानते हैं। भारत सरकार अमेरिकी कोर्ट में 3 बिलियन अमेरिकी डालर के लिये दावा दायर कर चुकी हैं। चूंकि यह स्थिति अनिश्चितता की ओर बढ़ रही थी और जैसा कि आप जानते हैं कि विलम्ब होने से लक्ष्य का हनन होता है। जो भी संभव हो सकता था भारत सरकार ने प्रयास किया। वहां इस सम्बन्ध में एक समझौतापूर्ण निपटारा जिसके अन्तर्गत 470 मिलियन अमेरिकी डालर की रकम निर्धारित की गई। अगर इस रकम को वितरित नहीं किया जाये, दावे की सुनवाई न हो और इनका निपटारा न हो सके तथा यह मामला दशकों तक लटका रहे तो मूल्यों में ह्रास और बढ़ती मंहगाई के कारण इस रकम का क्या मूल्य रह जायेगा?

यह मामला अगर इस शताब्दी के अंत तक चलता रहेगा तो इसका क्या औचित्य रह जाएगा? स्वाभाविक रूप से पीड़ितों का कष्ट बढ़ता ही जायेगा। इसलिये जो न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, उसे शीघ्र ही निपटाया जाना चाहिए। 40 के करीब न्यायाधिकरण है, उन्हें बिना किसी विलम्ब के क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार को भी इस सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा करती रहनी चाहिए। जहां तक समीक्षा का प्रश्न है, उसमें कुछ लापरवाहियां हो रही हैं। दिल्ली में बैठकर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि भोपाल में सभी कुछ इनकी इच्छा और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हो रहा है। मंत्रालय के सचिव को समीक्षा-कार्य भी देखना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्हें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए। पहले ही अकारण काफी विलम्ब की जा चुकी है। लेकिन कम से कम अब और विलम्ब नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे पीड़ितों की पीड़ा और बढ़ेगी।

न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुरूप ही चलायी जाएगी। लेकिन यह देखना होगा नागरिक प्रक्रिया संहिता मुकदमे की तेजी से निपटान की दिशा में बाधक नहीं बन पाये। कुछ संक्षिप्त सी कार्यवाही होनी चाहिए। इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। मैं इस पर बार-बार टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। प्रक्रिया हेतु नागरिक प्रक्रिया संहिता तो अपनाये जाने चाहिए किन्तु मुकदमे की तेजी से निपटाने के मार्ग में इसे रोड़ा नहीं बनना चाहिए। इन परिस्थितियों में एक संक्षिप्त सी कार्यवाही की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये रिजर्व बैंक से 1400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। उस त्रासदी को घटे सात से आठ वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी भी पीड़ितों की संख्या बढ़ाने की अस्वस्थ परम्परा बनी हुई है। इस बात को बढ़ावा नहीं मिलनी चाहिए। यह एकदम सही है कि चिकित्सा-परीक्षण और अन्य औपचारिकताएं जैसी सुविधाएं वहां मौजूद है। लेकिन, साथ ही इस सम्बन्ध में इस अस्वस्थ स्पर्धा को रोका जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह भी कहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यूनियन कारबाईड कारपोरेशन को 500 बिस्तरों वाली विशिष्ट रूप से सुसज्जित अस्पताल का निर्माण करना चाहिए। लेकिन अभी तक उस सम्बन्ध में कोई शुरूआत नहीं हुई है। इस बारे में कुछ भी स्वीकारात्मक रिकार्ड नहीं है। कोई ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इस संगठन और यूनियन कारबाईड कारपोरेशन की रुचि इस तरह का अस्पताल बनवाने में है जो कि इस त्रासदी के पीड़ितों के इलाज के लिये अति आवश्यक है। श्रीमती सुमित्रा महाजन भविष्य में होने वाले इसके दुष्परिणामों का उल्लेख कर रही थीं। वह अपनी आशंका व्यक्त कर रही थीं। इस प्रकार के मामले में यह सिर्फ इसी मामले तक ही सीमित नहीं है। इन सभी बातों पर विचार करें तो यह एकदम सही है कि वहां अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनियन कारबाईड कारपोरेशन की ऐसी मंशा या तत्परता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि वह सच्ची भावना से ऐसी अस्पताल का निर्माण करे। यह कहना तो उनके लिये महज एक औपचारिक चीज लेकिन इसके लिये वे आवश्यक उपाय नहीं करते हैं। ऐसा दृष्टिकोण लाभदायक नहीं होगा।

सरकार ने श्री वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वाशिंगटन टाइम्स में विज्ञापन दिया है। उसने इस दिशा में कुछ कार्य किया है। इस कार्य को पूरा करने के लिये पूरा जोर लगाना चाहिए। इतने सारे व्यक्तियों के कष्ट के लिये जिम्मेदार व्यक्ति को यों ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए जिससे कि दूसरे लोगों को लगे कि इस देश में इस प्रकार की त्रासदी दुबारा न हो।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय है जिस पर माननीय मंत्री जी को भी इस प्रकार की बातचीत से न नहीं करनी पड़ेगी। भोपाल में जो कुछ भी हुआ वह आज किसी से छिपा नहीं है और यह मानवता का प्रश्न है, इसमें कहीं कोई राजनीति का प्रश्न नहीं कि मैं यदि बात कहूं और माननीय मंत्री जी इसको न करें मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात इस बिल में कहीं नहीं है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको एक स्टेट प्लान भेजा, वह प्लान भेजा 371 करोड़ का, उस 371 करोड़ के अंग्रेस्ट भारत सरकार ने मंजूरी दी 163 करोड़ रुपये, कहां 371 और कहां 163, जरा आप अनुमान लगाइए किस प्रकार से आप हम लोगों की मदद कर सकेंगे। इसलिए यह जो प्लान मध्य प्रदेश की सरकार ने 371 करोड़ का भेजा है इसको पूरे के पूरे को मंजूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि मंजूरी नहीं मिलने के कारण वहां पुनर्वास की समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है और 8-8 साल का समय निकल गया, 36 वार्ड तक ही नहीं ये 56 वार्ड तक के लोगों का प्रश्न है, यह मेरा दूसरा सवाल है।

तीसरा, माननीय मंत्री जी यहां पर सवाल है लोगों में इस कारण से खिन्नता बढ़ गई है और असंतोष स्वाभाविक रूप से फैलना जरूरी है। इस प्रकार की ट्रेजरी हो जाने के बाद यदि उनको किसी प्रकार की कोई सहायता न मिले, कोई आर्थिक सहायता न मिले और यही नहीं बल्कि खिन्नता यूं बढ़ी कि उसमें कहा गया था कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, इंडस्ट्रियल शेड्स लगाए जाएंगे, पर्यावरण में सुधार किया जाएगा, महिलाओं को उद्योग धंधे सिखाए जाएंगे और युवकों को उनकी बेरोजगारी किस प्रकार से दूर हो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अब माननीय मंत्री जी, जब पैसा ही कम मिला तो कुछ भी नहीं हुआ, मदद भी नहीं हुई, ये सारी बातें भी पूरी नहीं हुई। इसलिए ये सारी बातों के कारण वहां पर जो खिन्नता है उनको भी आप दूर करने का प्रयास करेंगे।

तीसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार ने स्पेशल इंडस्ट्रियल ऐरिया घोषित करने की भी मांग की थी, यह छोटी सी बात है कि आप इंडस्ट्रियल ऐरिया, स्पेशल इंडस्ट्रियल ऐरिया उसको घोषित कर दें तो इंडस्ट्रियां लग जातीं, लोगों को उद्योग-धंधे मिल जाते और लोगों को कहीं से आर्थिक सहायता भी मिल जाती। यह जो चौथी मांग मैंने आपके सामने रखी है इस संबंध में भी आप विचार करें। इसके बाद जो वहां पर मवेशी मरे तो क्या गाइडलाइन तय की गई कि दस हजार रु० तक ही दिए जा सकते हैं। क्या दस हजार रु० में कोई मवेशी आता है, क्या अच्छी कोई भैंस आती है, क्या मवेशी आता है जो दूध दे सकता है। इसलिए यह जो आपने गाइडलाईन रखी है कि दस हजार रु० तक दिए जाएंगे इस संबंध में भी आप निश्चित रूप से विचार करेंगे और इस गाइडलाईन को बदलेंगे।

मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए पांचवी जो गंभीर बात है उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को गंभीर इंजरी हो गई उसको तो आप देंगे चार लाख रु०, इंजरी वाले को देंगे चार लाख और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसको देंगे एक से तीन लाख, अब इंजरी वाले को तो चार लाख और मृत्यु वाले को एक से तीन लाख देंगे। अब आप ही जरा स्वयं कल्पना कर लीजिएगा उस चार लाख वाले को तो कम से कम वैसे ही रखिए। अब जिसकी मृत्यु हो गई है उसको एक से तीन लाख वाली जो आपकी गाइडलाइन है, इसको चार लाख तो कम से कम बराबर तो ला रहे हैं बल्कि बराबर नहीं, क्या कोई मनुष्य की कीमत तीन लाख रु० है, एक लाख रु० आंकी जा सकती है। मैं समझता हूं कि ये पांच बिन्दु जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तब तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई पार्टी के विरोध का प्रश्न ही नहीं है। मानवता का बहुत बड़ा

सवाल है, 8-8 वर्ष पूरे हो गए है लोगों में घोर असंतोष है और किसी प्रकार से उनको सुविधा नहीं दी गई है। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा जिस समय आप जवाब देंगे इन मेरे पांचों बिन्दुओं पर विचार करके और आप केन्द्र सरकार की ओर से सहानुभूतिपूर्वक इन सब बातों पर विचार करके और भोपाल गैस में जो ट्रेजडी हुई है उन सब को आप ठीक प्रकार का मुआवजा, सब प्रकार की उनको सुविधा मिल जाए, इस सम्बन्ध में आप ध्यान देंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

3-00 म०प०

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही और संशोधन) विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं।

यह एक सरल सा विधेयक है, जिस पर सदन में अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ दो प्रावधान हैं। पहला प्रावधान तो बहुत ही सरल है जिसमें कल्याण आयुक्त और दसूरे अधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और अध्याय 26 के अन्तर्गत उन लोगों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी व्यक्ति पर न्यायालय की अवमानना करने के अपराध में मुकदमा चला सकते हैं, सम्मन जारी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को शपथ-पत्र देने और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं और गलत साक्ष्य या मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सजा भी दे सकते हैं। उन्हें इस तरह के अधिकार प्रदान करना आवश्यक है क्योंकि मूलतः वे सब अर्द्ध-न्यायिक निकाय की श्रेणी में आते हैं और उनके पास ये सारे अधिकार नहीं होते। ये सब उन्हें विशेष रूप से प्रदान किए जाते हैं। इन दावों का निपटाने के क्रम में इन मामलों की सुनवाई करने वाले कल्याण आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार दिये ही जाने चाहिए। सरकार ने उन लोगों को दीवानी अदालत का अधिकार देकर अच्छा कार्य किया है जिससे वे अधिकारी प्रभावी और तत्परता से कार्य कर सकें।

दूसरा प्रावधान भी सरल है, अर्थात धारा 7 में संशोधन करके इसके अन्तर्गत कल्याण आयुक्त को भी इस सूची में शामिल कर लिया जायेगा जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित की जा सकती है। अभी जो प्रावधान है, उसके अनुसार सरकार केन्द्र सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को ही शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है और जहां तक मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का सम्बन्ध है, यह शक्ति सिर्फ सचिव स्तर के अधिकारी को ही प्रत्यायोजित की जा सकती है। जब कल्याण आयुक्त को भी ये सारे कार्य करने हैं तो यह स्वाभाविक है कि उन अधिकारियों के साथ उस पर भी विचार किया जाये ताकि शक्तियों का प्रत्यायोजन उसमें भी किया जा सके जिससे इन कार्यवाहियों की शीघ्र प्रभावी ढंग से सुनवाई हो सके।

स्वाभाविक ही इस अवसर पर सभी सदस्यों ने भोपाल गैस पीड़ितों को राहत देने के उद्देश्य से निर्धारित होने वाले प्रक्रिया के बारे में अपना विचार प्रकट किया है। यह विभीषिका 2 और 3 दिसम्बर 1984 को यूनियन कारबाईड इन्डिया लि० और इसकी सहायक इकाइयों की भोपाल स्थित संयंत्र से काफी हानिकारक और असामान्य रूप से खतरनाक गैस के रिसने के कारण हुई थी। तब से अब तक लगभग साढ़े-सात वर्ष बीत चुके हैं। उस कीटनाशक उद्योग से 40 टन से ऊपर घातक मेथिल आइसोकायनेट गैस लीक हो गया था।

हम सबको ज्ञात है कि गैस-पीड़ितों के द्वारा पहले पहल क्षति के विरुद्ध 10 बिलियन डॉलर के दावे दायर किये गये थे और अन्ततः भारत सरकार ने सारे मामले को अपने हाथ में ले लिया और उन सब की ओर से 3.3 बिलियन डॉलर का दावा दायर किया। हम यह भी जानते हैं कि अन्ततः इस मामले का निपटारा उच्चतम

[श्री शरद दिघे]

न्यायालय के 15 फरवरी 1989 के एक निर्णय के द्वारा किया गया जिसके अन्तर्गत 470 मिलियन डालर की रकम निर्धारित की गई। पहले तो कम्पनी के चेयरमैन को आपराधिक मुकदमे से मुक्त रखा गया था। उस विशेषाधिकार को उच्चतम न्यायालय के 3 अक्तूबर 1991 के एक निर्णय के द्वारा रद्द कर दिया गया। तब से लेकर अब तक रकम जमा पड़ी है और अब उस रकम को उन गैस-पीड़ितों के बीच वितरित करना मध्य प्रदेश सरकार और केदर सरकार का दायित्व है।

इसलिये, अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से यह कार्य शीघ्रता से निपटाया जाये और मुआवजा विभिन्न गैस-पीड़ितों के पास पहुंच सके।

जब कभी बहस के दौरान हममें से कुछ लोग यह कहते हुए सुनाई पड़ते हैं, यहां तक कि यह तथ्य भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखे गये कि 36 वार्डों के मात्र 4.83 लाख गैस-पीड़ितों की जगह सभी 56 वार्डों के अन्य पीड़ितों को भी इसमें शामिल किया जाये और अगले दिन उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दे दिया कि इन चीजों के सन्दर्भ में एक लाख और पीड़ितों पर भी विचार किया जाये।

अब कठिनाई यह है, हालांकि मानवीय आधार पर यह बात तो स्वाभाविक रूप से ठीक है कि अधिक-से-अधिक पीड़ितों को इस राशि में से हिस्सा मिले लेकिन रकम तो उतनी ही है। अगर इसे और अधिक लोगों में बांटा जाता है तो उन पीड़ितों के हिस्से में कम राशि आयेगी जो कि वास्तव में इसके हकदार हैं।

यह भी कहा गया है कि इस रकम के अतिरिक्त केन्द्र सरकार को और रकम उपलब्ध करानी चाहिए लेकिन वर्तमान वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि केन्द्र सरकार और रकम दे सकने में समर्थ हो सकेगी और अन्ततः यूनियन कारबाईड से प्राप्त 47 मिलियन डालर मुआवजे की रकम पर ही निर्भर रहना होगा। अतः इस दृष्टि से मुआवजा प्राप्त करने के इच्छुक पीड़ितों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने से उनके हिस्से में आने वाली राशि कम हो जायेगी। इस मुद्दे पर भी विचार करना होगा। क्योंकि वही राशि तथाकथित पीड़ितों में आवंटित करनी है। इस मामले में 4.83 लाख लोग सम्बद्ध दिखाई देते हैं। इस प्रयोजन हेतु, हम देखते हैं कि बहुत से अधिकारी पहले ही नियुक्त किये जा चुके हैं। यहां एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा है कि तीन अतिरिक्त आयुक्त, एक कल्याण आयुक्त, पांच उपायुक्त और कई अन्य अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। आगे यह भी कहा गया था कि फर्नीचर आदि के लिए तकरीबन एक करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है और सरकार ने पहले से सृजित 380 पदों के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों में 609 पद स्वीकृत किये थे। इतना बड़ा अमला सृजित किया गया था लेकिन मुझे यह डर है कि, यदि पांच लाख लोगों की जांच-पड़ताल की जानी है और यदि उनके दावों पर विचार और आकलन किया जाना है, तो अगर हम एक पीड़ित के लिए औसतन एक घंटे का समय लेते हैं, तो फिर पांच लाख पीड़ितों के लिए यह तकरीबन पांच लाख घंटे का समय लगेगा। यद्यपि आप इन आयुक्तों की नियुक्ति करने के प्रयोजन हेतु इससे भी ज्यादा घंटों का समय उपयोग कर सकते हैं। यह समय पांच वर्ष से कम का नहीं होगा।

अतः किसी ऐसे तंत्र को खोजना होगा, जिससे कि समय कम किया जा सकता हो पीड़ितों में नुकसान के लिए भुगतानों के वितरण में सामान्यतः स्थिति में पांच वर्ष का समय और लगने का मेरा अनुमान है। यदि और अधिक संख्या में पीड़ितों को शामिल किया जाना है, तो इससे भी अधिक समय लगेगा। निस्संदेह, दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जोकि इस सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर में उस दिन अर्थात् 15 जुलाई, 1992 को बताये गये थे। जहां तक पीड़ितों का संबंध है, निस्सन्देह ये दिशा-निर्देश जांच-पड़ताल

कम करने में सहायक होंगे। लेकिन मेरा अगला सुझाव यह है कि कोई आम सूत्र ढूंढे जायें, ताकि प्रत्येक और हरेक दावे की सुनवाई और जांच-पड़ताल न करनी पड़े।

दावों का निपटान यथासंभव जल्दी किया जाना चाहिए, ताकि मुआवजा-राशि पीड़ितों को जल्दी मिल जाये। अब, इस बात को दृष्टि में रखते हुए इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिये। विद्यमान विचारधारा यह है कि अधिकाधिक लोगों को कैसे शामिल किया जाये तथा राशि के वितरण हेतु बड़े से बड़ा तंत्र कैसे उत्पन्न किया जाये। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए कोई रास्ता खोजा जाना चाहिये अथवा एक आम सूत्र तैयार किया जाना चाहिये, ताकि अति शीघ्रतापूर्वक यह राशि वितरित की जा सके।

निस्संदेह, फर्जी दावों को अलग कर देने के लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बड़े फार्म में, जहां लगभग छह लाख लोगों ने नुकसान-प्रतिपूर्ति-राशि प्राप्त करनी है, जहां तक राशि के वितरण का सवाल है, इसमें बहुत से दलाल और बहुत से लोग और निहित-स्वार्थ आ जायेंगे। अतः, फर्जी दावे न हो, लेकिन यथाशीघ्र राशि का वितरण करना ही वास्तव-में आज जरूरत है और उसके दृष्टिगत, मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के ही द्वारा आगे विचार-विमर्श करना पड़ सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जोकि इन सभी कार्यों को करने के लिए मध्य प्रदेश अथवा केन्द्र सरकार पर दोष लगाना चाहते हैं; दोनों को ही यह कार्य करने हैं; इस देश के सामने, यह एक बड़ा विशाल कार्य है।

अब, इसके साथ-साथ, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। इस कंपनी के अध्यक्ष, श्री वारेन एंडरसन के विरुद्ध की जाने वाली प्रत्यर्पण-कार्यवाही के बारे में क्या हुआ क्योंकि इस मामले के निपटान के साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा उस उन्मुक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही वापिस ले लिये जाने के कारण, आगे कार्रवाई की जानी आवश्यक है और केवल राशि का भुगतान कर देने से ही गरीब लोगों और इस राष्ट्र के साथ किया गया अन्याय दूर नहीं हो जायेगा। इस संगठन के अध्यक्ष पर किसी न किसी प्रकार से अथवा इस प्रयोजन हेतु मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा।

मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा है कि भारतीय अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जहां तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रह रहे इन अधिकारियों का संबंध है, उन्हें गिरफ्तार किया नहीं गया है और मुझे ज्ञात नहीं है कि विदेशी मामलों से संबद्ध विभाग, जहां तक इस अध्यक्ष श्री वारेन एंडरसन पर मुकदमा चलाये जाने का संबंध है, क्या करने जा रहा है।

फिर एक शर्त भी लगाई गई थी कि उन्हें एक विशेष राशि व्यय करके 500 बिस्तरों का एक अस्पताल निर्मित करना चाहिए। अब, उस अस्पताल का क्या बना, हमें पता नहीं है। इसके विपरित, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि जब यूनियन कारबाईड की इस भारतीय इकाई द्वारा यूनियन कारबाईड को दी जाने वाली राशि के भाग को सिविल न्यायालय ने जब्त किया तो उन्होंने कहा है कि आपराधिक कार्यवाही के विरुद्ध उन्मुक्ति के समाप्त करने के फलस्वरूप और भारत में हमारी धनराशि को जब्त किये जाने के कारण, अब हम 500-बिस्तर का एक अस्पताल स्थापित करने की शपथ की अनुपालना करने से इन्कार करते हैं। अब उस मुद्दे को भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि राशि के इस भुगतान के आपराधिक मामलों से उन्मुक्ति को हटाने और 500-बिस्तर के एक अस्पताल को स्थापित करने के निर्णय लेने में वह एक महत्वपूर्ण शर्त थी। निपटारे की ये मुख्य शर्तें हैं और एक मुश्त-कार्यक्रम द्वारा उन्हें कार्यान्वित करना होगा और इस दृष्टिकोण से, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह

[श्री शरद दिघे]

सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनियन कारबाईड के जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की गई है और एक अस्पताल स्थापित करने की उनकी शपथ का सम्मान अथवा अनुपालन उनके द्वारा किया गया है, उचित कदम उठाये; तथा फिर समूचे एक-मुश्त कार्यक्रम को पूरा किया जाना है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि मुआवजे का भुगतान शीघ्र करवाने हेतु सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, उसका इस सभा द्वारा हमेशा स्वागत किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ): उपाध्यक्ष जी, यह जो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में मंत्री जी बिल लाये हैं उसके बारे में मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। इस घटना से देश के ही नहीं दुनिया के लोगों को भी अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी घटना हुई। हजारों लोग बेघर हो गये, हजारों की तादाद में मर गये। आज हम दस साल के बाद बिल लाकर उनकी मदद करने की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग जो गरीब लोग झोंपड़पट्टी में रहने वाले थे उनका आज भी कुछ पता नहीं है। उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। मदद करने वाला भी जरूर आया, लेकिन अभी हमें यह नहीं मालूम कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 36 वाइर्स के 5 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि राज्य सरकार के आंकड़े कुछ और बताते हैं। मैं समझता हूं इसके बारे में हमें एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इनकी आइडेंटीफाई करना चाहिए कि इसमें कितने लोग प्रभावित हुए हैं और फिर उनकी मदद करनी चाहिए। मदद भी समयबद्ध होनी चाहिए।

मंत्रीजी ने बताया कि उनको अंतरिम राहत के रूप में 310 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने अंतरिम राहत वितरित की है या नहीं, क्या आपने जो 200 रुपये महीने देने की बात कही थी वह राशि दी है या नहीं : क्या राज्य सरकार उस राशि को फिक्स्ड डिपाजिट में रखकर कहीं ब्याज तो नहीं कमा रही? यह नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को मदद दी जानी है उनको वह मिलनी चाहिए। आप डाक्टर्स और अन्य लोगों की टीम बनायें और पूरे भोपाल की आइडेंटीफाई करना चाहिए और उन लोगों को जल्दी से जल्दी मदद देनी चाहिए। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके हाथ, पांव, आंख और शरीर कमजोर हो गये हैं, कई मां-बहनें ऐसी हैं जो उस समय गर्भवती थीं उनकी हालत भी खराब हुई है, उनको कितनी दवा की जरूरत है यह सब आपको देखना चाहिए। जब तक ये लोग जिन्दा रहें सरकार को इनके खाने-पीने की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस मल्टीनेशनल कम्पनी का मालिक जिस तरह से देश छोड़कर चला गया उस पर भी आपको सोचना चाहिए। आपने राहत देने की बात की है, कमिश्नर को पावर दे दी है। अच्छी बात है, लेकिन वह व्यक्ति लगन से काम करने वाला हो यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर सोचना चाहिए। एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी होनी चाहिए। जो सारी बातों को देखे और जल्दी से जल्दी उन लोगों को मदद दिलवाये। इस कम्पनी में काम करने वाले जो लोग थे, जो मालिक था वे देश छोड़कर भाग गये उनको क्या सजा हो सकती है, अगर इस बारे में सख्त कानून नहीं बनायेंगे तो आगे चलकर फिर ऐसी घटना का अंदेशा रहेगा। इससे और खतरा भी हो सकता है। इसलिए दुबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए आपको सख्त कानून इस देश में बनाना चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि मंत्री जी इसके लिए जल्दी से जल्दी कानून बनायें, वह पास हो और जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो ताकि उनको जल्दी से जल्दी राहत मिल सके।

आपने मुझे समय दिया आपका मैं बहुत आभारी हूं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक लाकर कम से कम इतनी आशा तो दिला दी है कि भोपाल गैस पीड़ितों को अब पैसा जल्दी मिलेगा। हालांकि इसमें जितना पैसा मिलना चाहिये था, उतना नहीं मिल पा रहा है। दुनिया में सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में इतनी बड़ी दुर्घटना कहीं नहीं हुई जहां हजारों लोग मर गये हों। पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकार गत 8 वर्षों से लड़ रही है कि ज्यादा पैसा मिलना चाहिये। शायद इतना लम्बा अरसा हो गया है कि सरकार ने सोचा कि जितना मिला है, वह तो ले लिया जाये। यद्यपि यह कम पैसा है फिर भी सरकार ने इसे स्वीकार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है कि जो पैसा मिला है उसको सोच-विचार करके ठीक से वितरण करना चाहिये। जो पीड़ित लोग हैं, उनको यह सख्त शिकायत है कि जो सचमुच में पीड़ित हैं, जो ज्यादा मरे हैं या सख्त घायल हुए हैं या हमेशा के लिए अपंग हो गये हैं उनको जितनी राहत मिलना चाहिये थी, नहीं मिल रही है जबकि उन लोगों को मिल रहा है जो इतने पीड़ित नहीं है इस बात के लिए मैं केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो ज्यादा भुक्तभोगी हैं, जो ज्यादा तकलीफ में हैं या जो डर के मारे भाग गये और बाद में मर गये उनके रिश्तेदारों का पता करके वार्डों की जो प्रणाली है उसके आधार पर उनको अधिक पैसा मिल जाना चाहिये। इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को एक समिति बनानी चाहिये जो ठीक से पैसे का वितरण कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो स्थायी रूप से अपंग हो गये हैं, उनके लिए रहने की अलग से व्यवस्था की जाये।

तीसरी बात यह है कि अब केन्द्रीय सरकार का एक उत्तरदायित्व हो जाता है कि अब इस प्रकार के जितने भी खतरनाक कारखाने खुलें, दुर्घटना पुनः न होने देन के लिए न केवल बहुत अच्छे प्रबन्ध हों बल्कि किसी तरह की गलती होती है, नुकसान होता है, लोग मरते हैं या पीड़ित होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अधिक से अधिक सजा देना और पीड़ितों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करना जरूरी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है कि पैसे का सही वितरण हो ताकि जो अभी प्रणाली बनायी गयी है, उसको बदलकर सही व्यक्ति को मुआवजा मिले तभी इस विधयेक का होना सार्थक होगा। एक निवेदन और करुंगा कि शहर के बीच में ऐसे जितने कारखाने हों, उनको शहर से दूर 20-25-30 मील की दूरी पर बनाया जाना चाहिये ताकि जो आसपास साधारण नागरिक रहते हैं, वे धोखे से न मर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरूचे गौड़): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस विधेयक और इस विधेयक को लाने के सरकार के इरादे का स्वागत करना चाहती हूं।

महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछेक शब्द कहना चाहती हूं। सभा को दिसम्बर, 1984 के दूसरे-तीसरे दिन भोपाल में गैस रिसने के परिणामस्वरूप हुई अभूतपूर्व-त्रासदी के बारे में भली-भांति जानकारी है।

[डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम]

इस त्रासदी के परिणामस्वरूप उत्पन्न अथवा इससे संबंधित दावों को शीघ्र ही कारगर ढंग और न्यायसंगत तरीके से निपटने तथा दावेदारों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के दृढ़ इरादे के बारे में भी सभा को जानकारी है।

इस दुर्घटना में लगभग 2500 लोग मारे गये थे। यह आंकड़े सही नहीं हैं। यह संख्या सही नहीं हो सकती। हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोग इस त्रासदी के परिणामस्वरूप अब तक पीड़ा झेल रहे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस आशय का एक अध्यादेश जारी किया है कि इस त्रासदी के बाद जो लोग भोपाल छोड़कर चले गये हैं और जिन्होंने अपनी चल परिसंपत्तियां इस दौरान बेच दी हैं, तो वे उस संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के पात्र होंगे जो उन्होंने कम मूल्य पर बेच दी थी। जहां भी वे गये होंगे वहां उन्होंने भारी कष्ट सहन किये होंगे। प्रश्न यह है कि इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाये।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इससे जो नुकसान हुआ है, वह बहुत विकराल है, यह नुकसान इतना भीषण है कि लोगों के, फेफड़े, हृदय, गुर्दे और यहां तक कि अनेक लोगों के शरीर के अन्य अंग भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि सरकार सम्बद्ध कम्पनी पर नुकसान और मुआवजे के लिए अभियोग चलाने हेतु एक विधेयक ला रही है तो यह इतना आसान नहीं है। इसके अलावा पहले से पीड़ित लोगों के अतिरिक्त जो बच्चे उस समय नहीं जन्मे थे वे भी अब इससे पीड़ित हो सकते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि गर्भवती महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित हो सकती हैं। न सिर्फ मां बल्कि उसके पेट में अजन्मा बच्चा भी प्रभावित हो सकता है।

भोपाल गैस त्रासदी का प्रभाव अभी अजन्मे बच्चों पर भी होगा। इस त्रासदी के बाद जन्मे पहले बच्चे की आंखें या लिंग शिनाख्त के अंग नहीं थे। यह बहुत गंभीर मामला है।

महोदय, मैं, मामले में विस्तार से जाने की बजाय यह चाहती हूं कि मंत्री महोदय अपने ऊपर ली जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाये। अन्ततः वह उन लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं जो बहुत ही निर्दोष, गरीब, असहाय, निरक्षर हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरी कामना है कि वह इस कार्य में पूर्णतः सफल हों।

मैं अन्तिम बात मुआवजे के बारे में मैं कहना चाहता हूं। इस त्रासदी से लाखों लोग प्रभावित हुए और वनस्पति तथा मानव स्वास्थ्य पर भविष्य में गैस के प्रभाव महसूस होंगे। इसके लिए मुआवजा देने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है? आप कम्पनी को किस प्रकार मुआवजा देने के लिए कहेंगे ताकि उन्हें कुछ राहत मिले? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी राय व्यक्त करने वाले सदस्यों को धन्यवाद देता हूं विशेषकर भोपाल के श्री एस०सी० वर्मा को जिन्होंने कहा है कि मुआवजा देने में कुछ देरी हुई है।

मैंने संबंधित कागजात देखे हैं और जांच की है। उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 1991 के निर्देश के तहत न्याय निर्णय प्रक्रिया की शुरू करने के लिए चार महीने का समय दिया है, इसके तहत सरकार ने कल्याण आयुक्त को न्याय-निर्णय की प्रक्रिया शुरू करने के निदेश दिए हैं। यह कार्य समय पर शुरू कर दिया गया। हमने कल्याण आयुक्त को कल यहां पर बुलाया था और इस बारे में बातचीत की थी। हमें उनकी समस्याओं

का भी पता चला। न्यायालय ने विशेष न्यायालय गठित करने के निदेश दिए हैं। हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से सम्पर्क बनाए हुए हैं। हमने उनको न्यायाधीश देने के लिए कहा है। जैसा कि वर्मा जी ने कहा है हम अब तक 16 या 17 न्यायालय शुरू कर सके हैं। हम भोपाल में और अधिक न्यायालय शुरू करने के लिए और अधिक न्यायाधीश देने के उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

लोगों की नियुक्ति के बारे में एक छोटी सी समस्या है। कार्मिक मंत्रालय ने कुछ दिशानिदेश तय किए हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक शैक्षिक योग्यता, अनुभव के साथ कुछ विशिष्ट पदों पर नियुक्त किया जाए। ये पद अस्थाई हैं। युवा पीढ़ी के अनेक लोग आवेदन नहीं कर सकते और 48 वर्ष से अधिक आयु के लोग इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। कल हमने स्थिति की समीक्षा की और सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशानिदेश देंगे कि तुरंत लोगों को नौकरी दी जाए और कुछ निर्धारित दिशानिदेश अनदेखे किए जा सकते हैं। सरकार मुआवजा कार्य तेज करने के लिए इस प्रक्रिया को शीघ्र ही अपना रही है।

मुआवजा वितरण के बारे में हमने विशेष दिशानिदेश देकर कहा है कि विधेयक पारित होने के तुरन्त बाद शक्तियां कल्याण आयुक्त को दे दी जाएंगी। कल्याण आयुक्त को अपना निर्णय लेने का अधिकार होगा। माननीय सदस्य श्री सुशील चन्द्र वर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को जानते हैं। वह कल्याण आयुक्त से सम्पर्क करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमें पीड़ितों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति है और राहत तुरन्त वितरित की जाएगी। हम प्रत्येक पखवाड़े के बाद स्थिति की निगरानी करेंगे और हमें यथासंभव रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार के एक अधिकारी को रखा जायेगा।

अस्पताल के संबंध में उच्चतम न्यायालय पहले ही भोपाल में 500 बिस्तर का अस्पताल शुरू करने का निदेश दे चुका है। हम अस्पताल परामर्शदाता निगम से सम्पर्क बनाए हुए हैं। वे परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वे पहले ही अस्पताल के लिए कुछ स्थल ले चुके हैं और हम प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, श्री सुशील चन्द्र वर्मा और श्री शरद दिघे सभी ने श्री एंडरसन के विरुद्ध आपराधिक मामले और उनकी गिरफ्तारी के लिए कहा। श्री एंडरसन अमेरिका में है। हम राजनयिक सूत्रों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और हमने अनेक समाचार पत्रों विशेषकर वाशिंगटन टाइम्स में विज्ञापन दिए हैं। हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो श्री एंडरसन को गिरफ्तार करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

मुआवजा राशि के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि और अधिक राशि दी जाए। यह रिजर्व बैंक में जमा है। अभी तक इस कानूनी लड़ाई के कारण हमने एक पैसे को भी नहीं छूआ है। आप जानते हैं कि एक छोटे न्यायालय भवन को शुरू करने में भी समय लगता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है कि पीड़ितों को मुआवजा मिल जाए। हमने कल्याण आयुक्त को संकेतक दिशा निदेश दिए हैं। विधेयक पारित करने के बाद कल्याण आयुक्त अपना निर्णय ले सकते हैं।

पिछले दिन प्रधान मंत्री ने कहा था कि अगर कल्याण आयुक्त या पीड़ितों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा व्यक्ति ईमानदारी के साथ यह समझता है कि 4 लाख रुपये की राशि 5 लाख

[डा० चिन्ता मोहन]

कर दी जाए और अब भी अगर वह महसूस करता है कि 5 लाख को बढ़ाकर $5^1/_2$ लाख कर दिया जाए तो ऐसा करना उसके क्षेत्राधिकार में है और वह भविष्य में निर्णय ले सकता है।

कुछ माननीय सदस्य विशेषकर श्री दिलीप सिंह भूरिया और चन्दूलाल चन्द्राकर ने भविष्य का उल्लेख किया है। निश्चित रूप से हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी दुर्घटना भविष्य में न हो। हमने भविष्य में ऐसी दुर्घटना न होने के लिए रसायन उद्योगों को पहले ही दिशानिदेश दिए हैं।

इन मुद्दों के तहत मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि कल्याण आयुक्त को और अधिक शक्तियां लेने वाले इस विधेयक को पारित कर दें। जिसके अन्तर्गत वह मुआवजा देने और स्वयं निर्णय देने के लिए प्राधिकृत हो सके।

उपाधयक्ष महोदय: श्री दाऊ दयाल जोशी यहां नहीं है। मैं विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर उनके संशोधन संख्या 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रासा सिंह रावत। क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, केवल मात्र स्पष्टीकरण चाहूंगा। उसके पश्चात, सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा।

मेरा पहला स्पष्टीकरण तो यह है कि इंडियन मैडीकल रिसर्च संस्थान ने गैस त्रासदी के ऊपर लोगों के ऊपर प्रयोग कर के कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उस रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है? अगर उस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया जाए, तो उससे आने वाली पीढ़ियों पर, बच्चों, औरतों, आदमियों व नवजात शिशुओं पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह पता लग जाएगा और उन विषैले प्रभावों से आने वाली संतानों को प्रभावित होने से बचाने के लिए सावधानियां बरत सकते हैं। तो उस रिपोर्ट को क्यों प्रकाशित नहीं किया जा रहा है?

मेरा दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि इस कम्पनी के चेयरमैन जो मिस्टर एंडरसन हैं, जिनके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चल रहा है, उनको अमरीका से बुलाकर, हिन्दुस्तान के कानून के अनुसार, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इसमें भारत सरकार ढिलाई क्यों बरत रही है? दोनों बातों को मंत्री महोदय बता दें, तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन: महोदय, कुछ दिन पूर्व उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के बारे में पूछा था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट एक खुला दस्तावेज है। मैंने शुक्रवार को उन्हे आश्वासन किया था कि मैं उन्हें रिपोर्ट भेज दुंगा। मैं पहले ही उन्हें रिपोर्ट भेज चुका हूं। संभवतः आज शाम या कल तक उन्हें रिपोर्ट मिल जायेगी।

आपराधिक मामलों के संबंध में मैंने पहले ही कहा है कि हम श्री एंडरसन को ढूंढ रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले पर जांच कर रहा है। हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि संशोधन वापस ले लें।

प्रो० रासा सिंह रावत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव पर अपने संशोधन संख्या 4 को वापस लेने के लिए मुझे अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

संशोधन संख्या 4, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

खंड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:—

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाये।

डा० चिन्ता मोहन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:—

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.41 म०प०

भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम दूसरा विषय आरम्भ करेंगे। श्री जगदीश टाईटलर यह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय पत्तन विधेयक, 1908 में राज्य सभा द्वारा पारित रूप मे, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करते हुए कि भारतीय पत्तन (संशोधन) विधयक, 1991 पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए, और इसे पारित किया जाए, कुछेक शब्द कहना चाहूंगा।

भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) में बड़े पत्तनों की घोषणा करने, संरक्षकों की नियुक्ति करने, जहाजरानी की सुरक्षा और पत्तन की संरक्षा संबंधी नियम बनाने, पत्तन किराया, शुल्क और दूसरे अधिभारों की वसूली करने का प्रावधान है। यह अधिनियम छोटे और बड़े दोनों पत्तनों पर लागू होता है।

पत्तनों के प्रयोगकर्ताओं को दी जा रही सुविधा के स्तर में सुधार लाने हेतु प्रक्रियाओं को सरल और तर्कसंगत बनाने की जरूरतों की पहचान करने की खातिर सरकार ने एक निदेशक समूह की स्थापना की थी। इसी संदर्भ में भारतीय पत्तन अधिनियम में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिये हैं।

जहाजों की सकल पंजीकृत भारशक्ति (जी०आर०टी०) (जो अधिकांशतः बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत उगाही योग्य हैं) तथा अन्य कुल पंजीकृत भारशक्ति (एन०आर०टी०) (पत्तन अधिभार) के आधार पर अधिभार वसूलने की वर्तमान प्रक्रिया सरलीकरण के विचार के अनुरूप नहीं है। तदनुसार, सिर्फ एक आधार यानी जी० आर० टी० को अधिभार वसूलने का आधार रखने का प्रस्ताव किया गया है। इस आधार को विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है और जहाजों के आकारों के संकेतक हेतु भी यह आधार अधिक विश्वसनीय है। इसलिये भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 3 के खण्ड 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि किसी जहाज के सकल पंजीकृत भारशक्ति के संदर्भ में 'टन' की परिभाषा को बदला जा सके।

कुछ समय से बड़े पत्तनों के उन परिव्यक्त जहाजों की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे पत्तन क्षेत्र हमेशा भरा रहता है और परिणामतः पत्तन के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा राजस्व की हानि होती है। जहाजरानी कम्पनियों की वित्तीय कठिनाइयां, श्रमिक-विवाद और जहाजों को परिचालन के लिये उपयुक्त होने का प्रमाण-पत्र नहीं मिलना आदि इन जहाजों के परिव्यक्त होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। वर्तमान में, परिव्यक्त जहाजों को वहां से हटाने के लिए जहाज मालिकों पर कोई शुल्क नहीं लगा हुआ है। अब इसमें प्रस्ताव किया गया है कि संरक्षक (कन्जरवेटर) द्वारा जारी की गई सूचना में उल्लिखित विशिष्ट समय-सीमा के अन्दर मालिकों को अपने टूटे हुए जहाज वहां से हटा लेने होंगे। यह भी प्रस्तावित है कि पत्तन में जहाज परिचालन के अवरोध को हटाने के उद्देश्य से संरक्षक को वहां पड़े बेकार जहाजों को बिना किसी सूचना के नष्ट करने या वहां से हटा देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अतः इस अधिनियम की धारा 14 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

हम सभी पर्यावरण के क्षय को रोकने की आवश्यकता के बारे में सचेत हैं। प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में जुर्माने का जो प्रावधान है, वह अपर्याप्त है और उसके निवारण के लिये

यह काफी कम है। इसलिये जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देना और कारावास की अवधि दो महीने से बढ़ाकर एक साल कर देना जरूरी समझा गया है। तदनुसार भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 21 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

इस अधिनियम की धारा 33 (5) में 60 दिन की अवधि नियत की गई है जिसके बीत जाने पर पत्तन-देय बढ़ाया या लगाया जाएगा। संचार प्रणाली में विकास को देखते हुए 60 दिन की इस अवधि को घटाकर 30 दिन कर देने का प्रस्ताव है।

जहाजों को निर्धारित मार्ग से परिचालन करवाने और गोदी/लंगरों का विनियमन करने में सहायता देने की एवज में पत्तनों के द्वारा मार्गदर्शक शुल्क वसूला जाता है। मार्गदर्शक शुल्क के रूप में संग्रह की गई निधि के लिये भारतीय पत्तन अधिनियम में अलग से खाते रखने का प्रावधान है। धारा 36 में प्रावधान है कि वसूल किए गए सारे मार्गदर्शक शुल्कों को एक विशिष्ट खाते में जमा किया जायेगा, जिसे मार्गदर्शक खातों के रूप में जाना जाता है। इस धनराशि का उपयोग जहाजों की खरीद एवं रख-रखाव, वेतन-भुगतान, मजदूरी, दूसरे भत्तों और मार्गदर्शकों के लाभार्थ जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिये किया जायेगा। निदेशक समूह इन सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक जांच करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चूंकि मार्ग दर्शक भी पत्तन प्रशासन के एक अंग होते हैं, इसलिये अलग मार्गदर्शक खाता होना युक्तिसंगत नहीं है और यह ज्यादा तर्कसंगत होगा कि इसे अन्य प्रभारों के साथ विलय कर दिया जाये। इसे प्रभाव में लाने हेतु अधिनियम में समुचित संशोधन करना जरूरी है। यह प्रस्ताव किया गया है कि अलग मार्गदर्शक खाता को खत्म करने हेतु भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 36 में संशोधन किया जाना चाहिए और इसे संबंधित बड़े पत्तनों में लागू करना चाहिए।

जहाज मालिकों द्वारा पत्तन प्रभारों के भुगतान से इन्कार कर दिये जाने की स्थिति में उनके जहाजों की कुर्की एवं बिक्री करने जैसी कार्यवाहियों से निपटने हेतु धारा 42 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है। इस धारा के अन्तर्गत जहाज मालिक द्वारा पत्तन न्यास को निर्धारित दर से भुगतान करने से इन्कार करने की स्थिति में पत्तन प्राधिकारी सूचना जारी करने के बाद जहाज को जब्त कर सकते हैं, और बेच सकते हैं। जब न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश से कोई जहाज पहले से ही जब्त है तो पत्तन को अपने बकाये की राशि वसूलने हेतु, उस जहाज को जब्त करने और बेचने के लिये न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि इस प्रकार जहाजों को खरीदनेवालों को इसके स्वामित्व को किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में कानूनी रूप से हस्तांतरित करने का अधिकार होना चाहिए। तदनुसार धारा 42 में संशोधन किया जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले इस विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय अभी माननीय मंत्री जी ने भारतीय पत्तन संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया है, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक बहुत पुराना है मूलतः 1908 के अन्दर भारतीय पत्तन विधेयक का निर्माण हुआ था। जब से लेकर आज तक इस पर बीस बार संशोधन आ चुके हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि देश की आजादी के बाद ज्यों-ज्यों हमारा समुद्री व्यापार बढ़ता जा रहा था और जिस प्रकार से हमारे समुद्री मार्ग के द्वारा विभिन्न देशों से संबंध स्थापित हो रहे थे, व बड़े-बड़े बंदरगाहों का हमारे यहां जिस तेजी से विकास हो रहा था, उसी के अनुपात में यह सरकार व्यापक और समग्र बिल लाती तो यह ज्यादा हितप्रद होता। अभी जो बिल लाया गया है, वह टुकड़ों के अन्दर लाया गया है।

जो मूल विधेयक 1908 वाला है, उसकी धारा 3, 14, 21, 33, 36, 42 और 87 जो हैं, शायद इनके अन्दर छोटे-मोटे संशोधनों को लाने वाली इसमें बात है। इन संशोधनों के माध्यम से इंडियन पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1908, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 में जो-जो कमियां और खामियां देखने में आई हैं, उनका थोड़ा बहुत निराकरण करने का प्रयास किया गया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बिल बहुत जल्दी आ जाना चाहिये था। जब से सरकार ने नई व्यापार नीति की घोषणा की है और व्यापार व उद्योगों के क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनायी है तथा खुला व्यापार करने की बात कही है, तब से इस बिल की अत्यंत आवश्यकता थी। खैर "देर आयद दुरस्त आयद" इसके अन्दर जो संशोधन सुझाये गये हैं, उन पर कोई ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है।

हमारे देश के अन्दर समुद्र के मार्ग से व्यापार होता है। यह नई बात नहीं है। वेदों के अन्दर भी यह आया है कि

"वेदायोवीनां पदमन्तरिक्षेण पततां वेदः नावः समुद्रिमः"

परम पिता परमात्मा ही आसमान के अन्दर जाने वाले मार्गों को जानते हैं। जहां से पक्षी गुजरते हैं, वहां के और समुद्र के अन्दर जाने वाली नौकाओं के मार्गों को भी वह भली प्रकार से जानते हैं। इससे पता लगता है कि प्राचीन काल से हमारे देश के अन्य विश्व के राष्ट्रों से समुद्री मार्ग से अत्यधिक सुदृढ़ सम्बन्ध थे। मध्य काल में, मुगल काल में, मराठों के समय और अंग्रेजों के समय में भी विदेशों से हमारे सम्बन्ध थे। आज हमारा देश तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। इकबाल ने इस देश के बारे में कहा है "गोदी में खेलती है, जिस की हजारों नदियां" जहां गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी-बड़ी विशाल नदियां इस देश में बहती हैं और तीन तरफ से जो समुद्र से घिरा है, ऐसे देश के अन्दर समुद्री व्यापार के लिये राष्ट्रीय समुद्री व्यापार नीति और सारे पोर्ट्स का भली प्रकार से समग्र विकास करने के लिये एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण होना चाहिये था। इसके लिये एक सेंट्रल अथॉरिटी का निर्माण होना चाहिये था जिस के आधार पर समग्र और व्यापक स्वरूप सारे देश के अन्दर होता और एक जैसी नीति इस सम्बन्ध में होनी चाहिये थी। मैं ऐसा समझता हूं कि वह ज्यादा उपयुक्त रहता लेकिन इस ओर शायद जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, वह नहीं दिया गया।

मुझे याद आ रहा है 15-20 वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस फॉर ट्रेड एवं डेवलपमेंट हुआ था जिस को अंकटाड कहा जाता है, उस सम्मेलन में हमारे यहां की समुद्री व्यापार पर एक टिप्पणी की गई थी। इसके बारे में शायद मंत्री जी भी जानते होंगे। वह टिप्पणी यह थी कि जहाजों में माल उतारने और चढ़ाने का काम, एक जगह से दूसरी जगह सामान के ले जाने का काम हिन्दुस्तानी जहाजों से ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये। उन्होंने

कहा था कि 40 परसेंट इसके द्वारा व्यापार होना ही चाहिये लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हिन्दुस्तानी जहाजों से केवल मात्र 30 परसेंट, हमारा विदेशी समुद्री व्यापार का जो काम है, वह सम्पन्न हो रहा है। बाकी अधिकतर विदेशी जहाजों के माध्यम से होता है। तो एक स्वाधीन, स्वतन्त्र और विकासशील राष्ट्र के लिए, जहां हर क्षेत्र में हम कुछ न कुछ कीर्तिमान स्थापित कर विश्व के अन्दर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर समुद्री व्यापार के क्षेत्र में भी, हमारे जहाज़ों का भी जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, हमारे समुद्री व्यापार में हमारे भारतीय जहाजों का जो उपयोग होना चाहिए था, जो प्रयोग होना चाहिए था, वह वास्तव में नहीं हो पाया है और सरकार आज केवल मात्र 30 फीसदी काम ही हमारे भारतीय जहाजों के माध्यम से ले रही है और विदेशी जहाजों पर हमें निर्भर रहना पड़ रहा है तो विदेशी निर्भरता किसी भी हालत में समाप्त होनी चाहिए।

अभी जैसा मंत्री जी बता रहे थे कि इसमें एक तो जलयान के सकल टन भार से सम्बन्धित टन की परिभाषा परिवर्तन करने के लिए ताकि वसूल किये जाने वाले प्रभारों का सरलीकरण हो जाय तो वहां तक तो ठीक है। दूसरी बात हमारे बन्दरगाहों के अन्दर जो समुद्री जहाजों को छोड़ जाते थे अथवा जो जहाज वहां टूट जाते थे, ऐसे टूटे हुए पोत सामग्री की समस्याओं से परेशान होकर उन कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए और रास्ते को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित और सुसंचालित बनाये रखने के लिए यह भी आवश्यक था कि इस बारे में भी संशोधन होता और जो किया जा रहा है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, ताकि हमारे बन्दरगाहों के ऊपर जो असर होता है कि मान लो किसी का दिवाला निकलने वाला है अथवा किसी को जितना लाभ होना चाहिए, समुद्री व्यापार से उतना लाभ नहीं हो रहा है या उसका जहाज कीचड़ के अन्दर फंस गया है या रेत के अन्दर फंस गया है तो वह जहाज को या पोत सामग्री को वहीं बन्दरगाहों के मुहाने पर छोड़कर चले जाते थे और अपनी कुछ जिम्मेदारी नहीं समझते थे इसलिए ऐसा करने वाले व्यापारियों के ऊपर पहले केवल 500 रुपये जुर्माना होता था। अब इस बिल के अन्दर उसको पांच लाख कर दिया है। मैं तो कहना चाहूंगा कि यह जो करोड़ों रुपये की कीमत के जहाज आते हैं और जब वह जहाज विदेशी कम्पनियों के भी आते हैं तो चाहे देशी हों या विदेशी हों, उन जहाजों से केवल पांच लाख रुपये लेने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए 5 लाख रुपये वह इंश्योरेंश से क्लेम कर लें और पांच लाख रुपये टूटे हुए ढांचे के उसको मिल जायें, वह उठाने का प्रयास नहीं करें तो इसलिए उसके ऊपर जो जुर्माने की राशि है, अलग-अलग कैटेगरी की कि कैसा जहाज है, जहाज की कीमत क्या है, नया है या पुराना है, विदेशी है या देशी है, यह सारी बातें देखकर उसके आधार पर एक रेंज फिक्स होनी चाहिए कि 5 लाख से 50 लाख तक भी अगर जुर्माना किया जाय तो वह उनसे वसूल किये जाने की स्थिति हो। इसके बारे में सरकार का न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास होना चाहिए।

दूसरी बात इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बन्दरगाहों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहां प्राकृतिक बन्दरगाहों का अभाव है और ज्यादातर बन्दरगाह ऐसे हैं, जिनमें रेत और मिट्टी बहुत अधिक जमा हो गई है, चाहे वह कलकत्ता का बन्दरगाह हो या बम्बई का और यहां तक कि मद्रास के बारे में भी यह कहा जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में 10 बड़े-बड़े बन्दरगाह हैं और इसके अलावा कई छोटे-छोटे बन्दरगाह भी हैं लेकिन जो नावाशोवा नाम का नाम का नया बन्दरगाह विकसित किया गया है और जिसके लिए विश्व बैंक से 800 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई थी और उसके बाद जवाहर लाल नेहरू पोर्ट के नाम से नावाशोवा नामक स्थान पर जिस बन्दरगाह का निर्माण हुआ, उसके बारे में शायद विश्व बैंक के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है कि उसका इन्तजाम ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है तो जिस बन्दरगाह के निर्माण के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च हुई, जिससे हमने बड़ी-बड़ी आशाएं लगा रखी थीं और उस बन्दरगाह के

[प्रो० रासा सिंह रावत]

बारे में विश्व बैंक के विशेषज्ञों का यह कहना है कि वह मिसमैनेज्ड है तो मैं जहाजरानी मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे समुद्री व्यापार के इस महत्वपूर्ण बन्दरगाह का विकास जिस ढंग से होना चाहिए या जो नये बन्दरगाहों का निर्माण हुआ है, उस राशि का सदुपयोग और उन बन्दरगाहों का समुचित विकास हो सके, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, एक चीज और है। कहा जाता है कि बन्दरगाहों के कर्मचारियों की जो भर्ती होती है, जहाजों के ऊपर सामान उतारने चढ़ाने या अन्य कामों के लिए, वह केवलमात्र पोर्ट ट्रस्ट बम्बई के अन्दर ही होती है और बाकी बन्दरगाहों के ऊपर नहीं होती है तो जब 10 बड़े-बड़े बन्दरगाह हैं तो हर बन्दरगाह के अनुसार भर्ती की जहां-जहां भी जैसी आवश्यकता हो, उस बन्दरगाह के अनुसार ही वहां-वहां पर कर्मचारियों की या श्रमिकों की या लदान करने वाले या सामान उतारने वाले या.... इसी प्रकार से कन्टेनर्स के ऑपरेशन के बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी तरफ भी हमारी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। खास तौर से मद्रास बन्दरगाह और अन्य-अन्य बन्दरगाहों पर यह बड़ी भारी समस्या आ रही है।

आज हमारे सबसे बड़ी समस्या यह है कि बन्दरगाहों पर जहां तक बड़े जहाजों को आना चाहिए, वे आ नहीं पाते हैं। इसके लिए जहां-जहां मिट्टी जमा है, रेत जमा है, वहां पर मिट्टी और रेत को उठाने का काम होना चाहिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि विशाखापट्नम और पारादीप तथा एक और मद्रास के बन्दरगाह पर, इन तीनों बन्दरगाहों के लिए ह्लैण्ड और एक अन्य किसी देश ने सहायता करने का प्रस्ताव किया था, शायद जापान ने। उन्होंने कहा है कि हम यहां से मिट्टी निकालने और रेत वगैरह हटाने और दूसरी जो मार्ग में आने वाली समस्यायें हैं, उन सब का हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं, माननीय मंत्री जी सही स्थिति बतलाने का कष्ट करें कि ह्लैण्ड और जापान की तरफ से क्या प्रस्ताव दिया गया है और उस संदर्भ में हमारी सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

3.55 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक नेशनल कार्गो डिस्ट्रिब्यूशन पॉलिसी बनानी चाहिए। एक बन्दरगाह से जो बहुत ज्यादा सामान लादा जा रहा है और एक बन्दरगाह से कम लादा जा रहा है, इसका कारण यह है कि बन्दरगाहों का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। जैसे मारमुगाओ बन्दरगाह है, यह बन्दरगाह बन तो चुका है, लेकिन यह बन्दरगाह मीटरगेज लाइन से संबंधित है, ब्रॉड गेज से संबंधित नहीं है। इसलिए ब्रॉडगेज लाइन के अभाव में बड़े-बड़े कन्टेनर वहां नहीं पहुंच पाते हैं। कांडला बन्दरगाह की स्थिति भी ऐसी है इस बन्दरगाह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, खास कर उत्तरी गुजरात, इनका बहुत सारा व्यापार जुड़ा हुआ है, सारा सामान वहां से लादा जाता है या वहां से उतर कर वापिस आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कांडला और मारमुगाओ बन्दरगाहों को ब्रॉडगेज लाइन से जोड़ा जाए, ताकि कन्टेनर वगैरह जो जहाज से उतरें या जहाज पर लदें, उनका सामान समुचित ढंग से आ-जा सके। इसके लिए नेशनल कार्गो डिस्ट्रिब्यूशन पॉलिसी बन जाए, तो मैं समझता हूं वह राष्ट्र हित में होगा और हमारे समुद्री व्यापार के हित में भी होगा।

पोर्ट-ट्रस्ट के अन्दर हमने सुना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की बदली नहीं होती है, ट्रांसफरेबल जॉब्स नहीं है। हम मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अन्दर गए थे, वहां आठ-दस हजार कर्मचारी काम करते हैं। उन कर्मचारियों में गतिशीलता होनी चाहिए और यह स्थिति अधिकारियों की भी है। समस्या यह है कि उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो बन्दरगाह हैं, उन बन्दरगाहों के अन्दर जो कर्मचारी

सेवारत हैं, चाहे मद्रास पोर्ट ट्रस्ट हो, चाहे कलकत्ता पोर्ट-ट्रस्ट हो या जहां-जहां भी पोर्ट-ट्रस्ट हैं, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों का आपस में कुछ समय के पश्चात् स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने से उनके काम में स्लैकनैस नहीं आएगी और उनकी सेवायें भी भली प्रकार से हो सकेंगी। उनकी ठेकेदारी या उनका एकाधिकार जो उस एक स्थान पर बन जाता है, मैं समझता हूं कि ऐसा करने से नहीं होगा।

इसी संदर्भ में, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि हमारे जहाजों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा इंडियन शिपिंग कारपोरेशन के माध्यम से होना चाहिए और स्वदेशीकरण की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे अपने जहाजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसकी तरफ हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं इस बिल में जो तीन-चार संशोधन लाए गए हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। टूटे हुए जहाजों या टूटे हुए पोतों के जुर्माने के बारे में जो समय अवधि पहले 60 दिन थी, उसको अब तीस दिन कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि तीस दिन का समय भी बहुत ज्यादा है। अब जब कि संदेश वाहनों के साधनों का इतना ज्यादा विस्तार हुआ है, तो तीस दिन की अवधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पन्द्रह दिन का समय मेरे विचार से उपयुक्त होगा। जब दो दिन में सारी दुनिया में एक कोने से दूसरे कोने में सन्देश भेजे जा सकते हैं, तो 60 दिन की अवधि को जो आपने तीस दिन किया है, उसको पन्द्रह दिन कर देना चाहिए। जुर्माने की राशि जो आपने पांच सौ रुपए से पांच लाख रुपए की है, इसको और बढ़ाकर अलग-अलग रेंज बना दी जानी चाहिए। बिना नोटिस कोर्ट की पूर्वाज्ञा प्राप्त करके अगर कोई सामान नहीं उठाता है, जहाज नहीं हटाता है, ऐसी स्थिति में जहाज को उठाने या उसको नीलाम करने या पकड़ लेने के अधिकार का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ-ही-साथ मालिकों को सुनवाई का अवसर दे दिया जाना चाहिए कि वह क्यों नहीं उठा रहा है या पर्यावरण को नुकसान करने वाली कोई सामग्री पड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी एक बार नोटिस दे दिया जाना चाहिए। तो कानून की दृष्टि से, प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह ठीक रहेगा कि वह अपना स्पष्टीकरण दे सके और स्पष्टीकरण देने के पश्चात् अगर वह कार्यवाही नहीं करता है, अपने जहाज को वहां से नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से व्यवहार होना चाहिए जैसा कि इसके अन्दर किया गया है।

मान्यवर, अन्त में मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि क्या यह सही है प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत अमेरिकन प्रेसीडेंट लाइंस नामक कम्पनी ने कोई प्रस्ताव हिन्दुस्तान की सरकार के पास भेजा है और जिस प्रकार से आज तीन बड़े-बड़े जो बंदरगाह, थ्री मेज़र पोर्ट हैं उनका विकास करने के लिए क्या उन पर व्यापार वगैरह का और उसमें इनवाल्व होने के लिए उनके कोई प्रस्ताव आए हैं। अगर आए हैं तो सरकार को इस सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि उस अमेरिकन कम्पनी के प्रस्ताव क्या हैं जिन पर मंत्रालय विचार कर रहा है और निकट भविष्य में संभवतः निर्णय लेने वाले हैं, इसके बारे में और यह अन्तिम चीज यह है कि हमारे बंदरगाह को गहरा करने की योजना बनाई जानी चाहिए और केन्द्रीय संगठन का निर्माण, सेंट्रल आथोरिटी का निर्माण अवश्य होना चाहिए और कंटेनर हैंडलिंग आपरेशन की जो समस्या है इसके बारे में हमें विस्तार से कोई नीति निर्धारण करनी चाहिए ताकि उसके बारे में आने वाली जो बाधाएं हैं वे दूर हों। इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, जहां सरफेस ट्रांसपोर्ट की तरफ हमारा ध्यान गया है। और उसी प्रकार से राजमार्गों के विकास की ओर ध्यान गया है, जो व्यापार का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुगम, समुद्र तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वह मछलियां पकड़ने की दृष्टि से हो, मछलियों को भेजने या लाने-ले जाने की दृष्टि से हो, चाहे वहां पर बसने वाले गरीब लोगों के आने-जाने की दृष्टि से हो और चाहे विदेशी व्यापार की दृष्टि से हो। चाहे बड़े जहाज या छोटे जहाज हों, उन सब की दृष्टि से एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण अवश्य होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि बिल राष्ट्र के हित में है इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी को यह विधेयक, देर से ही सही, इस सभा में लाने पर बधाई देना चाहूंगा। इसे सभा में प्राथमिकता मिली है। वैसे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन इसका उद्देश्य बहुत ही सीमित है।

महोदय, जहाँ तक भारत में पत्तनों के माल ढोने की क्षमता का प्रश्न है, 1990 में यह 16.132 करोड़ टन थी। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में 25.649 करोड़ टनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जहां तक पत्तनों के विकास का सम्बन्ध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 7374.51 करोड़ रुपये का देने का प्रावधान किया गया था, जिनमें से पत्तन न्यास के द्वारा आंतरिक रूप से 3312.42 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है, 4061.80 करोड़ रुपये की राशि बजट माध्यम से दी जानी है, जिसमें से 1210.78 करोड़ रुपये की राशि विदेशी सहायता से प्राप्त होगी। अतः हम इस देश के लिये पत्तन की महत्व की कल्पना सहज ही कर सकते हैं।

मैं उस तरफ बैठे एक माननीय सदस्य के इस कथन से कि जब हमने अपनी आयात और निर्यात नीति को उदार बना दिया है तो माल ढोने के कार्य में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, पूर्णतया सहमत हूं। हम चाहते हैं कि पत्तन न्यास के माध्यम से अधिक से अधिक व्यापार हो। इस दृष्टि से यह एकदम जरूरी है कि पत्तनों की क्षमता पर्याप्त रूप से बढ़ायी जाए। साथ ही, वहाँ सभी आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया करायी जानी चाहिए, जिसमें माल ढोने का कार्य सहज और कुशलतापूर्वक यथासंभव कम समय में हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण का होना बहुत ही आवश्यक है और यह केवल बातचीत और चर्चा तक ही सीमित रहना चाहिए। सरकार द्वारा जल्द से जल्द ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर यह कार्यवाही नहीं की गई तो इस विलम्ब से हमें उतनी उपलब्धि नहीं हो पायेगी, जितनी हम इस देश के लिए करना चाहते हैं।

दूसरे, यह भी बिल्कुल जरूरी है कि जिस वक्त बन्दरगाह-प्रभार निर्धारित किये जायें, विदेशी जहाज, जब वे भारतीय पानी में जाए, तो उनसे विदेशी मुद्रा में प्रभार वसूल किया जाना चाहिए, न कि भारतीय रुपये में। और जो भारतीय जहाज़ कार्यरत हैं, उनसे केवल भारतीय रुपये में प्रभार वसूल किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

जहां तक का बन्दरगाह प्रबन्धन का सम्बन्ध है, यह जिक्र करना जरूरी है, बहुत सी जगह हम देखते हैं कि बहुत से पद खाली हैं, और सरकार इन पदों को भरने के कार्य में विलम्ब कर रही है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये पद राजस्व अर्जित करने वाले हैं।

जहां तक तटीय माल पर, बन्दरगाह भाड़े का संबंध है, तटीय माल का तात्पर्य उस माल से है जो देश के अन्दर ढोया जाये न कि विदेश भेजे जाने वाला, बन्दरगाह में ऐसी माल ढुलाई संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु, भाड़े दूसरे माल पर लगने वाले भाड़े से भिन्न होना चाहिए। मैं यहां पर यह जिक्र करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह से आता हूं जहां बन्दरगाह हम सब लोगों की बहुत आवश्यक मॉंग है, और तटीय माल कलकत्ता से या मद्रास बन्दरगाह से ढोया जाता है। यहां पर बहुत सी सीमाशुल्क औपचारिकता है जिन्हें पूरा करना पड़ता है। उससे न केवल लागत ही बढ़ती है, अपितु समुद्री व्यापारियों के लिए परेशानी भी उत्पन्न होती है। यह देखना आवश्यक है कि कैसे कोई विशेष स्थान तटीय माल के लिए सुरक्षित रखा जाये, कि देश के अन्दर जाने वाला तटीय माल के लिये सीमाशुल्क औपचारिकताओं और दूसरी औपचारिकताओं को पूरा न

करना पड़े। दो दिन पहले, मुझे अपने निर्वाचन-क्षेत्र से एक टेलीफोन मिला जिसमें कहा गया कि द्वीप में बन्दरगाह-प्रभार बढ़ गये हैं, और वह इस तरीके से किया गया है, कि सभी समुद्री व्यापारी और वाणिज्य मण्डल इसको जोर जबरदस्ती की कार्यवाही बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर यह रद्द नहीं हुआ तो कुछ आन्दोलनकारी और जोर जबरदस्ती वाले उपाय किए जाएंगे। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह यह देखें कि अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बन्दरगाहों को तटीय प्रभारों से चार्ज इससे मुक्त छूट दी जाये।

अब मैं इस विधेयक की धारा 3(1ख) के बारे में विशेष रूप से कुछ कहना चाहूंगा। किसी भी उप-धारा में जाए बिना, उसमें कहा गया है कि यदि कोई भी जहाज़ किसी भी बन्दरगाह में खराब हो गया हो, संकटग्रस्त हो गया हो या नष्ट हो गया हो, तो उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई नोटिस दिए बिना, उसको तुरन्त वहां से हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, या नष्ट कर देना चाहिए।

मेरे विचार में, ऐसा करने से, कुदरती न्याय नहीं होगा। नोटिस दिए बिना कुछ नहीं किया जाना चाहिए। उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। उसके पश्चात् ही कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं इस बात को भी जिक्र करना चाहूंगा कि इस अनुभाग विशेष में, बहुत से ऐसे विदेशी जहाज़ हैं, जो कि तट रक्षकों या अन्य प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये हैं और उन्हें पोर्ट ब्लेयर बन्दरगाह क्षेत्र में रखा गया है मुकदमेबाज़ी की वज़ह से और अदालती मामलों की वज़ह से इन मामलों का निपटारा नहीं हो सका है। इस वज़ह से ये जहाज़ वहां पर हैं। इसके बाद, वे बेकार हो जाते हैं। वे बन्दरगाह के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि इसके लिये कौन भुगतान करेगा क्या इसका भुगतान तट रक्षकों या पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। क्या वे इसका भुगतान करेंगे? इसके लिये कौन भुगतान करेगा? ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रावधान होना चाहिए, कि इनके लिये कोई भुगतान करना आवश्यक नहीं है। सरकारी जहाज़ भी वहां पर हैं, और बहुत वर्षों से वे वहां पर हैं और बन्दरगाह क्षेत्र में होने वाले कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इसके लिये भुगतान करना पड़ेगा या नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह केवल कम्पनियों और निजी मालिकों पर लागू होता है, या क्या सरकार को भी इसके लिये भुगतान करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जहां तक बन्दरगाह-प्रभारों की वसूली का संबंध है, मैं कहना चाहूंगा कि छोटे क्षेत्रों और द्वीप प्रदेश के मामलों को दूसरे क्षेत्रों के मामलों की तुलना में अलग तरीके से देखा जाना चाहिये।

महोदय, मैं धारा 21 का स्वागत करता हूं क्योंकि वह अति आवश्यक है, और 500/- रुपये का जुर्माना कुछ भी नहीं है, और जिसे दण्ड़नीय कार्य का जो सुझाव दिया गया है वह अच्छा है।

अब मैं एक और मुद्दे पर आना चाहूंगा। पथ प्रदर्शन कानून के संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसकी क्या आवश्यकता है? माननीय मंत्री इस में कुछ रियायत दे सकते हैं।

अंत में, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आप एक विस्तृत पत्तन संशोधन विधेयक लायें जो कि भारत में पत्तनों का सुधार करने और उनका विकास करने की दृष्टि से आवश्यक होगा।

मैं अपने भाषण को एक आखिरी मुद्दे का उल्लेख करके खत्म करना चाहूंगा। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हमारे पास एक पत्तन प्रबन्धन बोर्ड है। इस पत्तन प्रबन्धन बोर्ड का गठन मंत्रिपरिषद के एक संकल्प द्वारा किया गया था और मुख्य पत्तन न्यास की सभी शक्तियां, उन्हें प्रदान की गई हैं ताकि वे उनका प्रयोग कर सकें। परन्तु दुर्भाग्यवश इस पत्तन प्रबन्धन बोर्ड का विकास दिखाई गई उपेक्षा के कारण नहीं हो सका क्योंकि द्वीप समूह के मुख्य सचिव इसके चेयरमेन हैं। मेरे विचार में अब वक्त आ गया है जब इन छोटे-छोटे क्षेत्रों के

[श्री मनोरंजन भक्त]

मामलों को अलग तरीके से देखना होगा। और इसको मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये। अन्यथा वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे।

एक और बात यह है, कि इस बोर्ड में, जो आपने गठित किया है, सभी सरकारी सदस्य हैं और इसमें कोई भी गैर सरकारी सदस्य नहीं है। हर एक पत्तन न्यास में, नौवहन कम्पनियों और मजदूरों के हितों को देखा जाता है, परन्तु केवल अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह पत्तन प्रबन्धन बोर्ड में, सभी सरकारी सदस्य हैं और उसमें समुद्री व्यापारियों, मजदूरों और जहाज के मालिकों के हितों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। इस वज़ह से, इन लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने की जरूरत है, और इनको पत्तन प्रबन्धन बोर्ड में लिया जाना चाहिए ताकि वह ठीक प्रकार से तथा कुशलता से काम कर सके और इससे वह वांछित परिणाम मिल सकें।

महोदय, इन कुछ शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का सर्मथन करता हूं और मुझे यह मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम कापसे (ठाणे): सभापति महोदय, वास्तव में, विचाराधीन अधिनियम में संशोधन करने हेतु यह देश एक विस्तृत विधेयक की प्रतीक्षा कर रहा था। परन्तु सरकार एक ऐसा संशोधी विधेयक लाई है, जो कि विस्तृत नहीं है।

इस वजह से, सर्वप्रथम हम मंत्री से एक आश्वासन चाहेंगे—जबकि बन्दरगाहों में सुधार लाने के लिए अनेक सुझाव हैं—कि बन्दरगाहों और राष्ट्र के हित में शीघ्रातिशीघ्र एक विस्तृत विधेयक लाया जायेगा।

यह पहली मांग है जिसे मैं रिकार्ड में दर्ज कराना चाहूंगा।

ऐसे दो आंकड़े हैं जो स्वतः स्पष्ट हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इन पर गौर करना चाहिए। एक आकड़ा पत्तनों के कार्य निष्पादन के बारे में है। हमारे पास अक्तूबर 1989-90 से अप्रैल 1990-91 तक के आंकड़े हैं। कांडला का कार्यनिष्पादन देखिए। जहां तक औसतन 'टर्न डाउन' समय का सवाल है यह अक्तूबर 1989-90 में 9.9 दिन था। अप्रैल 1990-91 में यह समय 10 दिन तथा इससे अधिक था। यह बात तूतीकोरिन, मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता के बारे में भी है। जहां तक कांडला, विशाखापत्तनम और अन्य पत्तनों का संबंध है, यदि इनमें अक्तूबर 1989-90 और अप्रैल 1990-91 के बीच कोई बिलम्ब हुआ है तो मैं समझता हूं इसका मंत्री महोदय के पास स्पष्टीकरण है।

श्री जगदीश टाइटलर: हम विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य का अत्यन्त आभारी होऊंगा, यदि वे विशेषकर उन संशोधन की चर्चा करें जो मैंने पेश किए हैं। यदि आपकी ओर से इसमें अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होती है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा, यदि हम अपनी चर्चा को विधेयक के उपबन्धों तक ही सीमित रखें।

श्री राम कापसे: मेरा पहला सुझाव एक व्यापक विधेयक लाने के बारे में था।

श्री जगदीश टाइटलर: आपके इस सुझाव का मैं उत्तर दूंगा।

श्री राम कापसे: यदि मैं आपको यह कहूं कि जहां तक कांडला, विशाखापतनम और अन्य पत्तनों का सम्बन्ध है, आप पत्तनों के कार्य निष्पादन से सन्तुष्ट न होवें, तो आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि इसके लिए एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है और इसके साथ-साथ जहां तक विभाग का संबन्ध है इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। आपको स्वतः सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए।

अन्य मुद्दा माल के आवागमन के संबंध में पत्तनों के कार्य निष्पादन के बारे में है। जहां तक जवाहरलाल

नेहरू पत्तन का संबंध है इसका 1991 में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसकी वास्तविक उपलब्धि क्या रही? निर्धारित लक्ष्य का केवल एक तिहाई भाग ही पूरा हो पाया और इस प्रकार हम वहां घाटा उठा रहे हैं। यदि आप सभी पत्तनों के कार्यनिष्पादन से सन्तुष्ट हैं, तो क्या आप जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मरमागाओं, मंगलौर, कोचीन और मद्रास पत्तनों के कार्यनिष्पादन से भी सन्तुष्ट हैं, यदि आप सभी पत्तनों पर माल आवाजाही को कार्यनिष्पादन के सूचक के रूप में लेते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इस मामले की जांच करें। हम उम्मीद करते हैं कि जहां तक इन पत्तनों का संबंध है इनके कार्यनिष्पादन में सुधार होना चाहिए।

मैं आपको यह मुद्दा उठाने का आशय बताता हूं। आगामी दस वर्षों में इन पत्तनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम इनकी बात की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि हम इनकी उपेक्षा नहीं करते हैं, तो इनका कार्यनिष्पादन बेहतर होना चाहिए।

इसके पश्चात् आपने मुझे विधेयक के बारे में चर्चा करने को कहा। विधेयक में 500 रुपए के अर्थदण्ड को बढ़ाकर 5,00,000 रुपए तक करने के प्रस्ताव के बारे में, मैं समझता हूं कि जिस प्रदूषण का हम सामना कर रहे हैं, उसमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या इसे इस स्तर तक बढ़ाया जाए। आपने इस बात की काफी लम्बे समय तक उपेक्षा की और अब ऐसा प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। क्या आप इसी प्रकार मजदूरों की मजूरी में वृद्धि करने पर भी विचार करेंगे? क्या आप सब जगह तीन शून्य जोड़ना चाहेंगे? मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि यदि मंत्री महोदय ऐसा करते हैं तो उन्हें इन सभी पत्तनों पर कम से कम 'यूनियनों' के साथ किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। कितने शून्य जोड़े जाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए करना बहुत अधिक है। मंत्री महोदय को इस बात पर गौर करना चाहिए। वास्तव में उन्हें यह विधेयक लाने से पहले इस विषय पर गौर कर लेना चाहिए था।

इसके पश्चात् मैं प्रदूषण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आपने स्वीकार किया है कि जहां तक पत्तनों और समुद्र का संबंध है, वहां प्रदूषण विद्यमान है, इसीलिए दण्ड की राशि बढ़ाई जा रही है। इस मसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा तलकर्षण के बारे में है। पत्तनों में जहां तक तलकर्षण का मसला है इस बारे में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मैं मुम्बई का रहने वाला हूं और मुम्बई पत्तन पर भीड़-भाड़ इतनी बढ़ गई है, कि इस मामले पर गौर करने की आवश्यकता है, ताकि इस पत्तन पर शीघ्रातिशीघ्र और सुविधाएं बढ़ाई जाए।

निजीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में, मैं समझता हूं कि मंत्रालय योजनाएं तैयार कर रहा है। क्या यहां हमारा यह उम्मीद करने का अधिकार नहीं है कि निजीकरण अथवा आधुनिकीकरण करने से किसी भी कामगार का रोजगार न छिने? जहां तक पत्तनों के कार्यनिष्पादन का संबंध है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इनमें सुधार होना चाहिए ताकि हमारे पत्तनों की स्थिति अच्छी हो और इसके साथ-साथ आधुनिकीकरण अथवा निजीकरण के परिणामस्वरूप कोई भी मजदूर बेरोजगार न होवे बस मंत्री महोदय से हम यही उम्मीद करते हैं।

मैं 'यूनियनों' के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि 'यूनियनों' की समस्याओं को निपटाने के तरीके में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। कलकत्ता और अन्य विभिन्न पत्तनों पर मैं समझता हूं कि यहां समूचे माहौल में जिसका कि राजनीतिकरण होने लगा है, परिवर्तन की आवश्यकता है।

निजी पत्तनों के बारे में भी कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव गोवा पत्तन में नई गोदी को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है। जहां तक इस मामले का संबंध है मैं इस पर मंत्री महोदय से एक वादा चाहता हूं। उन्हें गोवा

[श्री राम कापसे]

पत्तन के बारे में एक ठोस योजना बनाने की घोषणा करनी चाहिए। दूसरा सुझाव पारादीप पत्तन के बारे में है। पारादीप पत्तन के माध्यम से तमिलनाडु को कोयले की ढुलाई होती है इसलिए इस पत्तन के विस्तार की अत्यन्त आवश्यकता है। इस मामले को वरीयता स्तर पर उठाए जाने की आवश्यकता है और मंत्री महोदय को इस मामले पर गौर करना चाहिए क्योंकि यहां से तमिलनाडु को कोयला भेजा जाना एक अनिवार्यता है।

मैं जानता हूं कि छोटे-छोटे पत्तनों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही थी। अब आपने यह सहायता बन्द कर दी है, जिसके कारण कई छोटे-छोटे पत्तनों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आपको इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जीवन में पत्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी समूचे प्रस्ताव पर आपको पुनः विचार करना चाहिए। काकीनाडा पत्तन के बारे में जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव क्या है, इस पत्तन का किस तरह से आधुनिकीकरण किया जाएगा, ताकि इसका कार्यनिष्पादन बेहतर हो इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से अन्तिम प्रश्न प्रमुख पत्तनों के आधुनिकीकरण अथवा विकास के लिए विदेशी पेशकश के बारे में पूछना चाहूंगा। यह मुख्य प्रश्न है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन पत्तनों के विकास के बारे में किसी देश ने सहायता देने का कोई प्रस्ताव किया है। क्या किसी देश से कोई सहायता मिलने की सम्भावना है? क्या आपको इसकी उम्मीद है? क्या इस बारे में कोई बातचीत चल रही है? क्या आप इस विकास के बारे में ऐसे किसी प्रस्ताव को आमन्त्रित करोगे? मैं अन्तिम प्रश्न यही पूछना चाहता हूं।

मैं यह विधेयक लाने के लिए, भले ही देर से लाया गया, आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ-साथ मैंने विधेयक के बारे में तथा पत्तनों के कार्यकरण के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। कृपया इन पर गौर कीजिए और कुछ ठोस जवाब दीजिए। मेरी यही उम्मीद है।

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर): सभापति महोदय भारत की 5,500 किलोमीटर से अधिक विस्तृत तटीय सीमा है। देश की समेकित परिवहन प्रणाली में तटवर्ती नौवहन की महत्वपूर्ण भूमिका की भारी गुंजाइश है तटवर्ती नौवहन में ऊर्जा की कम खपत होती है और यह माल ढुलाई के लिए, विशेषकर जब माल का उद्गम और गन्तव्य स्थान समुद्रतट के निकट स्थित हो, अपेक्षाकृत सस्ती परिवहन व्यवस्था है। दुर्भाग्यवश तटवर्ती व्यापार में काफी गिरावट आई है। साधारण माल एवं सामान्य नमक की ढुलाई तो बन्द ही हो गई है। रेलवे के कोयले की ढुलाई भी बन्द हो गई है। तटवर्ती राज्यों में ताप विद्युत घर तथा इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना के तहत जहाजों द्वारा ताप-कोयले और लौहा अयस्क की ढुलाई में वृद्धि होने की सम्भावना है।

आठवीं पांच वर्षीय योजना में 48.27 मिलियन टन माल की तटों के साथ-साथ ढुलाई होने और 147.6 मिलियन टन माल का विदेशों के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार होने का अनुमान है। यदि तटों के साथ-साथ ढुलाई अर्थात् तटवर्ती नौवहन को वास्तव में बढ़ावा दिया जाना है तो तटवर्ती नौवहन के मार्ग के आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करना होगा। तटवर्ती नौवहन का विकास करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का सुझाव देने के लिए समय-समय पर कई समितियां गठित की गईं। ऐसा बताया गया है कि 1989 में नौवहन महानिदेशालय ने तटवर्ती नौवहन के विकास में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए एक कार्य दल का गठन किया था, जिसके सदस्य आई० एन० एस० ए०, भारतीय तटवर्ती सम्मेलन और नौवहन महानिदेशालय के प्रतिनिधि थे।

ग्रुप ने विभिन्न कदमों के बारे में सुझाव दिये हैं जिन पर तटीय नौवहन को अधिक कुशल और मितव्ययी बनाने के लिए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, अगर सभी बाधाओं को समाप्त करके पर्याप्त मूलभूत

सुविधायें जुटा दी जायें तो मुख्य भूमि से तटों तक यात्री-यातायात तथा पर्यटन के विकास की काफी संभावनायें हैं। विदेशी मुद्रा की कमी की समस्या से जूझ रहे हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा के ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत का पूरा लाभ उठाना अत्यंत आवश्यक है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारिक जलपोतों द्वारा हमारे जल को प्रदूषित न करें, इस हेतु कठोर प्रदूषण निरोधक नियम बनाये जाने चाहिएं। विशाखापत्तनम जैसे अत्यंत भीड़भाड़ वाले पत्तनों पर प्रदूषण की बहुत सी समस्यायें हैं। यही एकमात्र पत्तन है जहांकि पत्तन के बिल्कुल भीतर एल०पी०जी० टर्मिनल है। इसलिए ऐसे खतरनाक सामान की इतनी भीडभाड़ वाली बन्दरगाह पर लदाई-उतराई अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। इसलिए यह सुझाव अत्यंत उपयुक्त है कि एल०पी०जी० की उतराई किसी अन्य निकटवर्ती पत्तन पर की जानी चाहिए। भौगोलिक सामीप्य, सामान के लदान उतारने के संतुलन तथा विकास के पक्ष को समक्ष रखते हुए मैं यह पुरजोर सिफारिश करता हूं कि उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में गोपालपुर लघु पत्तन, जो कि इस समय एक मौसमी पत्तन है का दर्जा बढ़ा कर बारहमासी पत्तन बनाया जाना चाहिए। उड़ीसा सरकार ने पहले ही केन्द्रीय जलभूतल परिवहन मंत्रालय को अपने दिनांक 8 दिसम्बर, 1990 को वित्त मंत्रालय के कार्मिक मामलों सम्बन्धी विभाग के स्वीकृत करवाने के लिए कहा है। इस परियोजना के लिए एशियन विकास बैंक के 52 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने में सहायता करने के लिए भी निवेदन किया है। इसलिए मैं जलभूतल परिवहन मंत्री, से निवेदन करता हूं कि वह इस परियोजना को जल्दी से कार्यान्वित करें जिसमें कि पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है।

17 जुलाई, को मेरे अतांराकित प्रश्न संख्या 1632 के उत्तर में जो केन्द्रीय जलभूतल परिवहन मंत्री ने यह बताया है तथा मेरे प्रबुद्ध सहयोगी श्री राम कापसे ने भी कहा है कि एशियाई विकास बैंक उड़ीसा के पारादीप पत्तन के विकास के लिए वहां मशीनों द्वारा कोयले की ढुलाई की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार हो गया है, यह बड़ी खुशी की बात है। साथ ही मद्रास के निकट एन्नोर में तमिलनाडु बिजली बोर्ड को तापीय कोयले की सप्लाई के लिए पत्तन का विकास भी प्रशंसनीय है। वास्तव में यह एक स्वागत योग्य कदम है, विशेषकर जबकि तमिलनाडु अपने योग्य तथा गतिशील मुख्य मंत्री श्रीमती जय ललिता के नेतृत्व में औद्योगिकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि प्रस्तावित तकनीकी तथा अन्य सहायता भी इस सरकार के समय रहते प्राप्त हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त मैं परिवर्तनीय मुद्रा सुविधा, कर-मुक्त आय, अपतटीय बैंकिंग सुविधा, आधुनिक पत्तन, एक हवाई अड्डा, विश्व-स्तरीय दूरसंचार सुविधा, औद्योगिक तथा व्यापारिक परिसर, सुविधा सम्पन्न होटल, कैसीनोज़, रात्रि विपणन केन्द्र, के साथ-साथ गोवा में मुक्त पोर्ट बनाने के सम्बन्ध में योजना की रूप रेखा में जिन सुविधाओं का उल्लेख नहीं है; अतः उन्हें उपलब्ध कराने के उच्च विचार का मैं स्वागत करता हूं। कई प्रकार के सामान तथा सेवाओं के अवसरों तथा पर्यटन द्वारा आय प्राप्त करके इसके द्वारा अर्थ व्यवस्था को सक्षम बनाने की दिशा में काफी लाभ होगा सरकारी अधिकारियों तथा उद्योगपतियों को सम्मिलित करके 1990 में मुक्त पोर्ट स्थापित करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए 1991 में मुक्त पोर्ट सलाहकार समिति बनाई गई थी। मैं इस उत्तम तथा लाभकारी योजना को जल्दी से लागू करने की भारत सरकार से अपील करता हूं। इसके अतिरिक्त विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट की 800 एकड़ में आयात-निर्यात पार्क स्थापित करने का ताजा प्रस्ताव, जिसके द्वारा पोर्ट पर आधारित उद्योगों को भीतरी भूमि के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आवंटन किया जायेगा, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।

अब मैं भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1990 के उद्देश्यों और कारणों के बारे में उल्लेख करूंगा।

[श्री गोपी नाथ गजपति]

सबसे पहली बात यह है कि पोतों की जी०आर०टी० तथा कुछ मामलों में एन-आर टी (पोर्ट शुल्क) के आधार पर कुछ शुल्क जो वर्तमान में वसूल किए जाते हैं (अधिकतर शुल्क मुख्य पत्तन ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत बनाये जाते हैं), यह प्रक्रिया सरलीकरण के विचार के अनुरूप नहीं है। इसलिए, शुल्क केवल सर्वमान्य तथा जी०आर०टी० के आधार पर ही लगाये जाने चाहिएं क्योंकि उसी के द्वारा ही पोत के आधार और उसके भीतरी क्षमता का पता लगाया जा सकता है।

पिछले कुछ समय से बड़े पत्तनों पर परित्यक्त पोतों तथा क्षतिग्रस्त पोतों के ढांचे को हटाने की समस्या रही है। पत्तनों के काम-काज पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 14 में पत्तन में नौवहन के कार्य में बाधा डालने वाले टूटे-फूटे पोतों को हटाने का प्रावधान है। वर्तमान में, इन क्षतिग्रस्त पोतों को हटाने के लिए उसके मालिकों से कोई मुआवजा वसूल नहीं किया जाता। ऐसे पोतों को हटाने का उत्तरदायित्व पोत मालिकों पर डालना जरूरी है। अगर ऐसे पोतों से पत्तन में नौवहन में बाधा आती हो तो उसके मालिकों को इसे निश्चित अवधि के भीतर उसे वहां से हटाने का नोटिस दिया जाना चाहिए।

धारा 21 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे अवशिष्टों के उत्सर्जन, जिससे नौ परिवहन में बाधा आती हो अथवा किनारों पर कीचड़ बैठ जाता हो, के लिए 500 रुपए का जुर्माना तथा दो महीने के साधारण कारावास का प्रावधान है। यह प्रावधान बिल्कुल अपर्याप्त है तथा इस प्रावधान को मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 में उपबन्धित प्रावधानों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

धारा 33 में अन्य बातों के अतिरिक्त सरकार द्वारा पत्तन शुल्क लगाने का प्रावधान है तथा उपधारा (5) में 60 दिन की अवधि निर्धारित की गई है जिसके बीत जाने के पश्चात् पोत शुल्क बढ़ाने अथवा लगाने का आदेश प्रभावी हो जाता है। संचार प्रणाली में सुधार के फलस्वरूप मैं यह समझता हूं कि इस अवधि को 60 दिन से कम करके 30 दिन करना आवश्यक है।

भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 36 में पत्तनों में पायलोटेज लेखा के रखरखाव का प्रावधान किया गया है। चूंकि पायलोटेज पत्तन प्रशासन का एक अंग बन गया है; इसलिए इस संबंध में अलग लेखा रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसे अन्य प्रभागों के साथ मिला दिया जाना चाहिए। अतः पायलोटेज लेखा रखरखाव संबंधी धारा 36 में संशोधन करने की आवश्यकता है।

धारा 42 पत्तन प्रभारों की अदायगी में चूक करने की स्थिति में पोत को कब्जे में लेने तथा उसे बेचने का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार अगर कोई पोत का मालिक पोर्ट ट्रस्ट को प्रभार देने से इन्कार करता है तो पत्तन अधिकारी नोटिस देने के बाद उसे गिरफ्तार करके पोत बेच सकते हैं। कई मामलों में किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण के आदेशानुसार पोत पहले ही से कब्जे में लिया होता है। ऐसे मामले में उक्त न्यायालय मामला प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के साथ उस पोत पर कब्जा करके उसे बेचने का अधिकार पत्तन अधिकारियों को होना चाहिए इसलिए प्रभार प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में भी संशोधन किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः, मैं भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, केन्द्रीय जल-भूतल परिवहन मंत्री, माननीय श्री जगदीश टाइटलर द्वारा प्रस्तुत करने का हार्दिक समर्थन करता हूं जो कि भारतीय नौवहन के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। धन्यवाद।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पूरी तरह से इस विधेयक का समर्थन किया है पिछले एक वर्ष के दौरान देश में पत्तनों

का कार्य निष्पादन मेरे लिए व्यक्तिगत हर्ष का विषय है मैं उन सभी पत्तन अधिकारियों को शुभकामनायें भेंट करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है।

सदन की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने पिछले वर्ष नई नौवहन नीति घोषित की है। जिसके फलस्वरूप भारतीय नौवहन उद्योगों ने 2,483 करोड़ रुपए की रिकार्ड विदेशी मुद्रा आर्जित की। इसमें से 1483 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा था; जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में लाभ में वृद्धि होगी।

जहां तक बड़े पत्तनों के कार्य निष्पादन का प्रश्न है, वर्ष 1991-92 के दौरान सभी पत्तनों ने पिछले वर्ष के 120 मिलियन टन ढुलाई की तुलना में 158 मिलियन टन की रिकार्ड ढुलाई की। वर्ष 1991-92 के दौरान सभी बड़े पत्तनों ने लाभ कमाया और उनके कार्य निष्पादन में बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए गये।

अब मैं उन मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा जो मेरी जानकारी मे लाये गये। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने सुझाव दिए, विशेषकर उनका जिन्होंने एक व्यापक विधेयक लाने का सुझाव दिया। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि एक व्यापक विधेयक सरकार के विचाराधीन है और इसे सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। इससे उन सभी सदस्यों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे जिन्होंने कुछ प्रश्न उठाये हैं।

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के संबंध में हमने उनका सुझाव नोट कर लिया है। मेरे विचार में हम इस प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे।

माननीय सदस्य श्री रावत ने यह मुद्दा उठाया है कि सरकार यू एन लाईनर को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है। यह प्रश्न विभिन्न मंत्रालयों के विचाराधीन है और हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। कांचीन, कांडला, टूटीकोरन, कलकत्ता, हल्दिया, मद्रास, मुम्बई, इत्यादि में हम सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। गोआ में मीटर गेज लाईन तथा कांडला में बड़ी लाईन बिछा कर पत्तनों का विस्तार किया जा रहा है। कोंकाण रेलवे परियोजना पर भी कार्य चल रहा है तथा इसके द्वारा गोआ को भी लाभ होगा।

अमेरिकन प्रैसीडेन्ट लाईनर के संबंध में जे०एन०पी० टी० को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सामान्य नीति के अन्तर्गत हमने नियमों में ढील दे कर अन्तिम वर्ष आरक्षण योजना घोषित की है। इसे वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

हमें नावा शेवा पत्तन के बारे में भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मैंने स्वयं वहां जा कर देखा कि जो सुझाव हमने दिए थे, उन पर पहले ही अमल करना आरम्भ कर दिया गया है।

पत्तन प्रभारों के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हम यह प्रभार रुपए के स्थान पर डालर में ले रहे हैं। तटीय नौभार रियायती दर पर लिये जा रहे हैं। तटीय नौभार पर सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं के बारे में वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है।

पत्तन शुल्क के बारे में श्री भक्त ने एक बात कही थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस शुल्क में वृद्धि की गई थी। मैं सभा को यह बताना चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया है। यह गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। लेकिन मैं यह मुद्दा गृह मंत्रालय के साथ उठाऊंगा। उन्हें भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

[श्री जगदीश टाइटलर]

मैं सभा को यह जानकारी देना चाहूँगा कि योजना आयोग के साथ चर्चा करने के पश्चात् हमने आठवीं योजना के लिए कुल योजना परिव्यय 3,216 करोड़ रुपये रखा है। हमें 443 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है। हम 2,773 करोड़ रुपये बजटेत्तर समर्थन के लिए रख रहे हैं। इस प्रकार यह कुल मिला कर 3,216 करोड़ रुपये होता है। पत्तनों के लिए हम यह महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।

मैं माननीय प्रो० कापसे को यह बताना चाहूँगा कि 1980—89 के दौरान तटीय यातायात 19.2 मिलियन टन से बढ़ कर 21 मिलियन टन हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि कोयले के परिवहन के कारण टन भार बढ़ जायेगा।

महोदय, विशाखापट्टनम पत्तन के निकट रसोई गैस के लिए हम एक सहायक पत्तन की स्थापना पर विचार कर रहे हैं।

हम पारादीप पत्तन पर करीब 600 करोड़ रुपये भी व्यय कर रहे हैं जिससे सन् 2001 ई० तक इसकी माल यातायात सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी। सरकार द्वारा इस बारे में निर्णय पहले ही लिया गया है अब, राज्य सरकार इसे लागू करेगी।

ऐसा इसलिए क्योंकि केन्द्रीय मंत्रालयों से इसका कुछ लेना-देना नहीं है।

प्रो० कापसे ने इस बात का उल्लेख किया है कि 1991 ने जे० एन० पी० मे 1,08,000 कन्टेनरों का संचालन किया था। मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जानकारी सही नहीं है। वास्तव में 1991 में इसने इससे दुगने कन्टेनरों का संचालन किया था। प्रत्येक पत्तन में औसत कम हो गया।

जहाँ तक मुंबई पत्तन में भीड़-भाड़ का सम्बन्ध है मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि विगत एक वर्षों से मुंबई पत्तन में कोई भीड़-भाड़ नहीं है। मैं सदन को यही जानकारी दे सकता हूँ। इससे अत्यधिक विदेशी-मुद्रा अर्जित हुई है। मैंने पहले ही कहा था कि अन्य किसी भी मंत्रालय ने देश में ऐसा नहीं किया है। ऐसा अधिकारियों के कठिन परिश्रम के कारण सम्भव हुआ है। उन्होंने हर पहलू पर निगरानी रखी है। हमने एक वर्ष में 1400 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं जोकि एक रिकार्ड है। यह लाभ सिर्फ नौवहन क्षेत्र में ही अर्जित किया जा सका था।

वर्ष 1992-93 में हम मुंबई पत्तन के विकास पर 70 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। मैं सभा को यह भी बताना चाहूँगा कि निजीकरण अथवा आधुनिकीकरण के कारण एक भी श्रमिक की छंटनी नहीं की जायेगी। ऐसे भी मामले हैं जिनमें हमने 'गोलडेन हैंडशेक' योजना लागू की है। यह एक स्वैच्छिक योजना है। हम किसी पर यह योजना थोप नहीं रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यह हमारे कुछ पत्तनों में बहुत ही सफल रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जिस प्रकार से हमने मजदूर संघों से रिश्ता बनाया है उससे वह खुश नहीं हैं। बल्कि मैं तो मजदूर संघों को बधाई देना चाहूँगा कि पत्तनों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी विपक्षी दलों ने मिल कर पूरे देश में हड़ताल की घोषणा की लेकिन सिर्फ यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो हड़ताल से प्रभावित नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा सभी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किये जाने के बाद भी कलकत्ता पत्तन में कार्य चलता रहा था। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मजदूर संघों के साथ हमारे इस प्रकार के संबंध हैं। हम उन्हें स्वतन्त्रता दे रहे हैं। इस प्रकार ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ है।

नावाशेवा और गोवा पत्तन ऐसे थे जहाँ मैंने 10 मई को गोदी का शिलान्यास किया था। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूँगा।

जहाँ तक पारादीप पत्तन के लिए ऐशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने का सम्बन्ध है, मैं सभा को यह बताना चाहूँगा कि इसके लिए 560 करोड़ रुपये की एक वृहत योजना है जिसे ऐशियाई विकास बैंक द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर मैंने संक्षेप में दे दिया है। एक बार पुनः मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि यह विधेयक पारित हो जायेगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले तथा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

खण्ड 2 से 8 में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है:
"कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1-विधेयक का संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पैंक्ति 4—
"1991" के **स्थान पर** "1992"
प्रतिस्थापित किया जाए।

(2)
(श्री जगदीश टाइटलर)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पँक्ति 1—

"बयालीसवां" के **स्थान पर** "तेतालीसवां"

प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री जगदीश टाइटलर)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में,
विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री जगदीश टाइटलर: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.51 म० प०

राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): मैं प्रस्ताव करता हूं* कि पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोतपरिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

आपकी अनुमति से राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक 1992 पर विचार हेतु तथा इसे पारित करने के लिए प्रस्तुत करते समय मैं

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

कुछ शब्द कहना चाहता हूं। प्राचीन समय से ही अन्तर्देशीय जल परिवहन हमारे देश में आवागमन का सस्ता और मितव्ययी साधन रहा है। फिर भी रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायुमार्ग द्वारा आवागमन के तीव्र साधनों के प्रादुर्भाव और विकास से अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन वर्षों तक उपेक्षित रहा है।

फिर भी कुछ क्षेत्रों में जहां अन्तर्देशीय जल परिवहन को प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त हैं, परिवहन के अन्य साधनों पर अभी भी इसका वर्चस्व बरकरार है।

आज विशेषकर उन स्थानों के बीच, जो जल क्षेत्रों के साथ बसे हुए हैं अत्यधिक वहन के साथ लम्बी दूरी तय करने के लिए परिवहन का सस्ता साधन होने के कारण अन्तर्देशीय जल मार्ग का महत्व पूरे विश्व में की जाती है। इसकी ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण प्रभाव का कम होना और समाज के ग्रामीण कमजोर वर्ग के बीच रोजगार उत्पन्न करने की इसकी क्षमता सारे विश्व में स्वीकार की जाती है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने अन्तर्देशीय जल-परिवहन अवसंरचना विकसित करने की आवश्यकता महसूस की और अन्तर्देशीय जल परिवहन को देश की सम्पूर्ण यातायात प्रणाली में उचित स्थान दिया।

अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य दोनों की है। केन्द्र सरकार जल मार्ग, जिसे संसद द्वारा पारित कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है, के विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये गये जलमार्गों को छोड़ कर अन्य जल मार्गों का विकास और रख रखाव की जिम्मेदारी तथा उसके कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार के अन्तर्गत आते हैं।

हमारे देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की धीमी गति को ध्यान में रख कर भारत सरकार द्वारा गठित अनेक समितियों ने विगत में कुछ महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने का सुझाव दिया है। गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के इलाहाबाद-हल्दिया क्षेत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी सादिया-धुबरी क्षेत्र को पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार ने सुरक्षित तथा सुलभ नौवहन तथा नौसंचालन हेतु राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रख-रखाव तथा व्यवस्थापन के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की है। वर्तमान में, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रख-रखाव का कार्य अपने ऊपर लिया है।

किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने से पूर्व, यह निर्धारित करने के लिए कि कितना विकास कार्य करने की आवश्यकता है और उसमें कौनसी वित्तीय उलझनें है, जल संबंधी सर्वेक्षण और तकनीकि-आर्थिक अध्ययन करना जरूरी है। इससे पहले, पश्चिमी तट नहर को कोलम-कोट्टापुरम खंड के संबंध में ऐसे अध्ययन किए गए। इन अध्ययनों के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों का कोलम-कोट्टपुरम खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर, 1989 में आठवीं लोक सभा द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने संबंधी विधेयक पारित किया गया। लेकिन, आठवीं लोक सभा के भंग हो जाने के कारण यह विधेयक, राज्य सभा में प्रस्तुत करने से पहले ही व्यपगत हो गया। तत्पश्चात कासरगौड तथा कोल के बीच फैले हुए संपूर्ण पश्चिमी तट नहर के खंडों में सर्वेक्षण और अध्ययन किए गए। अध्ययनों से यह पता चला है कि पश्चिमी तट नहर के उत्तर में कोट्टापुरम और कासरगोड के बीच तथा दक्षिण में कोलम तथा कोलम के बीच फैले हुए खंडों के कारण जलमार्ग के विकास में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और इसके लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी जिससे उनका विकास प्रभावित हो रहा है। इन अध्ययनों के आधार पर तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन में

[श्री जगदीश टाईटलर]

हुए सुधारों को देखते हुए अब राष्ट्रीय जलमार्ग पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योगमंडल नहरों का कोलम-कोट्टपुरम खंड को भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया गया है। यह जलमार्ग कुल 205 कि०मी० लम्बा होगा और इसकी कुल नौवहन क्षमता 3.5 मिलियन टन होगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

> "कि पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों के कोलम-कोट्टपुरम खंड की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा का उपबंध करने और उक्त जलमार्ग पर पोतपरिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त खंड तथा नहरों के विनियमन और विकास का भी तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विचार के लिए रखे गए इन प्रस्तावों के लिए कुछ संशोधन हैं। संयुक्त समिति के लिए एक संशोधन श्री के०पी० उन्नी कृष्णन द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। वे उपस्थित नहीं है। उसके बाद प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा परिचालन हेतु एक संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि विधेयक पर राय जानने के प्रयोजनार्थ 15 अक्तूबर, 1992 तक विधेयक को परिचालित किया जाये।"

सभापति महोदय: श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा संशोधन सं० 11 प्रस्तुत किया जायेगा— वे उपस्थित नहीं है।
श्री दाऊ दयाल जोशी—उपस्थित नहीं है।
श्री हरिन पाठक—उपस्थित नहीं है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं, राष्ट्रीय जलमार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों का कोलम-कोट्टपुरम खंड) विधेयक, 1992 पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, यह सच है कि जलमार्ग सस्ता होता है तथा इसमें प्रदूषण कम होता है। परन्तु मेरा अनुभव रहा है कि देश में एक लम्बे समय से जलमार्ग की उपेक्षा होती रही है। हालांकि सब कुछ ठीक है, इसकी उपेक्षा की गई। यह निःसन्देह सच है कि जलमार्ग सस्ता होता है। इसके रख-रखाव में कम खर्चा लगता है और जहां तक ईंधन का प्रश्न है, सड़क परिवहन की तुलना में ईंधन को काफी बचत होती है। प्रदूषण की दृष्टि से भी, विद्युत रेल को छोड़कर, यदि हम डीजल इंजन और कोयले से चलने वाली इंजनों की तुलना स्टीमर से करेंगे तो, यह निश्चित ही कम प्रदूषण फैलाने वाला है और पूरे रख-रखाव पर आने वाला खर्च भी बहुत कम होता है। इससे और एक लाभ यह है कि यह श्रमिकोन्मुखी भी है।

5.00 म० प०

स्थानीय लोग विशेषकर श्रमिक वर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जलमार्ग का कार्य करने में दक्ष हैं और जो जलमार्ग में काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिलने के अच्छे अवसर हैं। अतः इन सभी दृष्टियों से निश्चित रूप से जलमार्ग बढ़िया है और आर्थिक दृष्टि से भी ठीक है। अतः इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह जलमार्ग देश का तीसरा जलमार्ग होगा। जैसे बताया गया है, पहला जलमार्ग इलाहाबाद और हल्दिया के बीच था। उस जलमार्ग की क्या स्थिति है? और दूसरा जलमार्ग बह्मपुत्र नदी के सदिया-धुब्री

खण्ड के बीच है। सही माने में कोई विकास नहीं हो रहा है। उस समय जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है? उस समय जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे कि इतने माल को ले जाया जायेगा या इतने यात्रियों को ले जाया जायेगा, क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया? यदि माननीय मंत्री जी उन दो जलमार्गों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सभा को यह सूचना देने की कृपा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तब हम इस तीसरे जलमार्ग पर अपने विचार अच्छी तरह रख सकेंगे। अतः प्रश्नों का उत्तर देते हुए, माननीय मंत्री जी पहले दो जलमार्गों के अनुभवों की जानकारी दें।

इसके साथ-साथ उस समय, समय-बद्ध कार्यक्रम क्या था और हमारी क्या उपलब्धियाँरही हैं? इस सभा को वह जानकारी भी दी जानी चाहिए। यह मेरा पहला मुद्दा है।

दूसरी बात यह है कि भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 में पारित किया गया था। उस समय यह प्राधिकरण को गठित किया गया था। इस प्राधिकरण ने अपना कार्य कैसे किया? क्या प्राधिकरण ने सही माने में कोई ठोस कार्य किया है या अब तक केवल कागज़ी कार्यवाही ही हुई है? उसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। अन्यथा, इस विधेयक के अधिनियमन से केवल ग्रंथालय में बढ़ोत्तरी होगी। हमने पहला, दूसरा और तीसरा जलमार्ग अधिनियम पारित किया था। इसलिए, विधेयक का अधिनियमन केवल हमारे ग्रंथालय में सामग्री की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ व्यावहारिक लाभ होना चाहिए और सभा को इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। मैं मंत्री जी से यह भी अपेक्षा करता हूं कि वे अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के समय, 1985 से अब तक के उसके कार्यकरण की जानकारी हमें देंगे।

पारित विधेयक के कारणों तथा उद्देश्य के परिच्छेद 4 में कहा गया है कि सुरक्षित तथा सुविधाजनक नौपरिवहन के लिए आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस समय यह सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अब आप केवल 62 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करा रहें हैं। क्या यह 62 करोड़ रुपये की धनराशि 200 कि॰ मी॰ लम्बे जलमार्ग के लिए पर्याप्त होगी? यदि मुझे ठीक तरह से याद है माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस मार्ग की लम्बाई लगभग 200 कि॰ मी॰ है। अतः वहां की बन्दरगाहों और शहरों के विकास के लिए और मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या यह 62 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त होगी?

जब सरकार स्वयं यह कहती हैं कि वर्तमान में सुरक्षित तथा सुविधाजनक नौ परिवहन के लिए आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं है, तो स्वयं मुझे यह सन्देह हो रहा है कि क्या यह राशि पर्याप्त होगी। इस बात को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। आगे और सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या योजनाएं हैं?

मैंने इलाहाबाद से हल्दिया तक प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग से यात्रा की थीं और मेरा यह अनुभव रहा है कि मूलभूत सुविधायें बहुत बेकार है। कलकत्ता में भी इनकी स्थिति इतनी खराब है कि हम यह कह नहीं सकते कि हम एक आधुनिक जलमार्ग का संचालन कर रहे हैं। अतः मैं यह महसूस करता हूं कि मूलभूत सुविधायें स्तरीय और सुरक्षित होना चाहिए। अन्यथा, विशेषकर नदियों पर यात्रा करते समय लोग डर जातें हैं कि

[हिन्दी]

क्या बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो क्या होगा।

[श्री राम नाईक]

[अनुवाद]

उस दृष्टि से नौपरिवहन सुविधाओं को, रेल में जो सुविधायें दी जाती हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि हम इसे किस तरह से सुरक्षित रख सकते है। क्या उस विशेष कार्य करने के लिए 62 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त है?

महोदय, हम तीसरे राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। महाराष्ट्र का तट काफी लम्बा है। सभापति महोदय, आप भी महारार के रहने वाले हैं। 25—30 वर्ष पहले, बम्बई से गोवा तक और गुजरात के लिए, पूरा कोंकण यातायात के लिए नियमित रूप से जहाज़ चला करते थे इसमें यात्री यात्रा करते थे और अधिक मात्रा में माल ढोया जाता था। लेकिन पत्तनों की उपेक्षा के कारण अब शायद ही कोई जहाज़ बम्बई से गोवा मार्ग पर चलता हो। इसी बीच कई पत्तनों की उपेक्षा होती रही। इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य परिवहन की बसें चलने लगीं और परिवहन का एक सस्ता साधन उपेक्षित हो गया है। जब हम तीसरे राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण पर विचार कर रहे हैं, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त महत्वपूर्ण तटीय जलमार्ग पर भी विचार करें जिसका उपयोग कई वर्षों तक हुआ, जो एक समय आर्थिक दृष्टि से ठीक था, जो एक समय सस्ता था। उन सबका क्या हुआ? मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आम व्यक्ति की दृष्टि में कोंकण जहाज सेवायें नियमित व आर्थिक रूप से ठीक थीं। आज ऐसी स्थिति नहीं रही।

हम केवल अपने बच्चों को यह बताते हैं कि बचपन में हम अक्सर स्टीमर द्वारा यात्रा किया करते थे। अब कोई भी स्टीमर की यात्रा नहीं करता। अब ऐसी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पहलू पर गौर करें जिस पर कि ध्यान नहीं दिया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम बम्बई से गोवा के कोंकण तटीय परिवहन को भूल गए हैं।

एक अन्य मुख्य पहलू है। मैं बम्बई शहर से निर्वाचित हुआ हूं। वहां हमारी उपनगरीय रेलगाड़ियों में हमेशा बहुत अधिक भीड़ भाड़ रहती है, जोकि विश्व में सबसे अधिक है। बम्बई शहर समुद्री तट से सटा हुआ है। कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि तटीय जल परिवहन सुविधा बम्बई में उपलब्ध करायी जा सकती है और यदि यह सुविधा बम्बई शहर को उपलब्ध करवायी जाती है तो उपनगरीय रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ कम हो जाएगी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जब हम महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विचार करते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि मंत्री जी को इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि हम किस तरह से उपनगरीय रेलगाड़ियों में अधिक भीड़-भाड से छुटकारा पा सकते हैं। वहां इससे बेहतर तरीके हैं। जल परिवहन का उपयोग किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से सिफारिश करुंगा कि वे इस पहलू की पूर्णतः जांच करे और इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने के लिए बम्बई के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलायें। अथवा हम कोई नया तरीका लाने की कोशिश करेंगे और उसी समय में हम उन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहां हम यह कदम आसानी से उठा सकते है। उस दृष्टिकोण से बम्बई में दैनिक यात्रियों की समस्याओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अपने संशोधन के संबंध में स्वयं बोलना चाहूंगा ताकि संशोधन प्रस्तुत करते समय मैं अधिक समय न लूं। मैं अपने संशोधन के संबंध में विशेषकर केरल से निर्वाचित अपने मित्रों का ध्यान आकर्षित करुंगा। इस विधेयक का नाम है अन्तर्देशीय जल

मार्ग (पश्चिमी तट नहर और चंपकरा और उद्योग मंडल नहरों का कोलम-कोट्टपुरम खंड)। अब मेरे संशोधन में बताया गया है कि 'कोलम' शब्द के स्थान पर 'क्यूलोन' शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

अब, दोनों एक ही स्थान के नाम हैं। **(व्यवधान)**

मैं केरल सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह 1990 में ऐसा किया, यह बात निराकार है कि यह किस सरकार ने किया है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जहां कहीं भी अंग्रेजी नाम थे, उन्हें परिवर्तित कर दिया गया है क्योंकि अंग्रेजी नामों का अर्थ है ब्रिटिश उपनिवेशीवाद शासन। उन्होंने इस उपनिवेशवादी प्रभाव से मुक्त होने के लिए यहां तक कि अंग्रेजी नामों को भी मूल मलयालम नामों में प्रतिख्यापित कर दिया है और फरवरी, 1990 की वह अधिसूचना मेरे पास है। अब, उस अधिसूचना में, 21 प्रमुख नगरों के नाम अंग्रेजी से बदलकर मलयालम में रखे गए हैं। अंग्रेजी तथा मलयालम दोनों नाम दर्शाए गए हैं। **(व्यवधान)**। इसलिए 21 नगरों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। 'त्रिवेन्द्रम' के लिए मलयालम नाम तिरुअनन्तपुरम है और 'क्विलोन, का मलयालम नाम 'कोलम' है। अन्य के बारे में मैं नहीं जानता। मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा क्योंकि सभा उन्हें अनेक बार सुन चुकी हैं। जब मैंने भारत सरकार से पूछा कि क्या उन्होंने केरल सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है तो मुझे यह जवाब मिला, जिसे मैं अभी पढ़ूंगा और यह मेरे पास है। मुझे 4 अप्रैल, 1991 को गृह मंत्रालय में अवर सचिव, श्री ए० के० बसक से यह उत्तर मिला। जिसके दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है:

> "इस मंत्रालय का दिनांक 11.9.1953 के पत्र की एक प्रति संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि गांवों, शहरों इत्यादि के नामों में परिवर्तन करने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है। 1953 के बाद परिवर्तित हुए शहरों के नामों का ब्यौरा देना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। फिर भी, हाल ही के वर्षों के दौरान कुछ स्थानों के बदले हुए नामों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न हैं। यह मंत्रालय इस बात से अवगत है कि केरल राज्य सरकार ने कुछ जिलों तथा ताल्लुकों के नाम बदल दिए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इसका अर्थ यह है कि गृह मंत्रालय ने केरल सरकार द्वारा परिवर्तित शहरों के नामों को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

अब, बहुत समय बाद 29 अप्रैल, 1992 को मैंने सभा में यह मुद्दा उठाया है। मैं केवल गृह मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ रहा हूं। अब गृह मंत्री, श्री एस० बी० चव्हाण कहते हैं:

[हिन्दी]

"मेरे सम्माननीय मित्र श्री राम नाईक ने बाम्बे का नाम बदल कर मुंबई रखने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने केरल के कुछ शहरों तथा नगरों का उदाहरण दिया है। मैंने सब रेकार्ड देखा है। असल में यह प्रस्ताव 1988 में भेजा गया था। **(व्यवधान)** हमने राज्य सरकार को यह बताने की विनती की थी कि 1953 में गांव, शहर तथा नगरों के नाम बदलने के मामले में जो मार्गदर्शक तत्व प्रसारित किए थे, उनका पालन हुआ है क्या? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को एक विशिष्ट नाम अच्छा नहीं लगता, या केवल भाषा विचार से नाम बदलने का प्रस्ताव है, तो यह बात कभी मंजूर हो सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। केरल में इन सबका विचार नहीं किया गया, इसलिए उनके नाम परिवर्तन को केन्द्र शासन ने अनुमति नहीं दी।" "

[अनुवाद]

गृह मंत्री ने यह उत्तर सभा में दिया है। जब गृह मंत्री कहते है कि उन्होंने अंग्रेजी के स्थान पर मलयालम नामों के परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया है, विधेयक कोलम के नाम से प्रस्तुत किया गया है। क्या यह भारत सरकार के रवैये के विरुद्ध नहीं है। इसलिए यद्यपि मैं कोलम शब्द का समर्थक हूं फिर भी मैं चाहता हूं कि

[श्री राम नाईक]

यह सूचना सभा के ध्यान में लायी जाए। यह कहना मेरा कर्त्तव्य है कि जब गृह मंत्री ने बार-बार यह कहा कि इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और यदि परिवहन मंत्रालय कोलम के नाम से विधेयक प्रस्तुत करता है तो निश्चय ही यह उपयुक्त नहीं लगता। इसलिए उस दृष्टिकोण से मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं अंग्रेजी से इस बारे में उपयुक्त स्पष्टीकरण चाहूंगा कि 'कोलम' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है और 'क्यूलोन' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। यद्यपि गृह मंत्री से—गृह मंत्री द्वारा मेरा अर्थ है कि भारत सरकार ने बार-बार कहा है कि इसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कि मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए और उस दृष्टिकोण से मैंने सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देंगे।

श्री ए॰ चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया। लगभग पिछले नौ वर्षों से आठवीं, नौवीं तथा दसवीं लोक सभा में...**(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): कृपया एक मिनट सभापति महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हम 6 बजकर 15 मिनट पर राष्ट्रपति महोदय की विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। इसलिए क्या मैं सभा से अनुरोध करूं कि वे 5 बजकर 30 मिनट पर स्थगन के लिए सहमत हो जायें ताकि कुछ सदस्य समारोह के लिए तैयार हो सकें?

श्री ए॰ चार्ल्स: महोदय, हम चाहते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदय: क्या सभा इस बात से सहमत हैं कि हम 5 बजकर 30 मिनट पर सभा स्थगित कर दें?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: हम 5 बजकर 30 मिनट पर सभा स्थगित कर देंगे।

श्री ए॰ चार्ल्स: महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी): महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। मैं केवल दो मिनट लूंगा।

सभापति महोदय: हां, हां, यदि आज नहीं, तो कल।

श्री जगदीश टाईटलर: महोदय, हम चाहते हैं कि विधेयक आज ही पारित किया जाए।

सभापति महोदय: विधेयक किसी भी स्थिति में हो, हम 5 बजकर 30 मिनट पर स्थगित कर देंगे। हां, श्री चार्ल्स, कृपया आगे बोलिए।

श्री ए॰ चार्ल्स: महोदय, आठवीं लोक सभा में आखिरी दिन, इस विधेयक को वास्तव में पारित किया गया था। उस दिन उस विधेयक पर बोलने वाला मैं एकमात्र वक्ता था। विधेयक पर हुई चर्चा के उत्तर में माननीय मंत्री ने एक स्पष्ट आश्वासन दिया था। पहले प्रस्ताव यह था कि सारे पश्चिमी तटीय नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जायेगा। सन् 1985 में, मैंने अपने स्वर्गीय प्रधान मंत्री, राजीव जी को उस विधेयक के बारे में लिखा था और उन्होंने एक निर्देश दिया कि क्विलोन त्रिवेन्द्रम क्षेत्र पर अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए,

एक अध्ययन किया गया और तत्कालीन मंत्री ने उत्तर देते हुए सभा में यह आश्वासन दिया कि क्यूलोन-कोवलम क्षेत्र को भी शामिल किया जायेगा। मैं उद्धरित करता हूं:

> "महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव एक अच्छा सुझाव है, इससे पर्यटक भी आकर्षित हो सकें। लेकिन मैं जांच कराऊंगा। महोदय, और यदि यह सम्भव हुआ तो मैं इसे भी शामिल करूंगा। यदि जल माप सर्वेक्षण संबंधी तथा ये सब-चीज़े पूरी हो गयीं और नियम तथा विनियमों के अनुसार इसे इसमें शामिल किया जा सका तो हम शामिल करेंगे। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।"

महोदय, जल माप संबंधी सर्वेक्षण पूरा हो गया है, प्रायोगिक-आर्थिक अध्ययन भी पूरा हो गया है। एक ही बात जो मंत्रीजी कह रहे थे वह यह थी कि आर्थिक रूप से यह व्यवहार्य नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि अध्ययन रिपोर्ट में आर्थिक दृष्टिकोण सही नहीं है क्योंकि भूमि का एक बड़ा हिस्सा , जिसे अर्जित किया जाना था, उस सरकार की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्ज़ा कर लिया गया है। इसलिए किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन के लिए बहुत कम राशि की आवश्यकता है। यदि इस हिस्से को भी शामिल कर लिया जाता है तो इससे पर्यटक आकर्षित होंगे और केरल के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो जायेगी। मैं मानता हूं कि आठवीं लोक सभा तथा नवीं लोक सभा में इस पर विचार किया गया था और अब भी इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री से केवल इस विधेयक को पारित करने के लिए कोवलम तक जलमार्ग उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध करता हूं। मैं इस बात का उल्लेख करुंगा कि जब मैं प्राथमिक स्कूल में था तो मैंने अपने देश में त्रिवेन्द्रम से इर्नाकुलम तक नाव द्वारा यात्रा की थी। वहां एक लम्बा जलमार्ग है। जिसमें सुधार करना है। मैंने माननीय मंत्री जी से कोवलम तक इसे शामिल करने तथा इस कार्य को आरम्भ करने का निवेदन किया है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस विधेयक को आज ही पारित किया जाए।

मैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा दिए गए निर्देश तथा तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्री द्वारा दिए आश्वासन को पूरा किया जाए। मैं जानता हूं कि वर्तमान जल-भूतल परिवहन मंत्री को केरल से विशेष लगाव है।

इसे कोवलम तक बढ़ाया जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि वास्तविक कार्य केवल क्विलोन से ही आरम्भ किया जा सकता है, क्विलोन तक का कार्य समाप्त हो जाता है तब क्विलोन-कोवलम कार्य को द्वितीय अवस्था में आरम्भ किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि उस दूरी को भी शामिल किया जाए। यदि नहीं, तो मेरे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है और मैं पूर्णतः निराश हो जाऊंगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी मदद करें तथा केरल राज्य की मदद करे।

मेरा अनुरोध है कि विधेय को पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति जी, यह बिल वास्तव में जिस भावना से लाया गया है उसमें दो राय नहीं है। बात यह है कि समुद्र से जो नहरें राज्य सरकारों के पास होकर जाती है तो इनकी व्यवस्था केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है और वह इसलिए लेना चाहती है कि राज्य सरकारें इसको अलग नहीं कर सकी। इस सबके डवलप हो जाने से ट्रांटपोर्ट की कीमत कम होगी, पैट्रोल बचेगा और नहरों के किनारे रहने वाले व्यक्तियों का जीवन उन्नत होगा, यह बात इसमें मूलतः कही गई है। केन्द्र सरकार

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

ने पहले से ही इन्लैंड वाटर-वेज़ अथारिटी आफ इंडिया अंडर दी इन्लेंड वाटर-वेज़ अथारिटीज़ आफ इंडियन एक्ट-1985 इसके तहत बना रखी है। अब दो जगह इस प्रकार की व्यवस्था है। तीसरी जगह और इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसमें कहीं पर कोई भी विरोधाभास नहीं है। इसके कारण व्यापार बढ़ेगा और सब उन्नति होगी और भारतीय जलमार्ग निगम जिसको नेशनल वाटर-वेज़ कहते हैं, वे इस काम को करना चाहते हैं जिससे राज्य की सारी की सारी इस प्रकार की जो नहरें हैं तो वहां का जीवनस्तर बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट कीमत भी कम होगी और ईंधन की बचत भी होगी। लेकिन जो आय होगी उस आय में से राज्य सरकार के बराबर से जो नहरें जा रही हैं उनको भी आपकी राय में से पैसा मिले उससे राज्य सरकारें भी अपना विकास कर सकेंगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को कहीं पर भी यह विरोधाभास की बात नहीं है, राज्य सरकारों को भी रकम देनी चाहिए। मूलतः जिस भावना से बिल लाया गया है तो मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि इससे निश्चित रूप से अपने देश की जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। यह मेरा निवेदन है और माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन॰ डेनिस (नागर कोइल): सभापति महोदय, विधेयक का स्वागत करते हुए मैं कुछेक बातें कहना चाहता हूं।

मैं इस सम्मानीय सभा के माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि इस विधेयक पर मेरे से पूर्व वक्ता श्री चार्ल्स, ने कहा है कि अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा को क्यूलोन से कोवलम तक विस्तार किया जाना है। मेरा प्रस्ताव यह है कि इस सेवा को दक्षिणी में और बढ़ाकर राष्ट्रीय टर्मिनस कन्याकुमारी तक ले जाना चाहिये।

क्यूलोन से राष्ट्रीय टर्मिनस, कन्याकुमारी तक लगभग 94 मील की ही दूरी है। पहले अनन्ता विक्टोरिया मरायडा पुतानारू (ए॰ वी॰ एम॰, नहर के नाम से जानी जाने वाली) नहर के माध्यम से त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच अंतर्देशीय जल-परिवहन सेवा उपलब्ध थी। भूतपूर्व महाराजाओं के समय के दौरान, जब मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी ट्रावनकोर के अंतर्गत था, यह सेवा वहां उपलब्ध थी। तब नाव ही चलाई जाती थी, समुद्री जहाज नहीं। लेकिन, बाद में दरारें पड़ गईं और अनेक स्थानों पर नहर बंद हो गई तथा इससे अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली पर असर पड़ा। यदि इन दरारों को भर दिया जाये तो कन्याकुमारी से त्रिवेन्द्रम तक और उसके आगे क्यूलोन तक एक बहुत ही सुविधाजनक अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। पहले, जल परिवहन सेवा अरणाकुलम और क्यूलोन तक चलाई जाती थी। मेरा अनुरोध यह है कि इसे बीच में ही क्यूलोन अथवा कोवलम पर ही बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह सेवा कन्याकुमारी में स्थित राष्ट्रीय सीमा टर्मिनल तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस सेवा से देश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में आर्थिक और पर्यटन कार्यकलापों की गति बढ़ जायेगी। यह अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा बहुत सस्ती और सुविधाजनक होगी। वहां बड़ी संख्या में मच्छुआरे और आम लोग रह रहे हैं। इस सेवा से समुद्री उत्पाद व्यापार कार्यों में व्यापक बढ़ोतरी होगी और अगर यह सेवा उपलब्ध करा दी जाती है, तो ट्रेनों और बसों के भीड़-भाड़ से प्रदूषित वातावरण से भी छुटकारा मिलेगा और आम लोग इन जल मार्गों द्वारा प्रदूषण-रहित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे। यह मुद्दा मैं सभा में कई बार उठाता रहा हूं। 23 अगस्त, 1991 को भी मंत्री महोदय ने मेरे तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ट्रावनकोर और कन्याकुमारी के बीच अंतर्देशीय जल सेवा हेतु कोई संभाव्य-अध्ययन नहीं करवाया गया है। अतः सम्भाव्यता-अध्ययन शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए और इस सेवा के इस प्रकार बढ़ाने से दक्षिण-राष्ट्रीय सीमा तक सुविधा हो जायेगी और इस प्रकार इसे

राष्ट्रीय अंतर्देशीय परिवहन मार्ग की संख्या दी जा सकती है तथा मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि अंतर्देशीय परिवहन सेवा न केवल क्विलोन तक, बल्कि कन्याकुमारी तक भी उपलब्ध कराई जाये।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज: सभापति महोदय, मंत्री महोदय को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। केरल के लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही, हम देश के अन्य भागों, तटीय राज्यों से संबंधित है, विशेषकर श्री राम नाइक कोंकण के बारे में बोले हैं, मैं भी कोंकण से आया हूं और बहुत सी नदियां पश्चिम की ओर बह रही हैं, जल भी व्यर्थ किया जा रहा है, बाढ़ के पानी को भी व्यर्थ गवाया जा रहा है। यदि नदियां जोड़ दी जाती हैं और अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित किया जाता है, तो ईधन के रूप में व्यय होने वाला बहुत सा धन बचाया जा सकता है और ऐसा करने से मत्स्य-पालन में भी बड़े पैमाने पर सहायता मिल सकेगी।

जैसा कि श्री राम नाइक ने कहा है, जब हम स्कूली-छात्र थे, तो हमें कोची से ही करांची तक स्टीमर-सेवा उपलब्ध हुआ करती थी। बीच में, हमारे पास मंगलौर, मालपे, करवर, गोवा और मुम्बई बंदरगाहें थीं। इसे फिर से चलाया जाना चाहिए। चाहे जिस भी कारण से इसे बंद किया गया हो, यात्री और 'कारगो-सेवा' दोनों ही को फिर से शुरू करने का यह सही समय है। ताकि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन बन सके। आप भी, सड़क अथवा किसी अन्य साधन द्वारा परिवहन-लागत बहुत ऊंची है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया इस सेवा को फिर से चलायें। जब मैं प्रश्न पूछता हूं, तो मंत्री महोदय का यही उत्तर होता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, पुनः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया इस सेवा को फिर से चलायें और देश के विभिन्न भागों में संभावित अंतर्देशीय जलमार्गों के सर्वेक्षण के आदेश जारी करें मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि संसद के समक्ष पूरे देश के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों संबंधी एक संदर्शी योजना प्रस्तुत करें।

श्री ए० चार्ल्स: सभापति महोदय, अगर आप सभा की बैठक के समय को पांच मिनट के लिए और बढ़ा दें, तो यह विधेयक आज ही पारित हो सकता है।

सभापति महोदय: नहीं; हमने 5.30 म०प० पर सभा-स्थगित करने का निर्णय लिया है। अब सभा बुधवार, 22 जुलाई, 1992 को 11.00 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 जुलाई, 1992/31, आषाढ़ 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।